वार्षिक प्रतिवेदन (भाग - I)
2019-20

सिडबी

अपना सहयोग सुदृढ़ करने में रत

सुदृढ़ एमएसएमई से परिपूर्ण ऊर्जावान अर्थव्यवस्था के लिए

सिडबी विज़न 2.0

सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के विकास के लिए, निम्नलिखित कार्यों के माध्यम से उत्प्रेरक और सुगमकार की भूमिका निभाना :

1. नीतिगत पक्षपोषण
2. ऋण संस्थाओं के बीच समन्वय
3. संगठित प्रयासों के माध्यम से संवर्द्धनशील एवं विकासपरक गतिविधियाँ
4. नीति-निर्माताओं और ऋणदात्री संस्थाओं को आँकड़ों और अनुसंधान पर आधारित प्रासंगिक निर्णायक बिंदु उपलब्ध कराना
5. नवयुगीन प्रौद्योगिकियाँ अपनाने वाले नए एवं नवोन्मेषी मॉडलों के माध्यम से ऋण का प्रवाह सुगम बनाने के लिए, ऋण संस्थाओं की ओर से संस्थागत तंत्र का विकास करना
6. सरकार, विनियामकों, स्टार्टअप, निधीयन एजेंसियों और वित्तीय संस्थाओं के व्यापक पारितंत्र के साथ मिलकर काम करते हुए, राष्ट्र के युवाओं के बीच उद्यमिता के प्रोत्साहन के लिए कार्यक्रमों / गतिविधियों का संचालन

हमारी रिपोर्ट ऑनलाइन देखने के लिए कृपया हमारी वेबसाइट देखें :
www.sidbi.in

अपना सहयोग सुदृढ़ करने में रत

एमएसएमई आर्थिक विकास के महत्त्वपूर्ण कर्णधार हैं और ये स्वस्थ एवं समृद्ध समुदायों के निर्माण के लिए अत्यावश्यक हैं। इस क्षेत्र की सर्वोच्च वित्तीय संस्था होने के नाते, बैंक इस क्षेत्र को वित्तपोषण, संवर्द्धन, विकास और हितधारकों के बीच प्रभावी समन्वय के संदर्भ में दिए जा रहे अपने सहयोग में सुदृढ़ता ला रहा है, ताकि जिस पारितंत्र में एमएसएमई काम करते हैं, उसे सुदृढ़ अंतर्निहित पारितंत्र बनाया जा सके। कोविड महामारी के इस चुनौतीपूर्ण समय की माँग है कि एमएसएमई की सहायता के लिए सभी हितधारक अधिक सहयोगपरक दृष्टिकोण अपनाएँ।

प्रेषण पत्र

सचिव,
वित्त मंत्रालय,
भारत सरकार,
नई दिल्ली

20 जुलाई, 2020

महोदय,

सिडबी के वित्तवर्ष 2019-20 के काम-काज संबंधी वार्षिक लेखे तथा निदेशक मंडल की रिपोर्ट

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम 1989 की धारा 30(5) के प्रावधानों के अनुसार हम निम्नलिखित दस्तावेज़ एतदद्वारा अग्रेषित कर रहे हैं।

(1) 31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तवर्ष के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के वार्षिक लेखे की प्रति; तथा

(2) 31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तवर्ष के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की कार्यनिष्पादन रिपोर्ट।

भवदीय,

(मोहम्मद मुस्तफा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

अनुलग्नक : यथोक्त

सिडबी का निदेशक मंडल
(यथा 31 जुलाई, 2020)

श्री मोहम्मद मुस्तफा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्री मनोज मित्तल
उप प्रबंध निदेशक

श्री वी. सत्य वेंकट राव
उप प्रबंध निदेशक

श्री देवेन्द्र कुमार सिंह

श्री पंकज जैन

श्री जी.के. कंसल

श्री वी. सत्य कुमार

श्री एल.आर. रामचंद्रन

श्री जी. गोपालकृष्ण

श्री आशीष गुप्ता

श्रीमती नूपुर गर्ग

विव 2020 के दौरान निदेशक मंडल की पाँच बैठक हुईं।

सिडबी

बोर्ड स्तर की समितियों का विवरण
(यथा 31 जुलाई, 2020)

कार्यकारिणी समिति (6 बैठकें)*

1 श्री मोहम्मद मुस्तफा, अध्यक्ष
2 श्री मनोज मित्तल
3 श्री वी. सत्य वेंकट राव
4 श्री जी.के. कंसल
5 श्री वी. सत्य कुमार

जोखिम प्रबंध समिति
(6 बैठकें)

1 श्री वी. सत्य कुमार, अध्यक्ष
2 श्री मनोज मित्तल
3 श्री वी. सत्य वेंकट राव
4 श्री जी.के. कंसल

सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति समिति (3 बैठकें)

1 श्री वी. सत्य कुमार, अध्यक्ष
2 श्री मनोज मित्तल
3 श्री वी. सत्य वेंकट राव
4 श्री पुष्पिंदर सिंह (बाहरी विशेषज्ञ)

मानव संसाधन संचालन समिति

1 श्री मोहम्मद मुस्तफा, अध्यक्ष
2 श्री मनोज मित्तल
3 श्री वी. सत्य वेंकट राव
4 श्री पंकज जैन
5 श्री जी.के. कंसल
6 डॉ. चित्रा राव (बाहरी विशेषज्ञ)

उप प्रबंध निदेशक - प्रबंध समिति
(5 बैठकें)

1 श्री मनोज मित्तल, अध्यक्ष
2 श्री वी. सत्य वेंकट राव
3 श्री जी.के. कंसल
4 श्री वी. सत्य कुमार
5 श्रीमती नूपुर गर्ग

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

1 श्री पंकज जैन

लेखापरीक्षा समिति (4 बैठकें)

1 श्री वी. सत्य कुमार, अध्यक्ष
2 श्री मनोज मित्तल
3 श्री वी. सत्य वेंकट राव
4 श्री पंकज जैन
5 श्री आशीष गुप्ता

उच्च राशियों की धोखाधड़ी की निगरानी हेतु विशेष समिति (3 बैठकें)

1 श्री मोहम्मद मुस्तफा, अध्यक्ष
2 श्री मनोज मित्तल
3 श्री वी. सत्य वेंकट राव
4 श्री पंकज जैन
5 श्री जी.के. कंसल
6 श्री वी. सत्य कुमार

ग्राहक सेवा समिति (1 बैठक)

1 श्री मोहम्मद मुस्तफा, अध्यक्ष
2 श्री मनोज मित्तल
3 श्री वी. सत्य वेंकट राव
4 श्री जी.के. कंसल
5 श्री वी. सत्य कुमार

वसूली समीक्षा समिति (2 बैठकें)

1 श्री मोहम्मद मुस्तफा, अध्यक्ष
2 श्री मनोज मित्तल
3 श्री वी. सत्य वेंकट राव
4 श्री पंकज जैन
5 श्री गोपालकृष्ण

इरादतन चूककर्ता तथा असहयोगी उधारकर्ताओं हेतु समीक्षा समिति

1 श्री मोहम्मद मुस्तफा, अध्यक्ष
2 श्री आशीष गुप्ता

संवर्द्धन एवं विकास गतिविधियों हेतु समिति (1 बैठक)

1 श्री देवेंद्र कुमार सिंह
2 श्री पंकज जैन
3 श्री वी. सत्य वेंकट राव

* कोष्ठक में दी गई संख्या वित्त वर्ष 2020 के दौरान संबंधित समिति की बैठकें दर्शाती हैं।

प्रयुक्त संक्षेपाक्षर

एआईएफ़ – वैकल्पिक निवेश निधि

एएलएम – आस्ति देयता प्रबंध

ऐस्पायर – नवोन्मेषिता और ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने की एक योजना

बीसीएम – व्यवसाय निरंतरता प्रबंध

सीएफ़सी – सामूहिक सुविधा केंद्र

सीएलसीएसएस – ऋण-संबद्ध पूँजी सब्सिडी योजना

सीपीएसयू – केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम

सीआरएमएस – ऋण जोखिम प्रबंध प्रणाली

सीआरआर – आरक्षित नक़दी निधि अनुपात

सीएससी – सामूहिक सेवा केंद्र

सीएसओसी – साइबर सुरक्षा परिचालन केंद्र

सीटीईओ – मुख्य तकनीकी परीक्षक संगठन

सीटीएफ़ – स्वच्छ प्रौद्योगिकी निधि

सीवीपीसी – केंद्रीय विक्रेता भुगतान कक्ष

डीसीएस – प्रत्यक्ष ऋण योजना

डीएफ़आईडी – डिपार्टमेंट ऑफ़ इंटरनेशनल डेवलपमेंट

डीएफ़एस – वित्तीय सेवा विभाग

डीआईसीजीसीआई – दलित इंडियन चैंबर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री

डीपीआईआईटी – उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग

ईईएसएल – एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड

ईएलएससी – त्वरित ऋण सेवा केंद्र

ईपीएफ़ – कर्मचारी भविष्य निधि

ईएससीओ – ऊर्जा सेवा कंपनियाँ

एफ़पीटीयूएफ़एस – खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष योजना

जीसीएफ़ – ग्रीन क्लाइमेट फंड

जीईएफ़ – ग्लोबल एन्वायरनमेंट फ़ैसिलिटी

एचएफसी – हाउसिंग फाइनेंस कंपनियाँ

आईसीएएपी – आंतरिक पूँजी पर्याप्तता निर्धारण प्रक्रिया

आईडीएलएसएस – एकीकृत चमड़ा क्षेत्र विकास योजना

आईएमएफ़ – अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष

आईआरएमएस – एकीकृत जोखिम प्रबंध प्रणाली

लिक्विड – प्रत्यक्ष वित्त के माध्यम से निधियों का तत्काल आधान करते हुए चलनिधि सहायता

एमडीपी – प्रबंध विकास कार्यक्रम

एमएफ़आई – अल्पवित्त संस्था

एमएसई – सूक्ष्म और लघु उद्यम

एमएसई-सीडीपी – सूक्ष्म और लघु उद्यम – उद्यम-समूह विकास कार्यक्रम

एमएसएफ़ – सीमांत स्थायी सुविधा

एमएसएमई – सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम

एनबीएफ़सी – गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी

एनईआर – उत्तर-पूर्वी क्षेत्र

एनआईएम – निवल ब्याज मार्जिन

एनएलएससी – राष्ट्रीय स्तर की संचालन समिति

एनएसडीसी – राष्ट्रीय कौशल विकास निगम

एनयूएलएम – राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन

ओईएम – मूल उपकरण विनिर्माता

ओआरएम – परिचालनगत जोखिम प्रबंध

पीएलआई – प्राथमिक ऋणदात्री संस्थाएँ

पीएमजीकेपी – प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज़

पीएमकेके – प्रधानमंत्री कौशल केंद्र

पीएमकेवीवाई – प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना

पीएसबी – सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक

आरएफ़एस – प्राप्य वित्त योजना

आरओए – आस्तियों पर प्रतिफल

आरओसीई – प्रयुक्त पूँजी पर प्रतिफल

आरओई – ईक्विटी पर आय

आरआरसी – वसूली समीक्षा समिति

आरसेटी – ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान

सेफ़ – कोरोना वायरस के विरुद्ध आपातकालीन कार्रवाई के लिए सिडबी की सहायता

एसएआरबी – विशिष्ट आस्ति वसूली शाखा

एसडी-वैन – सॉफ्टवेयर संचालित वाइड एरिया नेटवर्क

एसएफ़बी – लघु वित्त बैंक

एसएमए – विशेष उल्लेखनीय खाता

स्मार्ट – सिडबी मल्टीफंक्शनल मूल्यांकन और रेटिंग टूल

स्माइल – सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए सिडबी मेक इन इंडिया सुलभ ऋण निधि

स्विफ्ट – सोसाइटी फॉर वर्ल्डवाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्यूनिकेशन

टीएटी – टर्न अराउंड टाइम

टेक्अप – प्रौद्योगिकी एवं गुणवत्ता उन्नयन

टीएलटीआरओ – लक्षित दीर्घकालिक रेपो परिचालन

ट्रेड्स – ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम

टीआरएमवी – कोषागार एवं संसाधन प्रबंध उद्-भाग

टीयूएफएस – प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष योजना

त्वरित – कोरोना संकट के समय उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए समय पर कार्यशील पूँजी सहायता

वीसीएफ़ – वेंचर कैपिटल फंड

डब्ल्यूसीटीएल – कार्यशील पूँजी सावधि ऋण

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का वक्तव्य

"बैंक इस चुनौतीपूर्ण समय के दौरान क्षेत्र का समर्थन करने के लिए एमएसएमई के साथ गहराई से संलग्न होगा। बैंक की दृष्टि और पहल एमएसएमई को सशक्त बनाने के राष्ट्रीय लक्ष्यों के साथ हमेशा संरेखित रहेगी और उन्हें विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाएगी।

विगत वर्ष

एमएसएमई की सहायता सम्बन्धी अपने प्रयासों में बैंक ने नयी ऊंचाइयों को छुआ। मुझे यह कहते हुए गर्व है कि विज़न 2.0 के साथ रूपान्तरण की जो यात्रा हमने आरम्भ की थी, वह परिचालन के धरातल पर फलीभूत होने लगी है और एमएसएमई क्षेत्र के वित्तपोषण, संवर्द्धन एवं विकास तथा उसकी गतिविधियों के समन्वयन संबंधी हमारी भूमिका में नये आयाम जुड़े हैं। वर्ष के दौरान बैंक के कार्य-निष्पादन की कुछ मुख्य विशेषताएं इस प्रकार रहीं-

- वित्त वर्ष 2020 के अंत में आस्ति-आधार में वर्षानुवर्ष 20.3% की वृद्धि दर्ज़ हुई और वह ऊपर उठने की वित्त वर्ष 2018 व 2019 की प्रवृत्ति को जारी रखते हुए ₹1,87,539 करोड़ (वित्त वर्ष 2019 में ₹1,55,861 करोड़) की नयी ऊँचाई पर जा पहुँचा।
- ऋण और अग्रिम में 21.4% की वृद्धि हुई और वे वित्त वर्ष 2020 के अंत में ₹1,65,422 करोड़ रहे।
- बैंक की कुल आय में 21.9% की वृद्धि हुई और वह ₹12,090 करोड़ रही। निवल ब्याज आय (एनआईआई) में वित्त वर्ष 2020 में उल्लेखनीय रूप से 27.9% की वर्षानुवर्ष वृद्धि हुई, जबकि वित्त वर्ष 2019 में यह 23% रही थी।
- बैंक ने निवल ब्याजान्तर में भी 5 आधार बिन्दुओं का सुधार किया, जो वित्त वर्ष 2019 के 1.89% से बढ़कर वित्त वर्ष 2020 में 1.94% हो गया, जबकि लागत-आय अनुपात, वित्त वर्ष 2019 के 17% से घट कर वित्त वर्ष 2020 में 14% हो गया।
- निवल लाभ ने वृद्धि जारी रखते हुए एक नया कीर्तिमान रचा। वित्त वर्ष 2020 में 18.6% की वर्षानुवर्ष वृद्धि दर्ज़ करते हुए बैंक ने ₹2,314.5 करोड़ का अब तक का अपना अधिकतम निवल लाभ अर्जित किया।
- शेयरधारकों के प्रतिलाभ में सुधार हुआ है। ईक्विटी पर प्रतिलाभ, नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ और प्रति शेयर अर्जन पिछले वर्ष के क्रमशः 12.59%, 12.57% तथा ₹36.7 से बढ़कर वित्त वर्ष 2020 में क्रमशः 13.19%, 12.83% और ₹43.5 हो गये।

संवृद्धि के स्तंभ

वित्त वर्ष 2020 के दौरान संस्थागत वित्त-बही ने ₹1.5 लाख करोड़ के पड़ाव को पार किया और वर्षानुवर्ष 22.6% की वृद्धि दर्ज़ करते हुए ₹1,55,429 करोड़ पर पहुँच गयी। एमएसई को ऋण की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बैंक ने वित्त वर्ष 2020 के दौरान बैंकों व लघु वित्त बैंकों को ₹94,798 करोड़ का संवितरण किया। बैंकों और लघु वित्त बैंकों के अलावा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भी अल्पसेवित घटकों और भू-भागों को ऋण प्रदान करने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी क्षेत्र की तरलता सम्बन्धी चिन्ताओं के समाधान के उद्देश्य से बैंक ने वित्त वर्ष 2020 में ₹3,650 करोड़ संवितरित किए, जिसके फलस्वरूप गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का कुल बकाया वर्षानुवर्ष 10.7% बढ़कर ₹10,375 करोड़ हो गया। एमएसएमई ऋण-जगत में नये युग की फिनटेक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ प्रमुख खिलाड़ी बनकर उभरीं है और उनकी संभावित पहुँच को देखते हुए, बैंक ने नये युग की फिनटेक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए प्रायोगिक तौर पर एक नयी योजना

आरम्भ की है तथा 10 फिनटेक को उससे जोड़ा है। इस योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2020 में कुल ₹75 करोड़ का संवितरण किया गया।

प्रत्यक्ष वित्त परिचालनों को बल देने के उद्देश्य से बैंक ने त्वरित ऋण सेवा केन्द्र (ईएलएससी) तथा विशिष्ट आस्ति वसूली शाखा (सार्ब) नामक नये ऋण-प्रदायगी मॉडल लागू किए, ताकि प्रभावोत्पादकता एवं उत्पादकता में वृद्धि करने संबंधी दृष्टिकोण पर और अधिक ध्यान केन्द्रित किया जा सके। साथ ही, किफायती ब्याज-दरों पर तेजी से ऋण-प्रदायगी सुनिश्चित करने के लिए बैंक ने वर्ष के दौरान 13 नये गैर-स्माइल उत्पाद आरम्भ किए। प्रभावशाली ऋण-प्रदायगी मॉडल और इन उत्पादों के सम्मिलित परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष ऋण बकाया में 10.9% की वृद्धि हुई हैं, जबकि ग्राहक-आधार 26.8% बढ़ा है।

एमएसएमई को सुचारु रूप से ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए बैंक ने पिरामिड की तलहटी पर विद्यमान सूक्ष्म उद्यमियों पर भी ध्यान केन्द्रित किया है। 'प्रयास' योजना के माध्यम से बैंक इन उद्यमियों तक पहुंचा और साझेदारियों के ज़रिए 14,000 सूक्ष्म उद्यमियों को ₹161.11 करोड़ के ऋण मंजूर किए।

स्टार्ट-अप पारितंत्र की सहायता के लिए भारत सरकार के प्रायोजन वाली निधियों की निधि के अंतर्गत बैंक ने अपने परिचालनों को बढ़ाया है। निधियों की निधि परिचालनों के ज़रिए बैंक ने विभिन्न निधियों के अंतर्गत 140 वैकल्पिक निवेश निधियों को सहायता दी है। यथा 31 मार्च 2020 इसके अंतर्गत ₹6,154.71 करोड़ की संचयी मंजूरियाँ और ₹2,848.13 करोड़ के संवितरण हुए थे। निधियों की निधि के अंतर्गत संवितरण के परिणामस्वरूप 338 स्टार्ट-अप्स तथा 158 संवृद्धि कंपनियों में कुल ₹3,582 करोड़ के निवेश हुए।

स्टार्टअप्स के लिए निवेश तक पहुँच को सुगम बनाने के प्रयासों के क्रम में बैंक ने द्वितीय निवेशक-दिवस मनाया, ताकि सभी हितधारकों को साथ लाया जा सके। खुशी की बात है कि 2 निवेशक-दिवस कार्यक्रमों में चुने गये 37 स्टार्ट-अप्स में से 31 के लिए वीसी/पीई ने रुचि दर्शायी। आनेवाले वर्षों में इन प्रयासों में बढ़ोत्तरी करने के लिए बैंक एक वैश्विक निवेशक सम्मेलन आयोजित करने पर विचार कर रहा है। इसमें पूरी दुनिया के 500 से अधिक स्टार्टअप्स और वैकल्पिक निवेश निधियों तथा उद्यम पूँजी विशेषज्ञों के सम्मिलित होने की संभावना है।

एमएसएमई पर प्रभाव

- विगत वर्षों में बैंक के प्रयासों से ऋण की उपलब्धता में वृद्धि, ऋण-लागत में कमी, एमएसएमई को डिजिटल प्लैटफॉर्मों से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करने, प्रौद्योगिकी उन्नयन और उभरते हुए उद्यमियों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से एमएसएमई क्षेत्र पर उल्लेखनीय प्रभाव डाला गया है।

- यथा मार्च 2020 बैंक का संस्थागत वित्त देश के कुल एमएसई बकाया का 13.5% रहा। वित्त वर्ष 2020 के दौरान बैंकों को संवितरित किए गए ₹94,798 करोड़ से 14.17 लाख एमएसई को लाभ हुआ, जिससे 15.18 लाख रोजगार पैदा हुए। उक्त संवितरण में से ₹3,444 करोड़ बैंकों को 109 आकांक्षी जिलों में सहायता प्रदान करने के लिए संवितरित किए गए, इससे 1.52 लाख रोजगार पैदा हुए। इसके अलावा, ₹25,184 करोड़ बैंकों को 453 पिछड़े जिलों में सहायता प्रदान करने के लिए संवितरित किए गए, इससे 7.36 लाख रोजगार पैदा हुए।

- बैंक ने बड़ी संख्या में एमएसएमई के लिए आवश्यकतानुरूप उत्पाद उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अपने प्रत्यक्ष ऋण परिचालनों का लगातार नवोन्नयन किया और 31 मार्च 2020 तक अपना ग्राहक-आधार बढ़ाकर 6,595 तक पहुँचा दिया। संवर्द्धन और विकास गतिविधियों के अंतर्गत बैंक 30 पहलकदमियों के माध्यम से, 5 लाख लाभग्राहियों तक पहुँचा है जो विशेषतः गरीब राज्यों से हैं।

कोविड 19 वैश्विक महामारी और एमएसएमई

एमएसएमई भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, जो सकल घरेलू उत्पाद और समग्र निर्यात में क्रमशः लगभग 30% और 50% का योगदान करते हैं। इस तथ्य से कोई इनकार नहीं कर सकता कि 5 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित होने के भारत के सपने को साकार करने में एमएसएमई की प्रमुख भूमिका रहेगी। हालांकि कोविड 19 महामारी ने एमएसएमई और खासकर लघु व्यवसायों के परिचालनों और उनकी लाभप्रदता की मात्रा को प्रभावित किया है, तथापि सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से उनकी वापसी और पुनरुज्जीवन की प्रक्रिया तेज होने की संभावना है। माननीय प्रधानमंत्री ने 'आत्म-निर्भर भारत' और 'लोकल के लिए वोकल' का जो लक्ष्य दिया

है, उससे आनेवाले दिनों में एमएसएमई उत्पादों के राष्ट्रीय और वैश्विक ब्राण्डों के रूप में उभरने में मदद मिलेगी। इसी प्रकार, एमएसएमई की परिभाषा में किए गए बदलाव से मझोले आकार की सेवा-क्षेत्र इकाइयाँ इस क्षेत्र में शामिल हो जाएंगी, जिससे एकल उद्यम के स्तर पर एमएसएमई के ऊर्ध्वमुखी विकास में बहुत मदद मिलेगी।

कोविड 19 के संबंध में त्वरित कार्रवाई के लिए भारत सरकार के बहुत-से प्रयासों के क्रियान्वयन के मामले में बैंक एक विश्वसनीय एजेंसी बना हुआ है। इस संकट-काल में एमएसएमई की मदद के लिए प्रत्यक्ष वित्त, संस्थागत वित्त, निधियों की निधि तथा संवर्द्धन और विकासपरक परिचालनों के ज़रिए बैंक ने कई उपाय किए हैं। बैंक द्वारा समय पर किए गये लक्ष्यबद्ध प्रयासों, जैसे ₹15,000 करोड़ की विशेष तरलता सुविधा के अतर्गत बैंकों, गैरबैंकिंग वित्तीय कंपनियों तथा अल्प वित्त संस्थाओं को तरलता सहायता, सेफ, सेफ प्लस, त्वरित तथा लिक्विड योजनाओं के माध्यम से एमएसएमई को सहायता और संवर्द्धन और विकासपरक परिचालनों एवं सीएसआर संबंधी गतिविधियों के ज़रिए जीविकोपार्जन के लिए सहायता के ज़रिए इस चुनौतीपूर्ण समय में एमएसएमई की मदद की गयी है।

प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत, इस योजना के क्रियान्वयन-साझेदार की हैसियत से बैंक लाखों पथ-विक्रेताओं की मदद करने के राष्ट्रीय प्रयास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए खुश है। इस योजना को सफल बनाने के लिए बैंक इसके हितधारकों के साथ घनिष्ठतापूर्वक जुड़कर काम करेगा। इसके अलावा, बैंक ने स्वावलंबन संसाधन सुविधा के अंतर्गत स्वावलंबन संकट-समाधान निधि स्थापित की है, ताकि ट्रेड्स प्लेटफॉर्म से जुड़ने की लागत / पंजीकरण शुल्क की आंशिक पूर्ति की जा सके और इस प्रकार समाप्तप्राय नकदी-प्रवाह से जूझ रहे एमएसएमई को राहत पहुँचाई जा सके।

संवर्द्धन और विकासपरक पहलकदमियाँ

बैंक ने सम्पर्क, संवाद, सुरक्षा और संप्रेषण शीर्षकों के अंतर्गत बहुत-सी पहलकदमियाँ प्रारंभ की हैं। मिशन स्वावलंबन के अंतर्गत बैंक ने युवाओं, असेवित/अल्पसेवित घटकों और भौगोलिक क्षेत्रों तथा पिरामिड के निचले स्तर में उद्यमिता संस्कृति विकसित करने के अधिदेश को आगे बढ़ाया है, जिसके लिए उद्यमिता संबंधी सूचना का प्रचार-प्रसार किया गया है। शैक्षिक संस्थान वे सर्वोत्तम स्थान हैं, जहाँ उद्यमिता का पथ चुनने के लिए युवाओं का मन आकर्षित किया जा सकता है। युवाओं तक पहुँचने के उद्देश्य से बैंक ने शैक्षिक संस्थानों में 118 स्वावलंबन भित्तियाँ तथा 15 स्वावलंबन क्लब स्थापित किए हैं और आईआईएम, लखनऊ में एमएसई के लिए एक अल्पावधि प्रबन्ध विकास कार्यक्रम शुरू किया है। बैंक ने पाँच राज्यों में 100 स्वावलंबन कनेक्ट केन्द्र भी स्थापित किए हैं, ताकि आकांक्षी उद्यमियों की प्रोफाइल तैयार की जा सकें और उनकी उद्यमिता-यात्रा में शुरू से अंत तक उनका मार्गदर्शन किया जा सके।

युवाओं पर ध्यान केन्द्रित करने के अलावा, बैंक ने सूक्ष्म उद्यमियों, खासकर महिलाओं की मदद के लिए कई प्रयास किए हैं, ताकि वे विकास की अगली छलाँग लगा सकें। 12 शहरों में स्वालम्बन बाज़ारों के माध्यम से बैंक ने 600 से अधिक सूक्ष्म उद्यमियों को मंच प्रदान किया, ताकि वे अपने कौशल का प्रदर्शन कर सकें। साथ ही, उन्हें ऋण और विपणन की सुविधाओं, वित्तीय साक्षरता, डिजाइन आदि का संतुलित सम्मिश्रण उपलब्ध कराया गया। ऐसी ही अन्य पहलकदमियों में, बैंक ने सिडबी महिला उद्यमी सशक्तीकरण परियोजना (एमयूएसपी) की लाभग्राही महिलाओं के लिए एक स्वावलंबन उत्सव आयोजित किया, ताकि वे अपने उत्पादों का प्रदर्शन कर सकें और नेटवर्किंग के ज़रिए नये आदेश पा सकें। बैंक की योजना है कि स्वावलंबन संकल्प के अंतर्गत डीआईसीसीआई के साथ मिलकर अखिल भारतीय स्तर पर 30 कार्यक्रम आयोजित किए जाएं, ताकि स्टैण्ड अप इंडिया योजना को बढ़ावा मिल सके। इस प्रकार के निदर्शी संस्थागत उपायों से न केवल पिरामिड के निचले स्तर के सूक्ष्म उद्यमियों को लाभ होता है, बल्कि इनसे हितधारकों को परस्पर मिलने-जुलने और इन प्रयासों को आगे ले जाने का अवसर भी मिलता है।

एमएसएमई पर श्री यू.के. सिन्हा की अध्यक्षता वाली भारतीय रिज़र्व बैंक की समिति की सिफ़ारिशों के अनुसार, बैंक ने 10 राज्य सम्पर्क कार्यक्रम आयोजित किए, ताकि एमएसएमई के संबंध में राज्य सरकारों से निकटता से जुड़ा जा सके और डिजिटल मंचों पर सूचना का प्रचार-प्रसार किया जा सके। इसे और आगे बढ़ाते हुए, बैंक की योजना है कि अलग-अलग प्रकार के 10 क्लस्टर सम्पर्क कार्यक्रम आयोजित किए जाएं।

यह सूचित करते हुए मुझे गर्व है कि स्वावलंबन सिलाई स्कूल की पहल बहुत सफल रही है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 5 राज्यों के 10 जिलों में 1,000 सिलाई स्कूल स्थापित किए गए। इससे 1,000 ग्रामीण महिलाओं को

'गृह-उद्यमी' बनाकर आगे बढ़ाया गया है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि प्रत्येक गृह-उद्यमी ने तीन अन्य महिलाओं को अपने से जोड़ लिया है। इससे कार्यक्रम का प्रभाव कई गुना बढ़ गया है और मार्च 2020 तक प्रशिक्षुओं की कुल संख्या 3,273 हो गयी। महामारी की चुनौती का उत्तर देते हुए, इन गृह-उद्यमियों ने अपनी सुदृढ़ता का परिचय दिया और कोविड-योद्धा के रूप में सामने आकर ग्रामीण आबादी को मास्क उपलब्ध कराए। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, चरण 2 में 700 और सिलाई स्कूल खोलने की योजना है।

सिडबी ईटी इंडिया एमएसई पुरस्कार राष्ट्रीय स्तर पर प्रचुर प्रतिभागिता वाले अनूठे एमएसई पुरस्कार के रूप में उभरे हैं। इन पुरस्कारों के द्वितीय आयोजन में 13,000 से अधिक पंजीकरण हुए तथा 500 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। विजयी रहे सूक्ष्म और लघु उद्यमों को बैंक के एमडीपी तथा मेंटरशिप कार्यक्रम का लाभ दिया गया।

वैचारिक नेतृत्व

सूचना की विषमता के समाधान हेतु बैंक ने अनेक प्रकार के ज्ञानपरक उत्पादों के माध्यम से कई प्रकार की पहलकदमियाँ की हैं। अपने वर्तमान ज्ञानपरक उत्पादों, जैसे- एमएसएमई पल्स और क्रिसिडेक्स में अतिरिक्त मापदण्ड शामिल करके उन्हें और व्यापक बनाते हुए बैंक ने माइक्रोफाइनेंस पल्स की शुरुआत की, ताकि अल्प वित्त क्षेत्र के हितधारकों के लिए डाटा-युक्त नीतिगत अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराई जा सके। एमएसएमई सम्बन्धी भारतीय रिज़र्व बैंक की विशेषज्ञ समिति ने सिफारिश की थी कि ज्ञानपरक उत्पाद स्थानीय भाषाओं में प्रकाशित किए जाने चाहिए। इसके मद्देनज़र एमएसएमई पल्स को अंग्रेजी के साथ-साथ, हिन्दी, मराठी और तमिल में भी उपलब्ध कराया गया है। बैंक अभी कुछ और ज्ञानपरक सामग्री प्रकाशित करने जा रहा है, ताकि नवीनतम आयामों, जैसे फिनटेक ऋण-प्रदायगी तथा प्रमुख उद्योग-क्षेत्रों पर डाटा बिन्दु उपलब्ध कराए जा सकें।

इसके अलावा अल्प वित्त क्षेत्र की सभी संस्थाओं तथा हितधारकों को एक साथ एक मंच पर लाने के उद्देश्य से बैंक ने द्वितीय सिडबी नेशनल माइक्रोफाइनेंस कांग्रेस का आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न किया। इस सम्मेलन में अल्प वित्त क्षेत्र की उभरती हुई चुनौतियों, संभावित रणनीतियों के विकास तथा क्षेत्र की भावी दिशा निर्धारित करने पर विचार किया गया। प्रसन्नता की बात है कि इस कार्यक्रम में विभिन्न हितधारकों की उल्लेखनीय प्रतिभागिता रही। आगे भी हम इस प्रकार के प्रयास जारी रखेंगे।

समूह की कंपनियों का योगदान

बैंक के सहयोगी और सहायक नेटवर्क ने एमएसएमई पारितंत्र के सर्वांगीण विकास में उल्लेखनीय योगदान किया है और इस क्षेत्र की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति की है। सीजीटीएमएसई ने 43.07 लाख एमएसई ऋण-खातों का सृजन किया, जिनकी कुल ऋण-राशि ₹2.21 लाख करोड़ है। मुद्रा ने वित्त वर्ष 2020 के दौरान ₹4,000 करोड़ की पुनर्वित्त सहायता प्रदान की, जिसमें गैरबैंकिंग वित्तीय कंपनियों और गैरबैंकिंग वित्तीय कंपनी-अल्प वित्त संस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया गया। आरएक्सआईएल ट्रेड्स प्लेटफॉर्म का संचालन करता है। यथा 31 मार्च 2020 इसके पास 489 पंजीकृत क्रेताओं, 1,787 एमएसएमई विक्रेताओं तथा 35 वित्त-प्रदाताओं का आधार है। वित्त वर्ष 2020 के अंत तक आरएक्सआईएल प्लेटफॉर्म ने कुल ₹3,816.39 करोड़ के 94,342 बीजकों का वित्तपोषण किया है। एसवीसीएल वर्तमान में आठ निधियों के लिए निवेश प्रबंधक के रूप में कार्य करती है जिनकी आहरण-योग्य समूह-निधि ₹1,754.24 करोड़ है। एसवीसीएल ने न्यू होराइज़न फंड (एनएचएफ) स्थापित किया है, और उभरते सितारे फंड स्थापित करने की प्रक्रिया जारी है। ऐक्युइट रेटिंग्स ने 31 मार्च 2020 तक 50,000 से अधिक एसएमई तथा 8,000 से अधिक बैंक ऋणों को रेटिंग दी है।

भावी प्रयास-योजना

भविष्य में बैंक एमएसएमई के साथ घनिष्ठतापूर्वक जुड़कर काम करेगा, ताकि इस चुनौतीपूर्ण समय में क्षेत्र की सहायता की जा सके। बैंक सदैव अपने दृष्टिकोण और प्रयासों को एमएसएमई के सशक्तीकरण और उन्हें वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्द्धी बनाने के राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप बनाए रखेगा। बैंक अपने सूचना प्रौद्योगिकी ढाँचे के सुदृढ़ीकरण पर ध्यान दे रहा है, ताकि आनेवाले समय में इसकी कार्य-शक्ति एमएसएमई की और प्रभावी तरीके से सेवा कर सके।

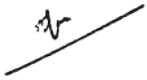

मोहम्मद मुस्तफ़ा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

निदेशक रिपोर्ट

(मनोज मित्तल)
उप प्रबंध निदेशक

(वी. सत्य वेंकट राव)
उप प्रबंध निदेशक

31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तवर्ष के लिए आपके बैंक के समग्र व्यवसाय और परिचालनों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए, बैंक का निदेशक मण्डल प्रसन्नता व्यक्त करता है।

बैंक के विज़न 2.0 के तहत रूपांतरण रणनीति से परिचालन के साथ-साथ वित्तीय मोर्चों पर उत्साहवर्द्धक प्रतिफल प्राप्त होने लगे हैं। वित्तवर्ष 2019 में सफल रहने के बाद, बैंक ने इस वित्तवर्ष में भी तेजी से नई उपलब्धियां हासिल की है। बैंक संस्थागत ऋण गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने और नए ऋण वितरण मॉडल की शुरुआत, उत्पाद समूहों को वृहत करने और प्रत्यक्ष ऋण परिचालन में त्वरित ऋण वितरण सुनिश्चित करके अंतिम-स्तर तक ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने के अपने प्रयासों में प्रभावी रहा है।

विज़न 2.0 के अनुरूप, बैंक ने सूचना की असमानता को दूर करने और डिजिटल हस्तक्षेप को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से विभिन्न अभिनव और गैर परम्परागत पहलों के माध्यम से वैचारिक नेतृत्व, सुगमकर्ता (फ़ैसिलिटेटर) और समूहक (एग्रीगेटर) की भूमिका निभाई है। बैंक के प्रयासों को यथोचित सराहना मिली है, और बैंक को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) श्रेणी में वर्ष 2019 के लिए "बिजनेस एक्सीलेंस फॉर लर्निंग एंड डेवलपमेंट" के लिए बीएमएल मुंजाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपका बैंक जनसमूह, प्रक्रिया, प्रौद्योगिकी और वित्त के मुख्य सक्षमकर्ताओं के माध्यम से अपने सभी आधार स्तंभों, यथा, संस्थागत वित्त, प्रत्यक्ष ऋण, संवर्द्धन एवं विकासात्मक पहल, सहायक नेटवर्क, एग्रीगेटर प्लेटफ़ॉर्म और निधियों की निधि को निरंतर सुदृढ़ करता रहेगा, ताकि सभी संकेन्द्रित क्षेत्रों में, पूर्ण रूपांतरण कर सके।

वित्तवर्ष 2020 के दौरान बैंक के कार्यनिष्पादन के बारे में वार्षिक रिपोर्ट के अगले अध्यायों में विस्तार से बताया गया है।

(मनोज मित्तल)
उप प्रबंध निदेशक

(वी. सत्य वेंकट राव)
उप प्रबंध निदेशक

वित्त वर्ष 2020 के दौरान बैंक के कार्यनिष्पादन के प्रमुख बिन्दु भाग- I में दर्शाए गए हैं और वित्तवर्ष 2020 के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण भाग-II में संलग्न हैं।

प्रगति का संक्षिप्त विवरण

(₹ करोड़)

यथा 31 मार्च	1991	2016	2017	2018	2019	2020
कुल आस्तियाँ	5,309.19	76,478.47	79,682.33	1,08,869.45	1,55,860.83	1,87,538.98
बकाया संविभाग	5,176.8	65,632.1	68,289.6	95,290.7	1,36,230.37	1,65,421.56
पूँजी - अधिकृत	500.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0
- प्रदत	450.0	487.0	531.92	531.92	531.92	531.92
आरक्षितियाँ एवं निधियाँ	44.9	11,108.3	13,069.5	14,359.98	16,153.16	18,465.54
कुल आय (प्रावधान पश्चात)	425.1	5,559.5	6,266.5	6,556	9,919	11,137.32
निवल लाभ	35.6	1,177.5	1,120.2	1,429.2	1,952.21	2,314.52
शेयरधारकों को लाभांश	5.0	94.7	93.9	137.7	165.12	0
औसत बकाया संविभाग पर प्रतिलाभ (%)	0.7	2.9	2.5	2.56	2.06	1.89
निवल बकाया संविभाग के प्रतिशत के रूप में मानक आस्तियाँ	100	99.27	99.56	99.74	99.79	99.60
पूँजी व जोखिम आस्ति का अनुपात (%)	13.9	29.86	28.42	26.73	27.11	26.62

वर्ष के दौरान कार्य-निष्पादन

(₹ करोड़)

विवरण	बकाया राशि यथा 31 मार्च, 2019	बकाया राशि यथा 31 मार्च, 2020
I. अप्रत्यक्ष ऋण		
क. बैंकों, लघु वित्त बैंकों, वित्तीय संस्थाओं को पुनर्वित्त	1,16,277	1,43,233
ख. अल्पवित्त संस्थाओं को सहायता	1,172	1,821
ग. गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों को सहायता	9,370	10,375
कुल अप्रत्यक्ष ऋण	**1,26,819**	**1,55,429**
II. प्रत्यक्ष ऋण		
क. ऋण और अग्रिम	8,897	9,867
ख. प्राप्य वित्त योजना एवं बिल भुनाई	514	126
कुल प्रत्यक्ष ऋण	**9,411**	**9,993**
सकल योग	**1,36,230**	**1,65,422**

अध्याय 1 ▸ एमएसएमई परिदृश्य

वैश्विक अर्थव्यवस्था

विश्व बैंक[1] और आईएमएफ़[2] ने कोविड महामारी के कारण कैलेंडर वर्ष 2020 के दौरान वैश्विक अर्थव्यवस्था में क्रमश: 5.2% और 3% के संकुचन का अनुमान लगाया।

विश्व बैंक और आईएमएफ़ कैलेंडर वर्ष 2021 के लिए आशावादी बने हुए हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए उनका क्रमशः 4.2% और 5.8% की वृद्धि का अनुमान है।

घरेलू अर्थव्यवस्था

वित्तवर्ष 2020 के दौरान भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 4.2% की वृद्धि का अनुमान है, जबकि 2018-19 में यह 6.1% थी।

व्यापार के मोर्चे पर, वित्तवर्ष 2020 के दौरान रुपये के संदर्भ में निर्यात में 3.52% एवं आयात में 7.98% की गिरावट आई और मार्च 2020[4] में संयुक्त राज्य अमेरिका एवं चीन को किए गए निर्यातों में क्रमशः 19.35% और 32.21% की कमी आई।

वित्तवर्ष 2021 की पहली तिमाही के दौरान, आर्थिक गतिविधियों का स्तर कम रहा और मार्च एवं अप्रैल 2020 में निर्यात में क्रमश: 29.98% एवं 56.39% की कमी आई। आयात में भी मार्च और अप्रैल, 2020 में क्रमशः 23.72% और 54.59% की कमी आई[4]।

एमएसएमई का वर्तमान

63 मिलियन
एमएसएमई

110 मिलियन
लोगों को रोज़गार प्रदान करता है

वित्तवर्ष 2019[5] के दौरान **राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद** में
30.3%
का योगदान

वित्तवर्ष 2020 की पहली तीन तिमाहियों (दिसंबर 2019 तक) में **अखिल भारतीय निर्यात** में
49.81%[6]
का योगदान।

कुल बिक्री (टर्नओवर) के अतिरिक्त मानदंड और निवेश सीमा में वद्धि के साथ एमएसएमई की परिभाषा पुनरीक्षित की गई। इसके अलावा, विनिर्माण और सेवाक्षेत्र के बीच का विभेद समाप्त कर दिया गया। पुनरीक्षित परिभाषा में एमएसएमई वर्गीकरण के लिए कुल कारोबार में निर्यात शामिल नहीं किया जाएगा।

एमएसएमई के रूप में वर्गीकरण के लिए पुनरीक्षित मानदंड[7] नीचे दिए गए हैं :

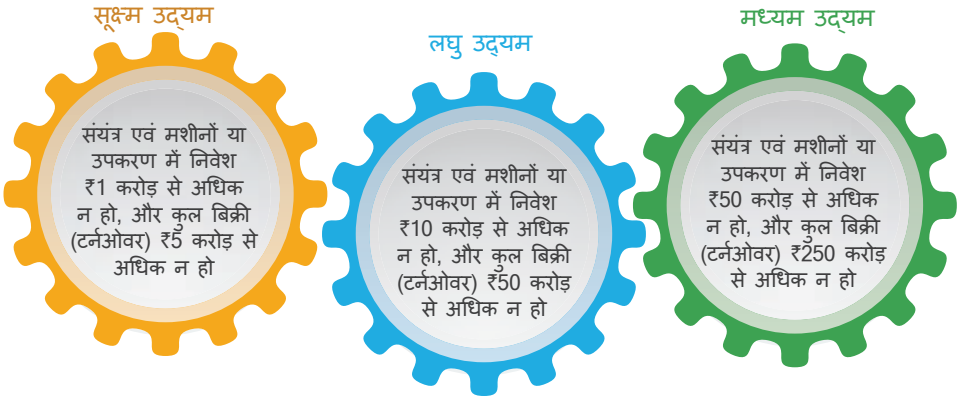

एमएसएमई ऋण

एमएसएमई पल्स रिपोर्ट - अप्रैल 2020 के अनुसार, जनवरी 2020 तक एमएसएमई को प्रदत्त ऋण (₹50 करोड़ तक के ऋण) ₹17.75 लाख करोड़ थे।

एमएसएमई ऋण जोखिम-सीमा
(₹ लाख करोड़)

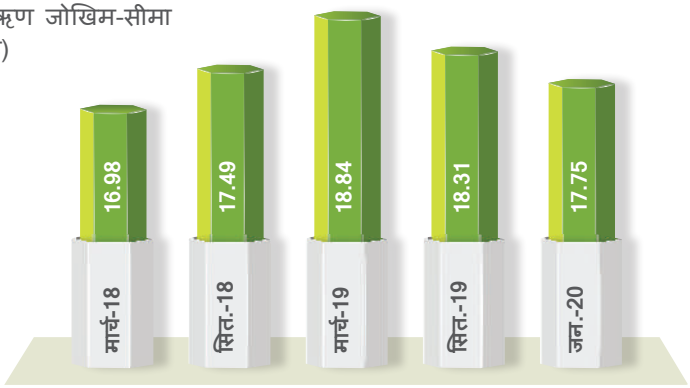

[1] ग्लोबल इकनॉमिक प्रोस्पेक्ट, जून 2020
[2] वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक, अप्रैल 2020
[3] सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई)
[4] भारतीय विदेश व्यापार - वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
[5] मार्च 12, 2020 को संसद में दिया गया जवाब
[6] मार्च 19, 2020 को संसद में दिया गया जवाब
[7] एमओएमएसएमई अधिसूचना - 01, जून 2020

एमएसएमई क्षेत्र की वर्तमान स्थिति और राहत के उपाय

कोविड महामारी के दौरान एमएसएमई की मदद करने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत राहत के उपाय -

सरकार द्वारा किए गए प्रमुख प्रयास[8] निम्नवत् हैं :

01 एमएसएमई सहित व्यवसाय-इकाइयों के लिए ₹3 लाख करोड़ के संपार्श्विक प्रतिभूति-मुक्त स्वचालित ऋण, जिनसे लगभग 45 लाख एमएसएमई के लाभान्वित होने का अनुमान है

02 दबावग्रस्त एमएसएमई के लिए ₹20,000 करोड़ के गौण ऋण, जिसका लक्ष्य लगभग 2 लाख एमएसएमई को लाभान्वित करना है

03 ₹10,000 करोड़ समूहनिधि (कॉर्पस) वाली निधियों की निधि (फ़ंड ऑफ फ़ंड्स) के माध्यम से एमएसएमई में ₹50,000 करोड़ की ईक्विटी का आधान

04 मेक इन इंडिया कार्यक्रम का सहयोग करने के लिए, ₹200 करोड़ तक की निविदाएँ वैश्विक स्तर की नहीं होंगी

05 पीएमजीकेपी के तहत, व्यवसायों और श्रमिकों के लिए 6 माह (मार्च-अगस्त 2020) की ईपीएफ़ सहायता के प्रति ₹2,500 करोड़ का प्रावधान

06 जो श्रमिक पीएमजीकेपी के लिए पात्र नहीं हैं, उनके संबंध में व्यवसायों और श्रमिकों के लिए ईपीएफ अंशदान का भार कम करने के प्रति ₹6,750 करोड़ चलनिधि सहायता

07 प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत सड़क विक्रेताओं को कार्यशील पूँजी की सुविधा प्रदान करने के लिए ₹5,000 करोड़

08 एमएसएमई क्षेत्र में भौतिक व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों को चरणबद्ध रूप से समाप्त कर / उनके स्थान पर ई-बाज़ार संबंधी संपर्क को बढ़ावा देना

चलनिधि और विनियामक सहायता सुनिश्चित करने के लिए भा.रि.बैंक के उपाय[8]

- सावधि ऋण किस्तों और कार्यशील पूँजी ब्याज के लिए 31 अगस्त, 2020 तक छह माह की अवधि का ऋण-स्थगन
- नई चलनिधि सुनिश्चित करने के लिए सीआरआर में कमी और सस्ता ऋण सुनिश्चित करने के लिए रेपो दर में कमी
- चलनिधि बढ़ाने के लिए ₹1.5 लाख करोड़ के टीएलटीआरओ
- एमएसएफ़ के तहत उधार लेने के लिए बैंक की सीमा में वृद्धि
- नाबार्ड, सिडबी और एनएचबी के माध्यम से ₹50,000 करोड़ की विशेष पुनर्वित्त सुविधा
- कार्यशील पूँजी संबंधी वित्तपोषण में सुगमता के लिए मार्जिन में कमी

चैंपियन पोर्टल

- प्रौद्योगिकी-संचालित नियंत्रण कक्ष-सह-प्रबंध सूचना प्रणाली एमएसएमई के लिए सर्व-सेवा स्थल (वन-स्टॉप) रूपी समाधान है
- वैश्विक चैंपियन के रूप में बड़े स्तर पर पहुँचने के लिए एमएसएमई को प्रोत्साहित करना, सहयोग करना और उनकी हैंडहोल्डिंग करना
- भारत सरकार के मुख्य शिकायत पोर्टल के साथ पूर्णत: एकीकृत

एमएसएमई दृष्टिकोण

कोविड महामारी से गंभीर रूप से प्रभावित होने के बावजूद, एमएसएमई क्षेत्र की दीर्घकालिक विकास की संभावनाएँ सकारात्मक बनी हुई हैं। जो तथ्य/मापदंड इस आशा का समर्थन करते हैं, वे हैं :

ऋणों का लाभ उठाने और चलनिधि स्थिति के संदर्भ में, एमएसएमई ऋण के आँकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि 3 में से लगभग 2 एमएसएमई लॉकडाउन की अवधि से उबरने के लिए अच्छी स्थित में हैं और 30% की स्थिति बहुत सुदृढ़ हैं[9]

राज्य और केंद्र सरकार के विभिन्न राहत उपायों, नीतियों और कार्यक्रमों का लक्ष्य एमएसएमई के स्तरीय विकास को प्रोत्साहित करना है

आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत, कुल ₹3.7 लाख करोड़[10] के प्रोत्साहन पैकेज़ से एमएसएमई की तेजी से बहाली हो सकेगी। इस पैकेज़ में ₹3 लाख करोड़ के संपार्श्विक प्रतिभूति-मुक्त ऋण, ₹20,000 करोड़ के गौण ऋण तथा निधियों की निधि के माध्यम से ₹50,000 करोड़ के ईक्विटी-आधान शामिल हैं।

इसके आगे, भारत सरकार के सुधारी उपायों से निश्चित रूप से इस क्षेत्र की बहाली और पुनरुद्धार में तेजी आने की उम्मीद है। भारत में निर्मित उत्पादों को और बढ़ावा देने के एक उपाय के रूप में शुरू "वोकल फॉर लोकल" पहल से इस क्षेत्र के विकास के लिए अत्यावश्यक प्रोत्साहन उपलब्ध होगा।

[8] https://champions.gov.in/
[9] एमएसएमई पल्स अप्रैल 2020
[10] https://champions.gov.in/

अध्याय 2 ▸ व्यवसायिक पहलकदमियाँ और समग्र परिचालन

वित्तीय कार्य-निष्पादन

तुलन-पत्र मेट्रिक्स

आस्ति आधार में वर्षानुवर्ष आधार पर 20.3% की वृद्धि दर्ज हुई, जबकि ऋण और अग्रिमों ने ₹1.5 लाख करोड़ के लक्ष्य-स्तर को पार कर लिया

(₹ करोड़)

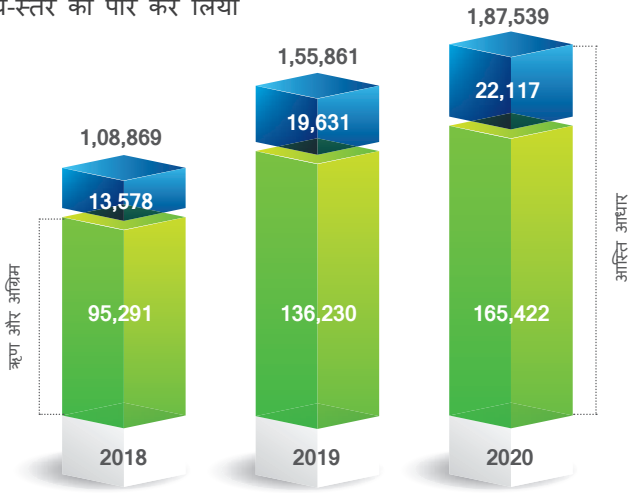

लाभ-हानि मेट्रिक्स

कुल आय में वर्षानुवर्ष 21.9% की वृद्धि दर्ज़ हुई, जबकि निवल ब्याज आय (एनआईआई) में 27.9% की वृद्धि हुई

(₹ करोड़)

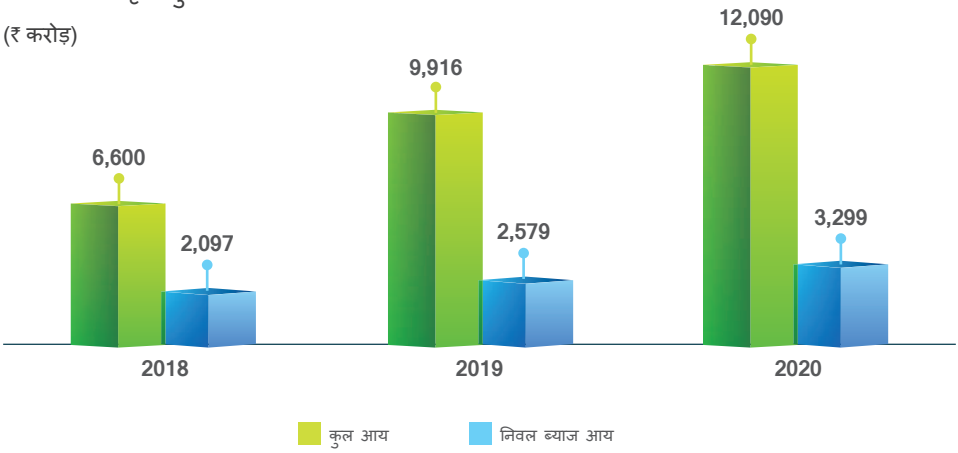

निवल लाभ

वित्त वर्ष 2020 में निवल लाभ में 18.6% की वृद्धि दर्ज़ हुई और वह ₹2,314.5 के अब तक के सर्वोच्च स्तर पर रहा

(₹ करोड़)

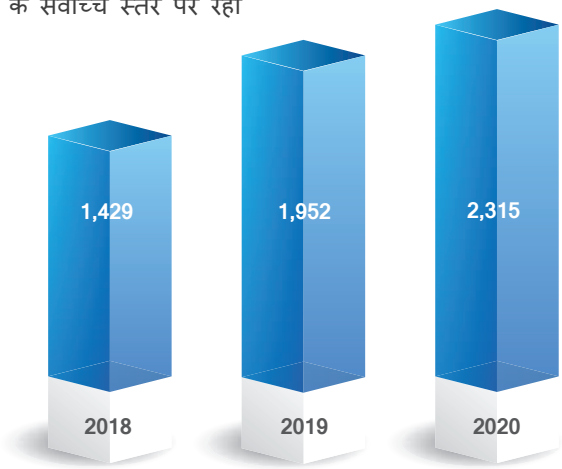

दक्षता मेट्रिक्स

वित्त वर्ष 2020 में निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम) में 5 आधार बिन्दुओं की वृद्धि हुई और लागत-आय अनुपात में 300 आधार बिन्दुओं के सुधार के साथ यह 14% हो गया है

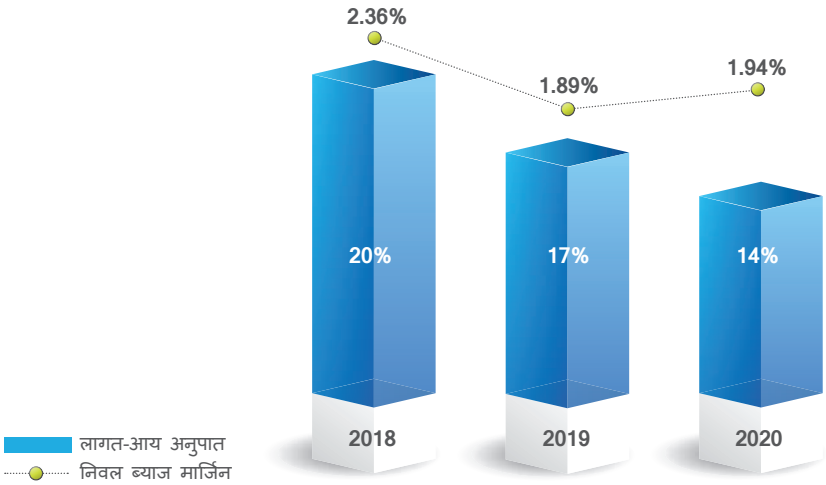

शेयरधारक-प्रतिलाभ मेट्रिक्स

प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस) वित्त वर्ष 2019 के ₹36.7 से बढ़कर वित्त वर्ष 2020 में ₹43.5 हो गया।

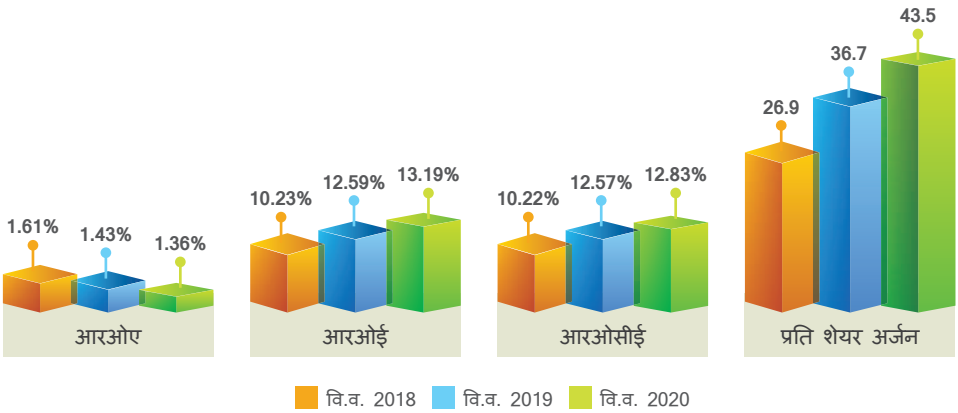

आस्ति गुणवत्ता

वित्त वर्ष 2020 में सकल अनर्जक आस्ति अनुपात 0.63% रहा।

यथा मार्च 2020, निवल अनर्जक आस्ति अनुपात वर्षानुवर्ष 19 बीपीएस बढ़कर 0.21% से 0.40% हो गया।

तुलन-पत्र की सुदृढ़ता

मार्च 2019 तक के 87% की तुलना में मार्च 2020 तक प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) 78% रहा।

पूंजी पर्याप्तता अनुपात, मार्च 2019 के 27.11% की तुलना में मार्च 2020 में 26.62% रहा।

संसाधन प्रबंध

वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान ₹78,394 करोड़ संसाधन जुटाए गए, जबकि 2018-19 के दौरान ₹84,483 करोड़ संसाधन जुटाए गए थे।

व्यावसायिक कार्यनिष्पादन

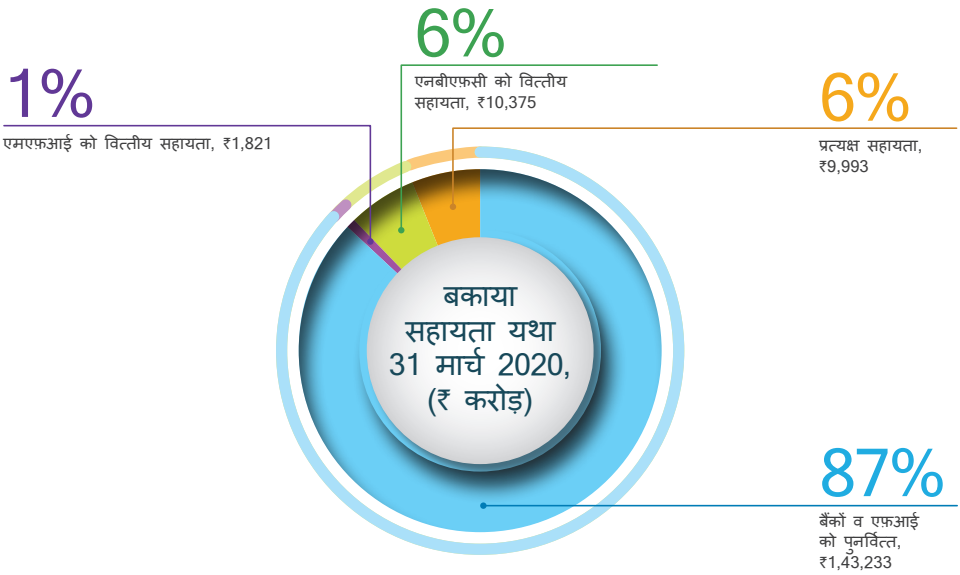

संस्थागत वित्त

बैंक की संस्थागत वित्त आस्ति बही ने ₹1.5 लाख करोड़ का ऐतिहासिक आँकड़ा पार किया और 22.6% की वृद्धि दर्ज करते हुए 31 मार्च 2020 तक यह ₹1,55,429 करोड़ पर पहुँच गया।

(₹ करोड़)

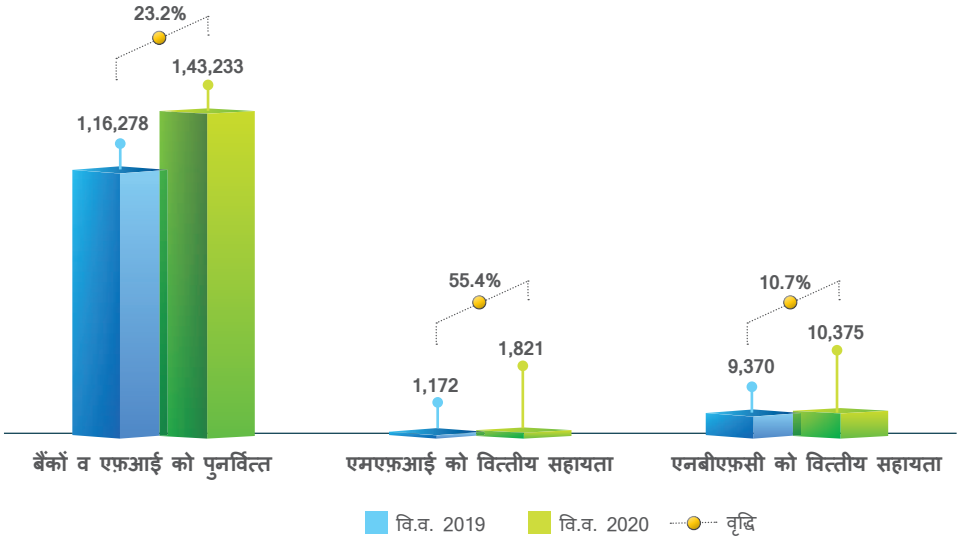

संस्थागत वित्त परिचालन

- वित्त वर्ष 2020 के दौरान बैंकों और एसएफ़बी को ₹94,798 करोड़ संवितरित किए गए, जिससे 14.17 लाख एमएसई इकाइयाँ लाभान्वित हुई और 15.18 लाख रोज़गार सृजित हुआ

- वर्ष के दौरान एनबीएफ़सी को किए गए संवितरणों की राशि ₹3,650 करोड़ रही
- वर्ष के दौरान एमएफ़आई को किए गए संवितरणों की राशि ₹1,093 करोड़ रही

कोविड का प्रतिकार

एमएसएमई को तरलता सुविधा देने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की विशेष तरलता निधि सुविधा (एसएलएफ़)

- कोविड वैश्विक महामारी के दौरान बैंकों, एनबीएफ़सी और एमएफ़आई के माध्यम से एमएसएमई की सहायता के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने ₹15,000 करोड़ की विशेष तरलता निधि सुविधा प्रदान की।
- यथा 31 जुलाई 2020, 16 बैंकों, 50 एनबीएफ़सी संस्थाओं और 39 अल्प-वित्त संस्थाओं को रेपो-आधारित दरों पर सहायता मंजूर की गयी, ताकि संकट से निपटा जा सके।

एमएसएमई पर प्रभाव - संस्थागत वित्त

- ☑ बाजार में परिचालनरत 44 बैंकों और 30 एनबीएफ़सी को पुनर्वित्त प्रदान किया गया
- ☑ यथा मार्च 2020 सक्रिय एमएफ़आई ग्राहकों की संख्या 60 है
- ☑ मार्च 2020 तक संस्थागत वित्तपोषण का बकाया देश के कुल एमएसई बकाया का 13.5% रहा
- ☑ यथा 31 मार्च 2020, एमएफ़आई की संचयी मंजूरियाँ और संवितरण क्रमश: ₹19,871 करोड़ और ₹17,951 करोड़ रहे
- ☑ अल्प वित्त संस्थाओं को दी गई सहायता से संचयी रूप से लगभग 390 लाख वंचित लोग लाभान्वित हुए, जिनमें अधिकतर महिलाएँ हैं

प्रत्यक्ष ऋण

वित्त वर्ष 2020 के दौरान, पहुँच बढ़ाने के उद्देश्य से कई नई पहलकदमियाँ की गईं, जैसे - (i) नई साझेदारियाँ शुरू करना (ii) नए सरलीकृत उत्पाद शुरू करना, जिनका कार्रवाई अवधि कम है (iii) प्रक्रियाओं का सरलीकरण (iv) उत्पादों / प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण (v) ग्राहक-सम्पर्क में वृद्धि (vi) समष्टिगत कारकों पर समय से कार्रवाई।

शुरू किए गए प्रयासों के परिणामस्वरूप, प्रत्यक्ष वित्त संविभाग में 10.9% और संवितरण में 19.7% की वृद्धि हुई है।

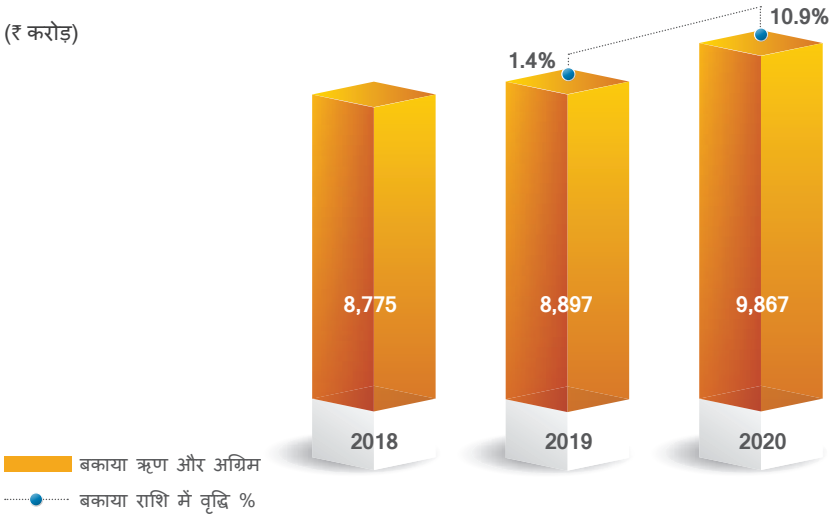

प्रत्यक्ष ऋण व्यवसाय के रणनीतिक पुनरभिमुखीकरण से निम्नलिखित प्रभाव पड़े हैं -

पहुँच का विस्तार

ग्राहकों की संख्या में वर्षानुवर्ष 26.8% की वृद्धि दर्ज की गई

आधार का विविधीकरण

वित्त वर्ष 2020 के दौरान बैंक ने नए ग्राहक-आधार में 46.5% की वृद्धि दर्ज की

त्वरित ऋण-प्रदायगी

ऋण-प्रदायगी के नए मॉडल के परिणामस्वरूप समग्रतः कार्रवाई अवधि सुधरकर 11 दिन हो गई और नए / त्वरित ऋण-प्रदायगी उत्पादों के लिए यह 5 दिन रही

व्यवसाय समर्थकारक और प्रक्रियागत सुधार

- राष्ट्रीय स्तर के 44 प्रतिष्ठित मूल उपकरण विनिर्माताओं और 5 उद्योग संघों के साथ गठजोड़
- सिटी यूनियन बैंक व येस बैंक के साथ कार्यशील पूंजी प्लेटफॉर्म आरम्भ किया गया
- वित्त वर्ष 2020 के दौरान शुरू किए गए 13 नए उत्पादों ने कुल मंजूरियों में ₹926 करोड़ और कुल संवितरणों में ₹652 करोड़ का योगदान किया
- ऋण-प्रदायगी मॉडल को पुनर्संरचित किया गया
- स्मार्ट मूल्यांकन टूल को उन्नत बनाया गया, ताकि वह उपयोगकर्ता के अधिक अनुकूल और बेहतर रूप में एकीकृत हो सके

कोविड का प्रतिकार

कोविड 19 की चुनौतियों का सामना करने के लिए एमएसएमई हेतु पहलकदमियाँ

- 30 जून, 2020 तक 3,252 सावधि ऋण ग्राहकों ने कोविड 19 संबंधी उपायों के अंतर्गत राहत प्राप्त की
- 199 कार्यशील पूंजी खातों में प्राप्य ब्याज राशि की वसूली अगस्त 2020 तक के लिए आस्थगित की गयी
- आरम्भ की गयीं नयी योजनाएँ -
  - कार्यशील पूंजी सावधि ऋण के रूप में ₹1.5 करोड़ तक की सहायता हेतु 'लिक्विड' योजना
  - एमएसएमई इकाइयों को 5% पर पूंजीगत-व्यय और कार्यशील पूंजी के लिए 'सेफ' योजना, जिसकी कार्रवाई अवधि 48 घंटे है
  - सरकार अथवा सरकारी एजेंसियों से मिले आदेशों की पूर्ति के लिए तत्काल कार्यशील पूंजी सहायता हेतु 'सेफ प्लस' योजना
  - स्माइल के अंतर्गत स्वास्थ्य क्षेत्र के पूंजीगत-व्यय वित्तीयन संबंधी जरूरतों के लिए विशेष सुविधा
  - कार्यशील पूंजी योजना के अंतर्गत आकस्मिक तदर्थ सीमा और प्रत्यक्ष ऋण योजना के अंतर्गत आकस्मिक सावधि ऋण

प्रत्यक्ष वित्त के अंतर्गत संकेंद्रित पहल - दीर्घकालिक विकास

एमएसएमई इकाइयों में ऊर्जा दक्षता का वित्तपोषण, जीईएफ़ द्वारा वित्तपोषित विश्व बैंक की परियोजना:

- 26 उद्योग समूहों में कार्यान्वित
- ऋण 'आद्यंत ऊर्जा दक्षता (4ई) योजना' के अंतर्गत दिए जाते हैं
- विश्व बैंक ने 'अत्यधिक संतोषप्रद' होने की रेटिंग दी

ऊर्जा दक्षता के लिए आंशिक जोखिम साझेदारी की सुविधा

- लगभग ₹251 करोड़ की समूह-निधि वाली गारंटी निधि और ₹41 करोड़ की तकनीकी सहायता
- जीईएफ़, सीटीएफ़ और विश्व बैंक से सहायता-प्राप्त परियोजना, जिसे ईईएसएल और सिडबी ने कार्यान्वित किया
- 10 ईएससीओ को दिए गए ऋणों के प्रति बैंकों / वित्तीय संस्थाओं को ₹113 करोड़ की ऋण राशि की गारंटी दी गई
- समाहित परियोजनाएँ 14 से बढ़कर 24 हो गईं और गारंटीकृत ऋण राशि दुगनी होकर ₹42 करोड़ से ₹84 करोड़ हो गई

एमओईएफ, भारत सरकार से नामांकन के फलस्वरूप बैंक जीसीएफ की "राष्ट्रीय कार्यान्वयन संस्था" बन गया है

टिफाक-सिडबी (सृजन) योजना

- ₹25.88 करोड़ मंजूर किए गए
- नवोन्मेषी प्रौद्योगिकी आधारित 30 परियोजनाओं को सहायता दी

निधियों की निधि का परिचालन

अभिनव और विप्लवकारी व्यवसाय मॉडलों के लिए सहायता

बैंक निधियों के लिए निधि कार्यक्रमों जैसे- स्टार्ट-अप इकाइयों के लिए निधियों की निधि (एफएफएस), ऐस्पायर निधि (एएफ), आखिल भारतीय निधियाँ, क्षेत्रीय निधियाँ, एमएसएमई-आरसीएफ और इंडिया ऐस्पिरेशन फंड (आईएएफ) का परिचालन कर रहा है, जिनमें व्यवसाय-चक्र के विभिन्न चरणों जैसे बीज चरण "ए", प्रारंभिक चरण आदि में कंपनियों में निवेश के लिए वैकल्पिक निवेश निधियों (एआईएफ) में योगदान किया जाता है।

अखिल भारतीय निधियों, क्षेत्रीय निधियों, एमएसएमई-आरसीएफ और आईएएफ के अंतर्गत प्रतिबद्धताएँ विनिवेश / निकास के चरण में हैं, जबकि एफएफएस और एएफ के अंतर्गत प्रतिबद्धताएँ जारी हैं।

सक्रिय निधियों का संक्षिप्त विवरण

स्टार्ट-अप इकाइयों के लिए निधियों की निधि (डीपीआईआईटी)

ऐस्पायर निधि

ऐसी उद्यम पूंजी निधियों (वीसीएफ) में योगदान किया गया, जो ग्रामीण और कृषि उद्योगों में स्टार्ट-अप और शुरुआती चरण के उद्यमों पर केंद्रित हैं

31 मार्च, 2020 तक, बैंक ने पाँच एआईएफ को ₹47.50 करोड़ की प्रतिबद्धताएँ की हैं

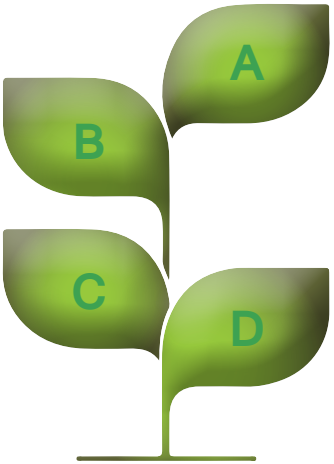

₹310 करोड़ की समूह-निधि

31 मार्च, 2020 तक आहरित हुए ₹27.70 करोड़ से 49 एमएसएमई इकाइयों (27 ग्रामीण-कृषि कंपनियों) में निवेश किया गया

एमएसएमई पर प्रभाव - निधियों की निधि

- ☑ 31 मार्च, 2020 तक 140 एआईएफ को ₹6,154.71 करोड़ की संचयी मंजूरी और ₹2,848.13 करोड़ के संवितरण कर सहायता प्रदान की गई है
- ☑ एफएफएस के तहत लगभग 30,000 रोजगार सृजित

जोखिम प्रबंध का सुदृढ़ीकरण

3 नई उत्पादों / योजनाओं के लिए स्कोर कार्ड प्रारंभ किया गया

प्रत्यक्ष ऋण के अंतर्गत ₹7.5 करोड़ से अधिक के एक्स्पोज़र के लिए एसएमई रेटिंग प्रारंभ की गयी

वर्तमान जोखिम प्रबंध ढाँचे के मूल्यांकन और कमियों के अध्ययन के लिए बाहरी सलाहकार नियुक्त किया गया और सिफ़ारिशें लागू की जा रही हैं

आईटी / साइबर जोखिमों की निरंतर निगरानी और उनके शमन के लिए सीएसओसी के क्रियान्वयन की प्रक्रिया शुरू की गई

बीसीएम, साइबर और आईटी सुरक्षा पर जागरूकता कार्यक्रम

अल्प वित्त / उपेक्षित मध्यवर्ती उद्यम - *प्रयास*

इसका लक्ष्य सूक्ष्म उद्यमियों के लिए कम लागत वाली पूँजी के ज़रिये उनकी आजीविका के अवसरों में सुधार करना है, ताकि वे जीवनक्षम बन सकें

साझेदारी मॉडल के जरिये विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों और कार्यक्षेत्रों में क्रियान्वयन किया जा रहा है, ताकि निदर्शी प्रभाव पड़े

8 वित्तीय भागीदार संस्थाओं और 2 गैर-वित्तीय मध्यवर्ती संस्थाओं के साथ साझेदारी की

31 मार्च, 2020 तक 14,000 सूक्ष्म-उद्यमियों / उधारकर्ताओं को कुल ₹161.11 करोड़ की सहायता मंजूर की गई

एमएसएमई पर प्रभाव - प्रयास

- ☑ प्रयास योजना ने सूक्ष्म उद्यमियों को अपने व्यवसाय की स्तरोन्नति करने / आजीविका के अवसरों में सुधार के साथ-साथ रोजगार सृजन में भी मदद की
- ☑ 31 मार्च, 2020 तक 11,000 सूक्ष्म उद्यमियों को ₹126 करोड़ संवितरित किए गए
- ☑ समस्त लाभार्थियों में महिला और ग्रामीण लाभार्थियों का प्रतिशत क्रमशः 74% और 88% है

संरचनात्मक पहलकदमियाँ

सूचना की विषमता दूर करने और नीति-निर्माताओं के मार्गदर्शन के उद्देश्य से बैंक ने विभिन्न पहलकदमियाँ की हैं

एमएसएमई पल्स सिडबी और ट्रांसयूनियन सिबिल की एक पहल है, जो 50 लाख से अधिक ऋणों का उपयोग करने वाली एमएसएमई इकाइयों के आधार पर एमएसएमई इकाइयों की स्थिति का आकलन करता है। मार्च 2020 तक अंग्रेजी, हिंदी, मराठी और तमिल में इसके 8 संस्करण जारी हुए हैं

क्रिसिडेक्स सिडबी और क्रिसिल का एक संयुक्त सूचना उत्पाद है। यह एक संवेदी सूचकांक है, जो किसी सर्वेक्षणाधीन तिमाही में लगभग 1100 एमएसई के गुणात्मक सर्वेक्षण और उसकी आगामी तिमाही की संभावनाओं पर आधारित होता है। मार्च 2020 तक इसके 9 संस्करण जारी हुए हैं।

माइक्रोफाइनेंस पल्स सिडबी और इक्विफैक्स की एक संयुक्त पहल है, जो अल्प वित्त क्षेत्र की ऋण संबंधी प्रवृत्तियाँ और अन्य रुझानों के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। मार्च 2020 तक इसके 4 संस्करण जारी किए गए हैं

सिडबी राष्ट्रीय माइक्रोफ़ाइनेंस कांग्रेस : अल्प वित्त क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं और हितधारकों को एक साथ लाने के उद्देश्य से द्वितीय सिडबी राष्ट्रीय माइक्रोफाइनेंस कांग्रेस आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में 200 से अधिक संगठनों के 300 प्रतिनिधियों ने भाग लिया

चिह्नित उद्योग क्षेत्रों, फिनटेक वित्तीयन के क्षेत्रों, आदि से संबंधित ज्ञान उत्पाद लाने के लिए प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ रणनीतिक गठजोड़ के प्रयास जारी हैं

डिजिटल वित्तीयन संबंधी पहलकदमियाँ

उद्यमीमित्र पोर्टल : एमएसएमई आकांक्षियों के लिए सुगमता से ऋण तक पहुँचने का एक व्यापक डिजिटल मंच

- 140 ऋणदाता
- 1.3 लाख से अधिक शाखाओं का तंत्र

- कुल पंजीकरण : 5.23 लाख
- ऑनलाइन ऋण आवेदन : 1.38 लाख
- ₹1,377 करोड़ की राशि के 7,238 ऋणों की ऑनलाइन मंजूरी

- सीएससी और आरएसईटीआई के साथ संस्थागत गठजोड़ स्थापित किए गए
- आरएसईटीआई को 39,089 अनुरोध मिले, जिनमें से उन्होंने 10,588 अनुरोधों का जवाब दिया
- 5,996 पीएमकेवीवाई केंद्रों और 463 पीएमकेके केंद्रों की मैपिंग करते हुए एनएसडीसी से गठजोड़ किया गया

- समृद्धि, जो आभासी सहायक (चैटबॉट) है, उसने 3.49 लाख प्रश्नों का जवाब दिया
- बैंकेबिलिटी किट के 5.8 लाख डाउनलोड हुए
- 1.5 लाख इच्छुक पार्टियों ने 325 परियोजना प्रोफ़ाइलें देखीं
- 78,957 सीएससी ने 28,184 आवेदकों और 3,104 आवेदनों के पंजीकरण में मदद की

पीएसबीलोन्सइन59मिनट्स

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने पोर्टल पर डिजिटल-संपर्कविहीन खुदरा उत्पाद जैसे वैयक्तिक ऋण, आवास ऋण, आदि प्रारंभ कर दिए

अपनी पहुँच और ऋणों के प्रकार के मामले में यह सबसे बड़ा फिनटेक मंच बन कर उभरा है

31 मार्च, 2020 तक, 3.03 लाख एमएसएमई इकाइयों ने ऋणदाताओं से सैद्धांतिक मंजूरी प्राप्त की थी, जिसमें से 2.06 लाख एमएसएमई इकाइयों ने अंतिम मंजूरी प्राप्त की

सुगमकार की भूमिका

भारत सरकार ने विभिन्न सरकारी सब्सिडी योजनाओं जैसे सीएलसीएसएस, टफ़्स, आईडीएलएसएस, एफपीटफ़्स और टेकअप के क्रियान्वयन के लिए बैंक को नोडल एजेंसी की भूमिका सौंपी है।

वित्त वर्ष 2020 के दौरान परिचालन :

691 एमएसएमई इकाइयों को ₹60.90 करोड़ की सब्सिडी जारी की गई

संचयी रूप से, ₹3,427.08 करोड़ की सब्सिडी 40,692 एमएसएमई इकाइयों को जारी की गई

टफ़्स के अंतर्गत सिडबी से प्रत्यक्ष सहायता-प्राप्त इकाइयों के 212 सब्सिडी दावों के प्रति ₹ 2.78 करोड़ और सहयोजित प्राथमिक ऋणदात्री संस्थाओं से संबंधित 489 सब्सिडी दावों के प्रति ₹3.68 करोड़ जारी किए गए

टेकअप के अंतर्गत ₹54.44 करोड़ के 691 दावे जारी किए गए। टेकअप योजना अब सीएलसीएस - टीयूएस योजना में सम्मिलित हो गई है

एमएसई-सीडीपी के अंतर्गत सीएफसी और औद्योगिक मूलभूत संरचना के ऐसे 60 प्रस्ताव एनएलएससी ने मंजूर कर दिए, जिनका मूल्यांकन बैंक ने किया था। 12 प्रस्ताव अनुमोदन के लिए एनएलएससी को भेजे गए

एमएसएमई मंत्रालय ने हाल ही में रूपायित सीएलसीएस-टीयूएस योजना के अंतर्गत 3 वर्ष अर्थात् 2017-18 से 2019-20 तक सीएलसीएसएस घटक जारी रखने की घोषणा की

एमएसएमई के वर्द्धित बकाया ऋण के लिए ब्याज अनुदान योजना (आईएसएस) -2018

- "एमएसएमई इकाइयों के वर्द्धित बकाया ऋण के लिए ब्याज अनुदान योजना 2018" हेतु कार्यान्वयन एजेंसी
- 31 मार्च, 2020 तक, एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त ₹625 करोड़ में से 59 पात्र संस्थाओं के ₹604.69 करोड़ के दावों का निपटान किया गया
- इस योजना से 9.58 लाख एमएसएमई इकाइयाँ लाभान्वित हुई हैं।

आंशिक ऋण गारंटी योजना

- एनबीएफसी / एचएफसी के ऊँची रेटिंग वाले आस्ति-समूहों की खरीद के लिए भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को दी जाने वाली गारंटी
- बैंक को प्रस्तावों का मूल्यांकन करने और संव्यवहारों का रिकॉर्ड रखने, तथा गारंटी हेडरूम के निर्धारण, दावों की जाँच और वसूली की निगरानी करने का काम सौंपा गया है

एमएसएमई *सक्षम*

- एमएसएमई को ऋण-सक्षम बनाने के लिए सिडबी और ट्रांसयूनियन सिबिल की संयुक्त ऋण जागरूकता पहल
- डिजिटल मल्टी-चैनल सामग्री युक्त पोर्टल, जिसमें एमएसएमई को शिक्षित करने, उनसे बातचीत करने और उनसे जुड़ने के लिए विभिन्न संपर्क-बिंदु हैं
- सिबिल रैंक और क्रेडिट रिपोर्ट तक पहुँचने में सक्षम बनाता है
- 30 जुलाई, 2020 को पोर्टल आरंभ किया गया

अध्याय 3 ▸ संवर्द्धनशील एवं विकासपरक गतिविधियाँ

बैंक की संवर्द्धनशील एवं विकासपरक गतिविधियाँ, संपर्क, संवाद, सुरक्षा, संप्रेषण (4स) के चार मार्गदर्शी विषयों के अंतर्गत चलाई जाती हैं, ताकि एमएसएमई क्षेत्र की विभिन्न गैर-वित्तीय चुनौतियों का समाधान किया जा सके।

संपर्क - "एमएसएमई एवं उद्यमियों के साथ संपर्क" का महत्त्व दर्शाता है

स्वावलंबन सूचना शृंखला	• उद्यमिता, उद्यमों की स्थापना / उन्नति तथा उनके विकास-क्रम के संबंध में जानकारी देने वाले 4 खंड और एक सारसंग्रह छह स्थानीय भाषाओं में जारी किए गए • उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय साक्षरता फ़िल्में, रेडियो विज्ञापन-गीत, उद्यमिता स्तुतिगान तथा उद्यमिता प्रतीक जारी किए गए • सिडबी यू-ट्यूब चैनल "SIDBIOfficial" पर विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत 155 सूचनापरक वीडियो उपलब्ध हैं • प्रकाशन / ऑनलाइन सामग्रियाँ परिचालित की गईं, जिनसे 25,000 से अधिक संभावित / मौजूदा उद्यमी लाभान्वित हुए
स्वावलंबन भित्ति-चित्र और क्लब	• युवाओं को उद्यमिता के बारे में शिक्षित करने के लिए आठ राज्यों के 118 कॉलेजों में स्वावलंबन भित्तिचित्रों का निर्माण किया गया • 15 स्वावलंबन क्लबों की स्थापना की गई, जिनमें प्रति क्लब औसत 35 सदस्य हैं
स्वावलंबन बाज़ार+	• इन बाज़ारों के रूप में सूक्ष्म उद्यमियों और स्थानीय शिल्पकारों के कौशल और उनके उत्पादों के प्रदर्शन के लिए मंच उपलब्ध कराया गया तथा ऋण, डिज़ाइन, बाज़ार संबंध, वित्तीय साक्षरता, आदि उपलब्ध कराए गए • इन्हें नौ राज्यों के 12 शहरों में आयोजित किया गया, जिसमें 600 से अधिक शिल्पकारों / सूक्ष्म-उद्यमियों ने भागीदारी की और इनमें 3.25 लाख आगंतुक आए • प्रत्येक मेले में औसतन ₹13.28 लाख की बिक्री दर्ज की गई
उद्यम संज्ञान (निदर्शन दौरे)	• सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के मध्यम और बड़े उद्योगों में निदर्शन दौरे • विव 2020 के दौरान, ऐसे 22 दौरे आयोजित किए गए, जिनसे 573 एमएसएमई इकाइयाँ लाभान्वित हुईं
राज्य संपर्क कार्यक्रम	• इसका लक्ष्य एमएसएमई को डिजिटल प्लेटफॉर्मों के साथ जुड़ने को बढ़ावा देना और एक राज्य की अच्छी प्रथाओं को अन्य राज्यों के साथ साझा करना • यह कार्यक्रम 10 राज्यों में आयोजित किया गया और इनमें 2,106 हितधारकों ने भागीदारी की • 13 राज्यों में परियोजना प्रबंध इकाई (पीएमयू) की स्थापना की प्रक्रिया प्रारंभ की गई

संवाद - एमएसएमई क्षेत्र के विभिन्न हितधारकों के बीच संबंधों के सुदृढ़ीकरण के लिए पारस्परिक विमर्श

- सिडबी और सरकारी योजनाओं के बारे में एमएसएमई के बीच जागरूकता के प्रसार के लिए हौज-खास मेट्रो स्टेशन को 10 साल की अवधि के लिए अंगीकृत किया गया
- पृच्छाओं (पूछताछ) के जवाब के लिए स्टेशन पर दो कियोस्क स्थापित की गईं
- स्टेशन पर औसतन 1 लाख से अधिक लोगों का आवागमन

- बैंक के स्थापना दिवस के अवसर पर 170 अधिकारियों ने 456 सड़क किनारे रेहड़ी-खोमचे लगाने वालों विक्रेताओं, सूक्ष्म इकाई धारकों से भेंट की, ताकि उनकी दैनंदिन समस्याएँ एवं चुनौतियाँ समझी जा सकें
- लगभग 110 सक्षम अनुकरणीय उद्यमियों की पहचान की गई और उनमें से 35 को अनुकरणीय उद्यमी पहल के अंतर्गत सहायता प्रदान की गई

- सिडबी की महिला उद्यमी सशक्तीकरण परियोजना (एमयूएसपी) के तहत सहायता-प्राप्त महिला सूक्ष्म उद्यमियों के उत्पाद प्रदर्शित करने, व्यवसाय-नेटवर्क स्थापित करने व नए क्रय-आदेश प्राप्त करने के उद्देश्य से 2-दिवसीय उत्सव आयोजित किया गया
- एमयूएसपी के तहत सहायता-प्राप्त 10,000 महिला सूक्ष्म उद्यमियों में से 700 ने इसमें प्रतिभागिता की
- स्वावलंबन उत्सव के लिए भारत के माननीय प्रधानमंत्री से सराहना संदेश प्राप्त हुआ

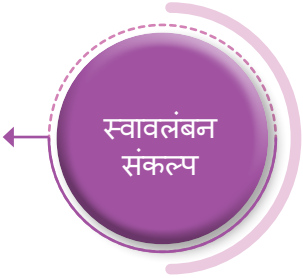

- अ.जा. / अ.ज.जा. के सभावित उद्यमियों को मुख्यधारा में लाने के लिए डीआईसीसीआई के माध्यम से 30 अखिल भारतीय संकल्प कार्यक्रमों की परिकल्पना की गई
- 9 संकल्प कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं

सुरक्षा - एमएसएमई इकाइयों के विकास के लिए एक समर्थकारी परिवेश का निर्माण

स्वावलंबन संपर्क केंद्र (एससीके)

- उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा और तेलंगाना में स्वावलंबन संपर्क केंद्रों (एससीके) की स्थापना की गई, ताकि आकांक्षी उद्यमियों को आरंभ से अंत तक सहायता दी जा सके
- कार्यक्रम के तहत 100 एससीके की स्थापना की गई
- 4,426 आकांक्षियों का प्रारंभिक विवरण (रूपरेखा) और 3,158 आकांक्षियों का उन्नत विवरण (रूपरेखा) तैयार किया गया
- 49 आकांक्षियों को कौशल प्रशिक्षण दिया गया और अब तक 39 उद्यमों की स्थापना की गई

स्वावलंबन सिलाई स्कूल

- उषा इंटरनेशनल के साथ साझेदारी में अनुकरणीय गृह-उद्यमी तैयार करना और प्रोत्साहित करना
- 5 राज्यों के 10 ज़िलों में 1,000 सिलाई स्कूलों की स्थापना, जिनसे 1,000 ग्रामीण महिलाएँ लाभान्वित हुई, इनमें 59% महिलाएँ गरीबी की रेखा से नीचे की श्रेणी से और 45% महिलाएँ अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति की श्रेणी से हैं
- प्रत्येक गृह-उद्यमी ने 3 अन्य महिलाओं को नामांकित किया, इसके फलस्वरूप मार्च, 2020 तक कुल 3,273 नामांकन हुए
- दूसरे चरण में 3 राज्यों में 700 और स्कूलों की योजना बनाई गई है

सह-कार्य स्थल

- इंक्यूस्पेज़ सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड की साझेदारी में बैंक के दिल्ली कार्यालय परिसर में "वर्कस्पेज़" प्रारंभ किया गया, जिससे 39 उद्यम लाभान्वित हुए
- बीकेसी मुंबई में एक अन्य सह-कार्य स्थल की स्थापना की जा रही है

उद्यम ज्ञानशाला [आईआईएम, लखनऊ में प्रबंध विकास कार्यक्रम (एमडीपी)]

- "सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों द्वारा सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों के लिए" 11 दिन की कार्यशाला रूपायित की गई
- इस कार्यक्रम का यह दूसरा वर्ष है, इनसे विव 2020 में 34 एमएसई लाभान्वित हुए

ईयू-स्विच एशिया बाँस परियोजना

- इसका लक्ष्य बाँस आधारित उद्यमों का संवर्द्धन करना और हरित रोज़गार पैदा करना है
- 5 उत्तर-पूर्वी राज्यों सहित देश के 9 राज्यों में लागू किया गया
- बाँस आधारित उद्यम स्थापित करने के लिए, संचयी रूप से 2,734 कारीगरों का मार्गदर्शन किया गया
- वित्तवर्ष 2020 के दौरान, परियोजना के अंतर्गत 1,000 से अधिक इकाइयों की स्थापना की गई या उन्हें उन्नत बनाया गया
- मेघालय में नए / संभावी उद्यमियों के उद्यमिता उत्साह को साकार बनाने के लिए स्वावलंबन लैब की स्थापना के लिए सहायता दी गई

संप्रेषण - नीति निर्माताओं और एमएसएमई उद्यमियों के साथ रचनात्मक संवाद

सिडबी-ईटी इंडिया एमएसई पुरस्कार का द्वितीय संस्करण

- पुरस्कार के द्वितीय संस्करण के लिए **13,000** से अधिक पंजीकरण हुए और **500** से भी अधिक प्रतिभागियों ने प्रतिभागिता की
- पुरस्कार के अंतर्गत, प्रत्येक विजेता के लिए मार्गदर्शी सहायता और प्रबंध विकास कार्यक्रम (एमडीपी) में भागीदारी सुलभ कराई गई
- यह पुरस्कार एक विशिष्ट राष्ट्रीय आयोजन के रूप में उभरा, इसमें राष्ट्रीय भागीदारों की संख्या चार से बढ़कर आठ हो गई

पुरस्कार एवं मान्यता

बैंक को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की श्रेणी में वर्ष 2019 के लिए **"बिज़नेस एक्सीलेंस थ्रू लर्निंग एंड डेवलपमेंट"** के लिए बीएमएल मुंजाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

नैगम छवि अभिवर्द्धन

प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, राष्ट्रीय टेलीविज़न और रेडियो में नियमित और लगातार कवरेज के साथ एमएसएमई पारितंत्र में बैंक के बारे में प्रचार-प्रसार में पर्याप्त वृद्धि की गई।

कोविड का प्रतिकार

आजीविका के लिए सहायता

निम्न कार्यों के लिए 9 राज्यों में कार्यरत 11 एजेंसियों / गैर-सरकारी संगठनों के साथ साझेदारी की :

60,000 से अधिक **मास्कों** का वितरण

2,000 से अधिक **परिवारों** को कच्चे राशन (भोजन) और सैनिटाइजर का वितरण

लॉकडाउन की समस्याओं का सामना करने के लिए **100** **आजीविका उद्यमियों** को सहायता

5,000 **प्रवासी मजदूरों, दैनिक वेतनभोगियों** को खाद्य वितरण में मदद के लिए सहायता

मास्क बनाने के लिए **45** **स्वसहायता समूहों** और **65** **गृह-उद्यमियों** को सहायता

पूर्वोत्तर क्षेत्र और तमिलनाडु में **900** से अधिक **आजीविका विक्रेताओं** के लिए सुरक्षा कवच

बैंक ने कोविड महामारी के विरुद्ध जारी संघर्ष के समर्थन के लिए "आपात स्थितियों में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष (पीएम केयर्स फंड) में ₹15 करोड़ तथा उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री राहत कोष में ₹5 करोड़ की राशि दान की।

निर्धनतम राज्य समावेशी संवृद्धि (पीएसआईजी) कार्यक्रम

डीएफ़आईडी, यूके के माध्यम से यूकेऐड द्वारा वित्तपोषित इस कार्यक्रम का उद्देश्य अत्यधिक निर्धनता वाले राज्यों में गरीबों, विशेषकर महिलाओं की आय और रोज़गार के अवसरों में अभिवृद्धि करना था। यह कार्यक्रम 31 मार्च 2020 को संपन्न हो गया है।

एमएसएमई पर प्रभाव - संवर्द्धन एवं विकास

- ☑ 30 संवर्द्धनशील और विकासपरक गतिविधियों के माध्यम से 5 लाख व्यक्ति लाभान्वित हुए और इसमें आर्थिक रूप से गरीब राज्यों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया गया
- ☑ वित्तवर्ष 2020 में शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, कौशल, पर्यावरण संरक्षण, सुरक्षित पेयजल, आदि के क्षेत्र में 30 से अधिक सीएसआर गतिविधियाँ की गईं

सहायक / सहयोगी संस्थाएँ
- राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावकारी

सिडबी वेंचर कैपिटल लिमिटेड (एसवीसीएल) (1999)

- यह निवेश प्रबंध कंपनी है, जो वर्तमान में आठ निधियों के लिए निवेश प्रबंधक के रूप में कार्य करती है और इसकी आहरण-योग्य समूह-निधि ₹1,754.24 करोड़ है
- वित्तवर्ष 2020 के दौरान, एसवीसीएल ने फ़िनटेक, उपभोक्ता-केंद्रित नवोन्मेषी उत्पादों, हरित प्रौद्योगिकी और कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए ₹500 करोड़ की लक्ष्य समूह-निधि वाली नवीन होराइजन निधि (एनएचएफ़) की स्थापना की
- निर्यात-उन्मुख इकाइयों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए ₹250 करोड़ की समूह-निधि वाली उभरते सितारे निधि की स्थापना प्रक्रियाधीन है

माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट ऐंड रिफाइनेंस एजेंसी (मुद्रा) (2015)

- मुद्रा ने वित्तवर्ष 2020 के दौरान ₹4,000 करोड़ की पुनर्वित्त सहायता प्रदान की और 31 मार्च, 2020 को इसका बकाया संविभाग ₹9,090 करोड़ था
- 31 मार्च, 2020 तक मुद्रा द्वारा संचयी मंज़ूरियाँ और संवितरण क्रमश: ₹27,141 करोड़ और ₹25,495 करोड़ रहे

उड़ान ब्रांड के रूप में कार्यरत क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर एमएसई (सीजीटीएमएसई) (2000)

- ₹2 करोड़ तक की ऋण सुविधाओं के संबंध में एमएसई के लिए ऋण गारंटी योजना
- वित्तवर्ष 2020 के दौरान उपलब्धियाँ:

i. वर्षानुवर्ष 52% की वृद्धि के साथ, अनुमोदित गारंटियाँ बढ़कर ₹45,852 करोड़ हो गई

ii. वर्षानुवर्ष 94% की वृद्धि के साथ, अनुमोदित गारंटियों की संख्या, वर्ष 2019 के 4.36 लाख से बढ़कर वित्तवर्ष 2020 में 8.47 लाख हो गई

रिसेवेबल एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (आरएक्सआईएल) (2016)

- यह एमएसएमई ऑनलाइन ट्रेड रिसेवेबल्स डिस्काउंटिंग प्लेटफ़ॉर्म (ट्रेड्स) परिचालित करने वाला सिडबी-एनएसई का संयुक्त उद्यम है
- 31 मार्च, 2020 को इसके पास 1,787 एमएसएमई विक्रेता, 489 क्रेता (102 सीपीएसयू सहित) और 35 वित्तपोषक (फाइनेंसर) पंजीकृत थे
- 31 मार्च, 2020 को आरएक्सआईएल ट्रेड्स प्लेटफॉर्म ने संचयी रूप से ₹3,816.39 करोड़ के सकल मूल्य के 94,342 से अधिक बीजकों के प्रति फ़ैक्टरिंग (वित्तपोषण) की

एमएसएमई पर प्रभाव - सहायक / सहयोगी संस्थाएँ

1. सीजीटीएमएसई ने ₹2.21 लाख करोड़ से अधिक राशि के ऋणों के प्रति 43.07 लाख गारंटियाँ मंज़ूर की हैं और 2.59 लाख दावों के प्रति संचयी आधार पर ₹6,370.04 करोड़ की राशि का भुगतान किया है

एक्यूट रेटिंग्स एंड रिसर्च लिमिटेड (एक्यूट) (2005)

- भारत की पहली एमएसएमई-केंद्रित रेटिंग एजेंसी, जो अब एक पूर्ण-सेवा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है
- एक्यूट ने 31 मार्च, 2020 तक 50,000 से अधिक एसएमई रेटिंग और 8,000 से अधिक बैंक ऋण रेटिंग पूरी की हैं

इंडिया एसएमई ऐसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (आईएसएआरसी) (2008)

- 31 मार्च, 2020 तक ₹402.18 करोड़ की आस्तियाँ इसके प्रबंधाधीन हैं

इंडिया एसएमई टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड (आईएसटीएसएल) (2005)

- आईएसटीएसएल एमएसएमई इकाइयों के लिए ऊर्जा दक्ष परियोजनाओं को परामर्शी सेवाएँ प्रदान करती है
- आईएसटीएसएल प्रौद्योगिकी विकल्प, मैच मेकिंग, वित्त समूहन (सिंडिकेशन) और व्यावसायिक सहयोग के बारे में भी जानकारी प्रदान करता है

ऑनलाइन पीएसबी लोन्स लिमिटेड
पीएसबीलोन्सइन59मिनट्स

- पहुँच और प्रदत्त ऋणों के संदर्भ में सबसे बड़ा फिनटेक प्लैटफ़ॉर्म
- 31 मार्च 2019 तक 50,706 एमएसएमई इकाइयों की तुलना में, 31 मार्च 2020 तक 3.03 लाख एमएसएमई इकाइयों ने प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करने वाले ऋणदाताओं से सैद्धांतिक मंज़ूरी प्राप्त की है
- 31 मार्च, 2019 तक 27,983 एमएसएमई इकाइयों की तुलना में, 31 मार्च 2020 तक 2.06 लाख एमएसएमई इकाइयों को अंतिम मंज़ूरी मिल गई है

2. सीजीटीएमएसई से गारंटी प्राप्त इकाइयों ने 127 लाख रोज़गार सृजित किए हैं और निर्यात के प्रति ₹14,648 करोड़ का योगदान किया है
3. आरएक्सआईएल ने एमएसएमई इकाइयों को उनकी ब्याज लागत 5% तक कम करने में मदद की है - प्लेटफ़ॉर्म पर सबसे कम ब्याजदर @ 6.60% प्रतिवर्ष रही

अध्याय 4 ▸ प्रबंधतंत्र और नैगम अभिशासन

बैंक ने नैतिकता के अनुकरणीय मानक कायम रखते हुए, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए नैगम अभिशासन की सर्वोत्तम पद्धतियाँ अपनाई हैं और उनका पालन किया है।

निदेशक-मंडल का संघटन

सिडबी अधिनियम में 15 निदेशकों वाले निदेशक-मंडल का प्रावधान है

बैंक के शेयरधारकों की 21वीं वार्षिक सामान्य बैठक दिनांक 18 जुलाई, 2019 को लखनऊ में संपन्न हुई।

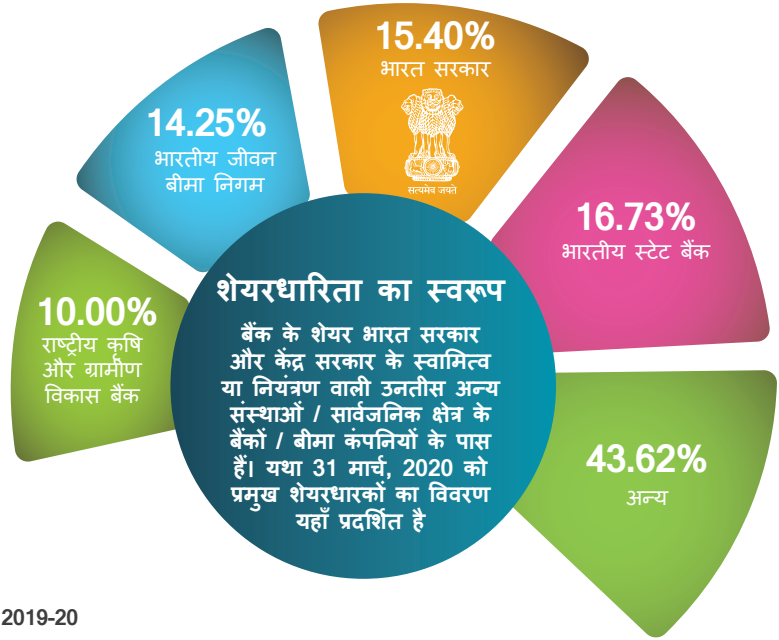

जोखिम प्रबंध

जोखिम प्रबंध संरचना में विभिन्न नीतियाँ, सांगठनिक ढाँचा, आईटी प्रणालियाँ, निर्धारण, मापन, शमन और विभिन्न जोखिमों की निगरानी शामिल हैं।

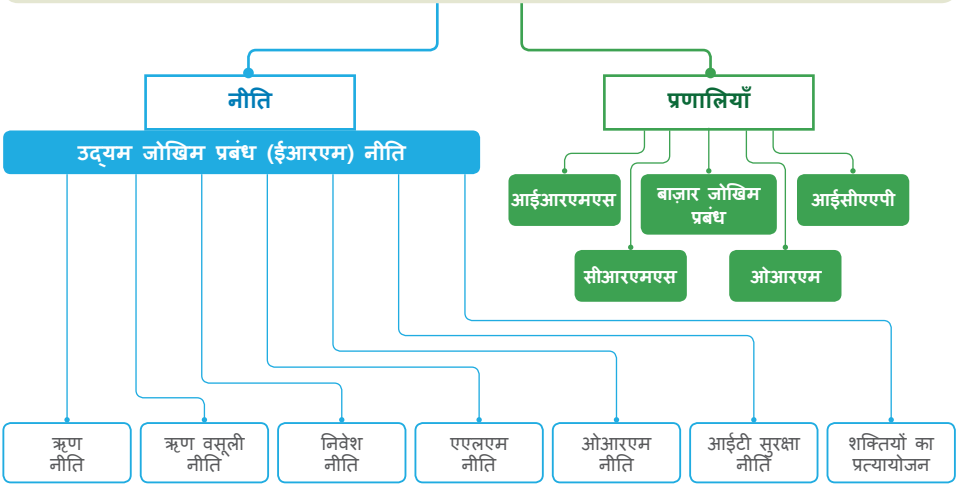

विलुप्त डेटा प्रग्रहण, प्रमुख जोखिम संकेतक तथा जोखिम एवं नियंत्रण के स्व-मूल्यांकन के लिए एक व्यापक परिचालन जोखिम मूल्यांकक (कोर) प्रणाली क्रियान्वित की गई।

आंतरिक समितियाँ (वित्तवर्ष के दौरान बैठकों की संख्या)

- उद्यम जोखिम प्रबंध समिति (4 बैठकें)
- यौन उत्पीड़न की रोकथाम - आंतरिक परिवाद समिति (कोई शिकायत नहीं)
- जोखिम एवं सूचना सुरक्षा समिति (3 बैठकें)
- निवेश समिति (37 बैठकें)
- व्यवसाय सातत्य प्रबंध संचालन समिति (3 बैठकें)
- आस्ति देयता प्रबंध समिति (34 बैठकें)

गैर-निष्पादक आस्ति प्रबंध

नई पहलकदमियाँ

- गैर-निष्पादक आस्ति संविभाग पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करने के लिए 7 विशिष्ट आस्ति वसूली शाखाएँ और 1 वसूली कक्ष स्थापित
- ऋण वसूली नीति को और अधिक व्यवहारिक, दक्ष और परिणामोन्मुखी बनाया गया

परिचालन संबंधी प्रयास

- निदेशक-मंडल स्तर की आरआरसी - ₹3 करोड़ या उससे अधिक राशि की सभी गैर-निष्पादक आस्तियों की समीक्षा
- प्र. का. एवं परिचालन कार्यालयों के बीच आवधिक विचार विमर्श
- भारतीय रिज़र्व बैंक के एमएसएमई के पुनरुज्जीवन और पुनर्वास संबंधी ढाँचे के तहत गठित क्षेत्रीय स्तर की समितियाँ
- विशेष उल्लेखनीय (एसएमए) खातों की पाक्षिक समीक्षा के लिए दबावग्रस्त आस्ति निगरानी समिति
- सिस्टम स्वचालन और दैनंदिन सचेतक संदेशों (अलर्ट) का आरंभ

आंतरिक लेखापरीक्षा प्रबंध

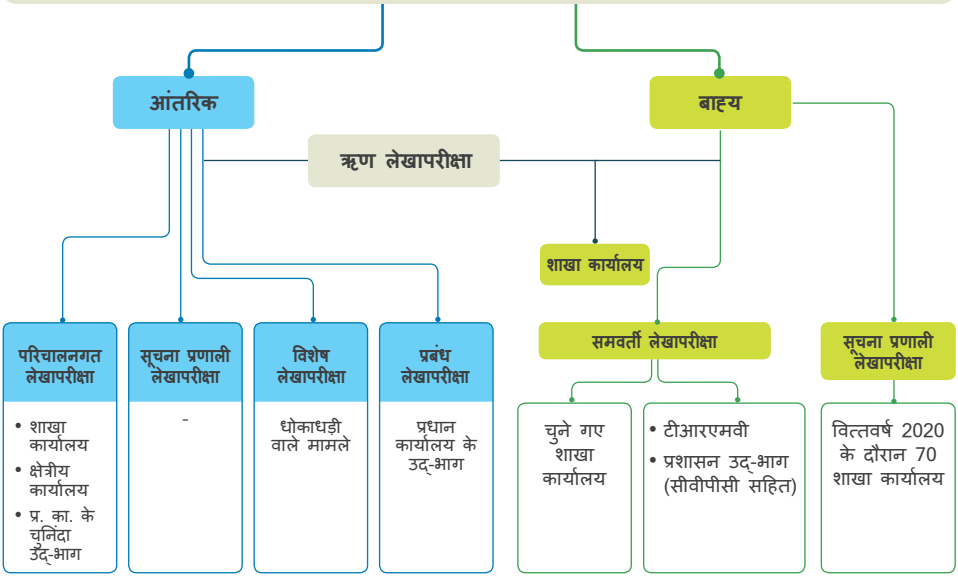

मानव संसाधन

मानव संसाधन संबंधी गतिविधियाँ

- बैंक के निदेशक मंडल और उसकी समितियों के स्वतंत्र मूल्यांकन / समीक्षा के लिए सलाहकार संस्था की सेवाएँ ली गई
- डेलॉएट टुशे तोहमात्सू इंडिया एलएलपी द्वारा जन-शक्ति का विश्लेषण किया गया और वह निदेशक मंडल को प्रस्तुत किया गया
- प्रतिस्पर्धी एवं लक्ष्योन्मुख कार्य-संस्कृति सुकर बनाने के लिए कार्य-निष्पादन प्रबंध प्रणाली क्रियान्वित की गई
- कोविड-19 की वैश्विक महामारी और अनंतर लॉकडाउन के दौरान, बैंक का अबाध परिचालन सुनिश्चित किया गया
- ई-लर्निंग मॉड्यूल के माध्यम से यौन-उत्पीड़न की रोकथाम के संबंध में कर्मचारियों को संवेदनशील बनाया गया
- भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के डिजिटल प्रबंध के लिए "टीम" का प्रवर्तन किया गया
- कर्मचारी अनुकूल प्रयास
  - ▸ देर रात तक काम करने वाली महिला कर्मचारियों के लिए परिवहन की व्यवस्था
  - ▸ सेवानिवृत्त अधिकारियों / कर्मचारियों के लिए अस्पताल में भर्ती होने की नक़दी-मुक्त व्यवस्था
  - ▸ जन्मदिन के अवसर पर स्टाफ़-सदस्यों को पौधों का उपहार

मानव संसाधन संख्या (31 मार्च, 2020)

- कुल स्टाफ़ - 1,048
- अधिकारी - 916 अधिकारी
- श्रेणी III के कर्मचारी - 93
- अधीनस्थ कर्मचारी - 39
- अनुसूचित जाति - 182, अनुसूचित जनजाति - 79, अन्य पिछड़ा वर्ग - 206
- भूतपूर्व सैनिक - 5, दिव्यांगजन - 31, दिव्यांग भूतपूर्व सैनिक - 1
- महिला कर्मचारी - 240 (23%)

प्रशिक्षण एवं विकास

- आंतरिक प्रशिक्षणों तथा देश के प्रख्यात प्रशिक्षण / अकादमिक संस्थाओं में 1,271 नामांकन
  - ▸ आंतरिक प्रशिक्षणों में नामांकन - 1,201
  - ▸ प्रख्यात प्रशिक्षण / अकादमिक संस्थाओं में - 70
  - ▸ महिलाएँ - 272
  - ▸ अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग - 600
- प्रमुख आंतरिक कार्यक्रम
  - ▸ ईएलएससी और शाखा कार्यालयों के अधिकारियों के लिए विपणन कार्यक्रम
  - ▸ उन्नत ऋण मूल्यांकन और वसूली संबंधी आयाम विषय पर कार्यक्रम
  - ▸ व्यवसाय सातत्य प्रबंध, साइबर सुरक्षा एवं आईटी सुरक्षा आदि विषय पर जागरूकता कार्यक्रम
  - ▸ 95 अधिकारियों के लिए कार्यशील पूँजी प्रबंध विषय पर 3 कार्यक्रम
  - ▸ कुल 126 अधिकारियों के लिए अभिमुखीकरण कार्यक्रम
  - ▸ ई-लर्निंग पोर्टल पर 3 नए मॉड्यूलों का प्रवर्तन

सतर्कता

मुख्य सतर्कता अधिकारी

- प्रधान कार्यालय पर सतर्कता दल
- अतिरिक्त सतर्कता अधिकारी
- क्षेत्रीय सतर्कता अधिकारी

समितियाँ

- क्षेत्रीय कार्यालयों में निवारक सतर्कता समितियाँ
- प्रधान कार्यालय में केंद्रीय सतर्कता समिति
- सतर्कता संबंधी आंतरिक सलाहकार समिति

परिचालनगत ढाँचा

- मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों की समीक्षा
- सीटीईओ-स्वरूप के निरीक्षणों के माध्यम से निविदा प्रक्रिया की आवधिक चौकसी
- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा तिमाही आधार पर सतर्कता कार्यों की समीक्षा
- सतर्कता संबंधी कामकाज का स्वचालन / डिजिटलीकरण
- सर्तकता के बारे में कार्यशालाओं, व्याख्यानों, सुग्राहिता कार्यक्रमों का आयोजन

सूचना प्रौद्योगिकी

- अल्पवित्त संस्थाओं के ग्राहकों को प्रत्यक्ष ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए वेबपोर्टल का आरंभ
- प्रमुख व्यवसाय अनुप्रयोगों (एप्लीकेशनों) और "स्विफ्ट" के साथ एकीकृत विदेशी ऋण-व्यवस्था के परिचालनों और विप्रेषणों की आद्योपांत स्वचालित संसाधन प्रणाली का क्रियान्वन
- अतिरिक्त विशिष्टताओं के साथ ऑनलाइन सावधि जमा पोर्टल का पुनःप्रवर्तन
- कोविड की वैश्विक महामारी के दौरान, स्काइप फ़ॉर बिज़नेस, माइक्रोसॉफ्ट टीम, डीएमएस जैसे स्वचालन साधनों का प्रभावी नियोजन
- अपने साइबर सुरक्षा परिचालन केंद्र का कार्यान्वयन आरंभ
- डेटा केंद्रों को पुन: तीन वर्ष की अवधि के लिए आईएसएमएस-आईएसओ / आईईसी 27001:2013 प्रमाणन प्राप्त हुआ
- नेटवर्क वैंडविथ के प्रभावी उपयोग के लिए सभी स्थानों पर एसडी-वैन का क्रियान्वयन किया गया

बैंक में राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

राजभाषा विभाग, भारत सरकार द्वारा राजभाषा कीर्ति पुरस्कार की श्रेणी में 'क' क्षेत्र के अंतर्गत द्वितीय पुरस्कार प्राप्त

वित्तीय सेवाएँ विभाग, भारत सरकार द्वारा 'क' क्षेत्र के अंतर्गत राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन हेतु प्रथम पुरस्कार

विभिन्न कार्यालयों में 88 राजभाषा कार्यान्वयन समितियाँ गठित

'क', 'ख' और 'ग' क्षेत्रों में हिंदी पत्राचार क्रमशः 93%, 91% और 73% रहा

'क', 'ख' और 'ग' क्षेत्रों में हिंदी टिप्पणियाँ क्रमशः 83%, 76% और 52% रहीं

हिंदी प्रत्रिका 'संकल्प' के 92 अंक प्रकाशित

44 हिंदी कार्यशालाएँ आयोजित

तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए आंतरिक सॉफ्टवेयर का प्रवर्तन

सभी कार्यालयों में हिंदी पुस्तकालय स्थापित है और उसके बजट का सदुपयोग हिंदी पुस्तकों की खरीदारी के लिए किया गया

राजभाषा निरीक्षण के लिए 44 कार्यालयों और 8 उद्-भागों का दौरा किया गया

15वीं अखिल भारतीय अंतरबैंक सिडबी हिंदी निबंध प्रतियोगिता और अखिल भारतीय हिंदी अधिकारी सम्मेलन आयोजित

द्वितीय अखिल भारतीय सिडबी ऑनलाइन राजभाषा प्रश्नमंच प्रतियोगिता आयोजित की गई

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन

- वित्तवर्ष 2020 के दौरान, सूचना के अधिकार से संबंधित 254 आवेदन प्राप्त हुए और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, सभी आवेदन निपटाए गए
- प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (एफएए) को 23 अपीलें प्रस्तुत की गईं, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा किए गए निर्णयों के प्रति कोई भी अपील केंद्रीय सूचना आयोग के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई

सिडबी
www.sidbi.in

प्रधान कार्यालय
सिडबी टावर, 15, अशोक मार्ग,
लखनऊ - 226 001 (उ.प्र.)
फोन नंबर : 0522-2288546-49, 0522-4261600, 4259700
फैक्स नंबर : 0522-2288459

शाखा कार्यालय

यथा जुलाई 31, 2020

अहमदाबाद क्षेत्रीय कार्यालय

अहमदाबाद शाखा कार्यालय, अहमदाबाद ईएलएससी, अहमदाबाद एसएआरबी, चांगोदर शाखा कार्यालय, गांधीधाम शाखा कार्यालय, जामनगर आरआरओ, महेसाणा आरआरओ, मोरबी शाखा कार्यालय, ओढव शाखा कार्यालय, राजकोट शाखा कार्यालय, सूरत शाखा कार्यालय, वड़ोदरा शाखा कार्यालय, वटवा शाखा कार्यालय

• • •

चंडीगढ़ क्षेत्रीय कार्यालय

चंडीगढ़ शाखा कार्यालय, चंडीगढ़ एसएआरबी, जालंधर शाखा कार्यालय, जम्मू आरआरओ, लुधियाना शाखा कार्यालय, शिमला आरआरओ, यमुनानगर शाखा कार्यालय

• • •

चेन्नै क्षेत्रीय कार्यालय I

चेन्नै एसएआरबी, कोयंबतुर शाखा कार्यालय, ईरोड शाखा कार्यालय, कोच्चि शाखा कार्यालय, मदुरै शाखा कार्यालय, तिरुपुर शाखा कार्यालय

• • •

चेन्नै क्षेत्रीय कार्यालय II

अंबतुर शाखा कार्यालय, चेन्नै शाखा कार्यालय, कांचीपुरम शाखा कार्यालय, पुडुचेरी शाखा कार्यालय, चेन्नै ईएलएससी

• • •

गुवाहाटी क्षेत्रीय कार्यालय

अगरतला शाखा कार्यालय, आइजॉल शाखा कार्यालय, दीमापुर शाखा कार्यालय, गंगटोक शाखा कार्यालय, गुवाहाटी शाखा कार्यालय, इम्फाल शाखा कार्यालय, ईटानगर शाखा कार्यालय, कोलकाता शाखा कार्यालय, शिलांग शाखा कार्यालय

• • •

हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय

बालानगर शाखा कार्यालय, बेंगलूरु शाखा कार्यालय, भुवनेश्वर शाखा कार्यालय, होसुर शाखा कार्यालय, हुबली आरआरओ, हैदराबाद शाखा कार्यालय, हैदराबाद ईएलएससी, हैदराबाद एसएआरबी, मैसूर शाखा कार्यालय, पीन्या शाखा कार्यालय, रायपुर शाखा कार्यालय, विजयवाड़ा शाखा कार्यालय, विशाखपट्टणम शाखा कार्यालय

• • •

जयपुर क्षेत्रीय कार्यालय

भीलवाड़ा शाखा कार्यालय, भिवाड़ी शाखा कार्यालय, जयपुर शाखा कार्यालय, जोधपुर शाखा कार्यालय, किशनगढ़ शाखा कार्यालय, सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र शाखा कार्यालय, उदयपुर शाखा कार्यालय, विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र शाखा कार्यालय

• • •

लखनऊ क्षेत्रीय कार्यालय

भोपाल शाखा कार्यालय, देहरादून शाखा कार्यालय, हरिद्वार शाखा कार्यालय, कानपुर शाखा कार्यालय, लखनऊ शाखा कार्यालय, लखनऊ ईएलएससी, लखनऊ एसएआरबी, पटना शाखा कार्यालय, प्रयागराज आरआरओ, रांची शाखा कार्यालय, रुद्रपुर शाखा कार्यालय, वाराणसी शाखा कार्यालय

• • •

नई दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय

बहादुरगढ़ शाखा कार्यालय, बल्लभगढ़ शाखा कार्यालय, फरीदाबाद शाखा कार्यालय, गुरुग्राम शाखा कार्यालय, कुंडली शाखा कार्यालय, नई दिल्ली शाखा कार्यालय, नई दिल्ली ईएलएससी, नई दिल्ली एसएआरबी, नोएडा शाखा कार्यालय

• • •

पुणे क्षेत्रीय कार्यालय

अहमदनगर शाखा कार्यालय, औरंगाबाद शाखा कार्यालय, चिंचवड़ शाखा कार्यालय, इंदौर शाखा कार्यालय, कोल्हापुर शाखा कार्यालय, मुंबई ईएलएससी, मुंबई एसएआरबी, नागपुर शाखा कार्यालय, नासिक शाखा कार्यालय, पणजी शाखा कार्यालय, पुणे शाखा कार्यालय, ठाणे शाखा कार्यालय, वसई शाखा कार्यालय

• • •

आभार-ज्ञापन

भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक से प्राप्त मूल्यवान सहयोग के लिए निदेशक-मंडल धन्यवाद ज्ञापित करता है। साथ ही, विश्व बैंक समूह; जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जाइका); डिपार्टमेंट फ़ॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (डीएफ़आइडी), यू.के.; क्रेडिटटांस्टाल्ट फर वीडराफबउ (केएफ़डब्ल्यू), जर्मनी; ड्यूश जेसेलशाफ्ट फ़र इंटरनेशनेल जुसमेनारबीट (जीआइजेड), जर्मनी; इंटरनेशनल फ़ंड फ़ॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट (आईएफएडी), रोम; एजेंस फ्रैंकेज डि डेवलपमेंट (एएफ़डी), फ्रांस तथा एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) से प्राप्त संसाधन सहायता और तकनीकी सहयोग के लिए निदेशक-मंडल उनके प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करता है। बैंकों, राज्य स्तरीय संस्थाओं, उद्योग संघों तथा एमएसएमई क्षेत्र के संवर्द्धन और विकास में लगे अन्य हितधारकों से प्राप्त सहयोग के लिए निदेशक-मंडल उनकी भी सराहना करता है।

बैंक अपने सभी ग्राहकों और निवेशकों को भी, उनसे प्राप्त सहयोग के लिए धन्यवाद देता है और आने वाले वर्षों में उनसे अनवरत सहायता की आकांक्षा करता है। वर्ष-पर्यंत, बैंक को उच्चतर विकास-पथ पर आगे बढ़ाने में प्रबल एवं अनवरत प्रतिबद्धता, सत्यनिष्ठा और समर्पण भावना से जुटे रहने वाले सिडबी के प्रत्येक स्तर के स्टाफ़-सदस्यों की सेवाओं के लिए निदेशक-मंडल उनकी प्रशंसा करता है।

सिडबी

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

www.sidbi.in

@sidbiofficial SidbiOfficial SidbiOfficial

WYATTPrism COMMUNICATIONS (info@wyatt.co.in)

वार्षिक प्रतिवेदन (भाग - II)
2019-20

सिडबी

अपना सहयोग सुदृढ़ करने में रत

सुदृढ़ एमएसएमई से परिपूर्ण ऊर्जावान अर्थव्यवस्था के लिए

क्रम-सूची

परिशिष्ट-I ..... पृष्ठ 01-42

परिशिष्ट-II ..... पृष्ठ 43-86

परिशिष्ट-I

सिडबी के लाभ हानि लेखा और नकदी प्रवाह विवरणी के साथ लेखापरीक्षित तुलन पत्र

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

शेयरधारकगण
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

1. मंतव्य

हमने "भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक" ("बैंक") के संलग्न एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, इसमें 31 मार्च, 2020 तक तुलन-पत्र, उक्त तारीख को समाप्त वर्ष का लाभ-हानि खाता, नकदी प्रवाह, वित्तीय विवरणों से संबंधित टिप्पणियाँ तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश शामिल है।

हमारे मत में साथ में दिए गए वित्तीय विवरण 31 मार्च 2020 तक बैंक के वित्तीय प्रदर्शन और समाप्त वर्ष के लिए उसका नकदी प्रवाह, बैंक की वित्तीय स्थिति का सत्य और उचित विवरण देते हैं एवं यह भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सामान्य विनियम 2000 के विनियमन 14(i), और भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांत के अनुरूप है।

2. मंतव्य का आधार

हमने अपनी लेखा-परीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा-परीक्षा मानकों के अनुसार संपन्न की। उक्त मानकों के अंतर्गत हमारे दायित्वों का वर्णन हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा के संबंध में लेखा-परीक्षकों का उत्तरदायित्व खण्ड के अंतर्गत भी किया गया है। हम उन वित्तीय आवश्यकताओं के अनुसार बैंक से स्वतंत्र हैं जो हमारे वित्तीय विवरणों के ऑडिट के अनुसार प्रासंगिक हैं, और हमने इन आवश्यकताओं के अनुसार अपनी अन्य नैतिक दायित्वों को पूरा किया है। हमारी धारणा है कि हमने लेखा-परीक्षा के लिए जो प्रमाण लिया है वह हमारे मंतव्य को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

3. महत्त्वपूर्ण विषय

i. हम स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की अनुसूची XVI के नोट 2 पर ध्यान आकर्षित करते हैं जिसमें प्रबंधन की दृष्टि से वैश्विक महामारी का प्रभाव भविष्य के परिवर्धनों पर निर्भर करेगा और बैंक के वित्तीय नियमों के अनुमोदन की तारीख को किए गए अनुमानों से अलग हो सकता है। कोविड -19 वैश्विक महामारी के कारण उधारकर्ताओं को राहत देने वाले 27 मार्च, 2020 के भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्र के अनुसार, बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार पात्र उधारकर्ताओं को देय ऋण किश्तों / ब्याज में अधिस्थगन अवधि देने की पेशकश की है। तदनुसार, बैंक ने दिनांक 17 अप्रैल, 2020 के भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र के अनुसार पाँच प्रतिशत की सीमा तक मार्च, 2020 के लिए ₹13.99 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है और शेष पाँच प्रतिशत उपरोक्त परिपत्र के अनुसार अगली तिमाही के लिए आस्थगित किया गया है।

ii. हम नोट 3.1 पर ध्यान आकर्षित करते हैं, जहां वर्ष के दौरान, बैंक ने मानक आस्तियों पर किए गए संपूर्ण प्रावधान पर अपने गैर-मान्यता प्राप्त आस्थगित कर आस्तियों का पुन: मूल्यांकन किया है। तदनुसार, चालू वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान ₹96,34,90,214 के आस्थगित कर आस्तियों को मान्यता दी गई है।

इन मामलों के संबंध में हमारे मंतव्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

4. लेखा-परीक्षा के प्रमुख विषय

लेखा-परीक्षा के प्रमुख विषय वे विषय हैं जो हमारी प्रोफेशनल राय में चालू अवधि के वित्तीय विवरण की लेखा-परीक्षा की दृष्टि से सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण थे। एकल वित्तीय विवरणों की समग्र रूप से लेखा-परीक्षा तथा उन पर हमारी राय कायम करने के परिप्रेक्ष्य में इन विषयों का समाधान प्रस्तुत किया गया और इन विषयों पर हम अलग से कोई राय नहीं देते।

हमारी लेखा-परीक्षा में इन महत्त्वपूर्ण लेखा-परीक्षा विषयों की पहचान की गई है

क्रम सं	लेखा-परीक्षा के मुख्य विषय	लेखा-परीक्षा के मुख्य विषय पर प्रतिक्रिया
1.	**आकस्मिक देयता और आयकर के लिए प्रावधान** प्रावधानों का निर्धारण और आकलन करने के मामले में समय अथवा देयता के निपटान के लिए भविष्य में किए जानेवाले व्यय की राशि के बारे में अनिश्चितता है। आकस्मिक देयताओं के मामले में प्रकट की जानेवाली राशि के निर्धारण, अनुमान और प्राक्कलन किए गये हैं।	आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1) (viiए) (सी) के अंतर्गत बट्टे खाते में डाले गये तथा दावा किए गये अशोध्य ऋणों के संबंध में आयकर विभाग ने दावे को यह कहते हुए नकार दिया है कि बैंक ने दोहरा कर-लाभ लिया है, क्योंकि संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान करते समय बैंक को यह लाभ पहले ही दिया जा चुका है।

क्रम सं	लेखा-परीक्षा के मुख्य विषय	लेखा-परीक्षा के मुख्य विषय पर प्रतिक्रिया
	इसके परिणाम-स्वरूप प्रावधानों के निर्धारण और आकलन तथा आकस्मिक देयताओं के प्रकटन के लिए बड़े पैमाने पर निर्णय किया जाना अपेक्षित है। बैंक ने आयकर के प्रति ₹5,71,61,67,906/- की आकस्मिक देयता की सूचना दी है, जो बैंक के प्रति दावों से संबंधित है और जिसे वित्तीय विवरणों में ऋण नहीं बताया गया है।	हमने पूर्ववर्ती लंबित आदेशों की जाँच की है। कतिपय वर्षों के दौरान, आय-कर अपीलीय अधिकरण ने बैंक के दावे को स्वीकार किया है, जिसे विभाग ने उच्चतर प्राधिकरणों में चुनौती दी है। साथ ही, अपने दावे की व्यवहार्यता के अवसरों की पुष्टि के लिए बैंक ने बाहरी कर-विशेषज्ञों की राय भी ली है। उनकी राय के आधार पर, उक्त दावे को स्वीकार्य मानते हुए, कर के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। अतः धारा 36(1) (viiए) (सी) के अंतर्गत माँगी गयी बकाया राशि नकारे गये अन्य दावों/मामलों में, जहाँ बैंक के विरुद्ध निर्धारण किया गया है और अपीलें लंबित हैं, वहाँ उक्त राशि को आकस्मिक देयता में शामिल किया गया है। अतः कोई प्रावधान आवश्यक नहीं समझा गया है।
2.	**सूचना प्रौद्योगिकी सामान्य नियंत्रण:** बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया का एक उल्लेखनीय हिस्सा काफी हद तक सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों पर निर्भर है, जिसमें सांख्यिकी का संग्रहण, भण्डारण और सूचना प्राप्त करने का कार्य स्वचालित प्रक्रियाओं तथा नियंत्रणों के ज़रिए होता है। इन प्रक्रियाओं और नियंत्रणों का एक बुनियादी घटक उपयुक्त उपयोगकर्ता की पहुँच सुनिश्चित करना है। परिवर्तन प्रबंधन प्रोटोकॉल विद्यमान है और उसका पालन किया जा रहा है। ये प्रोटोकॉल महत्त्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे सुनिश्चित करते हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों तक पहुँचने और तत्संबंधी डाटा में परिवर्तन का कार्य अधिकृत रूप से और उपयुक्त तरीके से संपन्न किया जाता है।	हमने अपनी लेखा-परीक्षा में उन सूचना प्रौद्योगिकी-प्रणालियों तथा नियंत्रणों पर ध्यान केन्द्रित किया, जो बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के लिए महत्त्वपूर्ण हैं। चिह्नित ऐप्लीकेशन प्रणालियों की समुचित अंतराल पर ऐप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लेखा-परीक्षा करवाने की व्यवस्था बैंक में की गयी है। बैंक के अधिकारी शाखाओं में समुचित अंतराल पर सूचना प्रणालियों की लेखा-परीक्षा संपन्न करते हैं। हमने बाहरी परामर्शदाताओं द्वारा की गयी ऐप्लीकेशन प्रणाली-लेखा-परीक्षा तथा शाखाओं में की गयी सूचना प्रणाली लेखा-परीक्षाओं पर भरोसा किया है। बाहरी परामर्शदाताओं की रिपोर्टों तथा शाखाओं में संपन्न सूचना प्रणाली लेखा-परीक्षा रिपोर्टों की हमने नमूना आधार पर समीक्षा की है। वे उपयुक्त पायी गयीं। जहाँ कहीं आवश्यकता पड़ी, डाटा की सत्यता तथा उसकी विश्वसनीयता व रिपोर्टिंग के सत्यापन के लिए हमने अपेक्षाकृत अधिक गहन परीक्षण किया।

5. अन्य सूचना

बैंक का निदेशक-मंडल अन्य सूचना के लिए उत्तरदायी है। अन्य सूचना में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का वक्तव्य, निदेशकों की रिपोर्ट, समग्र व्यवसाय-परिचालन, प्रबंधन एवं नैगम अभिशासन समाहित है, किन्तु उसमें समेकित वित्तीय विवरण तथा तत्संबंधी हमारी लेखा-परीक्षा रिपोर्ट शामिल नहीं है।

वित्तीय विवरणों पर हमारे मंतव्य में अन्य सूचना शामिल नहीं है और हम उस पर किसी प्रकार का आश्वासन/निष्कर्ष नहीं व्यक्त करते। वित्तीय विवरणों की अपनी लेखा-परीक्षा के संबंध में अन्य सूचना को पढ़ना और ऐसा करते समय यह विचार करना है कि क्या अन्य सूचना तथ्यात्मक रूप से वित्तीय विवरण के साथ असंगतिपूर्ण है अथवा क्या लेखा-परीक्षा से प्राप्त अथवा नहीं प्राप्त हुई हमारी जानकारी तथ्यात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण रूप से व्यक्त की गयी लगती है

बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का वक्तव्य, निदेशकों की रिपोर्ट, समग्र व्यवसाय-परिचालन, प्रबंधन एवं नैगम अभिशासन संबंधी सामग्री अभी तैयार की जा रही है। जब हम उसे पढ़ेंगे और यदि हमें लगेगा कि उसमें तथ्यात्मक दृष्टि से कोई त्रुटिपूर्ण कथन है तो हम अभिशासन-प्रभारियों को मामले से अवगत कराएँगे।

6. अन्य विषय

इन वित्तीय विवरणों में 25 शाखाओं की विवरणियाँ शामिल हैं जिनकी हमने लेखापरीक्षा के उद्देश्य से दौरा किया / समीक्षा की थी और इसमें प्रधान कार्यालय के खातों सहित अग्रिमों का 96.46%, जमाओं का 99.63%, उधार का 100%, अग्रिमों पर ब्याज आय का 95.64%, जमाराशियों पर ब्याज व्यय का 99.31% तथा उधार पर ब्याज व्यय का 100% भी शामिल है। इन शाखाओं का चयन बैंक के परामर्श से किया गया है। हमने बैंक की शेष शाखाओं का दौरा नहीं किया है और प्रधान कार्यालय में उनकी विवरणियों की समीक्षा की है।

7. वित्तीय विवरणों के संबंध में प्रबंधन का उत्तरदायित्व

बैंक का प्रबंधन, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सामान्य विनियम 2000 और भारत में आम तौर पर मान्य लेखांकन सिद्धांत के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी और उचित प्रस्तुति के लिए उत्तरदायी है, साथ ही, इस तरह के आंतरिक नियंत्रण जो वित्तीय विवरणों की तैयारी हेतु प्रबंधन द्वारा निर्धारित करने के लिए आवश्यक है तथा धोखाधड़ी के कारण या त्रुटिवश मिथ्याकथन से मुक्त हैं।

वित्तीय विवरण तैयार करने में प्रबंधन लाभप्रद प्रतिष्ठान के रूप में जारी रहने की बैंक की क्षमता के आकलन, यथास्थिति लाभप्रद प्रतिष्ठान से संबंधित मामलों के प्रकटन तथा जब तक प्रबंधन बैंक के समापन अथवा उसके परिचालन को बंद करने का इरादा नहीं रखता अथवा ऐसा करने के अलावा उसके पास कोई वास्तविक विकल्प नहीं होता, तब तक लाभप्रद प्रतिष्ठान का आधार प्रयोग करते रहने के लिए उत्तरदायी हैं।

अभिशासन के प्रभारी बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी है।

8. वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा के संबंध में लेखा-परीक्षक के उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य समग्र रूप से वित्तीय विवरण के कपट से अथवा त्रुटिवश होने वाले तथ्यात्मक मिथ्या-कथन से रहित होने का आश्वासन प्राप्त करना, और एक ऐसी लेखा-परीक्षक-रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय शामिल हो। समुचित आश्वासन एक उच्च-स्तरीय आश्वासन होता है, किन्तु वह ऐसी गारंटी नहीं है कि लेखापरीक्षा-मानक के अनुरूप की गयी लेखा-परीक्षा में सदा ही किसी तथ्यात्मक मिथ्या कथन की मौजूदगी का पता चल जाएगा। मिथ्याकथन कपट अथवा त्रुटिवश हो सकते हैं और उन्हें एकल रूप से अथवा सम्मिलित रूप में तब तथ्यात्मक माना जाता है जब इन समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ता द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों के उन मिथ्याकथनों से पर्याप्त रूप में प्रभावित होने की संभावना हो।

लेखापरीक्षा-मानक के अनुरूप लेखापरीक्षा के हिस्से के रूप में हम समूची लेखापरीक्षा-प्रक्रिया के दौरान पेशेवराना विवेक का उपयोग करते हैं और पेशेवराना सावधानी बनाए रखते हैं। साथ ही, हम:

- कपटपूर्वक अथवा त्रुटिवश वित्तीय विवरणों में तथ्यात्मक मिथ्याकथन के जोखिम की पहचान व आकलन करते हैं, उक्त जोखिमों के अनुरूप लेखापरीक्षा प्रक्रियाएँ तैयार करके उन्हें संपन्न करते हैं और लेखापरीक्षा का ऐसा प्रमाण प्राप्त करते हैं जो हमारे मंतव्य का आधार बनने के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त हो। किसी कपट के फलस्वरूप तथ्यात्मक मिथ्याकथन के पता न चलने का जोखिम त्रुटिवश हुए मिथ्याकथन के जोखिम की तुलना में बड़ा होता है, क्योंकि कपट में मिलीभगत, जालसाजी, इरादतन भूल-चूक, मिथ्या प्रस्तुतीकरण अथवा आंतरिक नियंत्रण की अनदेखी का हाथ हो सकता है।

- आंतरिक नियंत्रण की जानकारी हासिल करते हैं, जो लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हो, ताकि लेखापरीक्षा की ऐसी प्रक्रिया तैयार की जा सके जो उक्त परिस्थिति के लिए उपयुक्त हो।

- उपयोग की गयी लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन प्राक्कलनों तथा प्रबंधन द्वारा किए गए तत्संबंधी प्रकटनों का मूल्यांकन करते हैं।

- प्रबंधन द्वारा लेखांकन के लिए लाभप्रद प्रतिष्ठान-आधार के उपयोग की उपयुक्तता के संबंध में और प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा-प्रमाण के आधार पर यह निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या घटनाओं अथवा स्थितियों से संबंधित कोई ऐसी तथ्यात्मक अनिश्चितता विद्यमान है जिसके फलस्वरूप लाभप्रद प्रतिष्ठान के रूप में जारी रहने की समूह की क्षमता पर कोई उल्लेखनीय संदेह उत्पन्न होता हो। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि कोई तथ्यात्मक अनिश्चितता विद्यमान है तो हमसे यह अपेक्षित होता है कि अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में हम वित्तीय विवरणों में तत्संबंधी प्रकटनों अथवा यदि ऐसे प्रकटन अपर्याप्त हों तो अपने मंतव्य में संशोधन की ओर ध्यान आकर्षित करें। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त किए गये लेखापरीक्षा-प्रमाणों पर आधारित हैं। किन्तु, भविष्य की घटनाओं अथवा स्थितियों के कारण लाभप्रद प्रतिष्ठान के रूप में समूह का जारी रहना बन्द हो सकता है।

- वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण, संरचना और विषयवस्तु का मूल्यांकन करते हैं। इसमें प्रकटन और यह देखना भी शामिल है कि वित्तीय विवरण अंतर्निहित व घटनाओं को इस रूप में दर्शाए, जिससे उचित प्रस्तुतीकरण का उद्देश्य पूर्ण हो सके।

हम अभिशासन-प्रभारियों के साथ अन्य विषयों के अलावा लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय तथा लेखापरीक्षा के महत्त्वपूर्ण निष्कर्षों व आंतरिक नियंत्रण की ऐसी उल्लेखनीय कमियों के बारे में बातचीत करते हैं जिन्हें हमने अपनी लेखापरीक्षा के दौरान चिह्नित किया हो।

अभिशासन-प्रभारियों को हम वह विवरण भी प्रदान करते हैं जिसे हमने निष्पक्षता के संबंध में संगत नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करते हुए तैयार किया है। साथ ही, हम उन्हें अपने उन संबंधों व अन्य विषयों की सूचना भी देते हैं जिससे हमारी निष्पक्षता और जहाँ लागू हो, वहाँ तत्संबंधी सुरक्षा-उपायों पर समुचित प्रभाव पड़ने की संभावना हो।

9. अन्य विधिक तथा विनियामक अपेक्षाओं से संबंधित रिपोर्ट

हम सूचित करते हैं कि

i. तुलन-पत्र,लाभ-हानि लेखा एवं नकद प्रवाह विवरणी, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सामान्य विनियम 2000 के विनियम 14(i) में उल्लिखित अपेक्षाओं के अनुरूप तैयार किए गए हैं।

ii. हमने वह समस्त सूचना व स्पष्टीकरण माँगे और प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के

अनुसार उपर्युक्त वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य से आवश्यक थे और हमने उन्हें संतोषजनक पाया है।

iii. हमारी राय में, जहां तक खाता-बहियों की जाँच से हमारे देखने में आया है, बैंक ने विधित: उपयुक्त खाता बहियाँ तैयार की है।

iv. इस रिपोर्ट के लिए जिस तुलन-पत्र, लाभ-हानि खाते तथा नकदी प्रवाह विवरण का उपयोग किया गया है वे खाता-बहियों के अनुरूप है।

v. हमारे संज्ञान में आए बैंक के संव्यवहार बैंक की शक्तियों के अंदर ही किए गए हैं।

vi. बैंक की शाखाओं और कार्यालयों से प्राप्त विवरणियाँ हमारी लेखा-परीक्षा के लिए पर्याप्त थीं।

vii. हमारे मतानुसार, उपर्युक्त वित्तीय विवरणों में लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन हुआ है।

कृते छाजेड एंड दोषी
सनदी लेखाकार
[फर्म का पंजीकरण सं. 101794डब्ल्यू]

किरण के दफ्तरी
साझीदार
सदस्य सं. 010279
यूडीआईएन-20010279AAAAAN2925

स्थान: मुंबई
दिनांक: 15 मई, 2020

तुलन-पत्र

यथा 31 मार्च, 2020

(राशि ₹ में)

		मार्च 31, 2020	मार्च 31, 2019
पूंजी और देयताएँ	**अनुसूचियाँ**		
पूंजी	I	5,31,92,20,310	5,31,92,20,310
प्रारक्षितियाँ, आधिक्य और निधियाँ	II	1,84,65,53,87,321	1,61,53,16,39,410
जमा राशियाँ	III	10,59,71,64,39,231	7,19,22,47,49,673
उधारियाँ	IV	5,57,03,38,37,542	5,96,99,79,07,871
अन्य देयताएँ और प्रावधान	V	68,64,97,19,422	75,27,76,17,911
आस्थगित कर देयताएँ (नोट 3 का सदर्भ लें)		1,52,32,715	25,71,28,715
योग		**18,75,38,98,36,541**	**15,58,60,82,63,890**
आस्तियां			
नकद एवं बैंक शेष	VI	64,83,38,91,127	54,05,25,12,178
निवेश	VII	1,11,17,85,33,236	88,18,19,96,172
ऋण व अग्रिम	VIII	16,54,21,56,14,553	13,62,30,37,01,258
अचल आस्तियां	IX	2,86,71,15,169	2,85,40,92,585
अन्य आस्तियाँ	X	42,29,46,82,456	51,21,59,61,697
योग		**18,75,38,98,36,541**	**15,58,60,82,63,890**
आकस्मिक देयताएँ	XI	76,13,98,91,761	93,65,32,75,072
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	XV		
लेखांकन विषयक टिप्पणियाँ	XVI		
उपरोल्लिखित अनुसूचियाँ तुलन-पत्र का अविभाज्य अंग हैं			

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते **छाजेड़ व दोषी**
सनदी लेखाकर
फर्म का पंजीकरण सं. 101794 डब्ल्यू

किरण के. दफ्तरी
साझीदार
सदस्य सं. 010279

निदेशक मण्डल के आदेश से

राजेन्द्र अग्रवाल
महाप्रबंधक
(निगमित लेखा उदभाग)

मनोज मित्तल
उप प्रबंध निदेशक

मोहम्मद मुस्तफा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

जी गोपालकृष्ण
निदेशक

आशीष गुप्ता
निदेशक

नई दिल्ली, 15 मई, 2020

लाभ-हानि खाता

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष का

(राशि ₹ में)

	अनुसूचियाँ	मार्च 31, 2020	मार्च 31, 2019
आय			
ब्याज एवं बट्टा	XII	1,10,20,93,69,739	94,82,13,19,357
अन्य आय	XIII	10,69,36,41,116	4,34,24,76,550
योग		**1,20,90,30,10,855**	**99,16,37,95,907**
व्यय			
ब्याज और वित्तीय प्रभार (नोट 8 देखें)		77,22,05,87,193	69,03,01,12,006
परिचालन व्यय	XIV	6,07,45,88,592	5,12,37,49,980
प्रावधान और आकस्मिकताएं		9,52,98,06,119	(2,48,79,420)
कुल योग		**92,82,49,81,904**	**74,12,89,82,566**
कर-पूर्व लाभ		**28,07,80,28,951**	**25,03,48,13,341**
आयकर के लिए प्रावधान (नोट 4 देखें)		5,17,47,06,878	6,05,64,69,013
आस्थगित कर समायोजन [(आस्ति / देयता] (नोट 3 देखें)		(24,18,96,000)	(54,36,89,736)
कर-पश्चात लाभ		**23,14,52,18,073**	**19,52,20,34,064**
अग्रानीत लाभ		49,99,16,015	43,13,26,886
कुल लाभ /(हानि)		**23,64,51,34,088**	**19,95,33,60,950**
विनियोजन			
सामान्य आरक्षिति में अंतरण		22,10,00,00,000	16,64,00,00,000
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)) (viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षिति में अंतरण		55,00,00,000	70,00,00,000
अन्य			
निवेश उतार चढ़ाव आरक्षिति में अंतरण		33,59,018	44,22,00,000
स्टाफ कल्याण निधि में अंतरण		3,00,00,000	2,00,00,000
शेयरों पर लाभांश		-	1,36,96,99,230
लाभांश पर कर		-	28,15,45,705
अग्रानीत लाभ और हानि खाते में अधिशेष		96,17,75,070	49,99,16,015
कुल		**23,64,51,34,088**	**19,95,33,60,950**
प्रति शेयर मूल / विलयित अर्जन (नोट 20 देखें)		43.51	36.70
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	XV		
लेखा टिप्पणियाँ	XVI		

उक्त अनुसूचियाँ लाभ और हानि लेखे का अभिन्न अंग है।

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते **छाजेड़ व दोषी**
सनदी लेखाकर
फर्म का पंजीकरण सं. 101794 डब्ल्यू

किरण के. दफ्तरी
साझीदार
सदस्य सं. 010279

राजेन्द्र अग्रवाल
महाप्रबंधक
(निगमित लेखा उदभाग)

निदेशक मण्डल के आदेश से

मनोज मित्तल
उप प्रबंध निदेशक

मोहम्मद मुस्तफा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

जी गोपालकृष्ण
निदेशक

आशीष गुप्ता
निदेशक

नई दिल्ली, 15 मई, 2020

तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ

पूंजी और देयताएँ

(राशि ₹ में)

अनुसूची I: पूंजी	मार्च 31, 2020	मार्च 31, 2019
(क) प्राधिकृत पूंजी	10,00,00,00,000	10,00,00,00,000
- ईक्विटी शेयर पूंजी (10 रुपये प्रति शेयर की दर से 75,00,00,000 ईक्विटी शेयर)	7,50,00,00,000	7,50,00,00,000
- अधिमानी शेयर पूंजी (10 रुपये प्रति शेयर की दर से 25,00,00,000 अधिमानी शेयर)	2,50,00,00,000	2,50,00,00,000
(ख) जारी की गई, अभिदत्त और चुकता पूंजी	5,31,92,20,310	5,31,92,20,310
- ईक्विटी शेयर पूंजी (10 रुपये प्रति शेयर की दर से 53,19,22,031 ईक्विटी शेयर)	5,31,92,20,310	5,31,92,20,310
- अधिमानी शेयर पूंजी	-	-
योग	**5,31,92,20,310**	**5,31,92,20,310**

(राशि ₹ में)

अनुसूची II: आरक्षितियां, अधिशेष और निधियां	मार्च 31, 2020	मार्च 31, 2019
क) आरक्षित निधि		
i) सामान्य आरक्षित निधि		
- आरंभिक शेष	1,24,63,51,37,200	1,07,99,51,37,200
- वर्ष के दौरान जोड़ी गई	22,10,00,00,000	16,64,00,00,000
- वर्ष के दौरान उपयोजित राशि	-	-
- अंतिम शेष	**1,46,73,51,37,200**	**1,24,63,51,37,200**
ii) शेयर प्रीमियम		
- आरंभिक शेष	16,68,07,79,690	16,68,07,79,690
- वर्ष के दौरान जोड़ी गई	-	-
- वर्ष के दौरान उपयोजित राशि	-	-
- अंतिम शेष	**16,68,07,79,690**	**16,68,07,79,690**
iii) विशिष्ट आरक्षित निधियाँ		
क) निवेश हेतु आरक्षित निधि		
- आरंभिक शेष	-	-
- वर्ष के दौरान जोड़ी गई राशि	-	-
- वर्ष के दौरान उपयोजित राशि	-	-
- अंतिम शेष	**-**	**-**
ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अनुसार निर्मित एवं सुरक्षित विशेष आरक्षितियां		
- आरंभिक शेष	15,67,00,00,000	14,97,00,00,000
- वर्ष के दौरान जोड़ी गई राशि	55,00,00,000	70,00,00,000
- वर्ष के दौरान उपयोजित राशि	-	-
- अंतिम शेष	**16,22,00,00,000**	**15,67,00,00,000**
ग) अन्य आरक्षितियाँ		
i) निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षिति		
- आरंभिक शेष	1,14,59,86,026	70,37,86,026
- वर्ष के दौरान जोड़ी गई राशि	33,59,018	44,22,00,000
- वर्ष के दौरान उपयोजित राशि		
- अंतिम शेष	**1,14,93,45,044**	**1,14,59,86,026**

तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ

(राशि ₹ में)

अनुसूची II: आरक्षितियां, अधिशेष और निधियां	मार्च 31, 2020	मार्च 31, 2019
ख) लाभ-हानि खाते में अधिशेष	96,17,75,070	49,99,16,015
ग) निधियाँ		
क) राष्ट्रीय ईक्विटी निधि		
- आरंभिक शेष	2,65,23,89,862	2,56,95,54,646
- वर्ष के दौरान परिवर्धन/पुनरांकन	37,52,970	8,28,35,216
- वर्ष के दौरान उपयोग	-	-
- अंतिम शेष	**2,65,61,42,832**	**2,65,23,89,862**
ख) स्टाफ कल्याण निधि		
- आरंभिक शेष	24,74,30,617	24,92,32,557
- वर्ष के दौरान परिवर्धन	3,00,00,000	2,00,00,000
- वर्ष के दौरान उपयोग	2,52,23,132	2,18,01,940
- अंतिम शेष	**25,22,07,485**	**24,74,30,617**
ग) अन्य	-	-
योग	**1,84,65,53,87,321**	**1,61,53,16,39,410**

(राशि ₹ में)

अनुसूची III: जमा	मार्च 31, 2020	मार्च 31, 2019
क) सावधि जमा	31,77,53,39,231	64,86,00,49,673
ख) बैंको से		
क) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम पुनर्वित्त निधि के अंतर्गत	9,39,05,30,50,000	5,80,00,00,00,000
ख) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम जोखिम पूंजी निधि के अंतर्गत	10,00,00,00,000	15,00,00,00,000
ग) अन्य-विदेशी और निजी क्षेत्र के बैंकों से	-	-
घ) एमएसएमई भारत नवाकांक्षा निधि के अंतर्गत	7,02,35,25,000	9,36,47,00,000
ञ) एमएसएमई क्षेत्र की उद्यम पूंजी निधि 2014-15 के अंतर्गत	71,86,45,25,000	50,00,00,00,000
(ख) उप-योग	**10,27,94,11,00,000**	**6,54,36,47,00,000**
योग	**10,59,71,64,39,231**	**7,19,22,47,49,673**

(राशि ₹ में)

अनुसूची IV: उधारियां	मार्च 31, 2020	मार्च 31, 2019
I) भारत में उधारियां		
1. भारतीय रिजर्व बैंक से	-	-
2. भारत सरकार से (नोट 12 का सदर्भ लें)	21,07,48,45,249	21,46,93,19,323
(भारत सरकार द्वारा अभिदत्त बॉण्ड सहित)		
3. बॉण्ड एवं डिबेंचर (नोट 6 का सदर्भ लें)	1,75,62,50,00,000	1,44,95,50,00,000
4. अन्य स्रोतों से		
- वाणिज्यिक पत्र	49,50,00,00,000	47,50,00,00,000
- जमा प्रमाण पत्र	1,98,90,00,00,000	1,51,55,00,00,000
- बैंकों से सावधि ऋण	14,36,35,43,399	1,24,46,56,06,275
- सावधि मुद्रा उधारियां	-	-
- अन्य (नोट 15 का संदर्भ लें)	4,74,98,02,338	14,99,20,398
उप-योग (I)	**4,64,21,31,90,986**	**4,90,08,98,45,996**

तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ

(राशि ₹ में)

अनुसूची IV: उधारियां	मार्च 31, 2020	मार्च 31, 2019
II) भारत से बाहर उधारियां		
(क) केएफडब्ल्यू, जर्मनी	11,60,28,09,154	14,44,29,19,606
(ख) जापान इंटरनेशनल को-ऑपरेशन एजेंसी (जाइका)	34,07,23,44,393	36,80,54,19,486
(ग) आईएफएड़ी, रोम (नोट 18 का सदर्भ लें)	1,15,34,15,466	1,12,48,25,395
(घ) विश्व बैंक	43,46,01,15,739	51,47,72,81,791
ञ) अन्य	2,53,19,61,804	3,05,76,15,597
उप-योग (II)	**92,82,06,46,556**	**1,06,90,80,61,875**
योग (I &II)	**5,57,03,38,37,542**	**5,96,99,79,07,871**

(राशि ₹ में)

अनुसूची V: अन्य देयताएं व प्रावधान	मार्च 31, 2020	मार्च 31, 2019
उपचित ब्याज	27,16,74,34,630	28,41,05,15,952
सिडबी कर्मचारी भविष्य निधि के लिए प्रावधान	3,09,97,41,738	2,80,17,62,288
सिडबी पेंशन निधि के लिए प्रावधान	62,60,20,000	45,55,68,252
बीमारी की छुट्टी निधि के लिए प्रावधान	6,27,63,000	11,18,93,681
चिकित्सा सहायता योजना निधि के लिए प्रावधान	21,30,15,000	18,00,58,808
कर्मचारी हितलाभ के लिए प्रावधान	1,66,08,07,000	1,09,09,74,143
अन्य (प्रावधान सहित) (नोट 14 एवं 23 का सदर्भ लें)	27,73,24,85,782	33,53,24,69,017
विदेशी मुद्रा दर उतार-चढ़ाव हेतु प्रावधान (नोट 11 का सदर्भ लें)	1,53,73,62,766	1,53,73,62,766
मानक आस्तियों के लिए किए गए आकस्मिक प्रावधान (नोट 24 का सदर्भ लें)	6,55,00,89,506	5,50,57,68,069
प्रस्तावित लाभांश (लाभांश पर कर सहित) (नोट 21 का सदर्भ लें)	-	1,65,12,44,935
योग	**68,64,97,19,422**	**75,27,76,17,911**

आस्तियाँ

(राशि ₹ में)

अनुसूची VI: नकदी और बैंक अतिशेष	मार्च 31, 2020	मार्च 31, 2019
1. हाथ में नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक में अतिशेष	6,16,569	6,09,656
2. अन्य बैंकों में अतिशेष		
(क) भारत में		
i) चालू खातों में	31,01,91,553	63,21,22,564
ii) अन्य निक्षेप खातों में	60,47,58,45,836	47,22,98,66,715
(ख) भारत से बाहर		
i) चालू खातों में	5,19,09,337	16,18,137
ii) अन्य निक्षेप खातों में	3,99,53,27,832	6,18,82,95,106
योग	**64,83,38,91,127**	**54,05,25,12,178**

तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ

(राशि ₹ में)

अनुसूची VII: निवेश [प्रावधानों को घटाकर]	मार्च 31, 2020	मार्च 31, 2019
क) राजकोषीय परिचालन		
1. केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियाँ	4,91,62,54,874	4,46,80,73,744
2. बैंकों और वित्तीय संस्थानों के शेयर	-	-
3. बैंकों और वित्तीय संस्थानों के बॉण्ड्स और डिबेंचर्स	7,39,95,25,696	6,40,56,57,541
4. औद्योगिक प्रतिष्ठानों के स्टॉक, शेयर, बॉण्ड्स और डिबेंचर्स	1,99,92,72,771	1,99,92,72,771
5. अल्पावधि बिल पुनर्भुनाई योजना	-	-
6. अन्य	65,76,99,85,928	44,60,07,32,633
उप-योग (क)	**80,08,50,39,269**	**57,47,37,36,689**
ख) व्यवसाय परिचालन		
1. बैंकों और वित्तीय संस्थानों के शेयर	1,82,22,71,142	1,78,47,71,142
2. बैंकों और वित्तीय संस्थानों के बॉण्ड्स और डिबेंचर्स	-	-
3. औद्योगिक प्रतिष्ठानों के स्टॉक, शेयर, बॉण्ड्स और डिबेंचर्स	4,63,89,03,959	4,85,32,42,053
4. सहायक संगठनों में निवेश	17,51,04,98,740	17,51,04,98,740
5. अन्य	7,12,18,20,126	6,55,97,47,548
उप-योग (ख)	**31,09,34,93,967**	**30,70,82,59,483**
योग (क+ख)	**1,11,17,85,33,236**	**88,18,19,96,172**

(राशि ₹ में)

अनुसूची VIII: ऋण एवं अग्रिम [प्रावधान के बाद]	मार्च 31, 2020	मार्च 31, 2019
क) निम्नलिखित को पुनर्वित्त		
- बैंक एवं वित्तीय संस्थाएँ	14,32,32,64,04,547	11,62,77,55,95,686
- अल्प वित्त संस्थाएँ	18,21,00,01,621	11,71,50,70,388
- गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	1,03,74,97,12,032	93,69,98,42,689
- बिलों की पुनर्भुनाई	-	-
- अन्य (संसाधन सहायता)	-	-
उप-योग (क)	**15,54,28,61,18,200**	**12,68,19,05,08,763**
ख) प्रत्यक्ष ऋण		
- ऋण एवं अग्रिम	98,66,91,14,927	88,96,65,09,187
- प्राप्य वित्त योजना	1,26,03,81,426	5,14,66,83,308
- भुनाए गए बिल	-	-
उप-योग (ख)	**99,92,94,96,353**	**94,11,31,92,495**
योग (क+ख)	**16,54,21,56,14,553**	**13,62,30,37,01,258**

(राशि ₹ में)

अनुसूचीIX: स्थिर आस्तियां [मूल्यह्रास घटाकर]	मार्च 31, 2020	मार्च 31, 2019
1. परिसर (नोट 10 का सदर्भ लें)	2,83,87,18,310	2,83,23,37,105
2. अन्य	2,83,96,859	2,17,55,480
योग	**2,86,71,15,169**	**2,85,40,92,585**

तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ

(राशि ₹ में)

अनुसूची X: अन्य आस्तियां	मार्च 31, 2020	मार्च 31, 2019
उपचित ब्याज	20,69,30,66,262	32,90,17,83,584
अग्रिम कर (प्रावधान के बाद)	3,88,74,70,623	3,73,69,24,296
अन्य	12,18,97,70,500	7,12,12,90,646
व्यय जिस सीमा तक बट्टे खाते में नहीं डाला गया है (नोट 7 का सदर्भ लें)	5,52,43,75,071	7,45,59,63,171
कुल	**42,29,46,82,456**	**51,21,59,61,697**

(राशि ₹ में)

अनुसूची XI: आकस्मिक देयताएं		मार्च 31, 2020	मार्च 31, 2019
i)	बैंक पर वे दावे, जिन्हें ऋण नहीं माना गया है (नोट 5 का सदर्भ लें)	5,74,27,63,852	6,98,13,20,359
ii)	गारंटियों / साख-पत्रों के फलस्वरूप	46,99,22,915	54,95,08,487
iii)	वायदा संविदाओं के फलस्वरूप	5,79,87,607	1,03,14,60,100
iv)	हामीदारी प्रतिबद्धताओं के फलस्वरूप	-	-
v)	आंशिक रूप से चुकता शेयरों, डिबेंचरों पर न मांगी गई राशियों के फलस्वरूप	5,19,13,80,042	6,33,78,34,494
vi)	अन्य मदें, जिनके लिए बैंक की आकस्मिक देयता है (व्युत्पन्नी संविदाएँ इत्यादि)	64,67,78,37,345	78,75,31,51,632
योग		**76,13,98,91,761**	**93,65,32,75,072**

लाभ एवं हानि खाते की अनुसूचियाँ

(राशि ₹ में)

अनुसूची XII: ब्याज एवं बट्टा	मार्च 31, 2020	मार्च 31, 2019
1. ऋणों अग्रिमों और बिलों पर ब्याज और बट्टा	1,03,92,13,18,393	91,28,15,41,701
2. निवेशों / बैंक अधिशेषों पर आय	6,28,80,51,346	3,53,97,77,656
योग	**1,10,20,93,69,739**	**94,82,13,19,357**

(राशि ₹ में)

अनुसूची XIII: अन्य आय	मार्च 31, 2020	मार्च 31, 2019
1. अग्रिम देय एवं संसाधन शुल्क	47,71,19,491	31,36,51,911
2. कमीशन एवं दलाली	1,25,57,895	1,49,28,003
3. निवेशों की बिक्री पर लाभ	3,98,46,25,620	2,50,74,34,846
4. सहयोगी / सहायक संस्थाओं से लाभांश आदि के माध्यम से अर्जित आय	4,97,93,519	25,62,65,741
5. पिछले वर्षों के पुनरांकन का प्रावधान	-	-
6. अन्य (नोट 11 एवं 17 देखें)	6,16,95,44,591	1,25,01,96,049
योग	**10,69,36,41,116**	**4,34,24,76,550**

(राशि ₹ में)

अनुसूची XIV: परिचालन व्यय	मार्च 31, 2020	मार्च 31, 2019
कर्मचारियों के लिए किये गए भुगतान और प्रावधान	3,93,57,01,040	3,68,56,94,181
किराया, कर और बिजली	16,53,46,313	18,91,63,591
मुद्रण एवं स्टेशनरी	1,03,25,939	89,85,897
विज्ञापन और प्रचार	9,89,69,313	5,47,52,845
बैंक की संपत्ति पर मूल्यह्रास / ऋण-परिशोधन	18,27,17,393	18,26,95,963
निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय	42,99,620	34,08,920
लेखा परीक्षक शुल्क	29,24,757	30,72,480
विधि प्रभार	1,52,91,720	1,76,48,706
डाक, कोरियर, टेलीफोन आदि	22,66,850	20,68,494
मरम्मत और रखरखाव	17,21,34,109	12,34,73,048
बीमा	51,04,626	43,83,945
सीजीटीएमएसई में योगदान	-	-
अन्य व्यय	1,47,95,06,912	84,84,01,910
योग	**6,07,45,88,592**	**5,12,37,49,980**

तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ

अनुसूची XV: महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1 तैयार करने के आधार

वित्तीय विवरण सभी महत्त्वपूर्ण दृष्टियों से भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 तथा उसके विनियमों, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदण्डों, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा लागू जारी लेखा मानकों और बैंकिंग उद्योग में प्रचलित पद्धतियों के अनुपालन में तैयार किए गए हैं। जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो, समेकित वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत पद्धति के अंतर्गत उपचय आधार पर तैयार किए गए हैं। जब तक कि अन्यथा उल्लिखित न हो, बैंक द्वारा लागू की गई लेखा-नीतियाँ पिछले वर्ष प्रयोग की गई नीतियों के अनुरूप हैं।

आकलनों का उपयोग:

आम तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धान्तों की अनुरूपता में वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंधन से अपेक्षित होता है कि वह ऐसे आकलन और अनुमान करें, जो वित्तीय विवरण की तारीख में आस्तियों और देयताओं की रिपोर्ट की गई राशियों, आकस्मिक देयताओं के प्रकटन और रिपोर्ट की अवधि में रिपोर्ट की गई आय और व्यय की राशियों को प्रभावित करते हैं। प्रबंधन का मानना है कि ये अनुमान और मान्यताएँ उचित और विवेकपूर्ण हैं। हालांकि वास्तविक परिणाम उक्त अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। लेखा अनुमानों में किसी संशोधन का निर्धारण संबंधित लेखा-मानक की अपेक्षाओं के अनुरूप किया जाता है।

2 राजस्व निर्धारण

बैंक को जो भी संभव आर्थिक लाभ से राजस्व मिलेगा उसका निर्धारण किया गया है और राजस्व को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।

क) आय:

(i) दण्डात्मक ब्याज सहित ब्याज आय को उपचय आधार पर हिसाब में लिया गया है, सिवाय अनर्जक आस्तियों के मामलों के जहाँ उसे वसूली के बाद हिसाब में लिया गया है।

(ii) लाभ और हानि लेखा में आय, सकल रूप में अर्थात् भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रावधानों तथा बैंक की आन्तरिक नीति के अनुसार दर्शायी गई है।

(iii) बिलों की भुनाई/पुनर्भुनाई तथा लिखतों की भुनाई को लिखतों की मीयाद के अनुसार निरंतर प्रतिलाभ आधार पर निर्धारित किया गया है।

(iv) मानक (अर्जक) आस्तियों के संबंध में वचनबद्धता प्रभार, बीज पूँजी/सुलभ ऋण सहायता पर सेवा-प्रभार और रॉयल्टी आय को उपचय आधार पर हिसाब में लिया गया है।

(v) औद्योगिक प्रतिष्ठानों और वित्तीय संस्थाओं में धारित शेयरों पर जब लाभांश प्राप्त करने का अधिकार स्थापित होता है तो लाभांश को वसूली के पश्चात् आय माना गया है।

(vi) उद्यम पूँजी निधियों से आय को वसूली आधार पर हिसाब में लिया गया है। उद्यम पूंजी निधि में यूनिट / शेयरों के मोचन को एच टी एम श्रेणी में बिक्री के रूप में नहीं माना जाता।

(vii) अनर्जक आस्तियों की वसूली को निम्नलिखित क्रम से विनियोजित किया गया है:

(क) अनर्जक आस्ति बनने की तारीख तक अतिदेय ब्याज

(ख) मूलधन

(ग) लागत व प्रभार

(घ) ब्याज एवं

(ङ) दंडात्मक ब्याज

(viii) ऋणों एवं अग्रिमों की बिक्री पर प्रत्यक्ष समनुदेशन से हुए लाभ/हानि को भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रचलित दिशानिर्देशों के अनुसार हिसाब में लिया गया है।

(ix) पहले वर्षों में बट्टे खाते में डाले गए ऋणों के सन्दर्भ में प्राप्त राशियों को लाभ हानि लेखे में आय के रूप में लिया गया है।

(x) किसी भी श्रेणी के निवेशों की बिक्री से लाभ या हानि को लाभ-हानि लेखा में ले जाया गया है। तथापि 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी के निवेशों की बिक्री पर लाभ के मामले में, लागू करों के समतुल्य राशि को पूँजी आरक्षित खाते में विनियोजित कर दिया गया है।

(xi) सात साल से अधिक की अवधि के लिए दावा न किए गए देनदारियों (सांविधिक देनदारियों के अलावा) के रूप में पड़ी राशि को आय के रूप में लिया गया है।

(xii) बैंक द्वारा आयकर विभाग से जारी किए गए ऐसे रिफंड आदेश / आदेश देने वाले प्रभावों की प्राप्ति पर आयकर रिफंड पर ब्याज को हिसाब में लिया गया है।

(xiii) उधारकर्ताओं से सीजीटीएमएसई शुल्क, मूल्यांकन शुल्क, अधिवक्ता शुल्क, बीमा इत्यादि की वसूली नकद आधार पर की जाती है।

ख) व्यय:

(i) विकास व्यय को छोड़कर शेष सभी व्यय उपचय आधार पर हिसाब में लिए गए हैं। विकास व्यय को नकद आधार पर हिसाब में लिया गया है।

(ii) जारी किए गए बॉण्डों और वाणिज्यिक पत्रों पर बट्टे को बॉण्डों और वाणिज्यिक पत्रों की मीयाद के अनुसार परिशोधित कर दिया गया है। बॉण्ड जारी करने संबंधी व्ययों को बॉण्डों की मीयाद के अनुसार परिशोधित कर दिया गया है।

3 निवेश

(i) भारतीय रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, संपूर्ण निवेश संविभाग को 'परिपक्वता तक धारित', 'बिक्री हेतु उपलब्ध' तथा 'व्यापार हेतु धारित' की श्रेणियों में विभाजित कर दिया गया है। निवेशों का मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है। प्रत्येक श्रेणी के निवेशों को पुनः निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत किया गया है:

क) सरकारी प्रतिभूतियाँ,

ख) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ,

ग) शेयर,

घ) डिबेंचर तथा बॉण्ड

ङ) सहायक संस्थाएँ / संयुक्त उपक्रम और

च) अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्युचुअल फंड यूनिट, प्रतिभूति पावतियां, जमा प्रमाणपत्र आदि)

क) परिपक्वता तक धारित

परिपक्वता तक बनाए रखने के उद्देश्य से किए गए निवेशों को 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। ऐसे निवेशों को अर्जन लागत पर दर्शाया गया है, बशर्ते वह अंकित मूल्य से अधिक न हो। ऐसा होने पर प्रीमियम को परिपक्वता की शेष अवधि में परिशोधित कर दिया गया है।

इस श्रेणी के अंतर्गत सहायक कंपनियों में निवेशों के मूल्य में कमी (अस्थायी को छोड़कर) प्रत्येक निवेश के संबंध में अलग-अलग प्रावधान किया गया है।

ख) व्यापार हेतु धारित

अल्पावधि मूल्य/ब्याज-दर परिवर्तन का लाभ उठाते हुए 90 दिनों में पुनः बेचने के इरादे से किए गए निवेशों को 'व्यापार हेतु धारित' श्रेणी में रखा गया है। इस वर्ग के निवेशों का समग्र रूप से स्क्रिप-अनुसार पुनर्मूल्यांकन किया गया है और निवल मूल्यवृद्धि / मूल्यह्रास को अलग-अलग स्क्रिपों के बही-मूल्य में तत्संगत परिवर्तन करते हुए लाभ-हानि लेखा में हिसाब में लिया गया है। व्यापार / उद्धृत निवेश के संबंध में, बाजार मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों पर उपलब्ध ट्रेडों / उद्धरणों से लिया गया है।

ग) बिक्री हेतु उपलब्ध:

(i) उपर्युक्त दो श्रेणियों के अंतर्गत न आनेवाले निवेशों को 'बिक्री हेतु उपलब्ध' श्रेणी में रखा गया है। इस श्रेणी के अंतर्गत अलग-अलग स्क्रिपों का पुनर्मूल्यांकन किया गया है और उक्त वर्गीकरण में से किसी के भी अंतर्गत हुए निवल मूल्यह्रास को लाभ और हानि लेखे में हिसाब में लिया गया है। किसी भी वर्गीकरण के अंतर्गत निवल मूल्यवृद्धि को नज़रअंदाज कर दिया गया है। अलग-अलग स्क्रिपों के बही-मूल्य में पुनर्मूल्यांकन के बाद परिवर्तन नहीं किया गया है।

(ii) कोई निवेश परिपक्वता के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत है, या बिक्री के लिए उपलब्ध है या इसकी खरीद के समय व्यापार के लिए धारित है तथा बाद में इसकी श्रेणियों में अंतरण और उसका मूल्यांकन भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जाता है।

(iii) ट्रेजरी बिल, वाणिज्यिक पत्र और जमा प्रमाणपत्र, बट्टा वाले लिखत हैं, लागत मूल्य पर इनका मूल्यांकन किया जाता है।

(iv) उद्धृत सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्यांकन बाजार मूल्यों पर किया जाता है और जो सरकारी प्रतिभूतियां उद्धृत नहीं है / जिनका व्यापार नहीं हो रहा है उनका मूल्य निर्धारण वित्तीय बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट द्वारा घोषित मूल्यों पर किया जाता है।

(v) निवेश जो भारत सरकार द्वारा प्रदान किए गए कॉर्पस या निधि से बने होते हैं और संबंधित निधि शेष से बचे हुए निधि का मूल्यांकन भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुरूप नहीं अपितु उसकी लागत पर होता है।

(vi) निवेशों में खरीद और बिक्री की प्रविष्टि 'निपटान तारीख' का पालन करते हुए की गई है।

(vii) जो डिबेंचर / बाण्ड / शेयर अग्रिम की प्रवृत्ति के माने गए हैं, वे ऋण और अग्रिमों पर लागू सामान्य विवेकपूर्ण मानदंडों के अधीन हैं।

(viii) निवेशों की लागत भारित औसत लागत पद्धति से निर्धारित की गई है।

(ix) अभिग्रहण / बिक्री के समय अदा की गई दलाली, कमीशन आदि को लाभ-हानि लेखे में दर्शाया गया है।

(x) ऋण-निवेश में प्रदत्त / प्राप्त खंडित अवधि-ब्याज को ब्याज व्यय / आय माना गया है और उसे लागत / बिक्री-राशि से अलग रखा गया है।

(xi) बीज पूँजी योजना के अंतर्गत औद्योगिक प्रतिष्ठानों में सूची से इतर निवेशों के संबंध में पूर्ण प्रावधान किया गया है।

(xii) भारतीय रिजर्व बैंक के संगत दिशानिर्देशों के अनुसार म्यूचुअल फंड की इकाइयों को उनकी पुनर्खरीद मूल्य पर मूल्यांकित किया गया है।

(xiii) उद्धृत न की गई निश्चित आय वाली प्रतिभूतियों (सरकारी प्रतिभूतियों के अलावा) का मूल्यांकन केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों के समान परिपक्वता अवधि पर प्रतिलाभ की दर से उपयुक्त मार्क अप के आधार पर किया गया है। एफबीआईएल द्वारा प्रकाशित संगत दरों के अनुसार परिपक्वता अवधि पर प्रतिलाभ की दर और इस तरह के मार्क-अप को लागू किया गया हैं।

4 विदेशी मुद्रा संव्यवहार:

विदेशी मुद्रा संव्यवहारों को लेखा-बहियों में संबंधित विदेशी मुद्रा में संव्यवहार के दिन लागू विनिमय दरों पर दर्ज़ किया गया है। विदेशी मुद्रा संव्यवहार का लेखांकन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक (एएस)-11 के अनुसार निम्नलिखित उपबंधों के अनुरूप किया गया है।

(i) बकाया अग्रेषण विनिमय अनुबंधों के संबंध में आकस्मिक देयता की गणना विनिमय की अनुबंधित दरों पर की जाती है और गारंटी, स्वीकृतियां, पृष्ठांकनों एवं अन्य देयताओं के संबंध में गणना विदेशी मुद्रा डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (फेडाइ) द्वारा अधिसूचित बंद विनिमय दरों पर की जाती है।

(ii) विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं को विदेशी मुद्रा डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (फेडाइ) द्वारा तुलन-पत्र की तारीख में प्रभावी अधिसूचित अन्तिम विदेशी मुद्रा-दर में परिवर्तित किया गया है।

(iii) विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय मदों को वास्तविक बिक्री/खरीद के माध्यम से मासिक अन्तरालों पर परिवर्तित किया जाता है और उन्हें तदनुसार लाभ-हानि खाते में हिसाब में लिया गया है।

(iv) विदेशी मुद्रा जोखिम के प्रबंधन हेतु विदेशी मुद्रा ऋण-व्यवस्था पर पुनर्मूल्यांकन अन्तर को भारत सरकार के परामर्श से खोले गए एक विशेष खाते में समायोजित और रिकॉर्ड किया जाता है।

(v) व्युत्पन्नी संव्यवहारों के संबंध में बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार बचाव (हेज) लेखांकन का अनुसरण करता है।

(vi) मौद्रिक वस्तुओं के निपटान पर उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर को उस अवधि में आय या व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है, जिसमें वे उत्पन्न होते हैं।

(vii) बकाया फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स जो ट्रेडिंग के लिए अभिप्रेत नहीं हैं, वे फेडाई द्वारा अधिसूचित बंद दरों पर पुनर्मूल्यांकित किये जाते हैं।

5 व्युत्पन्नियाँ

बैंक अपनी विदेशी मुद्रा देयताओं के बचाव के लिए वर्तमान में मुद्रा व्युत्पन्नी संव्यवहारों जैसे अंतर-मुद्रा ब्याज-दर विनिमय में व्यवहार करता है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार बचाव के उद्देश्य से किए गए उक्त व्युत्पन्नी संव्यवहारों को उपचय आधार पर हिसाब में लिया जाता है। अनुबंधित रुपया राशि पर व्युत्पन्नी संव्यवहार अनुबंधों पर आधारित देयताओं को तुलन-पत्र की तारीख पर रिपोर्ट किया गया है।

6 ऋण एवं अग्रिम

(i) ऋण तथा अन्य सहायता संविभागों को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार अर्जक और अनर्जक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अनर्जक आस्तियों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रावधान किया गया है।

(ii) तुलन-पत्र में उल्लिखित अग्रिम, अनर्जक आस्तियों के लिए किए गए प्रावधानों को घटाकर है।

(iii) मानक आस्तियों के संबंध में सामान्य प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार किए गए हैं।

(iv) चल प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार और बोर्ड अनुमोदित नीतियों अनुसार किए और उपयोग में लाए गए हैं।

7 कराधान

(i) कर संबंधी व्यय में वर्तमान कर और आस्थगित कर, दोनों शामिल हैं। वर्तमान आय-कर की गणना आय-कर अधिनियम, 1961 के अनुसार आय-कर प्राधिकारियों को अदा की जानेवाली संभावित राशि के और आय परिकलन प्रकटीकरण मानकों के आधार पर की जाती है।

(ii) आस्थगित आय-कर, वर्ष की कर-योग्य आय तथा लेखांकन आय के मध्य वर्तमान वर्ष के समयांतराल और पूर्ववर्ती वर्षों के समयांतराल के प्रत्यावर्तन के प्रभाव को दर्शाता है। आस्थगित कर की गणना तुलन-पत्र की तारीख तक अधिनियम अथवा यथेष्ट रूप में अधिनियमित कर-कानूनों और कर की दरों के आधार पर की गई है।

(iii) आस्थगित कर आस्तियाँ केवल उस सीमा तक निर्धारित की गई हैं, जिस सीमा तक यह समुचित विश्वास है कि भविष्य में पर्याप्त कर-योग्य आय होगी, जिसके प्रति ऐसे आस्थगित कर की वसूली हो सकती है। पूर्ववर्ती वर्षों की अनिर्धारित आस्थगित आस्तियों का उस सीमा तक पुनर्मूल्यांकन और निर्धारण किया गया है, जिस सीमा तक यह समुचित विश्वास है कि भविष्य में पर्याप्त कर-योग्य आय होगी, जिसके प्रति ऐसी आस्थगित कर आस्तियों की वसूली हो सकती है।

(iv) जो विवादित कर हैं, जिसमें विभागीय अपील भी शामिल है, को आकस्मिक देयता में लिया गया हैं।

8 प्रतिभूतीकरण

(i) बैंक क्रेडिट रेटिंग-युक्त सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम आस्ति-समूहों को बैंकों / गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से विशेष प्रयोजन संस्था द्वारा जारी पास-थ्रू-प्रमाणपत्रों के ज़रिए खरीदता है। इस प्रकार के प्रतिभूतीकरण संव्यवहार निवेश के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं और निवेश के उद्देश्य के आधार पर उनका आगे वर्गीकरण व्यापार हेतु धारित / विक्रय हेतु उपलब्ध के रूप में किया जाता है।

(ii) बैंक द्विपक्षीय सीधे समनुदेशक के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के श्रेणीनिर्धारित आस्ति-समूह खरीदता है। ऐसे सीधे समनुदेशन संव्यवहारों को बैंक द्वारा 'अग्रिम' के रूप में लेखांकित किया जाता है।

(iii) बैंक सीधे समनुदेशन द्वारा ऋण एवं अग्रिम की बिक्री करता है। अधिकतर मामलों में बैंक इन संव्यवहारों के अंतर्गत बेचे गए ऋण एवं अग्रिम की चुकौती करना जारी रखता है तथा बेचे गए ऋण एवं अग्रिम पर अवशेष ब्याज का हक़दार होता है। आस्तियों पर नियंत्रण के समर्पण के सिद्धान्त के आधार पर सीधे समनुदेशन के अंतर्गत बेची गई आस्तियों को बैंक की बहियों के हिसाब से निकाल दिया जाता है।

(iv) बेचे गए ऋणों एवं अग्रिमों पर अवशेष आय को अंतर्निहित ऋणों एवं अग्रिमों के जीवनकाल के अनुसार हिसाब में लिया जा रहा है।

(v) आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा जारी प्रतिभूति प्राप्ति को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित ऐसे उपकरणों पर लागू दिशानिर्देशों के अनुसार मूल्यांकित किया जाता है।

9 आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) को वित्तीय आस्तियों की बिक्री

i. अनर्जक आस्तियों की बिक्री नकद आधार पर अथवा प्रतिभूति प्राप्ति (एसआर) में निवेश आधार पर की जाती है। एसआर आधार पर बिक्री के मामले में, बिक्री प्रतिफल अथवा उसके भाग को प्रतिभूति-प्राप्ति के रूप में निवेश समझा जाता है।

ii. यदि आस्ति की बिक्री निवल बही मूल्य (अर्थात् बही-मूल्य में से धारित प्रावधान हटाने पर प्राप्त मूल्य) से कम पर कर दी जाती है, तो कमी को लाभ-हानि लेखा के नामे किया जाता है। यदि बिक्री मूल्य निवल बही मूल्य से अधिक है, तो धारित बेशी प्रावधान को उस वर्ष लाभ-हानि लेखे में प्रतिवर्तित किया जा सकता है, जिस वर्ष राशि प्राप्त हुई हो। बेशी प्रावधान का प्रतिवर्तन उस प्राप्त राशि तक सीमित होता है, जो आस्ति के निवल बही मूल्य से अधिक हो।

10 स्टाफ के हितार्थ प्रावधान

क] सेवानिवृत्ति पश्चात् लाभ

(i) भविष्य निधि बैंक द्वारा चलाई जा रही एक निश्चित अंशदायी योजना है और उसमें किए गए अंशदान लाभ-हानि लेखे पर प्रभारित होते हैं।

(ii) ग्रैच्युटी देयता तथा पेंशन देयता निश्चित लाभ दायित्व हैं और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ, जैसे- क्षतिपूरित अनुपस्थितियाँ, सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा लाभ, छुट्टी किराया रियायत आदि का प्रावधान स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर तुलन-पत्र की तारीख पर किया जाता है, जो एएस 15 (यथोसंशोधित 2005)- कर्मचारी लाभ के अनुसार अनुमानित इकाई जमा पद्धति पर आधारित होता है।

(iii) बीमांकिक लाभ / हानि लाभ-हानि लेखे में बीमांकिक मूल्यांकन आधार पर दर्ज़ किए जाते हैं।

(iv) नई पेंशन योजना निश्चित अंशदान वाली योजना है। यह उन कर्मचारियों पर लागू है, जो 1 दिसंबर 2011 या उसके बाद बैंक की सेवा में आए हैं। बैंक पूर्व-निर्धारित दर पर निश्चित अंशदान करता है और बैंक का दायित्व उक्त निश्चित अंशदान तक सीमित है। यह अंशदान लाभ-हानि खाते में भारित होता है।

(v) बीमांकिक लाभ / हानि तत्काल लाभ-हानि लेखे में दर्ज़ किए जाते हैं और आस्थगित नहीं किए जाते हैं।

(vi) स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजना के अंतर्गत किए गए भुगतान का व्यय जिस वर्ष होता है, उसी वर्ष के लाभ-हानि लेखे में उसे प्रभारित किया जाता है।

ख] सेवा-कालिक (अल्पावधि) लाभ:

अल्पावधि लाभों से उत्पन्न देयता का निर्धारण गैर-बट्टाकृत आधार पर होता है और उस सेवा अवधि के संबंध में होता है, जिसके कारण कर्मचारी ऐसे लाभ का हकदार बनता है।

11 स्थिर आस्तियाँ और मूल्यह्रास:

i) स्थिर आस्तियाँ अभिग्रहण की लागत में से संचित मूल्यह्रास और क्षति (यदि हो) को घटाकर दर्शाई गई हैं।

ii) आस्ति की लागत में खरीद लागत और उपयोग करने से पहले आस्ति पर किए गए सभी व्यय शामिल हैं। उपयोग में रखी गई आस्तियों पर किए गए बाद के व्यय केवल तभी पूंजीकृत होंगे जब इन आस्तियों या उनकी कार्यशील क्षमता से भविष्य का लाभ बढ़े।

iii) पूरे वर्ष के लिए मूल्यह्रास का प्रावधान निम्नवत किया गया है (चाहे पूँजीकरण की तारीख जो भी हो)-

क) फर्नीचर और फिक्स्चरः बैंक के स्वामित्व वाली आस्तियाँ- 100 प्रतिशत की दर से

ख) कम्प्यूटर तथा कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर- 100 प्रतिशत की दर से

ग) भवन-मूल्यह्रासित मूल्य पद्धति पर- 5 प्रतिशत की दर से

घ) विद्युत संस्थापनाएं: बैंक के स्वामित्व वाली आस्तियाँ- मूल्यह्रासित मूल्य-पद्धति पर- 50 प्रतिशत की दर से

ङ) मोटर कार- सीधी रेखा पद्धति- 50 प्रतिशत की दर से

iv) वस्तुओं के जुड़ाव पर मूल्यह्रास का प्रावधान पूरे वर्ष के लिए होता है, किन्तु बिक्री / निस्तारण के वर्ष के लिए मूल्यह्रास नहीं होता।

v) पट्टाधारित भूमि का परिशोधन पट्टे की अवधि-पर्यन्त किया जाता है।

12 आकस्मिक देयताओं हेतु प्रावधान और आकस्मिक आस्तियाँ

ए एस 29 प्रावधानों के अनुसार आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियों को बैंक चिन्हीकृत करता है और जब पिछली घटनाओं के फलस्वरूप कोई वर्तमान दायित्व बनता है, संसाधनों के व्यय की संभावना रहती है और दायित्व की राशि के विषय में विश्वसनीय अनुमान किया जा सकता है, तब गणना में पर्याप्त सीमा तक अनुमान करते हुए प्रावधान किए जाते हैं। वित्तीय विवरणों में आकस्मिक आस्तियों का न तो निर्धारण होता है, न ही प्रकटन। आकस्मिक देयताओं हेतु प्रावधान नहीं किया जाता और तुलन-पत्र में उनका प्रकटन होता है तथा विवरण तुलन-पत्र की अनुसूचियों में दिए जाते हैं। आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक आस्तियों के प्रावधानों की प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को समीक्षा की जाती है।

13 अनुदान एवं सब्सिडी:

सरकार तथा अन्य एजेंसियों से प्राप्त अनुदान एवं सब्सिडी का लेखांकन करार की शर्तों के अनुसार किया जाता है।

14 परिचालनगत पट्टा

पट्टा संबंधी किराए को भुगतान के लिए देय होने पर लाभ-हानि लेखे में खर्च/आय के रूप में दर्शाया जाता है।

15 आस्तियों की क्षति

प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख को आस्तियों की रख-रखाव राशियों की समीक्षा की जाती है, ताकि आंतरिक व बाह्य कारणों के आधार पर किसी क्षति का संकेत हो तो निम्नलिखित का निर्धारण किया जा सके:

क) क्षति- हानि (यदि कोई हो) हेतु अपेक्षित प्रावधान, अथवा

ख) पूर्ववर्ती अवधि में चिह्नित क्षति (यदि कोई हो) हेतु अपेक्षित प्रत्यावर्तन-निर्धारण

यदि किसी आस्ति की रख-रखाव राशि वसूली योग्य राशि से अधिक होती है तो क्षति-हानि का निर्धारण किया जाता है।

16 नकदी और नकदी समतुल्य

नकदी प्रवाह विवरण के उद्देश्य से नकदी और नकदी समतुल्यों में हाथ में रोकड़, भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष, अन्य बैंकों में शेष तथा म्युचुअल फंड में ऐसा निवेश शामिल होता है, जिसकी मूल परिपक्वता अवधि तीन माह या कम की हो।

अनुसूची XVI: लेखे की टिप्पणियाँ

1 इंड एएस का कार्यान्वयन

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 15 मई, 2019 को बैंकों को जारी पत्र के अनुसार अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों (एआईएफआई) के लिए इंड-एएस के कार्यान्वयन को अगली सूचना तक स्थगित कर दिया गया है। तदनुसार, बैंक के वित्तीय विवरण आईजीएएपी के तहत तैयार किए जाते हैं। हालाँकि, बैंक भा रि बैंक को अर्धवार्षिक आधार पर प्रोफार्मा इंड-एएस के रूप में वित्तीय विवरण पहले की तरह प्रस्तुत करना जारी रखेगा जैसाकि भारि बैंक के 15 मई, 2019 के पत्र में सलाह दी गयी है। वर्तमान में, सिडबी आईजीएएपी वित्तीय विवरणियों को इंड-एएस वित्तीय विवरणियों में रूपांतरण के लिए एक्सेल-शीट का उपयोग कर रहा है। बैंक ने पहले ही उपरोक्त परिपत्र के अनुसार 30 सितंबर, 2019 तक भा रि बैंक को वित्तीय विवरणों के रूप में आईजीएएपी परिवर्तित प्रोफार्मा इंड-एस प्रस्तुत कर दिया है।

2 कोविड 19 विनियामक पैकेज

कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी भारत सहित दुनिया भर में तेजी से फैल रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोविड-19 के प्रकोप को वैश्विक महामारी घोषित किया गया था। कोविड-19 और तालाबंदी के कारण, देश भर में सामाजिक-आर्थिक मोर्चे पर अभूतपूर्व स्तर पर व्यवधान है। कोविड-19 महामारी बैंक की भविष्य के परिचालनों एवं वित्तीय स्थिति को प्रभावित करेगा जो भविष्य के विकास पर निर्भर है, जो बहुत ही अनिश्चित है। वैश्विक स्वास्थ्य महामारी का प्रभाव बैंक के वित्तीय विवरणों के अनुमोदन की तिथि से भिन्न हो सकता है और बैंक भविष्य की आर्थिक परिस्थितियों में किसी भी प्रकार के बदलाव की निगरानी करता रहेगा जिससे बैंक पर कोई वित्तीय प्रभाव पड़ सकता है। 27 मार्च, 2020 के भा रि बैंक परिपत्र के अनुसार, कोविड-19 महामारी के कारण उधारकर्ताओं को राहत देने के संबंध में, बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार पात्र उधारकर्ताओं को देय ऋण किस्तों / ब्याज की अधिस्थगन की पेशकश की है।

तदनुसार, 17 अप्रैल, 2020 को भा रि बैंक के परिपत्र के संदर्भ में, बैंक ने 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान ₹13.99 करोड़ का प्रावधान किया है:

विवरण	राशि (₹ करोड़)
एसएमए / अतिदेय श्रेणियों में संबन्धित राशि, जहां अधिस्थगन / स्थगन अवधि बढ़ाया गया था	620.66
संबन्धित राशि जहां आस्ति वर्गीकरण का लाभ दिया गया है।	279.89
वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	13.99
स्लिपेज और अवशिष्ट प्रावधानों के विरुद्ध संबन्धित लेखांकन अवधि के दौरान समायोजित किया गया प्रावधान।	लागू नहीं

3.1 लेखांकन मानक 22 के अनुसार, आय पर कर के लिए लेखांकन, बैंक ने आस्थगित कर आस्तियों / देयताओं की समीक्षा की है और 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि खाते में आस्ति के रूप में ₹24,18,96,000 की राशि को मान्यता दी है (पिछले वर्ष - आस्थगित कर आस्ति ₹54,36,89,736 थी)। इस वर्ष के दौरान, बैंक ने मानक आस्तियों पर किए गए पूरे प्रावधान पर अपने गैर-मान्यता प्राप्त आस्थगित कर आस्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया है। तदनुसार, चालू वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान ₹96,34,90,214 के आस्थगित कर आस्तियों को मान्यता दी गई है।

3.2 31 मार्च, 2020 को आस्थगित कर आस्तियों / (देयताओं) के अलग-अलग आँकड़ें

(राशि ₹ में)

समय-अंतर		मार्च 31, 2020	मार्च 31, 2019
		आस्थगित कर आस्ति /(देयता)	आस्थगित कर आस्ति /(देयता)
क)	मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	37,17,630	39,60,413
ख)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधि	(3,52,02,16,577)	(4,70,90,89,576)
ग)	अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	1,20,50,72,585	2,30,45,14,771
घ)	भारत सरकार बांडों के निर्गम पर प्राप्त प्रीमियम का परिशोधन	(2,12,98,854)	(4,44,56,921)
ड)	खातों की पुनर्संरचना के लिए प्रावधान	1,63,22,587	1,22,49,123
च)	अग्रेनीत दीर्घकालीन पूँजी हानि	-	22,05,17,373
छ)	गैर-निष्पादक निवेशों के लिए प्रावधान	-	85,10,68,097
ज)	मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	1,64,85,24,603	58,61,97,116
झ)	अन्य	65,26,45,311	51,79,10,889
	निवल आस्थगित कर आस्ति / (देयता)	**(1,52,32,715)**	**(25,71,28,715)**

4 आयकर के प्रावधान में निम्नलिखित शामिल हैं:

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	विवरण	मार्च 31, 2020	मार्च 31, 2019
(i)	वर्तमान आयकर प्रावधान	5,18,46,80,000	6,10,49,78,330
(ii)	पिछले वर्षों का कम / (अधिक) आयकर प्रावधान	(99,73,122)	(4,85,09,317)

कर देयता की जाँच कर-परामर्शदाता द्वारा की गई है

5 अनुसूची XI में उल्लिखित आकस्मिक देयताएँ

₹5,74,27,63,852 (गत वर्ष ₹6,98,13,20,359) की आकस्मिक देयताएँ आयकर / सेवाकर / सिडबी के विरुद्ध दायर विधिक मामलों से संबंधित हैं। यह बैंक द्वारा विवादित है और विशेषज्ञों की राय के आधार पर, इसके लिए प्रावधान आवश्यक नहीं समझा गया है। इसमें ₹1,73,22,02,927 (गत वर्ष ₹1,63,32,91,167) की राशि शामिल है, जो आयकर विभाग द्वारा बैंक के विरुद्ध दायर की गई अपील से संबंधित है।

6 अनुसूची IV में उधारियों के अंतर्गत 'बॉण्ड व डिबेंचर' में निम्नलिखित शामिल हैं

(राशि ₹ में)

		मार्च 31, 2020	मार्च 31, 2019
क)	अप्रतिभूत बांड	1,75,62,50,00,000	1,44,95,50,00,000

7 अनुसूची x में अन्य आस्तियों के अंतर्गत 'व्यय, जहाँ तक बट्टे खाते नहीं डाले गए' में निम्नलिखित शामिल हैं:

(₹)

	विवरण	मार्च 31, 2020	मार्च 31, 2019
क)	आरबीआई एनआईसी (एलटीओ) के भारत सरकार के बॉण्डों में अंतरण पर प्रीमियम	8,46,26,725	12,70,85,209
ख)	अग्रिम रूप से अदा किया गया बट्टा - जमा पत्र	4,72,11,42,319	6,73,24,68,721
ग)	अग्रिम रूप से अदा किया गया बट्टा - वाणिज्य पत्र	67,03,00,288	56,66,99,947
घ)	अप्रतिभूत बॉण्ड जारी करने पर व्यय	4,83,05,739	2,97,09,294
	योग	**5,52,43,75,071**	**7,45,59,63,171**

8 ब्याज व वित्तीय प्रभार

(राशि ₹ में)

		मार्च 31, 2020	मार्च 31, 2019
क)	उधारियों पर ब्याज	21,44,36,98,531	28,72,48,01,168
ख)	जमा पर ब्याज	51,17,75,96,026	34,90,93,38,998
ग)	वित्तीय प्रभार	4,59,92,92,636	5,39,59,71,840
	योग	**77,22,05,87,193**	**69,03,01,12,006**

(राशि ₹ में)

9

	मार्च 31, 2020	मार्च 31, 2019
अप्रावधानित पूँजी लेखा पर निष्पादित किए जाने के लिए शेष संविदाओं की अनुमानित राशि (प्रदत्त अग्रिम को छोडकर)	21,02,888	2,92,86,993

10 अनुसूची IX में परिसर के अंतर्गत परिसर की अधिप्राप्ति के प्रति ₹11,06,68,896 (गत वर्ष ₹11,06,68,896) का अग्रिम तथा निर्माणाधीन पूँजी कार्य के प्रति ₹21,02,888 (गत वर्ष ₹18,59,429) की राशि शामिल है। परिसर की अधिप्राप्ति के प्रति ₹11,06,68,896 का अग्रिम कार्यालय परिसर की अधिप्राप्ति के लिए अदा किया गया था, जिससे संबंधित प्रस्ताव बाद में परियोजना के कार्यान्वयन में विलंब के कारण निरस्त कर दिया गया। बैंक संबंधित एजेंसी से उक्त राशि की वापसी के लिए पत्राचार कर रहा है। मामला राज्य सरकार के संबंधित विभाग के साथ उठाया गया है और एजेंसी / मंत्रालय मौजूदा चर्चा के अनुसार यह आशा की जाती है कि वापसी की राशि अगले वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त हो जाएगी। हालांकि, चालू वित्तीय वर्ष में इस अग्रिम राशि के विरुद्ध ₹11,06,68,896 (गत वर्ष शून्य) के सम्पूर्ण राशि का प्रावधान किया गया है।

11 जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जाइका) (जिसे पहले जापान बैंक आफ इंटरनेशनल कोआपरेशन - जेबीआईसी के नाम से जाना जाता था) से ऋण व्यवस्था V के अंतर्गत प्राप्त 30 बिलियन जापानी येन के विदेशी मुद्रा उधार (31 मार्च 2020 तक 8.78 बिलियन जापानी येन) के संबंध में भारत सरकार के साथ सहमत शर्तों के अनुसार विनिमय दर उतार-चढाव निधि (ईआरएफएफ) सृजित की गई है एवं उसे विदेशी मुद्रा उतार चढाव आरक्षिति निधि में शामिल किया गया है। अधिसूचित दर पर लागू ब्याज को इस ईआरएफएफ खाते में जमा किया जाता है और अनुबंधित दर पर जाइका को देय ब्याज इस खाते से नामे किया जाता है। इसके अलावा, ईआरएफएफ खाते में आरंभिक शेषराशि पर निर्धारित दर से अर्द्धवार्षिक चक्रवृद्धि की गणना की जाती है। यदि भविष्य में जरूरी हुआ, तो निधि खाते में भारत सरकार के निदेशानुसार समायोजन किया जाएगा। यदि निधि में अतिशेष अपर्याप्त रहता है तो इसका दावा भारत सरकार से किया जाएगा। चूंकि ईआरएफएफ के तहत मौजूदा बकाया से ऋण सेवा और विनिमय दर में उतार-चढ़ाव संबंधी आवश्यकता के पूरे हो जाने की आशा है, ईआरएफएफ में आगे योगदान तब तक के लिए समाप्त कर दिया गया है जब तक कि ईआरएफएफ में शेषराशि जाइका - V ऋणसीमा के अंतर्गत बकाया ऋण की तुलना में अधिशेष बनी रहे। इस बीच, भारत सरकार ने जेआईसीए लाइन V के तहत पूरे बकाया के पूर्व भुगतान के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। चालू वित्त वर्ष के दौरान, बैंक ने विदेशी मुद्रा रूपांतरण समायोजन खाते में पड़े ₹371.15 करोड़ की राशि वापस की है, जो कि जेआईसीए वी के संबंध में अधिक प्रावधान / देयता की प्रकृति में थी। अनुसूची XIII के तहत राशि को 'अन्य आय' में शामिल किया गया है।

12 जेबीआईसी ऋण IV के अंतर्गत भारत सरकार से प्राप्त ₹1,74,43,55,536 (पिछले वर्ष ₹2,18,04,44,418) की उधारी को तुलनपत्र में 'अनुसूची IV - उधारियों' में अपने ऐतिहासिक रुपये मूल्य में अग्रेनीत किया गया है, क्योंकि करार के अंतर्गत सिडबी की मूलधन चुकौती की देयता रुपये में ऋण और इस ऋण के लिए रखे गए ईआरएफएफ के शेष के योग से अधिक होने की अपेक्षा नहीं की जाती है। इसी ईआरएफएफ खाते में 8% पर लागू ब्याज जमा किया जाता है और जेपीवाई (आईएनआर में मुद्रा-विनिमय के उपरांत समतुल्य राशि) में देय ब्याज इस खाते से नामे किया जाता है। इस ऋण के लिए रखे ईआरएफएफ में 31 मार्च, 2020 को शेष ₹1,61,64,60,277 (पिछले वर्ष ₹2,07,46,84,419) है।

13 बैंक ने विश्व बैंक से 300 मिलियन डालर की ऋण-व्यवस्था की संविदा की। यह टिकाऊ और उत्तरदायित्व पूर्ण अल्पवित्त परियोजना को बड़े पैमाने पर चलाने के लिए है। इसमें 65.9 मिलियन एसडीआर (100 मिलियन अमेरिकी डालर के तुल्य) का आईडीए का हिस्सा भी शामिल है। आईडीए ऋण-व्यवस्था के अंतर्गत भारत सरकार उधारकर्ता है और भारत सरकार सिडबी को रुपया ऋण देती है, यद्यपि करार की शर्तों के अनुरूप विनिमय जोखिम का वहन सिडबी द्वारा किया जाना अपेक्षित है। इस प्रकार यद्यपि भारत सरकार ने सिडबी को रुपया फंड जारी किया, इसे सिडबी के खातों में सही स्थिति दर्शाने हेतु एसडीआर देयता के रूप में दर्ज किया गया, ताकि वर्ष के अंत में आंकड़ों में पुनर्मूल्यांकन अंतर उपयुक्त रूप से प्रदर्शित हो। तदनुसार उक्त ऋण-व्यवस्था के अंतर्गत 31 मार्च 2020 तक 49.43 मिलियन अमेरिकी डालर (₹510.25 करोड़ के बराबर) [गत वर्ष 52.72 मिलियन अमेरिकी डालर (₹506.09 करोड़ के बराबर)] के आहरण को भारत सरकार के प्रति रुपया देयता के रूप में दर्ज किया गया है तथा विनिमय जोखिम का बचाव सिडबी द्वारा विदेशी मुद्रा वायदा करार के जरिये किया जा रहा है। इसे अनुसूची IV - 'भारत में उधारियाँ' के अंतर्गत समूहित किया गया है।

14 (क) भारत सरकार ने सिडबी में ₹300 करोड़ की समूह निधि वाली "इंडिया माइक्रोफाइनान्स ईक्विटी निधि" सृजित की है, जिसका सिडबी द्वारा परिचालन / प्रबंधन किया गया था। हालांकि, मुद्रा के अभिविन्यास और पहुँच को देखते हुए, आईएमईएफ संविभाग और इसके संचालन को वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान सिडबी से मुद्रा में स्थानांतरित कर दिया गया।

(ख) एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार ने निधियों की निधि के लिए ₹310 करोड़ की आकांक्षा निधि (ऐस्पायर फंड) का आवंटन सिडबी को किया है जिसका प्रबंध सिडबी को करना है। उक्त निधि का उपयोग ग्रामीण अर्थ व्यवस्था में कृषि आधारित उद्योगों एवं क्षेत्रों से संबंधित स्टार्ट-अप / नए उद्यमों में उद्यम पूंजी निधियों में निवेश तथा नवोन्मेषिता, उद्यमिता, विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र में उत्पादनोपरांत और उत्पादन-पूर्व वैल्यू चेन से लिंकेज को बढ़ावा देने तथा त्वरित रूप से सहायता उपलब्ध कराने के लिए होगा। एमएसएमई मंत्रालय द्वारा ₹310 करोड़ की पूरी समूहनिधि सिडबी को जारी कर दी गई है, जिसमें से ₹210 करोड़ की राशि वित्तवर्ष 2019 में जारी की गई है। ये निवेश न्यासी रूप में सिडबी के पास सुरक्षित हैं। निवेश की धनराशि को हटाकर, आकांक्षा निधि की शेष निधि को तुलनपत्र की अन्य देयताओं" के अंतर्गत समूहित किया गया है तथा सभी लाभ / हानियां / आय / व्यय इस निधि का हिस्सा हैं। यथा 31 मार्च 2020 तक निधि में शेष राशि ₹2,83,15,39,259 करोड़ (गत वर्ष ₹2,88,16,92,244) रही।

(ग) भारत सरकार ने स्टार्ट अप्स में ईक्विटी सहायता बढ़ाने के मुख्य उद्देश्य से निधियों की निधि योजना बनाई है। योजना के अंतर्गत ₹10,000 करोड़ की निधियों की निधि योजना प्रस्तावित है, जिसका प्रबंध सिडबी को करना है। सरकार ने निधियों की निधि की उक्त समूह निधि से ₹1,031.30 करोड़ सिडबी को दिए हैं तथा निधियों की निधि के अंतर्गत अतिरिक प्रतिबद्धता की भी अनुमति प्रदान की है। वर्ष के दौरान, भारत सरकार ने सिडबी को सूचित किया है कि वह वैकल्पिक निवेश निधि को प्रतिबद्धता जारी रखे। ये निवेश न्यासी रूप में सिडबी के पास सुरक्षित हैं। निवेश की धनराशि को हटाकर, निधियों की निधि की शेष राशि को तुलनपत्र की "अन्य देयताओं" के अंतर्गत समूहित किया गया है तथा सभी लाभ / हानियां / आय / व्यय इस निधि का हिस्सा हैं। यथा 31 मार्च 2020 तक निधि में शेष राशि ₹1,57,78,06,412 (पिछले वर्ष ₹2,58,51,15,337) रही।

15 बैंक ने कुल अंकित मूल्य ₹4,97,82,00,000 (बही मूल्य ₹4,91,62,54,874) [गत वर्ष ₹4,52,82,00,000 (बही मूल्य ₹4,46,80,73,744)] की भारत सरकार की प्रतिभूतियों को त्रिपक्षीय रेपो सौदों व निपटान (ट्रेप्स) हेतु क्लीयरिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. के पास गिरवी रखी हैं।

16 बचाव (हेजिंग) रणनीति के हिस्से के रूप में बैंक ने विभिन्न ऋण व्यवस्थाओं के अंतर्गत आहरित विदेशी मुद्रा निधियों को अनुसूचित वाणिज्य बैंकों में रखा है और इन विदेशीमुद्रा निक्षेपों (जमा राशियों) के प्रति भारतीय रुपये में ऋण ओवरड्राफ्ट की सुविधा ली है। इन ओवरड्राफ्ट सुविधाओं के अंतर्गत 31 मार्च, 2020 को बकाया राशि ₹11,35,47,446 (गत वर्ष ₹3,77,40,11,137) थी। यथा 31 मार्च, 2020 को इन विदेशी मुद्रा निक्षेपों पर प्राप्य ब्याज विभिन्न ऋण व्यवस्थाओं के उधारों पर देय ब्याज से मेल खाता है।

17 अन्य आय - अनुसूची XIII में विगत वर्षों में बट्टे खाते में डाले गए अग्रिमों से वसूल हुए ₹1,02,21,91,305 (गत वर्ष ₹36,79,23,266) शामिल हैं।

18 आईएफएडी ने 18 फरवरी, 2002 के ऋण करार के माध्यम से, सिडबी को 16.35 मिलियन एसडीआर का विदेशी मुद्रा ऋण दिया है। ऋण करार की शर्तों के अनुसार, आईएफएडी ने यूएस डालर में ऋण संवितरण किया है और इसकी चुकौती एसडीआर के समतुल्य यूएस डालर में की जानी है। बैंक ने अपनी लेखा बहियों में तदनुसार लेखांकन किया है। 31 मार्च, 2020 को इस ऋण के संबंध में शेष राशि ₹1,15,34,15,466 (गत वर्ष ₹1,12,48,25,395) है।

19 कर्मचारी लाभ

"कर्मचारी लाभ" (एएस 15) (2005 में संशोधित) के बारे में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा मानक के अनुसार बैंक ने अपने कर्मचारियों को दी जा रही सुविधाओं को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया है:

(क) सुपरिभाषित अंशदान योजना

बैंक ने निम्नलिखित राशियाँ लाभ एवं हानि खाते में निर्धारित की है

(राशि ₹ में)

विवरण	मार्च 31, 2020	मार्च 31, 2019
भविष्य निधि में नियोक्ता का अंशदान	8,01,88,984	8,45,92,109
नई पेंशन योजना में नियोक्ता का अंशदान	2,47,85,687	2,27,84,810

(ख) बैंक की सुपरिभाषित लाभ पेंशन एवं ग्रेच्युटी योजनाएं हैं, जिनका प्रबंध ट्रस्ट के जरिये किया जाता है।

(₹ करोड़)

		पेंशन		ग्रेच्युटी	
		वित्त 2020	वित्त 2019	वित्त 2020	वित्त 2019
1.	**धारणाएँ**				
	भुनाई दर	7.00%	7.78%	7.00%	7.64%
	नियोजित आस्तियों पर प्रतिलाभ की दर	7.00%	7.78%	7.00%	7.64%
	वेतन बढोतरी	5.50%	5.50%	5.50%	5.50%
	ह्रास दर	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
2.	**लाभ देयता में परिवर्तन दर्शाने वाली तालिका**				
	वर्ष के आरंभ में देयता	439.65	452.03	91.36	111.05
	ब्याज लागत	34.20	34.94	6.63	8.59
	वर्तमान सेवा लागत	13.79	12.05	5.18	4.47
	पिछली सेवा लागत (गैर निहित लाभ)	0.00	0.00	0.00	0.00
	पिछली सेवा लागत (निहित लाभ)	0.00	0.00	0.00	0.00
	देयता अंतरण आगम	0.00	0.00	0.00	0.00
	(देयता अंतरण निर्गम)	0.00	0.00	0.00	0.00
	(प्रदत्त लाभ)	(35.02)	(24.25)	(11.07)	(12.40)
	देयताओं पर बीमांकिक (लाभ) / हानि	77.26	(35.12)	7.54	(20.35)
	वर्ष के अंत में देयता	529.88	439.65	99.64	91.36
3.	**योजनागत आस्तियों के उचित मूल्य संबंधी तालिकाएं**				
	वर्ष के आरंभ में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	410.23	405.46	110.98	115.25
	योजनागत आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	33.28	31.34	8.06	8.43
	अंशदान	35.02	0.00	0.09	0.05
	अन्य कंपनी से अंतरण	0.00	0.00	0.00	0.00
	(अन्य कंपनी को अंतरण)	0.00	0.00	0.00	0.00
	(प्रदत्त लाभ)	(35.02)	(24.25)	(11.07)	(12.40)
	योजनागत आस्तियों पर बीमांकिक लाभ / (हानि)	25.18	(2.32)	0.09	(0.35)
	वर्ष के अंत में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	468.69	410.23	108.15	110.98
4.	**बीमांकिक लाभ (हानि) की पहचान की तालिका**				
	अवधि के दायित्व के लिए बीमांकिक लाभ / (हानि)	77.26	(35.12)	7.54	(20.35)
	अवधि के लिए आस्तियों पर बीमांकिक लाभ / (हानि)	(25.18)	2.32	(0.09)	0.35
	आय और व्यय खाते में चिह्नित बीमांकिक लाभ / (हानि)	52.08	(32.80)	7.45	(20.00)
5.	**योजनागत आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल**				
	योजनागत आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	33.28	31.34	8.06	8.43
	योजनागत आस्तियों पर बीमांकिक लाभ / (हानि)	25.18	(2.32)	0.09	(0.35)
	योजनागत आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	58.46	29.02	8.15	8.08
6.	**तुलनपत्र में निर्धारित की गई राशि**				
	वर्ष के अंत में देयता	(529.88)	(439.65)	(99.64)	(91.36)
	वर्ष के अंत में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	468.69	410.23	108.15	110.98
	अंतर	(61.19)	(29.42)	8.51	19.62
	वर्ष के अंत में अनिर्धारित विगत सेवा लागत	0.00	0.00	0.00	0.00
	वर्ष के अंत में अनिर्धारित संक्रमणीय देयता	0.00	0.00	0.00	0.00
	तुलनपत्र में निर्धारित की गई निवल राशि	(61.19)	(29.42)	8.51	19.62

(₹ करोड़)

		पेंशन		ग्रेच्युटी	
		वित्त 2020	वित्त 2019	वित्त 2020	वित्त 2019
7.	**आय विवरणी में निर्धारित व्यय**				
	चालू सेवा लागत	13.79	12.05	5.18	4.47
	ब्याज लागत	34.20	34.94	6.63	8.59
	योजनागत आस्तियों पर संभावित प्रतिफल	(33.28)	(31.34)	(8.06)	(8.43)
	वर्ष के दौरान निर्धारण में ली गई विगत सेवा लागत (गैर निहित लाभ)	0.00	0.00	0.00	0.00
	वर्ष के दौरान निर्धारण में ली गई विगत सेवा लागत (निहित लाभ)	0.00	0.00	0.00	0.00
	वर्ष के दौरान संक्रमणीय देयता का निर्धारण	0.00	0.00	0.00	0.00
	बीमांकिक (लाभ) / हानि	52.08	(32.80)	7.45	(20.00)
	लाभ और हानि लेखा में निर्धारण में लिए गए व्यय	66.79	(17.15)	11.20	(15.37)
8.	**तुलनपत्र समाधान**				
	आरंभिक निवल देयता	29.42	46.57	(19.62)	(4.20)
	यथोक्त व्यय	66.79	(17.15)	11.20	(15.37)
	नियोक्ता का अंशदान	(35.02)	0.00	(0.09)	(0.05)
	तुलनपत्र में निर्धारित राशि	61.19	29.42	(8.51)	(19.62)

9. अन्य विवरण

बैंक की सूचना के अनुसार वेतन बढोतरी को ध्यान में रखा जाता है, जो कर्मचारियों की पदोन्नति, मांग व आपूर्ति के संबंध में उद्योग में प्रचलित परंपरा के अनुरूप है।

(₹ करोड़)

		पेंशन		ग्रेच्युटी	
		वित्त 2020	वित्त 2019	वित्त 2020	वित्त 2019
10.	**आस्तियों की श्रेणी**				
	भारत सरकार आस्तियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00
	कारपोरेट बॉण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00
	विशेष जमा योजना	0.00	0.00	0.00	0.00
	सूचीबद्ध कंपनियों के ईक्विटी शेयर	0.00	0.00	0.00	0.00
	संपत्ति	0.00	0.00	0.00	0.00
	बीमाकर्ता द्वारा प्रबंधित निधियां	468.69	410.23	108.15	110.98
	अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	**468.69**	**410.23**	**108.15**	**110.98**

11. अनुभवजन्य समायोजन

	पेंशन					ग्रेच्युटी				
	वित्त 2020	वित्त 2019	वित्त 2018	वित्त 2017	वित्त 2016	वित्त 2020	वित्त 2019	वित्त 2018	वित्त 2017	वित्त 2016
योजनागत देयता (लाभ) / हानि पर	46.87	(22.03)	66.81	(5.53)	22.70	3.28	(19.71)	10.18	(7.91)	(6.20)
योजनागत आस्ति (हानि) / लाभ पर	25.17	(2.32)	0.32	0.58	(0.17)	(0.09)	(0.35)	(0.10)	0.29	(0.40)

टिप्पणी: चूँकि 31 मार्च, 2020 को पेंशन और ग्रेच्युटी निधि की इतिशेष राशियाँ संबंधित बीमांकिक दायित्व से अधिक हैं, अत: चालू वित्तवर्ष, के दौरान कोई अतिरिक्त प्रावधान नहीं किया गया है।

(ग) स्वतंत्र बीमांकक द्वारा प्रदत्त बीमांकिक मूल्यांकन पर आधारित अन्य दीर्घावधि लाभ योजनाओं से संबंधित राशियां, जो लाभ -हानि खाते में प्रभारित की गई, इस प्रकार हैं।

(₹ करोड़)

क्र.सं.	विवरण	मार्च 31, 2020	मार्च 31, 2019
1	साधारण छुट्टी का नकदीकरण	23.43	20.63
2	बीमारी छुट्टी	(4.91)	0.00
3	पुनर्स्थापन व्यय	0.12	0.88
4	सेवानिवृत्ति उपरांत स्वास्थ्य योजना की सुविधाएँ	10.50	0.43

20 प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस) (एएस-20)

बैंक लेखांकन मानक एएस 20 के अनुसार प्रति शेयर मूल और मंदित (डायल्यूटेड) अर्जन के संबंध में रिपोर्ट करता है। प्रति शेयर मूल अर्जन की गणना वर्ष के अंत में बकाया ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से कर-पश्चात् शुद्ध लाभ को विभाजित कर की जाती है। मंदित प्रति शेयर अर्जन उस संभावित कमी को दर्शाता है, जो उस स्थिति में हो सकती है, जब संबंधित अवधि के दौरान प्रतिभूतियों या संविदागत ईक्विटी शेयर जारी कर निष्पादन या रूपांतरण किया गया हो। मंदित प्रति शेयर अर्जन का परिकलन, कर-पश्चात् निवल लाभ को वर्षांत पर बकाया ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या तथा मंदित किए जाने योग्य संभावित ईक्विटी शेयरों के योग से विभाजित कर किया जाता है।

	मार्च 31, 2020	मार्च 31, 2019
अर्जित प्रति शेयर परिकलन के लिए निवल लाभ (₹)	23,14,52,18,073	19,52,20,34,064
प्रति शेयर रु. 10/ के अंकित मूल्य के ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	53,19,22,031	53,19,22,031
प्रति शेयर अर्जन (₹)	43.51	36.70

* मूल प्रति शेयर अर्जन तथा मंदित प्रति शेयर अर्जन समान है, क्योंकि कोई मंदित संभावित ईक्विटी शेयर नहीं हैं.

21 लेखाबही में प्रस्तावित लाभांश (लाभांश वितरण कर सहित) देयता के रूप में अनुसूची V में गिना जाएगा.

22 प्रबंधतंत्र की राय में लेखांकन मानक 28 - आस्तियों की हानि के नजरिये से बैंक की स्थिर आस्तियों की कोई महत्त्वपूर्ण हानि नहीं हुई है।

23 लेखांकन मानक 29 के अंतर्गत आकस्मिकताओं के संबंध में प्रावधान हेतु प्रकटन। बैंक के कर्मचारियों के वेतन भत्तों का प्रत्येक पाँच वर्षों के अंतराल पर समीक्षा की जाती है। इस प्रकार की समीक्षा 01 नवंबर, 2017 से अपेक्षित है।

(राशि ₹ में)

विवरण	वि व 2020 बकाया वेतन / प्रोत्साहन	वि व 2019 बकाया वेतन / प्रोत्साहन
आरम्भ शेष	**34,00,00,000**	**1,87,31,68,333**
जोड़े:		
बकाया वेतन	42,00,00,000	34,00,00,000
प्रोत्साहन	-	-
उपयोग:		1,43,16,70,278
पुनरांकन	-	44,14,98,055
अंतिम शेष	**76,00,00,000**	**34,00,00,000**

24 बैंक ने अपने आरक्षित विदेशी मुद्रा ऋण लेने वाले ग्राहकों के लिए ऋण जोखिम से बचाव के लिए एक पद्धति बना रखी है। आवधिक आधार पर इस प्रकार के अरक्षित विदेशी मुद्रा संविभाग की समीक्षा की जाती है, भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 15/01/2014 के परिपत्र संख्या डीबीओबीडी बीपी बीसी 85/21.06.200/2013-14 एवं दिनांक 03/06/2014 के पत्र संख्या डीबीओबीडी बीपी बीसी 116/21.06.200/2013-14 के अनुवर्ती स्पष्टीकरण से अरक्षित विदेशी मुद्रा ऋण लेने वाले ग्राहकों के लिए ऋण जोखिम से बचाव के लिए यथा 31 मार्च 2020 तक ₹0.07 करोड़ (गत वर्ष ₹0.15 करोड़) का प्रावधान किया गया है, जिसे अनुसूची V में मानक आस्तियों हेतु प्रावधान में शामिल किया गया है।

25 निरंतर पालन की जा रही प्रथा के अनुसार, वेंचर पूँजी निधियों के मोचन का लेखांकन वेंचर पूँजी निधियों से प्राप्त वितरण-पत्र के अनुसार किया जाता है, चाहे अंशदान करार में निर्दिष्ट विनियोजन नीति कुछ भी रही हो। वेंचर पूँजी निधियों के यूनिटों / शेयरों में निवेश पुष्टि / समाधान के अध्यधीन होता है।

26 निवेशकों की शिकायतें

यथा 1 अप्रैल 2019 तक बैंक के पास निवेशकों की "1" शिकायत निपटान के लिए लंबित थी। वर्तमान वित्तवर्ष के दौरान निवेशकों से "41" शिकायतें प्राप्त हुई थीं और वर्ष में "42" शिकायतों (01 अप्रैल, 2019 को लंबित शिकायत सहित) का निपटारा किया गया। इस प्रकार, यथा 31 मार्च 2020 तक कोई शिकायत निपटान हेतु लंबित नहीं है।

27 अप्रत्यक्ष कर / प्रत्यक्ष कर (टीडीएस) के कारण होने वाली देयता का निर्धारण दाखिल की गई विवरणी / जीएसटी लेखापरीक्षा / पूर्ण किए गए मूल्यांकन के आधार पर किया गया है,

28 कतिपय जीएल कूटों की शेष राशियाँ संबंधित एसएल के साथ समाधान की प्रक्रिया में हैं, जिनका कोई महत्त्वपूर्ण प्रभाव नहीं होगा, जिस का प्रबंधन के अनुमान के अनुसार वित्तीय विवरणों पर कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ेगा।

29 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र - वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के अधीन पंजीकृत एमएसएमई उधारकर्ताओं के ऋणों की पुनर्संरचना

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के अधीन पंजीकृत एमएसएमई उधारकर्ताओं के ऋणों की पुनर्संरचना के संबंध में दिनांक 11 फरवरी, 2020 के भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र के अनुसार तथा उक्त परिपत्र में वर्णित अन्य शर्तों को पूरा करने के संबंध में, योजना के अंतर्गत पुनर्संरचित एमएसएमई खाते निम्नवत् हैं

पुनर्संरचित खातों की संख्या	राशि (₹ करोड़)
28	30.26

30 दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान हेतु विवेकपूर्ण रूपरेखा

द्बावग्रस्त आस्ति के समाधान के लिए प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 7 जून, 2019 के परिपत्र के अनुसार बैंक ने जिन मामलों में समाधान योजना (आरपी) लागू किया है, वह शून्य है। इसके अलावा, भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्र दिनांक 17 अप्रैल, 2020 के अनुसार "कोविड19 विनियामक पैकेज - समाधान समय की समीक्षा, द्बावग्रस्त आस्ति के समाधान पर प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क" के तहत 'शून्य' है।

31 भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सामान्य विनयमन के विनियमन 14, 2000 लघु उद्योग विकास सहायता कोष (एसआईडीएएफ़) और सामनी निधि के तहत खातों की प्रस्तुति के लिए अलग प्रारूप निर्धारित करता है। चूंकि केंद्र सरकार द्वारा अलग से एसआईडीएएफ को अधिसूचित नहीं किया गया है, इसलिए सिडबी द्वारा इसका रखरखाव नहीं किया जा रहा है।

32 बैंक में दीर्घकालिक संविदाएँ प्रमुख रूप से व्युत्पन्नी संविदाओं की प्रकृति की हैं, जिन्हें महत्त्वपूर्ण पूर्वाभासी हानियों के लिए निर्धारित किया जाता है। वर्ष के अंत में, बैंक ने बहीखाते में दीर्घकालिक संविदाओं पर महत्त्वपूर्ण पूर्वाभासी हानियों के लिए यथा अपेक्षित पर्याप्त प्रावधान की समीक्षा की है और उसे अभिलिखित किया है।

33 पिछले वर्ष के आंकडों को पुनर्समूहित और पुनर्वगीकृत किया गया है, ताकि जहां कहीं भी आवश्यक हो, उन्हें चालू वर्षों के आंकड़ों से तुलनायोग्य बनाया जा सके।

अतिरिक्त प्रकटन

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार

1 पूंजी पर्याप्तता

(₹ करोड़)

क्र.सं.	विवरण	वि व 2019-20	वि व 2018-19
i)	सामान्य ईक्विटी*	लागू नहीं	लागू नहीं
ii)	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी *	लागू नहीं	लागू नहीं
iii)	कुल टियर 1 पूंजी	18,366.02	15,757.23
iv)	टियर 2 पूंजी	0.00	0.00
v)	कुल पूंजी (टियर 1 + टियर 2)	18,366.02	15,757.23
vi)	कुल जोखिम भारित आस्तियां (जोभाआ)	68,996.21	58,114.11
vii)	सामान्य ईक्विटी अनुपात (जोभाआ का सामान्य इक्विटी में प्रतिशत)*	लागू नहीं	लागू नहीं
viii)	टियर 1 अनुपात (जोभाआ का टियर 1 पूंजी में प्रतिशत)	26.62%	27.11%
ix)	जोखिम भारित आस्तियों के प्रति पूंजी अनुपात (जोखिम भारित आस्तियों के प्रति कुल पूंजी अनुपात)	26.62%	27.11%
x)	भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत	15.40	15.40
xi)	उगाही गई ईक्विटी पूंजी की राशि	0.00	0.00
xii)	उगाही गई अतिरिक्त टियर 1 पूंजी जो	-	-
	क) सतत गैर संचयी अधिमान शेयर	-	-
	ख) सतत ऋण पत्र (पीडीआई)	-	-
xiii)	वर्धित टियर 2 पूंजी राशि जो	-	-
	क) ऋण पूंजी लिखत	-	-
	ख) सतत संचयी अधिमान शेयर (पीसीपीएस)	-	-
	ग) शोध्य गैर संचयी अधिमान शेयर (आरएनसीपीएस)	-	-
	घ) शोध्य संचयी अधिमान शेयर (आरसीपीएस)	-	-

* चूँकि बासेल III नहीं लागू है अत: आंकड़ों का वर्तमान में परिकलन नहीं किया गया है

2 निर्बंध आरक्षित निधियां और प्रावधान

(क) मानक आस्तियों पर प्रावधान

(₹ करोड़)

विवरण	वि व 2019-20	वि व 2018-19
मानक आस्तियों (संचयी) पर प्रावधान	655.01	550.58

(ख) चल प्रावधान

(₹ करोड़)

विवरण	वि व 2019-20	वि व 2018-19
चल प्रावधान खाते में अथशेष	1,348.53	1,742.21
लेखा वर्ष में किए गए चल प्रावधानों की मात्रा	0.00	0.00
लेखा वर्ष में की गयी गिरावट की राशि*	248.57	393.68
चल प्रावधान खाते में इतिशेष	1,099.96	1,348.53

* राशि का उपयोग, चल प्रावधान पर बैंक की बोर्ड द्वारा मंजूर नीति के अनुसार अनर्जक परिसंपत्तियां / अनर्जक निवेश के प्रावधान के लिए किया गया

3 आस्ति गुणवत्ता एवं विशिष्ट प्रावधान

क) अनर्जक अग्रिम

(₹ करोड़)

विवरण	वि व 2019-20	वि व 2018-19
(i) निवल अग्रिमों का निवल अनर्जक परिसंपत्तियां (%)	0.40%	0.21%
(ii) अनर्जक परिसंपत्तियों की प्रगति (सकल)		
(क) अथशेष	867.91	902.42
(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	871.56	308.38
(ग) वर्ष के दौरान कमी	698.63	342.89
(घ) इति शेष	1,040.84	867.91
(iii) निवल अनर्जक परिसंपत्तियों की प्रगति*		
(क) अथशेष	292.55	250.63
(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	445.77	107.40
(ग) वर्ष के दौरान कमी	79.68	65.48
(घ) इति शेष	658.64	292.55
(iv) अनर्जक आस्तियों के प्रावधानों में प्रगति (मानक आस्तियों के प्रावधानों को छोड़कर)		
(क) अथशेष	575.35	651.78
(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	429.11	201.51
(ग) वर्ष के दौरान कमी	622.27	277.94
(घ) इति शेष	382.19	575.35

* यदि चल प्रावधान की राशि उसके साथ समायोजित है तो पिछले वर्ष और इस वर्ष के दौरान निवल अनर्जक आस्ति शून्य होगी

(ख) अनर्जक निवेश

(₹ करोड़)

विवरण	वि व 2019-20	वि व 2018-19
(i) निवल निवेश का निवल अनर्जक निवेश (%)	0.00%	8.03%
(ii) अनर्जक निवेश (सकल) की प्रगति		
(क) अथशेष	1,292.17	410.03
(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	0.01	955.69
(ग) वर्ष के दौरान कमी	948.56	73.55
(घ) इतिशेष	343.62	1,292.17
(iii) निवल अनर्जक निवेश में परिवर्तन		
(क) अथशेष	708.44	0.00
(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	0.00	708.44
(ग) वर्ष के दौरान कमी	708.44	0.00
(घ) इतिशेष	0.00	708.44
(iv) अनर्जक निवेश के प्रावधानों की प्रगति (मानक आस्तियों पर प्रावधानों को छोड़ कर)		
(क) अथशेष	583.73	410.03
(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	708.45	247.25
(ग) वर्ष के दौरान कमी	948.56	73.55
(घ) इतिशेष	343.62	583.73

(ग) अनर्जक आस्तियां (क+ख)

(₹ करोड़)

विवरण	वि व 2019-20	वि व 2018-19
(i) निवल आस्तियों का निवल अनर्जक आस्तियां (अग्रिम + निवेश) (%)	0.37%	0.69%
(ii) अनर्जक आस्तियों की प्रगति (सकल अग्रिम + सकल निवेश)		
(क) अथशेष	2,160.08	1,312.45
(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	871.57	1,264.07
(ग) वर्ष के दौरान कमी	1,647.19	416.44
(घ) इतिशेष	1,384.44	2,160.08
(iii) निवल अनर्जक आस्तियों में परिवर्तन		
(क) अथशेष	1,000.98	250.63
(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	445.77	815.83
(ग) वर्ष के दौरान कमी	788.12	65.48
(घ) इतिशेष	658.63	1,000.98
(iv) अनर्जक आस्तियों के प्रावधानों में परिवर्तन (मानक आस्तियों पर प्रावधानों को छोड़कर)		
(क) अथशेष	1,159.09	1,061.81
(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	1,137.56	448.77
(ग) वर्ष के दौरान कमी	1,570.83	351.49
(घ) इतिशेष	725.82	1,159.09

3 (घ) पुनर्संरचित खाते
पुनर्संरचित खातों का प्रकटन

[₹ करोड़]

क्र	पुनर्संरचित प्रकार →		सीडीआर प्रणाली के अंतर्गत					एसएमई ऋण पुनर्संरचित प्रणाली के अंतर्गत					अन्य					कुल				
	आस्ति वर्गीकरण →		मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल
	विवरण ↓																					
1	वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल को पुनर्संरचित खाते (प्रारम्भिक संख्या)*	उधारकर्ताओं की संख्या	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	21	10	34	-	**65**	21	10	34	-	**65**
		बकाया राशि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82.23	19.13	115.08	-	**216.43**	82.23	19.13	115.08	-	**216.43**
		उस पर किए गया प्रावधान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.28	0.16	0.11	-	**0.55**	0.28	0.16	0.11	-	**0.55**
2	वर्ष के दौरान नये पुनर्संरचित	उधारकर्ताओं की संख्या					-					-	2	4	1	-	**7**	2	4	1	-	**7**
		बकाया राशि					-					-	1.06	16.27	1.83	-	**19.15**	1.06	16.27	1.83	-	**19.15**
		उस पर किए गया प्रावधान					-					-	0.05	2.03	-	-	**2.08**	0.05	2.03	-	-	**2.08**
3	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संरचित मानक वर्ग में उन्नयन	उधारकर्ताओं की संख्या					-					-	3	(2)	(1)	-	**-**	3	(2)	(1)	-	**-**
		बकाया राशि					-					-	10.55	(4.47)	(6.08)	-	**-**	10.55	(4.47)	(6.08)	-	**-**
		उस पर किए गया प्रावधान					-					-	0.01	(0.01)	-	-	**-**	0.01	(0.01)	-	-	**-**
4	पुनर्संरचित खाते, जिन पर विव के अंत में उच्चतर प्रावधान और/ अथवा अतिरिक्त जोखिम भार नहीं है और इसलिए उन्हें अगले विव के आरम्भ में पुनर्संरचित मानक ऋणों के रूप में नहीं दर्शाना है	उधारकर्ताओं की संख्या					-					-	(6)				**(6)**	(6)				**(6)**
		बकाया राशि					-					-	(26.26)				**(26.26)**	(26.26)				**(26.26)**
		उस पर किए गया प्रावधान					-					-	(0.03)				**(0.03)**	(0.03)				**(0.03)**
5	विव के दौरान पुनर्संरचित खातों का अवनयन	उधारकर्ताओं की संख्या					-					-	(4)	(1)	5	-	**-**	(4)	(1)	5	-	**-**
		बकाया राशि					-					-	(21.14)	16.42	4.72	-	**-**	(21.14)	16.42	4.72	-	**-**
		उस पर किए गया प्रावधान					-					-	-	(0.13)	0.13	-	**-**	-	(0.13)	0.13	-	**-**
6	विव के दौरान पुनर्संरचित खातों का बट्टेखाते में डालना #	उधारकर्ताओं की संख्या					-					-	(1)	(1)	(25)	-	**(27)**	(1)	(1)	(25)	-	**(27)**
		बकाया राशि					-					-	(4.30)	(0.71)	(67.23)	-	**(72.24)**	(4.30)	(0.71)	(67.23)	-	**(72.24)**
		उस पर किए गया प्रावधान					-					-	0.25	(0.02)	(0.01)	-	**0.23**	0.25	(0.02)	(0.01)	-	**0.23**
7	31 मार्च को समाप्त विव को पुनर्संरचित खाते (अंतिम संख्या) *	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	10	14	-	**39**	15	10	14	-	**39**
		बकाया राशि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.15	46.63	48.32	-	**137.09**	42.15	46.63	48.32	-	**137.09**
		उस पर किए गया प्रावधान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.56	2.03	0.23	-	**2.82**	0.56	2.03	0.23	-	**2.82**

* मानक पुनर्संरचित अग्रिमों के आंकड़ों को छोड़कर, जिन पर उच्चतर प्रावधान या जोखिम भार नहीं लगता (यदि लागू हो)
# पुनर्संरचित खातों की कमी को शामिल कराते हुए

(ङ) अनर्जक आस्तियों में परिवर्तन

(₹ करोड़)

विवरण	वि व 2019-20	वि व 2018-19
01 अप्रैल को सकल अनर्जक आस्तियां	867.91	902.42
वर्ष के दौरान (नए अनर्जक आस्तियां) परिवर्धन	871.55	308.38
उप योग (क)	**1,739.46**	**1,210.80**
घटाएँ:-		
(i) उन्नयन	50.90	8.46
(ii) वसूलियाँ (उन्नत खातों से की गयी वसूलियां)	88.43	112.54
(iii) तकनीकी / विवेकपूर्ण बट्टा खाता	558.18	221.79
(iv) उपर्युक्त (iii) के अलावा बट्टे खाते में डाले गए*	1.11	0.10
उप जोड़ (ख)	**698.62**	**342.89**
यथा 31 मार्च को सकल अनर्जक आस्तियां (क - ख)	**1,040.84**	**867.91**

(च) बट्टे खाते में डालना एवं वसूलियाँ

(₹ करोड़)

विवरण	वि व 2019-20	वि व 2018-19
यथा 1 अप्रैल तक तकनीकी / बट्टे खाते में अथशेष	1,563.29	1,458.52
जोड़िए: वर्ष के दौरान तकनीकी / विवेकपूर्ण बट्टे खाते	558.18	221.79
उप योग (क)	**2,121.47**	**1,680.31**
घटाएं: वास्तविक बट्टे खाते	12.24	87.51
घटाएँ: वर्ष के दौरान पिछलें तकनीकी / विवेकपूर्ण बट्टे खाते में से की गई वसूली	102.22	29.51
उप योग (ख)	**114.46**	**117.02**
31 मार्च को इति शेष (क-ख)	**2,007.01**	**1,563.29**

(छ) विदेशी आस्तियां, अनर्जक आस्तियां एवं राजस्व

विवरण	वि व 2019-20	वि व 2018-19
कुल आस्तियां	शून्य	शून्य
कुल अनर्जक आस्तियाँ	शून्य	शून्य
कुल राजस्व	शून्य	शून्य

(ज) मूल्यह्रास एवं निवेशों पर प्रावधान

(₹ करोड़)

विवरण	वि व 2019-20	वि व 2018-19
(1) निवेश		
(i) सकल निवेश	11,466.32	9,407.09
(क) भारत में	11,466.32	9,407.09
(ख) भारत से बाहर	-	-
(ii) मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	348.48	588.90
(क) भारत में	348.48	588.90
(ख) भारत से बाहर	-	-
(iii) निवल निवेश	11,117.83	8,818.19
(क) भारत में	11,117.83	8,818.19
(ख) भारत से बाहर	-	-
(2) निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए धारित प्रावधानों में प्रगति		
(i) अथशेष	5.16	49.38
(ii) जोड़िए: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	7.08	6.36
(iii) वर्ष के दौरान निवेश उतार चढ़ाव आरक्षिति खाते में से कोई समायोजन, यदि कोई	7.08	-
(iv) घटाएं: वर्ष के दौरान अधिक प्रावधानों को पुनरांकित / बट्टे खाते में डाले गए	-	-
(v) घटाएं: निवेश उतार चढ़ाव आरक्षिति में, यदि कोई अंतरण*	7.41	50.58
(vi) इति शेष	4.83	5.16

* निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षिति में अंतरण वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान किए गए ₹0.34 करोड़ के प्रावधान और वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान किए गए ₹44.22 करोड़ के प्रावधान को घटाकर निवल है।

(झ) प्रावधान और आकस्मिकताएँ

(₹ करोड़)

लाभ और हानि लेखे में व्यय शीर्ष के अंतर्गत प्रावधानों एवं आकस्मिकताओं का विवरण	वि व 2019-20	वि व 2018-19
निवेश पर अनर्जक निवेश के लिए प्रावधान	703.89	(98.61)#
अनर्जक आस्ति के प्रति प्रावधान	118.50#	(1.32)#
आयकर के सन्दर्भ में किया गया प्रावधान (आस्थगित कर आस्ति / देयता शामिल)	493.28	551.28
अन्य प्रावधान एवं आकस्मिकताएं (विवरण सहित)	130.59$	97.44$

चल प्रावधानों का निवल पुनरांकन

$ इसमें मानक आस्तियों के लिए प्रावधान भी शामिल है

(ञ) प्रावधान संवरण अनुपात (पीसीआर)

	वि व 2019-20	वि व 2018-19
प्रावधान संवरण अनुपात (पीसीआर)*	78%	87%

* पीसीआर के परिकलन के समय चल प्रावधान को विचार में नहीं लिया गया है

(ट) मौजूदा ऋणों की लचीली संरचना पर प्रकटन

(₹ करोड़)

अवधि	लचीले रूप से संरचना के लिए किए गए उधारकर्ताओं की संख्या	लचीले संरचना के लिए ली गई राशि		लचीले संरचना के लिए ली गई ऋणों की भारित औसत अवधि एक्सपोजर	
		मानक के रूप में वर्गीकृत	अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत	लचीले संरचना के लिए आवेदन करने से पूर्व	लचीले संरचना के लिए आवेदन करने के पश्चात
पिछला वर्ष वित्त वर्ष 2018-19		शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
चालू वर्ष वित्त वर्ष 2019-20		शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(ठ) कार्यनीतिक ऋण पुनर्संरचित योजना पर प्रकटीकरण (खाते जो अभी सुप्तावधि के अंतर्गत हैं)

(₹ करोड़)

कुल खातों की संख्या जिनमेंएसडीआर को आहूत किया गया है।	रिपोर्टिंग तिथि को बकाया राशि		उन खातों के सन्दर्भ में जहाँ ऋण से ईक्विटी में परिवर्तन होना अभी लंबित है, रिपोर्टिंग तिथि को बकाया राशि		उन खातों के सन्दर्भ में जहाँ ऋण से ईक्विटी में परिवर्तन हो चुका है, रिपोर्टिंग तिथि को बकाया राशि	
	मानक आस्ति के रूप में वर्गीकृत	गैर-निष्पादक आस्ति के रूप में वर्गीकृत	मानक आस्ति के रूप में वर्गीकृत	गैर-निष्पादक आस्ति के रूप में वर्गीकृत	मानक आस्ति के रूप में वर्गीकृत	गैर-निष्पादक आस्ति के रूप में वर्गीकृत
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(ड) एस डी आर योजना के बाहर स्वामित्व में परिवर्तन पर प्रकटीकरण (खाते जो अभी सुप्तावस्था अवधि में हैं)

ऐसे खातों की संख्या जहाँ बैंक ने स्वामित्व में परिवर्तन को प्रभावी करने का निर्णय लिया है	रिपोर्टिंग तिथि को बकाया राशि		उन खातों के सन्दर्भ में जहाँ ऋण से ईक्विटी में परिवर्तन / बंधक ईक्विटी शेयरों को वापस लिया गया है, रिपोर्टिंग तिथि को बकाया राशि		उन खातों के सन्दर्भ में जहाँ ऋण से ईक्विटी में परिवर्तन / बंधक ईक्विटी शेयरों को वापस लिया गया है, रिपोर्टिंग तिथि को बकाया राशि		उन खातों के सन्दर्भ में जहाँ नये शेयर जारी कर / अथवा प्रवर्त्तकों के ईक्विटी की विक्री कर परिवर्तन अभिकल्पित है में रिपोर्टिंग तिथि को बकाया राशि	
	मानक आस्ति के रूप में वर्गीकृत	गैर-निष्पादक आस्ति के रूप में वर्गीकृत	मानक आस्ति के रूप में वर्गीकृत	गैर-निष्पादक आस्ति के रूप में वर्गीकृत	मानक आस्ति के रूप में वर्गीकृत	गैर-निष्पादक आस्ति के रूप में वर्गीकृत	मानक आस्ति के रूप में वर्गीकृत	गैर-निष्पादक आस्ति के रूप में वर्गीकृत
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(ढ) क्रियान्वयाधीन परियोजनाओं के स्वामित्व में परिवर्तन का प्रकटन (खाते जो अभी सुप्तावधि में हैं)

ऐसे खातों की संख्या जहाँ बैंक ने स्वामित्व में परिवर्तन को प्रभावी करने का निर्णय लिया है	रिपोर्ट किए जाने की तिथि को बकाया राशि		
	मानक आस्ति के रूप में वर्गीकृत	मानक व पुनर्संरचित के रूप में वर्गीकृत	गैर-निष्पादक आस्ति के रूप में वर्गीकृत
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(ण) दबावग्रस्त आस्तियों की समर्थनीय पुनर्संरचना (एस4ए) योजना के बारे में यथा 31 मार्च, 2020 को प्रकटन

खातों की संख्या जहाँ एसए 4 लागू किया गया है	सकल बकाया राशि	बकाया राशि		रखा गया प्रावधान
		भाग ए में	भाग बी में	
मानक आस्ति के रूप में वर्गीकृत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
गैर-निष्पादक आस्ति के रूप में वर्गीकृत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

4 निवेश संविभाग: संघटन और परिचालन

(क) रेपो संव्यवहार

	वर्ष के दौरान बकाया का अधिकतम स्तर	वर्ष के दौरान बकाया का अधिकतम स्तर	वर्ष के दौरान दैनिक बकाया का औसत स्तर	यथा 31 मार्च, 2020 को बकाया
रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियाँ				
i. सरकारी प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ii. नैगम ऋण संबंधी प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
प्रतिवर्ती रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियाँ				
i. सरकारी प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ii. नैगम ऋण संबंधी प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(ख) ऋण-प्रतिभूतियों में निवेश के लिए जारीकर्ताओं की संघटना विषयक खुलासे

(₹ करोड़)

जारीकर्ता	राशि	की राशि			
		निजी प्लेसमेंट के जरिये किया गया निवेश	निवेश श्रेणी नीचे के स्तर की धारित प्रतिभूतियाँ	बिना रेटिंग के प्रतिभूति में धारित	असूचीबद्ध प्रतिभूति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(i) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	719.04	-	-	-	-
(ii) वित्तीय संस्थायें	279.84	96.94	-	78.55	103.00
(iii) बैंक	3,300.50	15.00	-	103.50	103.50
(iv) निजी कार्पोरेट्स	487.15	172.05	-	360.30	351.41
(v) अनुषंगी / संयुक्त उपक्रम	1,751.05	1,751.05	-	1,751.05	1,751.05
(vi) अन्य	4,928.74	1,027.12	-	1,027.12	4,437.12
(vii) मूल्यह्रास के लिए धारित प्रावधान	(348.45)	-	-	-	-
जोड़	**11,117.87**	**3,062.16**	**-**	**3,320.52**	**6,746.08**

(ग) एच टी एम श्रेणी से प्रतिभूति की बिक्री एवं अंतरण

चालू वित्त वर्ष के दौरान, एचटीएम श्रेणी में / से बाहर निवेशों का कोई अंतरण नहीं हुआ

5 खरीदी / बेची गई वित्तीय आस्तियों का ब्यौरा

(क) आस्ति पुनर्संरचना के खातिर प्रतिभूतीकरण / पुनर्संरचना कंपनियों को बेची गईं आस्तियाँ

(i) बिक्री का ब्यौरा

(₹ करोड़)

विवरण	वि व 2019-20	वि व 2018-19
(i) खातों की संख्या	1	1
(ii) एस सी / आर सी को बेंचे गए खातों का (प्रावधान घटाकर) सकल मूल्य	0.56#	0
(iii) सकल प्रतिफल	3.72 (नकद-0.56)	15
(iv) पिछले वर्षों में अंतरित खातों के संबंद्ध में वसूल किया गया अतिरिक्त प्रतिफल	5.24	28.05
(v) निवल बही मूल्य के प्रति सकल लाभ / हानि	5.80	3.30

केवल नकदी घटक को ही विचार में लिया गया है

(ii) प्रतिभूति रसीदों में किए गए निवेशों के बही मूल्य का ब्यौरा

(₹ करोड़)

विवरण	प्रतिभूति रसीदों में किए गए निवेशों के बही मूल्य	
	वि व 2019-20	वि व 2018-19
(i) एआईएफआई द्वारा बेंची गयी अनर्जक आस्तियों की पृष्ठभूमि वाली	0.27	0.27
(ii) बैंकों / अन्य वित्तीय संस्थाओं / गैर बैंकिंग कंपनियों द्वारा बेंची गयी अनर्जक आस्तियों की पृष्ठभूमि	0.00	0.00
कुल	**0.27**	**0.27**

(ख) खरीदी गयी / बेंची गयी अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण

(i) खरीदी गयी अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण:

विवरण		वि व 2019-20	वि व 2018-19
1.	(क) वर्ष के दौरान खरीदे गए खातों की संख्या	शून्य	शून्य
	(ख) सकल बकाया	शून्य	शून्य
2.	(क) वर्ष के दौरान इन पुनर्संरचित खातों की संख्या	शून्य	शून्य
	(ख) सकल बकाया	शून्य	शून्य

(ii) बेची गई गैर-निष्पादक वित्तीय आस्तियों का ब्यौरा

(₹ करोड़)

विवरण		वि व 2019-20	वि व 2018-19
1.	बेंचे गए खातों की संख्या	1	1
2.	सकल बकाया	6.77	76.44
3.	सकल प्राप्त प्रतिफल	3.72 (नकद-0.56)	15.00

6 परिचालनगत परिणाम

विवरण		वि व 2019-20	वि व 2018-19
(i)	औसत कार्यशील निधि का ब्याज आय प्रतिशत (%)	6.47	6.94
(ii)	औसत कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में गैर ब्याज आय (%)	0.63	0.32
(iii)	(प्रावधान पूर्व) औसत कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ (%)	2.21	1.83
(iv)	औसत आस्तियों पर प्रतिफल (कराधान प्रावधान के पूर्व) (%)	1.65	1.83
(v)	प्रति कर्मचारी निवल लाभ (₹ करोड़)	2.21	1.76

7 ऋण संकेन्द्रण जोखिम

(क) पूंजी बाजारगत जोखिम

(₹ करोड़)

विवरण		वि व 2019-20	वि व 2018-19
(i)	ईक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय ऋण पत्रों में प्रत्यक्ष निवेश और ईक्विटी उन्मुख म्युचुअल निधियों के कार्पस की इकाइयों में प्रत्यक्ष निवेश जो कि विशिष्ट रूप से कारपोरेट ऋण में निवेश न किया गया हो	459.43	488.27
(ii)	शेयरों / बांडों / ऋण पत्रों के एवज में अग्रिम अथवा व्यक्तिगत रूप से शेयरों, परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय ऋण पत्रों और इक्विटी उन्मुख म्युचुअल निधियों की इकाइयों में व्यक्तिगत रूप से किया गया निवेश।	-	-
(iii)	किसी अन्य उद्देश्य के लिए अग्रिमों जहां शेयरों, अथवा परिवर्तनीय बोंड्स अथवा परिवर्तनीय ऋण पत्रों अथवा इक्विटी उन्मुख म्युच्युअल निधियों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है।	-	-
(iv)	किसी अन्य उद्देश्य के लिए अग्रिम जो कि संपार्श्विक प्रतिभूति अथवा परिवर्तनीय बांडों एवं परिवर्तनीय ऋण पत्रों या ईक्विटी उन्मुख म्युचुअल निधियों की इकाइयों के जरिये प्रतिभूत हो यानी जहाँ प्राथमिक प्रतिभूति परिवर्तनीय बांडों एवं परिवर्तनीय ऋण पत्रों या ईक्विटी उन्मुख म्युचुअल निधियों की इकाइयों की प्रतिभूति से अग्रिम आवरित नहीं है।	-	-
(v)	स्टाक ब्रोकरों और मार्केट मेकरों की और से स्टाक ब्रोकरों को प्रतिभूति सहित और प्रतिभूति रहित अग्रिम / गारंटियाँ जारी करना	-	-

(₹ करोड़)

विवरण	वि व 2019-20	वि व 2018-19
(vi) संसाधन जुटाने की प्रत्याशा में नई कंपनियों की ईक्विटी में प्रवर्त्तकों के अंशदान की प्रतिपूर्ति के लिए सीधा आधार पर अथवा ऋण पत्रों / बांडों शेयरों की प्रतिभूति के एवज में कार्पोरेट्स को मंजूर ऋण	-	-
(vii) अपेक्षित ईक्विटी प्रवाह / जारी करने के लिए कंपनियों को ब्रिज ऋण देना	-	-
(viii) शेयरों अथवा परिवर्तनीय बांडों अथवा परिवर्तनीय ऋण पत्रों अथवा ईक्विटी उन्मुख म्युच्युअल निधियों के प्राथमिक निर्गम के संबंध में बैंकों द्वारा ली गई हामीदारी वादा	-	-
(ix) मार्जिन ट्रेडिंग के लिए स्टाक ब्रोकरों को वित्तपोषण	-	-
(x) वेंचर पूंजी निधियों (पंजीकृत एवं गैर पंजीकृत) को सभी एक्स्पोजर	1,541.26	1,596.22
पूंजी बाजार में कुल एक्सपोजर	**2,000.69**	**2,084.49**

(ख) देश जोखिम का एक्सपोजर

पिछले वर्ष और इस वर्ष के दौरान बैंक का विदेश में कोई एक्सपोजर नहीं था

(ग) विवेकपूर्ण एक्सपोजर सीमायें - एआईएफआई द्वारा एकल उधारकर्ता / सामूहिक उधारकर्ता सीमा को बढ़ाया जाना

(i) वर्ष के दौरान विवेकपूर्ण एक्सपोजर सीमा से अधिक के एक्सपोजर की संख्या और राशि (उधारकर्ता का नाम नहीं)

(₹ करोड़)

क्र. सं.	पैन संख्या	उधारकर्ता का नाम	उद्योग कूट सं	उद्योग का नाम	क्षेत्र	प्रदत्त निधि राशि	गैर-निधि राशि	जोखिम, पूंजी निधियों के % में
	-	-	-	-	-	-	-	-

ii) पूंजी निधियों का प्रतिशत के रूप में ऋण एक्स्पोजर और कुल आस्तियों के सन्दर्भ में उसका प्रतिशत

(₹ करोड़)

क्र. सं.	विवरण	वि व 2019-20		वि व 2018-19	
		कुल आस्तियों के % में	पूंजी निधियों के % में	कुल आस्तियों के % में	पूंजी निधियों के % में
1	एकल बड़े उधारकर्ता	9.32	95.20	9.80	96.89
	बड़े उधारकर्ता समूह	चूँकि बड़े उधारकर्ता प्राथमिक ऋण दात्री संस्थाएं हैं, उधारकर्ता समूह इस पर लागू नहीं			
2	20 बड़े एकल उधारकर्ता	68.47	699.18	71.01	702.36
	20 बड़े उधारकर्ता समूह	चूँकि बड़े उधारकर्ता प्राथमिक ऋण दात्री संस्थाएं हैं, उधारकर्ता समूह इस पर लागू नहीं			

iii) कुल ऋण आस्तियों का पाँच बड़े औद्योगिक क्षेत्रों में ऋण एक्सपोजर का प्रतिशत

(₹ करोड़)

उद्योग के स्वरूप का नाम	वि व 2019-20		वि व 2018-19	
	ऋण जोखिम-राशि	कुल ऋण आस्तियों के % में	ऋण जोखिम-राशि	कुल ऋण आस्तियों के % में
ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट	2,930.06	1.77	1,492.04	1.09
वाणिज्यिक वाहन	1,646.58	0.99	813.53	0.59
धातु उत्पाद एन.ई.सी.	865.67	0.52	496.71	0.36
ऑटो अनुषंगी	602.87	0.36	815.70	0.60
मशीनरी छोड़कर मेटल उत्पाद पार्ट्स	473.29	0.29	432.30	0.32

(iv) यथा 31 मार्च 2020 कुल अग्रिम राशि जिसके लिए अमूर्त प्रतिभूतियां जैसे अनुज्ञप्तियां, प्राधिकार आदि लिया गया है वह ₹15.11 करोड़ है और यथा 31 मार्च 2020 अमूर्त प्रतिभूतियों का अनुमानित मूल्य शून्य है.

(v) पिछले वर्ष और चालू वर्ष के दौरान बैंक को फैक्टरिंग का एक्सपोजर नहीं था।

(vi) पिछले वर्ष और चालू वर्ष के दौरान बैंक ने विवेकपूर्ण एक्सपोजर सीमाओं का अतिक्रमण नहीं किया।

(घ) उधारियों / ऋण व्यवस्थाओं, ऋण जोखिम-राशि एवं अनर्जक आस्तियों का संकेन्द्रण

(i) उधारियों और ऋण व्यवस्थाओं का संकेन्द्रण

(₹ करोड़)

विवरण	वि व 2019-20	वि व 2018-19
बीस बड़े ऋणदाताओं से कुल उधारियां	1,24,109.00	96,518.43
बीस बड़े ऋणदाताओं से कुल उधारियां का उधारियों में प्रतिशत	76.99%	73.33%

(ii) ऋण जोखिम का संकेद्रण

(₹ करोड़)

विवरण	वि व 2019-20	वि व 2018-19
बीस बड़े उधारकर्ताओं को कुल अग्रिम	1,24,205.94	1,10,147.71
कुल अग्रिमों का बीस बड़े उधारकर्ताओं को दिए गए अग्रिमों का प्रतिशत	74.91%	80.51%
बीस बड़े उधारकर्ताओं / ग्राहकों को कुल एक्सपोजर	1,28,411.56	1,10,673.09
कुल एक्सपोजर का बीस बड़े उधारकर्ताओं / ग्राहकों में एक्सपोजर का प्रतिशत	69.99%	74.82%

(iii) ऋण-जोखिम-राशि और अनर्जक आस्तियों का क्षेत्र-वार संकेन्द्रण

(₹ करोड़)

क्र.	क्षेत्र	वि व 2019-20			वि व 2018-19		
		कुल बकाया अग्रिम	सकल अनर्जक आस्तियां	क्षेत्र में कुल अग्रिमों में अनर्जक आस्तियों का सकल प्रतिशत	कुल बकाया अग्रिम	सकल अनर्जक आस्तियां	क्षेत्र में कुल अग्रिमों में अनर्जक आस्तियों का सकल प्रतिशत
I.	औद्योगिक क्षेत्र	1,53,362.14	340.45	0.22%	1,26,257.02	860.68	0.68%
1	केन्द्र सरकार	-	-	-	-	-	-
2	केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	-	-	-	-	-	-
3	राज्य सरकारें	-	-	-	-	-	-
4	राज्य स्तरीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	112.92	-	-	295.25	111.05	37.61%
5	अनुसूचित वाणिज्य बैंक	1,43,119.72	-	-	1,16,010.07	-	0.00%
6	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	-	-	-	-	-	-
7	सहकारी बैंक	-	-	-	-	-	-
8	निजी क्षेत्र (बैंकों को छोड़कर)	10,129.50	340.45	3.36%	9,951.70	749.63	7.53%
II.	अल्प वित्त क्षेत्र*	1,821.80	0.80	0.04%	1,178.73	7.23	0.61%
III.	अन्य*	10,619.83	699.59	6.59%	9,369.98	-	0.00%
	योग (I+II+III)	**1,65,803.77**	**1,040.84**	**0.63%**	**1,36,805.73**	**867.91**	**0.63%**

* गैरबैंकिंग वित्त कंपनियों को दिए गए अग्रिम भी शामिल हैं।

8 व्युत्पन्नियाँ

(क) वादा दर करार / ब्याज दर विनिमय

क्र.सं.	विवरण	वि व 2019-20	वि व 2018-19
i)	विनिमय करारों का अनुमानिक मूल्य	यूएसडी 40,310,000	यूएसडी 40,310,000
ii)	इस करार के तहत पक्षकार द्वारा देयता पूरी न कर पाने के कारण होने वाली हानियाँ	यूएसडी 1,709,172.73	यूएसडी 209,019
iii)	इस विनिमय में शामिल होने के लिए बैंक द्वारा वांछित संपार्श्विक	लागू नहीं	लागू नहीं
iv)	इस विनिमय से होने वाले जोखिम ऋणों का संकेन्द्रण	यूएसडी 1,910,722.73	यूएसडी 6,193
v)	विनिमय बही का उचित मूल्य	यूएसडी 1,709,172.73	यूएसडी (19,056)

(ख) विनिमय बाजार में खरीदे-बेचे जाने वाले ब्याज दर व्युत्पन्नियाँ

क्र.सं.	विवरण	वि व 2019-20	वि व 2018-19
i)	वर्ष के दौरान लिए गए एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर व्युत्पन्नों की आनुमानिक मूल राशि (लिखत-वार)	शून्य	शून्य
ii)	यथा 31 मार्च बकाया एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर व्युत्पन्नों की आनुमानिक मूल राशि (लिखत-वार)	शून्य	शून्य
iii)	बकाया और अत्यन्त प्रभावी नहीं एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर व्युत्पन्नों की आनुमानिक मूल राशि (लिखत-वार) और "अत्यधिक प्रभावी" नहीं।	शून्य	शून्य
iv)	एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर व्युत्पन्नों का मार्केट मूल्य और (लिखत-वार) और" अत्यधिक प्रभावी" नहीं।	शून्य	शून्य

(ग) व्युत्पन्नों में सम्बद्ध जोखिम राशि का प्रकटीकरण

(i) गुणात्मक प्रकटीकरण

(1) ब्याज दर तथा आस्ति एवं देयताओं में विसंगति से उत्पन्न विनिमय जोखिम की हेजिंग के लिए बैंक व्युत्पन्नियों का उपयोग करता है। बैंक द्वारा ली गयी सभी व्युत्पन्नियाँ हेजिंग के उद्देश्य से और ऐसी विदेशी मुद्रा के उधार के रूप में है जो एम टी एम न होकर केवल रूपांतरित हैं। बैंक व्युत्पन्नियों का व्यापार नहीं करता है।

(2) आंतरिक नियंत्रण संबंधी दिशा- निर्देश तथा लेखांकन नीतियां बोर्ड द्वारा तैयार और अनुमोदित की जाती है। व्युत्पन्नी संरचना को सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन के पश्चात ही अपनाया गया है। व्युत्पन्नों के सौदों संबंधी विवरणों की जानकारी आस्ति देयता प्रबंध समिति / बोर्ड को भी दी जाती है।

(3) बैंक ने व्युत्पन्नी सौदों से उत्पन्न होने वाली जोखिमों को कम करने के लिए सिस्टम स्थापित किया है। बैंक व्युत्पन्न सौदे से उत्पन्न होने वाले लेन-देन का लेखांकन करने के लिए उपचित विधि का पालन करता है।

(ii) परिमाणात्मक प्रकटीकरण

(₹ करोड़)

क्र. सं.	विवरण	वि व 2019-20		वि व 2018-19	
		मुद्रा व्युत्पन्न	ब्याज दर व्युत्पन्न	मुद्रा व्युत्पन्न	ब्याज दर व्युत्पन्न
1	व्युत्पन्नियाँ (आनुमानिक मूल राशि)	6,467.78		7,875.32	
	(i) बचाव के लिए	6,467.78	-	7,875.32	-
	(ii) व्यापार के लिए	-	-	-	-
2	मार्केट स्थितियों के लिए चिह्नित [1]	645.81	-	134.09	-
	(i) आस्ति (+)	645.81	-	134.09	-
	(ii) देयता (-)	-	-	-	-
3	ऋण एक्सपोजर [2]	999.34	-	698.06	-
4	ब्याज दर में एक प्रतिशत बदलाव से होने वाला प्रभाव (100* पी वी 01)	131.06	-	143.04	-
	(i) बचाव व्युत्पन्नियों पर	131.06	-	143.04	-
	(ii) व्यापारिक व्युत्पन्नियों पर		-	-	-
5	वर्ष के दौरान परिलक्षित अधिकतम एवं न्यूनतम 100 पी वी 01				
	(i) बचाव पर	186.29/131.05	-	170.56/143.04	-
	(ii) व्यापार पर	-	-	-	-

9 एआईएफ़आई द्वारा जारी लेटर ऑफ कम्फर्ट का प्रकटीकरण

वर्ष के दौरान जारी कम्फर्ट पत्रों का विवरण, आकलित वित्तीय प्रभाव और पहले के जारी किए गए कम्फर्ट पत्रों के आकलित संचयी वित्तीय देयताओं का विवरण निम्नवत है:

(₹ करोड़)

यथा 31 मार्च, 2019 को एलओसी विषयक बकाया		वर्ष के दौरान जारी एल ओ सी		वर्ष के दौरान उन्मोचित की गयी एलओसी		यथा 31 मार्च, 2020 को एलओसी विषयक बकाया	
एल ओ सी की संख्या	राशि	एल ओ सी की संख्या	राशि	एल ओ सी की संख्या	राशि	एल ओ सी की संख्या	राशि
1	0.94	-	-	1	0.94	-	-

10 आस्ति-देयता प्रबंध

(₹ करोड़)

	1 से 14 दिन	15 से 28 दिन	29 दिन से 3 महीना	3 महीने से अधिक एवं 6 महीने तक	6 महीने से अधिक एवं 1 वर्ष तक	1वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	योग
जमा	13	2,208	2,399	2,528	15,571	82,587	16	702	1,06,024
अग्रिम	5,624	9,086	20,454	18,947	39,569	64,403	3,826	762	1,62,671
निवेश	10,336	475	629	461	1,010	363	58	3,784	17,116
उधारियां	2,625	500	10,435	5,622	10,066	16,876	167	340	46,631
विदेशी मुद्रा आस्तियां	15	6	576	141	683	3,565	4,513	104	9,603
विदेशी मुद्रा देयताएं	7	8	606	174	801	2,954	3,147	2,059	9,756

11 आरक्षितियों से आहरित

पिछले वर्ष और इस वर्ष के दौरान आरक्षितियों में से आहरण द्वारा कोई कमी नहीं हुई है

12 व्यवसायगत अनुपात

विवरण	वि व 2019-20	वि व 2018-19
औसत ईक्विटी पर प्रतिफल (कर प्रावधान के पूर्व) (%)	16.00	16.15
औसत आस्तियों पर प्रतिफल (कर प्रावधान के पूर्व) (%)	1.65	1.83
प्रति कर्मचारी निवल लाभ (₹ करोड़ में)	2.21	1.76

13 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगाए गए दंडों का प्रकटन

आरबीआई द्वारा बैंक पर पिछले वर्ष और इस वर्ष किसी भी प्रकार का दंड नहीं लगाया गया है।

14 ग्राहकों की शिकायतें

विवरण		वि व 2019-20	वि व 2018-19
i	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	10	2
ii	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	216	183
iii	वर्ष के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या	223	175
iv	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	3	10

15 प्रायोजित किये गए तुलन पत्रेतर एस पी वी

पिछले वर्ष और इस वर्ष के दौरान बैंक का एस पी वी प्रायोजित कोई तुलनपत्रेतर आंकड़ा नहीं है

16 विशिष्ट लेखांकन- मानकों के अनुसार प्रकटीकरण

(क) लेखांकन मानक 5- अवधि का निवल लाभ अथवा हानि, पूर्ववर्ती अवधि की मदें और लेखांकन नीतियों में परिवर्तन

अनुसूची XIII में आय - वि व 2019-20 के दौरान अन्य आय में पूर्व अवधि कि आय ₹372,25,52,439 शामिल है [पिछले वर्ष में ₹3,21,69,155] और अनुसूची XIV में वर्णित अन्य व्यय - वि व 2019-20 के परिचालन व्यय मे पूर्व अवधि के व्यय ₹1,66,93,694 [पिछले वर्ष का व्यय (₹19,33,197)] शामिल है।

(ख) लेखांकन मानक 17 - खंड रिपोर्टिंग

जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर निर्देश और लेखांकन मानक 17 खंड रिपोर्टिंग के अंतर्गत अपेक्षित है, बैंक ने व्यवसाय खंड का प्रकटन प्राथमिक खंड के रूप में किया है। चूंकि बैंक भारत में परिचालनरत है अत: रिपोर्टिंग योग्य भौगोलिक खंड नहीं है। बैंक ने व्यवसाय खंड के अंतर्गत समग्र परिचालन (प्रत्यक्ष वित्त), समग्र परिचालन (पुनर्वित्त) और समग्र परिचालन (ट्रेजरी) - ये तीन रिपोर्टिंग खण्ड निर्धारित किए हैं। ये खंड उत्पादों और सेवाओं की प्रकृति और जोखिम स्वरूप, संगठनात्मक ढांचे तथा बैंक की आंतरिक रिपोर्टिंग व्यवस्था पर विचार के बाद निर्धारित किए हैं। पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू पद्धति के अनुसार बनाने के लिए पुनर्समूहित तथा वर्गीकृत किया गया है।

भाग क: व्यवसाय खण्ड

(₹ करोड़)

व्यवसाय खंड		समग्र परिचालन (प्रत्यक्ष ऋण)		समग्र परिचालन (पुनर्वित्त)		ट्रेजरी		कुल	
	विवरण	वित्त 2020	वित्त 2019	वित्त 2020	वित्त 2019	वित्त 2020	वित्त 2019	वित्त 2020	वित्त 2019
1	**खंड राजस्व**	1,048	1,007	9,633	8,261	1,038	649	11,719	9,917
	असाधारण मदें							371	-
	योग							**12,090**	**9,917**
2	**खंड परिणाम**	165	191	2,832	2,101	(317)	359	2,680	2,651
	असाधारण मदें							371	-
	योग							**3,051**	**2,651**
	अविनिधानीय खर्चे							243	148
	परिचालन लाभ							2,808	2,503
	आयकर (पुनरांकन के बाद)							493	551
	निवल लाभ							2,315	1,952
3	**अन्य सूचनाएँ**								
	खंड आस्तियां	10,121	9,526	1,57,312	1,29,971	17,675	14,236	1,85,108	1,53,733
	अविनिधानीय आस्तियां							2,431	2,128
	कुल आस्तियां							1,87,539	1,55,861
	खण्ड देयताएं	7,281	6,726	1,45,082	1,18,901	15,092	12,016	1,67,455	1,37,643
	अविनिधानीय देयताएं							1,377	1,655
	योग							**1,68,832**	**1,39,298**
	पूंजी / आरक्षितियाँ	2,848	2,812	12,078	10,960	3,781	2,791	18,707	16,563
	योग							**18,707**	**16,563**
	कुल देयताएं							**1,87,539**	**1,55,861**

भाग ख: भौगोलिक खंड - शून्य

(ग) लेखांकन मानक 18 - सबंधित पक्षकार प्रकटन

(₹ करोड़)

मदें / संबंधित पक्ष	मूल (स्वामित्व के अनुसार अथवा नियन्त्रण)	अनुषंगी	सहयोगी / संयुक्त उद्यम	मुख्य प्रबंध कार्मिक@	मुख्य प्रबंधक के संबंधी	योग
उधारियां #	-	-	-	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान अधिकतम	-	-	-	-	-	-
जमा #	-	-	-	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया	-	187.29	13.92	0.27	-	201.48
वर्ष के दौरान अधिकतम	-	187.29	13.92	1.00	-	202.21
जमा स्थान #	-	-	-	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान अधिकतम	-	-	-	-	-	-

(₹ करोड़)

मदें / संबंधित पक्ष	मूल (स्वामित्व के अनुसार अथवा नियन्त्रण)	अनुषंगी	सहयोगी / संयुक्त उद्यम	मुख्य प्रबंध कार्मिक@	मुख्य प्रबंधक के संबंधी	योग
अग्रिम #	-	-	-	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान अधिकतम	-	-	-	-	-	-
निवेश #	-	-	-	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया	-	1,751.50	32.35	-	-	1,783.85
वर्ष के दौरान अधिकतम	-	1,751.50	32.35	-	-	1,783.85
अनिधिकृत वचनबद्धताएं #	-	-	-	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान अधिकतम	-	-	-	-	-	-
उपयोग की गयी पट्टा व्यवस्था	-	-	-	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान अधिकतम	-	-	-	-	-	-
प्रदत्त पट्टा व्यवस्था #	-	-	-	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान अधिकतम	-	-	-	-	-	-
स्थिर आस्तियों की खरीद	-	-	-	-	-	-
स्थिर आस्तियों बिक्री	-	-	-	-	-	-
भुगतान किया गया ब्याज	-	10.16	0.52	0.08	-	10.75
प्राप्त ब्याज	-	-	-	-	-	-
सेवा देना*	-	4.26	2.88	-	-	7.14
सेवाओं की प्राप्ति*	-	0.08	0.03	-	-	0.11
प्रबंधन संविदाएं*	-	-	-	1.13	-	1.13

@ निदेशक मंडल के पूर्णकालिक निदेशक
# वर्ष के अंत में बकाया और वर्ष के दौरान अधिकतम का प्रकट किया जाना है।
* करार गत सेवाएं आदि किन्तु रेमिटेंस सुविधाएँ, लाकर सुविधाएँ इत्यादि जैसी सेवाएं नहीं हैं
** मुख्य प्रबंध कार्मिकों के पारिश्रमिक

17 अपरिशोधित पेंशन एवं उपदान देयताएँ

पेंशन एवं उपदान देयतओं को बीमांकिक मूल्यांकन आधार पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रायोजना इकाई जमा आधार पर किया जाता है। बीमांकिक लाभ / हानि को तुरंत लाभ हानि लेखे में लिया गया है, उनका परिशोधन नहीं किया गया है।

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते **छाजेड़ व दोषी**
सनदी लेखाकर
फर्म का पंजीकरण सं. 101794 डब्ल्यू

किरण के. दफ्तरी
साझीदार
सदस्य सं. 010279

राजेन्द्र अग्रवाल
महाप्रबंधक
(निगमित लेखा उदभाग)

निदेशक मण्डल के आदेश से

मनोज मित्तल
उप प्रबंध निदेशक

जी गोपालकृष्ण
निदेशक

मोहम्मद मुस्तफा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

आशीष गुप्ता
निदेशक

नई दिल्ली, 15 मई, 2020

नकदी प्रवाह विवरण

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष का

(राशि ₹ में)

31 मार्च, 2019		विवरण	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2020
	1.	**परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह**		
25,03,48,13,341		लाभ-हानि खाते के अनुसार कर पूर्व निवल लाभ		28,07,80,28,951
		निम्नलिखित के लिए समायोजन:		
18,26,95,963		मूल्यह्रास	18,27,17,393	
(3,41,44,22,655)		निवेशों में निवल ह्रास के लिए प्रावधान	7,03,89,36,030	
3,75,59,67,739		किया गया प्रावधान (पुनरांकन के बाद)	3,39,32,25,949	
(2,50,74,34,846)		निवेश बिक्री से लाभ (निवल)	(3,98,46,25,620)	
(1,58,59,255)		स्थिर आस्तियों की बिक्री से लाभ	(44,18,584)	
(39,74,12,153)		निवेशों पर प्राप्त लाभांश	(48,48,52,951)	6,14,09,82,217
22,63,83,48,134		**परिचालनों से उपार्जित नकदी**		**34,21,90,11,168**
		(परिचालन आस्तियों व देयताओं में परिवर्तन से पहले)		
		निम्नलिखित में निवल परिवर्तन हेतु समायोजन:		
(19,82,00,32,174)		चालू आस्तियाँ	9,07,18,25,569	
6,03,25,70,598		चालू देयताएँ	(19,77,01,32,561)	
3,92,85,72,063		विनिमय बिल	3,96,15,78,214	
(4,12,47,82,85,157)		ऋण एवं अग्रिम	(2,93,93,81,01,120)	
1,30,90,67,95,800		बांडों व ऋणपत्रों तथा अन्य उधारियों से निवल प्राप्तियाँ	(39,96,40,70,330)	
3,15,47,86,35,474		प्राप्त जमा	3,40,49,16,89,558	
24,04,82,56,604				**(14,72,10,670)**
46,68,66,04,738				34,07,18,00,498
(6,45,75,03,905)		कर अदायगी	(5,32,52,53,205)	(5,32,52,53,205)
40,22,91,00,833		**परिचालन गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह**		**28,74,65,47,293**
	2.	**निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह**		
(61,25,56,356)		स्थिर आस्तियों का निवल (क्रय) / विक्रय	(19,13,21,393)	
(4,22,87,50,013)		निवेशों का निवल (क्रय) / विक्रय / शोधन	2,63,38,96,495	
39,74,12,153		निवेशों पर प्राप्त लाभांश	48,48,52,951	
(4,44,38,94,216)		**निवेश गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नकदी**		**2,92,74,28,053**
	3.	**वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह**		
-		शेयर पूंजी व शेयर प्रीमियम के निर्गम से आय	-	
(1,32,79,39,690)		ईक्विटी शेयरों से लाभांश एवं लाभांश पर कर	(1,65,12,44,935)	
(1,32,79,39,690)		**वित्तीय गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नकदी**		**(1,65,12,44,935)**
34,45,72,66,927	4.	**नकदी एवं नकदी समतुल्य में निवल बढ़ोत्तरी/(कमी)**		**30,02,27,30,411**
16,45,80,65,958	5.	**अवधि के प्रारंभ में नकदी एवं नकदी समतुल्य**		**50,91,53,32,885**
50,91,53,32,885	6.	**अवधि की समाप्ति पर नकदी एवं नकदी समतुल्य**		**80,93,80,63,296**

नकदी प्रवाह विवरण

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष का

(राशि ₹ में)

31 मार्च, 2019	विवरण	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2020
	7. अवधि के अंत में नकदी एवं नकदी-तुल्य राशियों में निम्नलिखित शामिल हैं		
6,09,656	हाथ में नकदी		6,16,569
63,37,40,702	बैंक में चालू खाते में अतिशेष		36,21,00,890
5,00,00,00,000	म्यूचुअल फ़ंड		34,10,00,00,001
45,28,09,82,527	जमाराशियाँ		46,47,53,45,836

टिप्पणी: नकदी प्रवाह विवरण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी ए एस - 3 (संशोधित) 'नकदी प्रवाह विवरण' में विनिर्दिष्ट अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार तैयार किया गया है।

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ	XV
लेखा टिप्पणियाँ	XVI

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते **छाजेड़ व दोषी**
सनदी लेखाकर
फर्म का पंजीकरण सं. 101794 डब्ल्यू

किरण के. दफ्तरी
साझीदार
सदस्य सं. 010279

नई दिल्ली, 15 मई, 2020

निदेशक मण्डल के आदेश से

राजेन्द्र अग्रवाल
महाप्रबंधक
(निगमित लेखा उदभाग)

मनोज मित्तल
उप प्रबंध निदेशक

मोहम्मद मुस्तफा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

जी गोपालकृष्ण
निदेशक

आशीष गुप्ता
निदेशक

परिशिष्ट-II

सिडबी के लाभ हानि लेखा और नकदीप्रवाह विवरणी के साथ समेकित तुलन पत्र

स्वतंत्र लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट

शेयरधारकगण
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

1. मंतव्य

हमने "भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक" (बैंक), इसकी सहायक संस्थाओं (बैंक, इसकी सहायक संस्थाओं के साथ मिलकर "समूह" कहलाता है) और सहयोगी संस्थाओं के 31 मार्च 2020 तक की संलग्न समेकित वित्तीय विवरण की लेखा-परीक्षा की है। इसमें 31 मार्च 2020 तक का तुलनपत्र तथा उक्त तारीख को समाप्त वर्ष का समेकित लाभ-हानि खाता और समेकित नकदी प्रवाह विवरण, समेकित वित्तीय विवरणों से संबंधित टिप्पणियाँ तथा महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश ("समेकित वित्तीय विवरण") शामिल है।

हमारे मत में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण समूह की 31 मार्च 2020 तक की समेकित स्थिति, उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के समेकित लाभ व समेकित नकदी-प्रवाह की सत्य और उचित स्थिति दर्शाते हैं, जो भारत में आम तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धान्तों के अनुरूप हैं।

2. मंतव्य का आधार

हमने अपनी लेखा-परीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानक के अनुसार संपन्न की। उक्त मानकों के अंतर्गत हमारे दायित्वों का वर्णन हमारी रिपोर्ट के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा के संबंध में लेखा-परीक्षकों का उत्तरदायित्व खण्ड के अंतर्गत भी किया गया है। हम आईसीएआई द्वारा जारी नैतिकता संहिता के अनुसार उक्त समूह से स्वतंत्र हैं। हमारी धारणा है कि हमने लेखा- परीक्षा के लिए जो प्रमाण लिया है वह हमारे मंतव्य का आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

3. महत्त्वपूर्ण विषय

i. हम स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की अनुसूची XVI के नोट 2 पर ध्यान आकर्षित करते हैं जिसमें प्रबंधन की दृष्टि से वैश्विक महामारी का प्रभाव भविष्य के परिवर्धनों पर निर्भर करेगा और बैंक के वित्तीय नियमों के अनुमोदन की तारीख को किए गए अनुमानों से अलग हो सकता है। कोविड -19 वैश्विक महामारी के कारण उधारकर्ताओं को राहत देने वाले 27 मार्च, 2020 के भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्र के अनुसार, बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार पात्र उधारकर्ताओं को देय ऋण किश्तों / ब्याज में अधिस्थगन अवधि देने की पेशकश की है। तदनुसार, बैंक ने दिनांक 17 अप्रैल, 2020 के भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र के अनुसार पाँच प्रतिशत की सीमा तक मार्च, 2020 के लिए ₹13.99 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है और शेष पाँच प्रतिशत उपरोक्त परिपत्र के अनुसार अगली तिमाही के लिए आस्थगित किया गया है।

ii. हम नोट 3.1 पर ध्यान आकर्षित करते हैं, जहां वर्ष के दौरान, बैंक ने मानक आस्तियों पर किए गए संपूर्ण प्रावधान पर अपने गैर-मान्यता प्राप्त आस्थगित कर आस्तियों का पुन: मूल्यांकन किया है। तदनुसार, चालू वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान ₹96,34,90,214 के आस्थगित कर आस्तियों को मान्यता दी गई है।

iii. हम निम्नलिखित की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं:

क) समेकित वित्तीय विवरणों के अनुबंध I की टिप्पणी सं. 4 ख, जो 5 सहयोगी संगठनों का समेकन न किए जाने से संबंधित है और जिसमें प्रबंधन का कथन है कि निवेश में दर्शायी गयी राशियाँ वसूली योग्य नहीं हैं और उनके लिए पूर्ण प्रावधान किया गया है।

ख) समेकित वित्तीय विवरणों के अनुबंध I की टिप्पणी सं. 4ग और 4 घ जो 5 सहयोगी संगठनों का समेकन न किए जाने से संबंधित है, क्योंकि प्रबंधन के मतानुसार ये महत्त्वपूर्ण घटक नहीं हैं, इसलिए इनके समेकन पर विचार नहीं किया गया।

इन मामलों के संबंध में हमारे मंतव्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

4. लेखा-परीक्षा के प्रमुख विषय

लेखा-परीक्षा के प्रमुख विषय वे विषय हैं जो हमारी प्रोफेशनल राय में चालू अवधि के समेकित वित्तीय विवरण की लेखा-परीक्षा की दृष्टि से सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण थे। समेकित वित्तीय विवरणों की समग्र रूप से लेखा-परीक्षा तथा उन पर हमारी राय कायम करने के परिप्रेक्ष्य में इन विषयों का समाधान प्रस्तुत किया गया और इन विषयों पर हम अलग से कोई राय नहीं देते।

लेखा-परीक्षा के जो महत्त्वपूर्ण विषय केवल बैंक पर लागू हैं, वे निम्नवत:

क्रमांक	लेखा-परीक्षा के मुख्य विषय	लेखा-परीक्षा के मुख्य विषय पर प्रतिक्रिया
1.	**आकस्मिक देयता और आयकर के लिए प्रावधान:** प्रावधानों का निर्धारण और आकलन करने के मामले में समय अथवा देयता के निपटान के लिए भविष्य में किए जानेवाले व्यय की राशि के बारे में अनिश्चितता है। आकस्मिक देयताओं के मामले में प्रकट की जानेवाली राशि के निर्धारण, अनुमान और प्राक्कलन किए गये हैं। इसके परिणाम-स्वरूप प्रावधानों के निर्धारण और आकलन तथा आकस्मिक देयताओं के प्रकटन के लिए बड़े पैमाने पर निर्णय किया जाना अपेक्षित है। बैंक ने आयकर के प्रति ₹5,71,61,67,906/- की आकस्मिक देयता की सूचना दी है, जो बैंक के प्रति दावों से संबंधित है और जिसे वित्तीय विवरणों में ऋण नहीं बताया गया है।	आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1) (viiए) (सी) के अंतर्गत बट्टे खाते डाले गये तथा दावा किए गये अशोध्य ऋणों के संबंध में आयकर विभाग ने दावे को यह कहते हुए नकार दिया है कि बैंक ने दोहरा कर-लाभ लिया है, क्योंकि संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान करते समय बैंक को यह लाभ पहले ही दिया जा चुका है। हमने पूर्ववर्ती लंबित आदेशों की जाँच की है। कतिपय वर्षों के दौरान, आय-कर अपीलीय अधिकरण ने बैंक के दावे को स्वीकार किया है, जिसे विभाग ने उच्चतर प्राधिकरणों में चुनौती दी है। साथ ही, अपने दावे की व्यवहार्यता के अवसरों की पुष्टि के लिए बैंक ने बाहरी कर-विशेषज्ञों की राय भी ली है। उनकी राय के आधार पर, उक्त दावे को स्वीकार्य मानते हुए, कर के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। अतः धारा 36(1) (viiए) (सी) के अंतर्गत माँगी गयी बकाया राशि नकारे गये अन्य दावों / मामलों में, जहाँ बैंक के विरुद्ध निर्धारण किया गया है और अपीलें लंबित हैं, वहाँ उक्त राशि को आकस्मिक देयता में शामिल किया गया है। अतः कोई प्रावधान आवश्यक नहीं समझा गया है।
2.	**सूचना प्रौद्योगिकी सामान्य नियंत्रण:** बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया का एक उल्लेखनीय हिस्सा काफी हद तक सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों पर निर्भर है, जिसमें सांख्यिकी का संग्रहण, भण्डारण और सूचना प्राप्त करने का कार्य स्वचालित प्रक्रियाओं तथा नियंत्रणों के ज़रिए होता है। इन प्रक्रियाओं और नियंत्रणों का एक बुनियादी घटक उपयुक्त उपयोगकर्ता की पहुँच सुनिश्चित करना है। परिवर्तन प्रबंधन प्रोटोकॉल विद्यमान है और उसका पालन किया जा रहा है। ये प्रोटोकॉल महत्त्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे सुनिश्चित करते हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों तक पहुँचने और तत्संबंधी डाटा में परिवर्तन का कार्य अधिकृत रूप से और उपयुक्त तरीके से संपन्न किया जाता है।	हमने अपनी लेखा-परीक्षा में उन सूचना प्रौद्योगिकी-प्रणालियों तथा नियंत्रणों पर ध्यान केन्द्रित किया, जो बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के लिए महत्त्वपूर्ण हैं। चिह्नित ऐप्लीकेशन प्रणालियों की समुचित अंतराल पर ऐप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लेखा-परीक्षा करवाने की व्यवस्था बैंक में की गयी है। बैंक के अधिकारी शाखाओं में समुचित अंतराल पर सूचना प्रणालियों की लेखा-परीक्षा संपन्न करते हैं। हमने बाहरी परामर्शदाताओं द्वारा की गयी ऐप्लीकेशन प्रणाली-लेखा-परीक्षा तथा शाखाओं में की गयी सूचना प्रणाली लेखा-परीक्षाओं पर भरोसा किया है। बाहरी परामर्शदाताओं की रिपोर्टों तथा शाखाओं में संपन्न सूचना प्रणाली लेखा-परीक्षा रिपोर्टों की हमने नमूना आधार पर समीक्षा की है। वे उपयुक्त पायी गयीं। जहाँ कहीं आवश्यकता पड़ी, डाटा की सत्यता तथा उसकी विश्वसनीयता व रिपोर्टिंग के सत्यापन के लिए हमने अपेक्षाकृत अधिक गहन परीक्षण किया।

5. अन्य सूचना

बैंक का निदेशक-मंडल अन्य सूचना के लिए उत्तरदायी है। अन्य सूचना में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का वक्तव्य, निदेशकों की रिपोर्ट, समग्र व्यवसाय-परिचालन, प्रबंधन एवं नैगम अभिशासन समाहित है, किन्तु उसमें समेकित वित्तीय विवरण तथा तत्संबंधी हमारी लेखा-परीक्षा रिपोर्ट शामिल नहीं है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारे मंतव्य में अन्य सूचना शामिल नहीं है और हम उसपर किसी प्रकार का आश्वासन / निष्कर्ष नहीं व्यक्त करते। वित्तीय विवरणों की अपनी लेखा-परीक्षा के संबंध में अन्य सूचना को पढ़ना और ऐसा करते समय यह विचार करना है कि क्या अन्य सूचना तथ्यात्मक

रूप से समेकित वित्तीय विवरण के साथ असंगतिपूर्ण है अथवा क्या लेखा-परीक्षा से प्राप्त अथवा नहीं प्राप्त हुई हमारी जानकारी तथ्यात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण रूप से व्यक्त की गयी लगती है।

बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का वक्तव्य, निदेशकों की रिपोर्ट, समग्र व्यवसाय-परिचालन, प्रबंधन एवं नैगम अभिशासन संबंधी सामग्री अभी तैयार की जा रही है। जब हम उसे पढ़ेंगे और यदि हमें लगेगा कि उसमें तथ्यात्मक दृष्टि से कोई त्रुटिपूर्ण कथन है तो हम अभिशासन-प्रभारियों को मामले से अवगत कराएँगे।

6. अन्य विषय

हमने उन 2 (दो) सहायक संस्थाओं के वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा नहीं की, जिनके वित्तीय विवरणों में 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष में ₹51,29,38,503 की कुल आस्तियाँ, ₹12,97,87,262 का कुल राजस्व तथा ₹1,06,13,612 का नकारात्मक निवल नकदी प्रवाह दर्शाया गया है और जिसे समेकित वित्तीय विवरणों में लिया गया है। समेकित वित्तीय विवरणों में निवल हानि में 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष में 2(दो) सहयोगी संस्थाओं के समूह का ₹20,46,639 का हिस्सा शामिल है। उनके वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा हमारे लेखा-परीक्षकों ने नहीं की है। इन वित्तीय विवरणों / वित्तीय सूचना की लेखा-परीक्षा अन्य लेखा-परीक्षकों ने की है, 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए 2 (दो) सहायक संस्थाओं और 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए और 2 (दो) सहयोगी संस्थाओं से संबंधित रिपोर्टें प्रबन्धन ने हमें उपलब्ध कराई हैं। जहाँ तक समेकित वित्तीय विवरण में इन सहायक एवं सहयोगी संस्थाओं से संबंधित राशि एवं प्रकटनों का संबंध है, हमारा मंतव्य और हमारी रिपोर्ट पूर्णतया अन्य लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

हमने उस 1(एक) सहायक संस्था के वित्तीय विवरण की लेखा-परीक्षा नहीं की, जिसकी 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष में कुल आस्तियाँ ₹1,96,99,47,75,631 कुल राजस्व ₹11,21,68,02,744 तथा निवल नकदी प्रवाह ₹20,98,07,08,556 दर्शाया गया है और जिसे समेकित विवरण में लिया गया है। समेकित वित्तीय विवरणों में निवल हानि में 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष में ₹2,28,52,353 की निवल हानि का हिस्सा भी शामिल है। इसे समेकित वित्तीय विवरण में लिया गया है और यह 5 (पाँच) सहयोगी संस्था से संबंधित है, जिसके वित्तीय विवरणों की हमने लेखा-परीक्षा नहीं की है। इन वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा नहीं की गयी है और इन्हें प्रबंधन ने हमें दिया है। जहाँ तक समेकित वित्तीय विवरण में इन सहायक एवं सहयोगी संस्थाओं से संबंधित राशि एवं प्रकटनों का संबंध है, हमारा मंतव्य पूर्णतया ऐसे अनअंकेक्षित वित्तीय विवरणों पर आधारित है। यदि उपर्युक्त सहयोगी संस्थाओं की लेखा-परीक्षा हुई होती तो उसके परिणामस्वरूप 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लाभ में समूह के हिस्से पर क्या प्रभाव पडा होता, इस पर टिप्पणी करने में हम असमर्थ हैं।

अन्य लेखा-परीक्षकों द्वारा किए गए कार्य और उनकी रिपोर्टों तथा प्रबंधन द्वारा अधिप्रमाणित वित्तीय विवरणों / वित्तीय सूचना पर हमारी निर्भरता की दृष्टि से समेकित वित्तीय विवरणों पर इन मामलों में हमारी राय में कोई संशोधन नहीं हुआ है।

7. प्रबंधन तथा समेकित वित्तीय विवरणों के अभिशासन के प्रभारियों का उत्तरदायित्व

इन समेकित वित्तीय विवरणों को बनाने और प्रस्तुत करने का उत्तरदायित्व बैंक के प्रबन्धन का है। ये विवरण अलग-अलग वित्तीय विवरणों तथा ऐसे घटकों से संबंधित अन्य वित्तीय सूचना पर आधारित हैं जो समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय कार्यनिष्पादन तथा समूह के नकदी प्रवाह की सच्ची और उचित स्थिति दर्शाते हैं, और भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धान्तों तथा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी व संबंधित लेखांकन मानकों के अनुरूप हैं। कंपनियों के संबंधित निदेशक मंडल पर्याप्त लेखांकन अभिलेख रखने, समूह की आस्तियों की सुरक्षा तथा कपट व अन्य अनियमितताओं की रोकथाम और उनका पता लगाने, उपयुक्त लेखांकन नीतियों के चयन व प्रयोग, औचित्यपूर्ण तथा विवेकसम्मत निर्णय व प्राक्कलन करने, लेखांकन रिकार्डों की सटीकता तथा पूर्णता सुनिश्चित करने की दृष्टि से परिचालन वाले ऐसे आंतरिक नियंत्रणों के निर्धारण, कार्यान्वयन व उन्हें कायम रखने के लिए उत्तरदायी हैं, जिन्हें बैंक के प्रबंधन ने उपर्युक्त रूप में समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के उद्देश्य से उपयोग किया हो, और जो वित्तीय विवरण तैयार करने तथा उनके प्रस्तुतीकरण के लिए प्रासंगिक हों, सच्ची तथा उचित स्थिति दर्शाते हों और कपटपूर्ण अथवा त्रुटिवश हुए तथ्यात्मक मिथ्याकथन से रहित हों।

समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में बैंक तथा समूह में शामिल कंपनियों और इसके सहयोगी संगठनों के संबंधित निदेशक-मंडल लाभप्रद प्रतिष्ठान के रूप में समूह के जारी रहने की क्षमता के आकलन, यथास्थिति लाभप्रद प्रतिष्ठान से संबंधित मामलों के प्रकटन तथा जब तक प्रबंधन समूह के समापन अथवा परिचालन बंद करने का इरादा नहीं रखता अथवा ऐसा करने के अलावा उसके पास कोई वास्तविक विकल्प नहीं होता, तब तक लाभप्रद प्रतिष्ठान का आधार प्रयोग करते रहने के लिए उत्तरदायी हैं।

बैंक व समूह में शामिल कंपनियों तथा सहयोगी संगठनों के संबंधित निदेशक-मंडल समूह की रिपोर्टिंग प्रक्रिया के पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी हैं।

8. वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा के संबंध में लेखा-परीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य समग्र रूप से समेकित वित्तीय विवरण के कपट से अथवा त्रुटिवश होने वाले तथ्यात्मक मिथ्या-कथन से रहित होने का आश्वासन प्राप्त करना, और एक ऐसी लेखा-परीक्षक-रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय शामिल हो। समुचित आश्वासन एक उच्च-स्तरीय आश्वासन होता है, किन्तु वह ऐसी गारंटी नहीं है कि लेखापरीक्षा-मानक के अनुरूप की गयी लेखा-परीक्षा में सदा ही किसी तथ्यात्मक मिथ्या कथन की मौजूदगी का पता चल जाएगा। मिथ्याकथन कपट अथवा त्रुटिवश हो सकते हैं और उन्हें एकल रूप से अथवा सम्मिलित रूप में तब तथ्यात्मक माना जाता है जब इन समेकित वित्तीय विवरणों के

आधार पर उपयोगकर्ता द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों के उन मिथ्याकथनों से पर्याप्त रूप में प्रभावित होने की संभावना हो।

लेखापरीक्षा-मानक के अनुरूप लेखापरीक्षा के हिस्से के रूप में हम समूची लेखापरीक्षा-प्रक्रिया के दौरान पेशेवराना विवेक का उपयोग करते हैं और पेशेवराना सावधानी बनाए रखते हैं। साथ ही, हम:

- कपटपूर्वक अथवा त्रुटिवश वित्तीय विवरणों में तथ्यात्मक मिथ्याकथन के जोखिम की पहचान व आकलन करते हैं, उक्त जोखिमों के अनुरूप लेखापरीक्षा प्रक्रियाएँ तैयार करके उन्हें संपन्न करते हैं और लेखापरीक्षा का ऐसा प्रमाण प्राप्त करते हैं जो हमारे मंतव्य का आधार बनने के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त हो। किसी कपट के फलस्वरूप तथ्यात्मक मिथ्याकथन के पता न चलने का जोखिम त्रुटिवश हुए मिथ्याकथन के जोखिम की तुलना में बड़ा होता है, क्योंकि कपट में मिलीभगत, जालसाजी, इरादतन भूल-चूक, मिथ्या प्रस्तुतीकरण अथवा आंतरिक नियंत्रण की अनदेखी का हाथ हो सकता है।

- आंतरिक नियंत्रण की जानकारी हासिल करते हैं, जो लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हो, ताकि लेखापरीक्षा की ऐसी प्रक्रिया तैयार की जा सके जो उक्त परिस्थिति के लिए उपयुक्त हो।

- उपयोग की गयी लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन प्राक्कलनों तथा प्रबंधन द्वारा किए गए तत्संबंधी प्रकटनों का मूल्यांकन करते हैं।

- प्रबंधन द्वारा लेखांकन के लिए लाभप्रद प्रतिष्ठान-आधार के उपयोग की उपयुक्तता के संबंध में और प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा-प्रमाण के आधार पर यह निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या घटनाओं अथवा स्थितियों से संबंधित कोई ऐसी तथ्यात्मक अनिश्चितता विद्यमान है जिसके फलस्वरूप लाभप्रद प्रतिष्ठान के रूप में जारी रहने की समूह की क्षमता पर कोई उल्लेखनीय संदेह उत्पन्न होता हो। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि कोई तथ्यात्मक अनिश्चितता विद्यमान है तो हमसे यह अपेक्षित होता है कि अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में हम वित्तीय विवरणों में तत्संबंधी प्रकटनों अथवा यदि ऐसे प्रकटन अपर्याप्त हों तो अपने मंतव्य में संशोधन की ओर ध्यान आकर्षित करें। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त किए गये लेखापरीक्षा-प्रमाणों पर आधारित हैं। किन्तु, भविष्य की घटनाओं अथवा स्थितियों के कारण लाभप्रद प्रतिष्ठान के रूप में समूह का जारी रहना बन्द हो सकता है।

- वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण, संरचना और विषयवस्तु का मूल्यांकन करते हैं। इसमें प्रकटन और यह देखना भी शामिल है कि वित्तीय विवरण अंतर्निहित व घटनाओं को इस रूप में दर्शाए, जिससे उचित प्रस्तुतीकरण का उद्देश्य पूर्ण हो सके।

हम अभिशासन-प्रभारियों के साथ अन्य विषयों के अलावा लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय तथा लेखापरीक्षा के महत्त्वपूर्ण निष्कर्षों व आंतरिक नियंत्रण की ऐसी उल्लेखनीय कमियों के बारे में बातचीत करते हैं जिन्हें हमने अपनी लेखापरीक्षा के दौरान चिह्नित किया हो।

अभिशासन-प्रभारियों को हम वह विवरण भी प्रदान करते हैं जिसे हमने निष्पक्षता के संबंध में संगत नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करते हुए तैयार किया है। साथ ही, हम उन्हें अपने उन संबंधों व अन्य विषयों की सूचना भी देते हैं जिससे हमारी निष्पक्षता और जहाँ लागू हो, वहाँ तत्संबंधी सुरक्षा-उपायों पर समुचित प्रभाव पड़ने की संभावना हो।

9. अन्य विधिक एवं विनियामकीय अपेक्षाओं संबंधी रिपोर्ट

हम सूचित करते हैं कि:

i. बैंक के प्रबन्धन ने समेकित वित्तीय विवरण लेखांकन मानक (एएस) 21, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी "समेकित वित्तीय विवरण", लेखांकन मानक (एएस) 23, "सहयोगी संस्थाओं में निवेश का समेकित वित्तीय विवरण में लेखांकन" के अनुरूप तथा बैंक, इसकी सहायक व सहयोगी संस्थाओं के पृथक वित्तीय विवरणों के आधार पर तैयार किये हैं।

ii. हमने वह समस्त सूचना व स्पष्टीकरण माँगे और प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य से आवश्यक थे और हमने उन्हें संतोषजनक पाया है।

iii. हमारी राय में, जहाँ तक हमने उक्त बहियों तथा अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों की जाँच की है, उससे प्रकट होता है कि उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए विधितः उपयुक्त बही-खाते रखे गये हैं।

iv. इस रिपोर्ट में जिस समेकित तुलन-पत्र, समेकित लाभ-हानि खाते तथा समेकित नकदी प्रवाह विवरण का उपयोग किया गया है, वे समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के उद्देश्य से रखी गयी लेखा-बहियों के अनुरूप हैं।

v. हमारे मतानुसार, उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरणों में लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन हुआ है।

कृते छाजेड एंड दोषी
सनदी लेखाकार
[फर्म का पंजीकरण सं. 101794डब्ल्यू]

किरण के दफ्तरी
साझीदार
सदस्य सं. 010279
यूडीआईएन-20010279AAAAAP9378

स्थान: मुंबई
दिनांक: 15 मई, 2020

समेकित तुलन-पत्र

यथा 31 मार्च, 2020

(राशि ₹ में)

		मार्च 31, 2020	मार्च 31, 2019
पूँजी एवं देयताएँ	**अनुसूचियां**		
पूँजी	I	5,31,92,20,310	5,31,92,20,310
आरक्षितियाँ, अधिशेष और निधियां	II	1,90,99,72,09,992	1,65,57,54,95,457
जमा	III	12,28,46,64,39,231	8,69,22,47,49,673
उधार	IV	5,55,26,26,04,342	5,96,99,79,07,872
अन्य देयताएँ एवं प्रावधान	V	73,90,24,11,267	77,16,91,50,528
आस्थगित कर देयता		-	25,71,28,714
कुल		**20,53,94,78,85,142**	**17,14,54,36,52,554**
आस्तियां			
नकदी एवं बैंक अतिशेष	VI	1,67,48,39,13,036	1,02,21,13,95,206
निवेश	VII	94,31,56,18,297	76,35,87,98,386
ऋण एवं अग्रिम	VIII	17,45,11,06,62,486	14,80,77,29,95,380
स्थिर आस्तियां	IX	2,87,28,92,360	2,86,08,41,637
अन्य आस्तियां	X	44,16,47,98,963	52,33,96,21,945
कुल		**20,53,94,78,85,142**	**17,14,54,36,52,554**
आकस्मिक देयताएं	XI	76,13,98,91,761	93,65,32,75,072

समेकित महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ (अनुसूची XV) तथा लेखा-टिप्पणियाँ (अनुबंध I) उक्त अनुसूचियाँ तुलन-पत्र का अभिन्न अंग हैं।

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

निदेशक मण्डल के आदेश से

कृते **छाजेड़ व दोषी**
सनदी लेखाकर
फर्म का पंजीकरण सं. 101794डब्ल्यू

किरण के. दफ्तरी
साझीदार
सदस्य सं. 010279

राजेन्द्र अग्रवाल
महाप्रबंधक
(निगमित लेखा उदभाग)

मनोज मित्तल
उप प्रबंध निदेशक

जी गोपालकृष्ण
निदेशक

मोहम्मद मुस्तफा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

आशीष गुप्ता
निदेशक

नई दिल्ली, 15 मई, 2020

समेकित लाभ-हानि खाता

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष का

(राशि ₹ में)

		मार्च 31, 2020	मार्च 31, 2019
आय	**अनुसूचियाँ**		
ब्याज एवं बट्टा	XII	1,21,19,65,15,276	1,02,65,97,31,674
अन्य आय	XIII	10,79,07,90,942	4,88,04,64,863
योग		**1,31,98,73,06,218**	**1,07,54,01,96,537**
व्यय			
ब्याज एवं वित्तीय प्रभार		83,70,61,45,787	74,16,16,92,565
परिचालन व्यय	XIV	6,51,78,02,426	5,22,29,08,970
प्रावधान एवं आकस्मिक व्यय		10,13,16,71,331	2,88,16,40,963
योग		**1,00,35,56,19,544**	**82,26,62,42,498**
कर-पूर्व लाभ		**31,63,16,86,674**	**25,27,39,54,039**
आयकर के लिए प्रावधान		6,25,50,50,250	7,23,63,53,979
आस्थगित कर-समायोजन [(आस्ति) / देयता]		(9,68,48,721)	(1,55,60,01,189)
सहयोगी संस्थाओं में अर्जन / (हानि) का हिस्सा		2,48,98,992	7,52,668
कर-पश्चात लाभ		**25,44,85,86,153**	**19,59,28,48,581**
अग्रानीत लाभ		1,04,83,25,536	1,01,96,45,697
कुल लाभ / (हानि)		**26,49,69,11,689**	**20,61,24,94,278**
विनियोजन			
सामान्य आरक्षिति में अंतरण		23,60,00,00,000	16,64,35,00,000
आय-कर अधिनियम 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षिति में अंतरण		55,00,00,000	70,00,00,000
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45-आईसी के अंतर्गत सांविधिक आरक्षिति का अंतरण		46,79,71,244	5,64,46,957
अन्य			
क) निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षिति में अंतरण		33,59,018	44,22,00,000
स्टाफ कल्याण निधि में अंतरण		3,00,00,000	2,00,00,000
विकास निधि		-	-
शेयरों पर लाभांश		-	1,36,96,99,230
लाभांश पर कर		99,74,273	33,23,22,555
अग्रनीत लाभ-हानि खाते में अधिशेष		1,83,56,07,154	1,04,83,25,536
योग		**26,49,69,11,689**	**20,61,24,94,278**
प्रति शेयर मूल / विलयित अर्जन		47.84	36.83

समेकित महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ तथा लेखा-टिप्पणियाँ (अनुसूची XV) और लेखों पर टिप्पणियाँ (अनुलग्नक I) उक्त अनुसूचियां लाभ-हानि लेखे का अभिन्न अंग हैं

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते **छाजेड़ व दोषी**
सनदी लेखाकर
फर्म का पंजीकरण सं. 101794डब्ल्यू

किरण के. दफ्तरी
साझीदार
सदस्य सं. 010279

राजेन्द्र अग्रवाल
महाप्रबंधक
(निगमित लेखा उदभाग)

निदेशक मण्डल के आदेश से

मनोज मित्तल
उप प्रबंध निदेशक

मोहम्मद मुस्तफा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

जी गोपालकृष्ण
निदेशक

आशीष गुप्ता
निदेशक

नई दिल्ली, 15 मई, 2020

समेकित तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ

पूंजी एवं देयाताएँ

(राशि ₹ में)

अनुसूची I: पूंजी	मार्च 31, 2020	मार्च 31, 2019
(क) प्राधिकृत पूंजी		
- ईक्विटी शेयर पूंजी (₹10/- प्रति शेयर की दर से - 75,00,00,000 ईक्विटी शेयर)	7,50,00,00,000	7,50,00,00,000
- अधिमान शेयर पूंजी (₹10/- प्रति शेयर की दर से - 25,00,00,000 शोध्य अधिमान शेयर)	2,50,00,00,000	2,50,00,00,000
(ख) जारी, अभिदत्त और चुकता पूंजी		
- ईक्विटी शेयर पूंजी (₹10/- प्रति शेयर की दर से 53,19,22,031 ईक्विटी शेयर)	5,31,92,20,310	5,31,92,20,310
- अधिमान शेयर पूंजी	-	-
कुल	**5,31,92,20,310**	**5,31,92,20,310**

(राशि ₹ में)

अनुसूची II: आरक्षितियां, अधिशेष और निधियाँ	मार्च 31, 2020	मार्च 31, 2019
क) आरक्षितियां		
i) सामान्य आरक्षितियां		
- अथ शेष	1,27,39,01,55,390	1,10,47,31,22,302
- वर्ष के दौरान परिवर्धन	23,60,45,72,817	16,91,70,33,088
- वर्ष के दौरान उपयोग	-	-
- अंतिम शेष	**1,50,99,47,28,207**	**1,27,39,01,55,390**
ii) शेयर प्रीमियम		
- अथ शेष	16,68,07,79,690	16,68,07,79,690
- वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-
- वर्ष के दौरान उपयोग	-	-
- अंतिम शेष	**16,68,07,79,690**	**16,68,07,79,690**
iii) विशेष आरक्षितियां		
क) निवेश आरक्षिति		
- अथ शेष	-	-
- वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-
- वर्ष के दौरान उपयोग	-	-
- अंतिम शेष	**-**	**-**
ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अनुसार निर्मित एवं सुरक्षित विशेष आरक्षितियां		
- अथ शेष	15,67,00,00,000	14,97,00,00,000
- वर्ष के दौरान परिवर्धन	55,00,00,000	70,00,00,000
- वर्ष के दौरान उपयोग	-	-
- अंतिम शेष	**16,22,00,00,000**	**15,67,00,00,000**
ग) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45-आईसी के अंतर्गत सृजित सांविधिक आरक्षिति		
- अथ शेष	72,04,28,337	66,39,81,380
- वर्ष के दौरान परिवर्धन	46,79,71,244	5,64,46,957
- वर्ष के दौरान उपयोग		
- अंतिम शेष	**1,18,83,99,581**	**72,04,28,337**

समेकित तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ

(राशि ₹ में)

अनुसूची II: आरक्षितियां, अधिशेष और निधियाँ	मार्च 31, 2020	मार्च 31, 2019
घ) अन्य आरक्षितियाँ		
i) निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षिति		
- अथ शेष	1,14,59,86,025	70,37,86,025
- वर्ष के दौरान परिवर्धन	33,59,018	44,22,00,000
- वर्ष के दौरान उपयोग		-
- अंतिम शेष	**1,14,93,45,043**	**1,14,59,86,025**
ख) लाभ-हानि खाते में अधिशेष	**1,83,56,07,154**	**1,04,83,25,536**
ग) निधियाँ		
क) राष्ट्रीय ईक्विटी निधि		
- अथ शेष	2,65,23,89,862	2,56,95,54,646
- वर्ष के दौरान परिवर्धन/पुनरांकन	37,52,970	8,28,35,216
- वर्ष के दौरान उपयोग	-	-
- अंतिम शेष	**2,65,61,42,832**	**2,65,23,89,862**
ख) स्टाफ कल्याण निधि		
- अथ शेष	24,74,30,617	24,92,32,557
- वर्ष के दौरान परिवर्धन	3,00,00,000	2,00,00,000
- वर्ष के दौरान उपयोग	2,52,23,132	2,18,01,940
- अंतिम शेष	**25,22,07,485**	**24,74,30,617**
ग) अन्य	2,00,00,000	2,00,00,000
योग	**1,90,99,72,09,992**	**1,65,57,54,95,457**

(Amount in ₹)

अनुसूची III: जमा	मार्च 31, 2020	मार्च 31, 2019
क) सावधि जमा	**31,77,53,39,231**	**64,86,00,49,673**
ख) बैंको से		
क) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम पुनर्वित्त निधि के अंतर्गत	9,39,05,30,50,000	5,80,00,00,00,000
ख) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम जोखिम पूंजी निधि के अंतर्गत	10,00,00,00,000	15,00,00,00,000
ग) अन्य-विदेशी और निजी क्षेत्र के बैंकों से	-	-
घ) एमएसएमई भारत नवाकांक्षा निधि के अंतर्गत	7,02,35,25,000	9,36,47,00,000
ञ) एमएसएमई क्षेत्र की उद्यम पूंजी निधि 2014-15 के अंतर्गत	71,86,45,25,000	50,00,00,00,000
च) प्राथमिकता क्षेत्र से संबंधित अंतराल के अंतर्गत	1,68,75,00,00,000	1,50,00,00,00,000
उप-योग (ख)	**11,96,69,11,00,000**	**8,04,36,47,00,000**
कुल	**12,28,46,64,39,231**	**8,69,22,47,49,673**

समेकित तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ

(राशि ₹ में)

अनुसूची IV: उधारियां	मार्च 31, 2020	मार्च 31, 2019
I) भारत में उधारियां		
1. भारतीय रिजर्व बैंक से	-	-
2. भारत सरकार से	21,07,48,45,249	21,46,93,19,323
(भारत सरकार द्वारा अभिदत्त बॉण्ड सहित)		
3. बॉण्ड एवं डिबेंचर	1,75,62,50,00,000	1,44,95,50,00,000
4. अन्य स्रोतों से		
- वाणिज्यिक पत्र	49,50,00,00,000	47,50,00,00,000
- जमा प्रमाण पत्र	1,97,12,87,66,800	1,51,55,00,00,000
- बैंकों से सावधि ऋण	14,36,35,43,399	1,24,46,56,06,275
- सावधि मुद्रा उधारियां	-	-
- अन्य	4,74,98,02,338	14,99,20,398
उप-योग (I)	**4,62,44,19,57,786**	**4,90,08,98,45,996**
II) भारत से बाहर उधारियां		
(क) केएफडब्ल्यू, जर्मनी	11,60,28,09,154	14,44,29,19,606
(ख) जापान इंटरनेशनल को-ऑपरेशन एजेंसी (जाइका)	34,07,23,44,393	36,80,54,19,487
(ग) आईएफएडी, रोम	1,15,34,15,466	1,12,48,25,395
(च) विश्व बैंक	43,46,01,15,739	51,47,72,81,791
(छ) अन्य	2,53,19,61,804	3,05,76,15,597
उप-योग (II)	**92,82,06,46,556**	**1,06,90,80,61,876**
योग (I&II)	**5,55,26,26,04,342**	**5,96,99,79,07,872**

(राशि ₹ में)

अनुसूची V: अन्य देयताएं व प्रावधान	मार्च 31, 2020	मार्च 31, 2019
उपचित ब्याज	28,57,11,85,566	29,73,55,86,890
सिडबी कर्मचारी भविष्य निधि के लिए प्रावधान	3,09,97,41,738	2,80,17,62,288
सिडबी पेंशन निधि के लिए प्रावधान	62,60,20,000	45,55,68,252
चिकित्सा अवकाश के लिए प्रावधान	6,27,63,000	11,18,93,681
चिकित्सा सहायता निधि के लिए प्रावधान	21,30,15,000	18,00,58,808
कर्मचारियों के हित के लिए प्रावधान	1,66,82,59,449	1,09,09,74,143
अन्य (प्रावधान सहित)	31,21,32,36,819	33,62,50,53,519
विदेशी मुद्रा दर उतार-चढ़ाव हेतु प्रावधान	1,53,73,62,766	1,53,73,62,766
मानक आस्तियों के लिए किए गए आकस्मिक प्रावधान	6,91,08,26,929	5,97,96,45,246
प्रस्तावित लाभांश (लाभांश पर कर सहित)	-	1,65,12,44,935
योग	**73,90,24,11,267**	**77,16,91,50,528**

समेकित तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ

आस्तियाँ

(राशि ₹ में)

अनुसूची VI: नकदी और बैंक अतिशेष	मार्च 31, 2020	मार्च 31, 2019
1. हाथ में नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक में अतिशेष	6,30,354	6,14,123
2. अन्य बैंकों में अतिशेष		
(क) भारत में		
i) चालू खातों में	31,51,18,718	68,23,37,125
ii) अन्य निक्षेप खातों में	1,63,12,09,26,795	95,33,85,30,715
(ख) भारत से बाहर		
i) चालू खातों में	5,19,09,337	16,18,137
ii) अन्य निक्षेप खातों में	3,99,53,27,832	6,18,82,95,106
योग	**1,67,48,39,13,036**	**1,02,21,13,95,206**

(राशि ₹ में)

अनुसूची VII: निवेश [प्रावधानों को घटाकर]	मार्च 31, 2020	मार्च 31, 2019
क) राजकोषीय परिचालन		
1. केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियाँ	4,91,62,54,874	4,46,80,73,744
2. बैंकों और वित्तीय संस्थानों के शेयर	-	-
3. बैंकों और वित्तीय संस्थानों के बॉण्ड्स और डिबेंचर्स	7,39,95,25,696	6,40,56,57,540
4. औद्योगिक प्रतिष्ठानों के स्टॉक, शेयर, बॉण्ड्स और डिबेंचर्स	1,99,92,72,771	1,99,92,72,771
5. अल्पावधि बिल पुनर्भुनाई योजना	-	-
6. अन्य	65,76,99,85,928	44,60,07,32,633
उप-योग (क)	**80,08,50,39,269**	**57,47,37,36,688**
ख) व्यवसाय परिचालन		
1. बैंकों और वित्तीय संस्थानों के शेयर	1,82,22,71,142	1,78,47,71,142
2. बैंकों और वित्तीय संस्थानों के बॉण्ड्स और डिबेंचर्स	5,65,33,000	5,65,33,000
3. औद्योगिक प्रतिष्ठानों के स्टॉक, शेयर, बॉण्ड्स और डिबेंचर्स	4,63,89,03,959	4,85,32,42,053
4. सहायक संगठनों में निवेश	-	-
5. अन्य	7,71,28,70,927	12,19,05,15,503
उप-योग (ख)	**14,23,05,79,028**	**18,88,50,61,698**
योग (क+ख)	**94,31,56,18,297**	**76,35,87,98,386**

समेकित तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ

(राशि ₹ में)

अनुसूची VIII: ऋण एवं अग्रिम [प्रावधान के बाद]	मार्च 31, 2020	मार्च 31, 2019
क) निम्नलिखित को पुनर्वित्त		
- बैंक एवं वित्तीय संस्थाएँ	14,95,23,02,04,547	12,56,89,55,95,686
- अल्प वित्त संस्थाएँ	29,33,28,48,488	16,50,04,35,388
- गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	1,20,61,81,13,099	1,12,34,37,42,688
- बिलों की पुनर्भुनाई	-	-
- अन्य (संसाधन सहायता)	-	92,00,29,123
उप-योग (क)	**16,45,18,11,66,134**	**13,86,65,98,02,885**
ख) प्रत्यक्ष ऋण		
- ऋण एवं अग्रिम	98,66,91,14,926	88,96,65,09,187
- प्राप्य वित्त योजना	1,26,03,81,426	5,14,66,83,308
- भुनाए गए बिल	-	-
उप-योग (ख)	**99,92,94,96,352**	**94,11,31,92,495**
योग (क+ख)	**17,45,11,06,62,486**	**14,80,77,29,95,380**

(राशि ₹ में)

अनुसूची IX: स्थिर आस्तियां [मूल्यह्रास घटाकर]	मार्च 31, 2020	मार्च 31, 2019
1. परिसर	2,83,87,18,309	2,83,23,37,105
2. अन्य	3,41,74,051	2,85,04,532
योग	**2,87,28,92,360**	**2,86,08,41,637**

(राशि ₹ में)

अनुसूची X: अन्य आस्तियां	मार्च 31, 2020	मार्च 31, 2019
उपचित ब्याज	21,60,56,24,776	33,80,66,88,189
अग्रिम कर (प्रावधान के बाद)	4,08,79,40,451	3,79,52,73,496
अन्य	12,94,68,58,666	7,27,41,57,841
व्यय जिस सीमा तक बट्टे खाते में नहीं डाला गया है	5,52,43,75,070	7,46,35,02,419
योग	**44,16,47,98,963**	**52,33,96,21,945**

(राशि ₹ में)

अनसूची XI: आकस्मिक देयताएं	मार्च 31, 2020	मार्च 31, 2019
i) बैंक पर वे दावे, जिन्हें ऋण नहीं माना गया है	5,74,27,63,852	6,98,13,20,359
ii) गारंटियों / साख-पत्रों के फलस्वरूप	46,99,22,915	54,95,08,487
iii) वायदा संविदाओं के फलस्वरूप	5,79,87,607	1,03,14,60,100
iv) अन्य मदें, जिनके लिए बैंक की आकस्मिक देयता है हामीदारी प्रतिबद्धताओं के फलस्वरूप	-	-
v) आंशिक रूप से चुकता शेयरों, डिबेंचरों पर न मांगी गई राशियों के फलस्वरूप	5,19,13,80,042	6,33,78,34,494
vi) अन्य मदें, जिनके लिए बैंक की आकस्मिक देयता है (व्युत्पन्नी संविदाएँ इत्यादि)	64,67,78,37,345	78,75,31,51,632
योग	**76,13,98,91,761**	**93,65,32,75,072**

समेकित लाभ-हानि खाते की अनुसूचियाँ

(राशि ₹ में)

अनुसूची XII: ब्याज और बट्टा	मार्च 31, 2020	मार्च 31, 2019
1. ऋणों, अग्रिमों और बिलों पर ब्याज एवं बट्टा	1,10,02,35,82,062	96,67,92,56,917
2. निवेश / बैंक अतिशेष पर आय	11,17,29,33,214	5,98,04,74,757
योग	**1,21,19,65,15,276**	**1,02,65,97,31,674**

(राशि ₹ में)

अनुसूची XIII: अन्य आय	मार्च 31, 2020	मार्च 31, 2019
1. अपफ्रंट और संसाधन शुल्क	57,92,69,491	35,06,51,911
2. कमीशन और दलाली	1,25,57,895	1,49,28,003
3. निवेशों की बिक्री से लाभ	4,01,85,64,459	3,24,91,18,727
4. सहायक संस्थाओं / सहयोगी संस्थाओं से लाभांश, आदि के जरिये अर्जित आय	12,75,000	92,75,000
5. पिछले वर्षों के पुनरांकन का प्रावधान	-	-
6. अन्य	6,17,91,24,097	1,25,64,91,222
योग	**10,79,07,90,942**	**4,88,04,64,863**

(राशि ₹ में)

अनुसूची XIV: परिचालन व्यय:	मार्च 31, 2020	मार्च 31, 2019
कर्मचारियों के लिए किए गए भुगतान और प्रावधान	3,94,77,42,252	3,68,87,39,790
किराया, कर और बिजली	17,31,83,525	19,69,05,286
मुद्रण एवं लेखन-सामग्री	1,16,19,046	1,03,02,916
विज्ञापन और प्रचार	38,31,97,069	5,63,94,542
बैंक की संपत्ति में मूल्यह्रास / परिशोधन	18,36,84,906	18,43,71,236
निदेशकों की फीस, भत्ते व व्यय	56,56,120	42,61,620
लेखा परीक्षकों की फीस	33,64,757	35,07,480
विधि प्रभार	1,84,04,109	2,69,58,423
डाक, कूरियर, दूरभाष, आदि	26,42,172	24,78,076
मरम्मत और रखरखाव	17,23,03,019	12,35,98,554
बीमा	57,33,487	49,18,746
सीजीटीएमएसई को अंशदान	-	-
अन्य व्यय	1,61,02,71,964	92,04,72,301
योग	**6,51,78,02,426**	**5,22,29,08,970**

तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ

अनुसूची XV: महत्त्वपूर्ण समेकित लेखांकन नीतियाँ

1 तैयार करने के आधार

समेकित वित्तीय विवरण सभी महत्त्वपूर्ण दृष्टियों से भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 (मूल) एवं उसकी सहायक एवं सहयोगी संस्थाओं तथा उसके विनियमों, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदण्डों, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा लागू जारी लेखा मानकों और बैंकिंग उद्योग में प्रचलित पद्धतियों के अनुपालन में तैयार किए गए हैं। जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो, समेकित वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत पद्धति के अंतर्गत उपचय आधार पर तैयार किए गए हैं। जब तक कि अन्यथा उल्लिखित न हो, बैंक द्वारा लागू की गई लेखा-नीतियाँ पिछले वर्ष प्रयोग की गई नीतियों के अनुरूप हैं।

आकलनों का उपयोग:

आम तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धान्तों की अनुरूपता में समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंधन से अपेक्षित होता है कि वह ऐसे आकलन और अनुमान करें, जो समेकित वित्तीय विवरण की तारीख में आस्तियों और देयताओं की रिपोर्ट की गई राशियों, आकस्मिक देयताओं के प्रकटन और रिपोर्ट की अवधि में रिपोर्ट की गई आय और व्यय की राशियों को प्रभावित करते हैं। प्रबंधन का मानना है कि ये अनुमान और मान्यताएँ उचित और विवेकपूर्ण हैं। हालांकि वास्तविक परिणाम उक्त अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। लेखा अनुमानों में किसी संशोधन का निर्धारण संबंधित लेखा-मानक की वर्तमान और भविष्य की अवधि में अपेक्षाओं के अनुरूप किया जाता है।

समेकन प्रक्रिया:

सहायक संस्थाओं के समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल हैं:

1) माइक्रो यूनिट्स डेवलेपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी (मुद्रा)
2) सिडबी वेंचर कैपिटल लिमिटेड (एसवीसीएल)
3) सिडबी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एसटीसीएल)

सहयोगी संस्थाओं के समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल हैं:

1) एक्यूट रेटिंग्स लिमिटेड (पूर्व में स्मेरा)
2) इण्डिया एसएमई ऐसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (आइसार्क)
3) इण्डिया एसएमई टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड
4) दिल्ली वित्त निगम
5) रिसीवेबल एक्सचेंज ऑफ इण्डिया लिमिटेड (आरएक्सआईएल)
6) किटको लिमिटेड
7) एपिटको लिमिटेड

समूह (3 सहायक और 7 सहयोगी संस्थाओं जिनके विवरण ऊपर दिए गए हैं) के समेकित वित्तीय विवरणों को निम्नलिखित आधार पर तैयार किया गया है

क. भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (मूल) लेखापरीक्षित लेखे

ख. भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी एएस 21 (समेकित वित्तीय विवरण) के अनुसार वसूल न किये हुए लाभ / हानि और सभी सामग्री अंतर-समूह शेष / संव्यवहार को समाप्त करने के बाद और मूल के सन्दर्भ में 3 सहायक कंपनियों की आस्ति / देयता / आय / व्यय के प्रत्येक मद का पंक्ति दर पंक्ति समेकन किया गया है।

ग. सहयोगी संस्थाओं के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर आईसीएआई द्वारा जारी एएस 23 (सहयोगी संस्थाओं के समेकित वित्तीय विवरणों में निवेश के लिए लेखांकन) के अनुसार सहयोगी संस्थाओं में निवेश को ईक्विटी विधि के अंतर्गत माना गया है।

घ. लेखांकन नीतियों में अंतर के मामले में, मूल संस्था की लेखांकन नीतियों के अनुरूप, सहायक और सहयोगी संस्थाओं के वित्तीय विवरण जहां भी आवश्यक और व्यावहारिक होते हैं, समायोजित किए जाते हैं।

2 राजस्व निर्धारण:

बैंक को जो भी संभव आर्थिक लाभ से राजस्व मिलेगा उसका निर्धारण किया गया है और राजस्व को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।

क) आय:

i. दण्डात्मक ब्याज सहित ब्याज आय को उपचय आधार पर हिसाब में लिया गया है, सिवाय अनर्जक आस्तियों के मामलों के जहाँ उसे वसूली के बाद हिसाब में लिया गया है।

ii. लाभ और हानि लेखा में आय, सकल रूप में अर्थात् भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रावधानों तथा बैंक की आन्तरिक नीति के अनुसार दबावग्रस्त आस्तियों हेतु प्रावधान जैसे अन्य प्रावधानों से पहले दर्शायी गई है।

iii. बिलों की भुनाई / पुनर्भुनाई तथा लिखतों की भुनाई को लिखतों की मीयाद के अनुसार निरंतर प्रतिलाभ आधार पर निर्धारित किया गया है।

iv. मानक (अर्जक) आस्तियों के संबंध में वचनबद्धता प्रभार, बीज पूँजी / सुलभ ऋण सहायता पर सेवा-प्रभार और रॉयल्टी आय को उपचय आधार पर हिसाब में लिया गया है।

v. औद्योगिक प्रतिष्ठानों और वित्तीय संस्थाओं में धारित शेयरों पर लाभांश को वसूली के पश्चात् आय माना गया है।

vi. उद्यम पूंजी निधि में एच टी एम श्रेणी में यूनिट / शेयरों के मोचन को बिक्री के रूप में नहीं माना जाता है।

vii. अनर्जक आस्तियों की वसूली को निम्नलिखित क्रम से विनियोजित किया गया है:

(क) अनर्जक आस्ति बनने की तारीख तक अतिदेय ब्याज

(ख) मूलधन

(ग) लागत व प्रभार

(घ) ब्याज एवं

(ङ) दंडात्मक ब्याज

viii. ऋणों एवं अग्रिमों की बिक्री पर प्रत्यक्ष समनुदेशन से हुए लाभ / हानि को भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रचलित दिशानिर्देशों के अनुसार हिसाब में लिया गया है।

ix. पहले वर्षों में बट्टे खाते में डाले गए ऋणों के सन्दर्भ में प्राप्त राशियों को लाभ हानि लेखे में आय के रूप में लिया गया है।

x. किसी भी श्रेणी के निवेशों की बिक्री से लाभ या हानि को लाभ-हानि लेखा में ले जाया गया है। तथापि 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी के निवेशों की बिक्री पर लाभ के मामले में, समतुल्य राशि को पूँजी आरक्षित खाते में विनियोजित कर दिया गया है।

xi. सात साल से अधिक की अवधि के लिए दावा न किए गए देनदारियों (सांविधिक देनदारियों के अलावा) के रूप में पड़ी राशि को आय के रूप में लिया गया है।

xii. बैंक द्वारा आयकर विभाग से जारी किए गए ऐसे रिफंड आदेश / आदेश देने वाले प्रभावों की प्राप्ति पर आयकर रिफंड पर ब्याज को हिसाब में लिया गया है।

xiii. उधारकर्ताओं से सीजीटीएमएसई शुल्क, मूल्यांकन शुल्क, अधिवक्ता शुल्क, बीमा इत्यादि की वसूली नकद आधार पर की जाती है।

xiv. **एसवीसीएल -** राजस्व को इस हद तक चिन्हीकृत किया जाता है कि यह संभावना है कि आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेंगे तो उस राजस्व को विश्वसनीय तरीके से मापा जा सकता है। उद्यम पूंजी निधि / एएफआई द्वारा प्रबंधित निधियों पर यह तिमाही आधार पर प्रबंधन शुल्क उपचित करता है। सावधि जमा / कर मुक्त बांड पर ब्याज को समय अनुपात के आधार पर हिसाब में लिया गया है। आईआईबीआई द्वारा समनुदेशित निवेश की बिक्री से प्राप्त निवल लाभ के 5% की आय को कंपनी द्वारा आय में लिया गया है।

ख) व्यय:

i. विकास व्यय को छोड़कर शेष सभी व्यय उपचय आधार पर हिसाब में लिए गए हैं। विकास व्यय को नकद आधार पर हिसाब में लिया गया है।

ii. जारी किए गए बॉण्डों और वाणिज्यिक पत्रों पर बट्टे को बॉण्डों और वाणिज्यिक पत्रों की मीयाद के अनुसार परिशोधित कर दिया गया है। बॉण्ड जारी करने संबंधी व्ययों को बॉण्डों की मीयाद के अनुसार परिशोधित कर दिया गया है।

3 निवेश

(i) भारतीय रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, संपूर्ण निवेश संविभाग को 'परिपक्वता तक धारित', 'बिक्री हेतु उपलब्ध' तथा 'व्यापार हेतु धारित' की श्रेणियों में विभाजित कर दिया गया है। निवेशों का मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है। प्रत्येक श्रेणी के निवेशों को पुनः निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत किया गया है:

क) सरकारी प्रतिभूतियाँ,

ख) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ,

ग) शेयर,

घ) डिबेंचर तथा बॉण्ड

ङ) सहायक संस्थाएँ / संयुक्त उपक्रम और

च) अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्युचुअल फंड यूनिट, प्रतिभूति पावतियां,जमा प्रमाणपत्र आदि)

क) परिपक्वता तक धारित

परिपक्वता तक बनाए रखने के उद्देश्य से किए गए निवेशों को 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। ऐसे निवेशों को अर्जन लागत पर दर्शाया गया है, बशर्ते वह अंकित मूल्य से अधिक न हो। ऐसा होने पर प्रीमियम को परिपक्वता की शेष अवधि में परिशोधित कर दिया गया है। सहायक कंपनियों में निवेश को परिपक्वता तक धारित के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इस श्रेणी के अंतर्गत सहायक कंपनियों में निवेशों के मूल्य में कमी (अस्थायी को छोड़कर) प्रत्येक निवेश के संबंध में अलग-अलग प्रावधान किया गया है।

(ख) व्यापार हेतु धारित

अल्पावधि मूल्य / ब्याज-दर परिवर्तन का लाभ उठाते हुए 90 दिनों में पुनः बेचने के इरादे से किए गए निवेशों को 'व्यापार हेतु धारित' श्रेणी में रखा गया है। इस वर्ग के निवेशों का समग्र रूप से स्क्रिप-अनुसार पुनर्मूल्यांकन किया गया है और निवल मूल्यवृद्धि / मूल्यह्रास को अलग-अलग स्क्रिपों के बही-मूल्य में तत्संगत परिवर्तन करते

हुए लाभ-हानि लेखा में हिसाब में लिया गया है। व्यापार / उद्धृत निवेश के संबंध में, बाजार मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों पर उपलब्ध ट्रेडों / उद्धरणों से लिया गया है।

ग). बिक्री हेतु उपलब्ध:

उपर्युक्त दो श्रेणियों के अंतर्गत न आनेवाले निवेशों को 'बिक्री हेतु उपलब्ध' श्रेणी में रखा गया है। इस श्रेणी के अंतर्गत अलग-अलग स्क्रिपों का पुनर्मूल्यांकन किया गया है और उक्त वर्गीकरण में से किसी के भी अंतर्गत हुए निवल मूल्यह्रास को लाभ और हानि लेखे में हिसाब में लिया गया है। किसी भी वर्गीकरण के अंतर्गत निवल मूल्यवृद्धि को नज़रअंदाज कर दिया गया है। अलग-अलग स्क्रिपों के बही-मूल्य में पुनर्मूल्यांकन के बाद परिवर्तन नहीं किया गया है।

(ii) कोई निवेश परिपक्वता के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत है, या बिक्री के लिए उपलब्ध है या इसकी खरीद के समय व्यापार के लिए धारित है तथा बाद में इसकी श्रेणियों में अंतरण और उसका मूल्यांकन भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जाता है।

(iii) ट्रेजरी बिल, वाणिज्यिक पत्र और जमा प्रमाणपत्र, बट्टा वाले लिखत हैं, लागत मूल्य पर इनका मूल्यांकन किया जाता है।

(iv) उद्धृत सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्यांकन बाजार मूल्यों पर किया जाता है और जो सरकारी प्रतिभूतियां उद्धृत नहीं है / जिनका ब्यापार नहीं हो रहा है उनका मूल्य निर्धारण वित्तीय बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट द्वारा घोषित मूल्यों पर किया जाता है।

(v) निवेश जो भारत सरकार द्वारा प्रदान किए गए कॉर्पस या निधि से बने होते हैं और संबंधित निधि शेष से बचे हुए निधि का मूल्यांकन भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुरूप नहीं अपितु उसकी लागत पर होता है।

(vi) निवेशों में खरीद और बिक्री की प्रविष्टि 'निपटान तारीख' का पालन करते हुए की गई है।

(vii) जो डिबेंचर / बाण्ड / शेयर अग्रिम की प्रवृत्ति के माने गए हैं, वे ऋण और अग्रिमों पर लागू सामान्य विवेकपूर्ण मानदंडों के अधीन हैं।

(viii) निवेशों की लागत भारित औसत लागत पद्धति से निर्धारित की गई है।

(ix) अभिग्रहण / बिक्री के समय अदा की गई दलाली, कमीशन आदि को लाभ-हानि लेखे में दर्शाया गया है।

(x) ऋण-निवेश में प्रदत्त / प्राप्त खंडित अवधि-ब्याज को ब्याज व्यय / आय माना गया है और उसे लागत / बिक्री-राशि से अलग रखा गया है।

(xi) बीज पूँजी योजना के अंतर्गत औद्योगिक प्रतिष्ठानों में सूची से इतर निवेशों के संबंध में पूर्ण प्रावधान किया गया है।

(xii) भारतीय रिजर्व बैंक के संगत दिशानिर्देशों के अनुसार म्यूचुअल फंड की इकाइयों को उनकी पुनर्खरीद मूल्य पर मूल्यांकित किया गया है।

(xiii) उद्धृत न की गई निश्चित आय वाली प्रतिभूतियों (सरकारी प्रतिभूतियों के अलावा) का मूल्यांकन केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों के समान परिपक्वता अवधि पर प्रतिलाभ की दर से उपयुक्त मार्क अप के आधार पर किया गया है। एफबीआईएल द्वारा प्रकाशित संगत दरों के अनुसार परिपक्वता अवधि पर प्रतिलाभ की दर और इस तरह के मार्क-अप को लागू किया गया हैं।

4 विदेशी मुद्रा संव्यवहार

विदेशी मुद्रा संव्यवहारों को लेखा-बहियों में संबंधित विदेशी मुद्रा में संव्यवहार के दिन लागू विनिमय दरों पर दर्ज़ किया गया है। विदेशी मुद्रा संव्यवहार का लेखांकन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक (एएस)-11 के अनुसार किया गया है।

i. बकाया अग्रेषण विनिमय अनुबंधों के संबंध में आकस्मिक देयता की गणना विनिमय की अनुबंधित दरों पर की जाती है और गारंटी, स्वीकृतियां,पृष्ठांकनों एवं अन्य देयताओं के संबंध में गणना विदेशी मुद्रा डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (फेडाइ) द्वारा अधिसूचित बंद विनिमय दरों पर की जाती है।

ii. विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं को विदेशी मुद्रा डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (फेडाइ) द्वारा तुलन-पत्र की तारीख में प्रभावी अधिसूचित अन्तिम विदेशी मुद्रा-दर में परिवर्तित किया गया है।

iii. विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय मदों को वास्तविक बिक्री / खरीद के माध्यम से मासिक अन्तरालों पर परिवर्तित किया जाता है और उन्हें तदनुसार लाभ-हानि खाते में हिसाब में लिया गया है।

iv. विदेशी मुद्रा जोखिम के प्रबंधन हेतु विदेशी मुद्रा ऋण-व्यवस्था पर पुनर्मूल्यांकन अन्तर को भारत सरकार के परामर्श से खोले गए एक विशेष खाते में समायोजित और रिकॉर्ड किया जाता है।

v. व्युत्पन्नी संव्यवहारों के संबंध में बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार बचाव (हेज) लेखांकन का अनुसरण करता है।

vi. मौद्रिक वस्तुओं के निपटान पर उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर को उस अवधि में आय या व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है, जिसमें वे उत्पन्न होते हैं।

vii. बकाया फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स जो ट्रेडिंग के लिए अभिप्रेत नहीं हैं, उनका पुनर्मूल्यांकन फेडाइ के बंद दरों पर की जाती है।

5 व्युत्पन्नियाँ

बैंक अपनी विदेशी मुद्रा देयताओं के बचाव के लिए वर्तमान में मुद्रा व्युत्पन्नी संव्यवहारों जैसे अंतर-मुद्रा ब्याज-दर विनिमय में व्यवहार करता है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार बचाव के उद्देश्य से किए गए उक्त व्युत्पन्नी संव्यवहारों को उपचय आधार पर हिसाब में लिया जाता है। अनुबंधित रुपया राशि पर व्युत्पन्नी संव्यवहार अनुबंधों पर आधारित देयताओं को तुलन-पत्र की तारीख पर रिपोर्ट किया गया है।

6 ऋण एवं अग्रिम

i. आस्तियों, अर्थात् ऋण तथा अन्य सहायता संविभागों को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार अर्जक और अनर्जक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अनर्जक आस्तियों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रावधान किया गया है।

ii. तुलन-पत्र में उल्लिखित अग्रिम, अनर्जक आस्तियों के लिए किए गए प्रावधानों को घटाकर है।

iii. मानक आस्तियों के संबंध में सामान्य प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार किए गए हैं।

iv. चल प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार किए और उपयोग में लाए गए हैं।

7 कराधान

(i) कर संबंधी व्यय में वर्तमान कर और आस्थगित कर, दोनों शामिल हैं। वर्तमान आय-कर की गणना आय-कर अधिनियम, 1961 के अनुसार आय-कर प्राधिकारियों को अदा की जानेवाली संभावित राशि के और आय परिकलन प्रकटीकरण मानकों के आधार पर की जाती है।

(ii) आस्थगित आय-कर, वर्ष की कर-योग्य आय तथा लेखांकन आय के मध्य वर्तमान वर्ष के समयांतराल और पूर्ववर्ती वर्षों के समयांतराल के प्रत्यावर्तन के प्रभाव को दर्शाता है। आस्थगित कर की गणना तुलन-पत्र की तारीख तक अधिनियम अथवा यथेष्ट रूप में अधिनियमित कर-कानूनों और कर की दरों के आधार पर की गई है।

(iii) आस्थगित कर आस्तियाँ केवल उस सीमा तक निर्धारित की गई हैं, जिस सीमा तक यह समुचित विश्वास है कि भविष्य में पर्याप्त कर-योग्य आय होगी, जिसके प्रति ऐसे आस्थगित कर की वसूली हो सकती है। पूर्ववर्ती वर्षों की अनिर्धारित आस्थगित आस्तियों का उस सीमा तक पुनर्मूल्यांकन और निर्धारण किया गया है, जिस सीमा तक यह समुचित विश्वास है कि भविष्य में पर्याप्त कर-योग्य आय होगी, जिसके प्रति ऐसी आस्थगित कर आस्तियों की वसूली हो सकती है।

(iv) जो विवादित कर हैं, जिसमें विभागीय अपील भी शामिल है, को आकस्मिक देयता में लिया गया हैं।

8 प्रतिभूतीकरण:

(i) बैंक क्रेडिट रेटिंग-युक्त सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम आस्ति-समूहों को बैंकों / गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से विशेष प्रयोजन संस्था द्वारा जारी पास-थ्रू-प्रमाणपत्रों के ज़रिए खरीदता है। इस प्रकार के प्रतिभूतीकरण संव्यवहार निवेश के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं और निवेश के उद्देश्य के आधार पर उनका आगे वर्गीकरण व्यापार हेतु धारित / विक्रय हेतु उपलब्ध के रूप में किया जाता है।

(ii) बैंक द्विपक्षीय सीधे समनुदेशक के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के श्रेणीनिर्धारित आस्ति-समूह खरीदता है। ऐसे सीधे समनुदेशन संव्यवहारों को बैंक द्वारा 'अग्रिम' के रूप में लेखांकित किया जाता है।

(iii) बैंक सीधे समनुदेशन द्वारा ऋण एवं अग्रिम की बिक्री करता है। अधिकतर मामलों में बैंक इन संव्यवहारों के अंतर्गत बेचे गए ऋण एवं अग्रिम की चुकौती करना जारी रखता है तथा बेचे गए ऋण एवं अग्रिम पर अवशेष ब्याज का हक़दार होता है। आस्तियों पर नियंत्रण के समर्पण के सिद्धान्त के आधार पर सीधे समनुदेशन के अंतर्गत बेची गई आस्तियों को बैंक की बहियों के हिसाब से निकाल दिया जाता है।

(iv) बेचे गए ऋणों एवं अग्रिमों पर अवशेष आय को अंतर्निहित ऋणों एवं अग्रिमों के जीवनकाल के अनुसार हिसाब में लिया जा रहा है।

(v) आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा जारी प्रतिभूति प्राप्ति को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित ऐसे उपकरणों पर लागू दिशानिर्देशों के अनुसार मूल्यांकित किया जाता है।

9 आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) को वित्तीय आस्तियों की बिक्री:

(i) अनर्जक आस्तियों की बिक्री नकद आधार पर अथवा प्रतिभूति प्राप्ति (एसआर) में निवेश आधार पर की जाती है। एसआर आधार पर बिक्री के मामले में, बिक्री प्रतिफल अथवा उसके भाग को प्रतिभूति-प्राप्ति के रूप में निवेश समझा जाता है।

(ii) यदि आस्ति की बिक्री निवल बही मूल्य (अर्थात् बही-मूल्य में से धारित प्रावधान हटाने पर प्राप्त मूल्य) से कम कर दी जाती है, तो कमी को लाभ-हानि लेखा के नामे किया जाता है। यदि बिक्री मूल्य निवल बही मूल्य से अधिक है, तो धारित बेशी प्रावधान को उस वर्ष लाभ-हानि लेखे में प्रतिवर्तित किया जा सकता है, जिस वर्ष राशि प्राप्त हुई हो। बेशी प्रावधान का प्रतिवर्तन उस प्राप्त राशि तक सीमित होता है, जो आस्ति के निवल बही मूल्य से अधिक हो।

10 स्टाफ के हितार्थ प्रावधान

1. मूल संस्था:

क) सेवानिवृत्ति पश्चात् लाभ

(i) भविष्य निधि बैंक द्वारा चलाई जा रही एक निश्चित अंशदायी योजना है और उसमें किए गए अंशदान लाभ-हानि लेखे पर प्रभारित होते हैं।

(ii) ग्रैच्युटी देयता तथा पेंशन देयता निश्चित लाभ दायित्व हैं और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ, जैसे- क्षतिपूरित अनुपस्थितियाँ, सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा लाभ, छुट्टी

किराया रियायत आदि का प्रावधान स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर तुलन-पत्र की तारीख पर किया जाता है, जो एएस 15 (यथोसंशोधित 2005)- कर्मचारी लाभ के अनुसार अनुमानित इकाई जमा पद्धति पर आधारित होता है।

(iii) बीमांकिक लाभ / हानि लाभ-हानि लेखे में बीमांकिक मूल्यांकन आधार पर दर्ज़ किए जाते हैं।

(iv) नई पेंशन योजना निश्चित अंशदान वाली योजना है। यह उन कर्मचारियों पर लागू है, जो 1 दिसंबर 2011 या उसके बाद बैंक की सेवा में आए हैं। बैंक पूर्व-निर्धारित दर पर निश्चित अंशदान करता है और बैंक का दायित्व उक्त निश्चित अंशदान तक सीमित है। यह अंशदान लाभ-हानि खाते में भारित होता है।

(v) उस अवधि के लिए जिसमें वे घटित होते है, बीमांकिक लाभ / हानि लाभ-हानि लेखे में बीमांकिक मूल्यांकन आधार पर दर्ज़ किए जाते हैं।

(vi) वर्ष के दौरान हुए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत किए गए भुगतान को लाभ-हानि खाते में भारित होता है।

ख) सेवा-कालिक (अल्पाविधि) लाभ:

अल्पावधि लाभों से उत्पन्न देयता का निर्धारण गैर-बट्टाकृत आधार पर होता है और उस सेवा अवधि के संबंध में होता है, जिसके कारण कर्मचारी ऐसे लाभ का हकदार बनता है।

एसवीसीएल:
कर्मचारियों के लाभ:
<u>परिभाषित अंशदान योजनाएं:</u>

भविष्य निधि आदि में कंपनी के अंशदान को व्यय के समय लाभ-हानि लेखे में प्रभारित किया गया है।

<u>परिभाषित लाभ योजनाएं:</u>

कंपनी ग्रैच्युटी के रूप में सेवा निवृत्ति लाभ उपलब्ध कराती है। ऐसे लाभ स्वतंत्र बीमांकक के मूल्यांकन के आधार पर उपलब्ध कराया जाता है। रिपोर्टिंग दिनांक के अनुसार अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति के अनुसार बीमांकिक मूल्यांकन पर आधारित वृद्धिशील दायित्व लाभ और हानि के विवरण के व्यय के रूप में लिया जाता है। कंपनी ने भारतीय जीवन बीमा निगम ("एलआईसी") के साथ एक समूह ग्रेच्युटी पॉलिसी ली है और इसे वित्त पोषित किया गया है।

<u>निष्पादन वेतन:</u>

कार्यनिष्पादन वेतन कर्मचारियों को एक वार्षिक प्रोत्साहन है जो कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन और कर्मचारियों के कार्य निष्पादन पर आधारित है।

<u>छुट्टी नकदीकरण:</u>

छुट्टी नकदीकरण के रूप में कंपनी सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करता है। ऐसे लाभ स्वतंत्र बीमांकक द्वारा तुलन पत्र की तिथि को मूल्यांकन के आधार पर प्रदान किए जाते हैं। शेष अवकाश को लघु अवधि और लंबी अवधि के लिए छुट्टी नीति के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। अनुमानित यूनिट क्रेडिट विधि के अनुसार अल्पकालिक और दीर्घकालिक अवकाश को बीमांकिक आधार पर मूल्यांकित गया गया है। इसके अलावा, कर्मचारी प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अपनी एकत्रित छुट्टी में से 15 दिन के अवकाश का नकदीकरण कर सकते हैं।.

11 स्थिर आस्तियाँ और मूल्यह्रास

1. मूल संस्था:

क) स्थिर आस्तियाँ अभिग्रहण की लागत में से संचित मूल्यह्रास और क्षति (यदि हो) को घटाकर दर्शाई गई हैं।

ख) आस्ति की लागत में खरीद लागत और उपयोग करने से पहले आस्ति पर किए गए सभी व्यय शामिल हैं। उपयोग में रखी गई आस्तियों पर किए गए बाद के व्यय केवल तभी पूंजीकृत होंगे जब इन आस्तियों या उनकी कार्यशील क्षमता से भविष्य का लाभ बढ़े।

ग) पूरे वर्ष के लिए मूल्यह्रास का प्रावधान निम्नवत किया गया है (चाहे पूँजीकरण की तारीख जो भी हो)-

(i) फर्नीचर और फिक्स्चरः बैंक के स्वामित्व वाली आस्तियाँ- 100 प्रतिशत की दर से

(ii) कम्प्यूटर तथा कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर- 100 प्रतिशत की दर से

(iii) भवन-मूल्यह्रासित मूल्य पद्धति पर- 5 प्रतिशत की दर से

(iv) विद्युत संस्थापनाएं: बैंक के स्वामित्व वाली आस्तियाँ- मूल्यह्रासित मूल्य-पद्धति पर- 50 प्रतिशत की दर से

(v) मोटर कार- सीधी रेखा पद्धति- 50 प्रतिशत की दर से

घ) वस्तुओं के जुड़ाव पर मूल्यह्रास का प्रावधान पूरे वर्ष के लिए होता है, किन्तु बिक्री / निस्तारण के वर्ष के लिए मूल्यह्रास नहीं होता।

ङ) पट्टाधारित भूमि का परिशोधन पट्टे की अवधि-पर्यन्त किया जाता है।

2. मुद्रा -

आकस्मिक व्यय सहित अधिग्रहण की लागत पर आस्तियों को दर्शाया गया हैं। वित्त पोषण लागत सहित अपने इच्छित उपयोग के लिए आस्ति को कार्य करने की स्थिति में लाने के लिए सीधे लागत वाली सभी लागतों को भी पूंजीकृत किया गया है। कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के तहत उपयोगी जीवन के आधार पर सीधे लाइन विधि पर मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है। ₹ 5,000/- या उससे कम की लागत वाली संपत्तियों को एक वर्ष की अवधि में मूल्यह्रासित कर दिया गया है।

3. एसवीसीएल -

अधिग्रहण की लागत पर आस्तियों को संचित मूल्यह्रास घटाकर दर्शाया गया हैं। स्थिर आस्तियों पर मूल्यह्रास दर कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्धारित तरीके से लिखित डाउन वैल्यू विधि पर प्रदान किया गया है। खरीदे गए मोबाइल / टेलीफोन उपकरणों / टैबलेट

उपकरणों की लागत को खरीद के वर्ष में राजस्व व्यय में ले लिया गया है। उन आस्तियों पर मूल्यह्रास जिनकी वास्तविक लागत पांच हजार रुपये से अधिक नहीं है, को 100% की दर से मूल्यह्रास प्रदान किया गया है। मूल्यह्रास मासिक आधार पर प्रभारित किया गया है।.

12 आकस्मिक देयताओं हेतु प्रावधान और आकस्मिक आस्तियाँ

ए एस 29 प्रावधानों के अनुसार आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियों को बैंक चिन्हीकृत और जब पिछली घटनाओं के फलस्वरूप कोई वर्तमान दायित्व बनता है, संसाधनों के व्यय की संभावना रहती है और दायित्व की राशि के विषय में विश्वसनीय अनुमान किया जा सकता है, तब गणना में पर्याप्त सीमा तक अनुमान करते हुए प्रावधान किए जाते हैं। समेकित वित्तीय विवरणों में आकस्मिक आस्तियों का न तो निर्धारण होता है, न ही प्रकटन। आकस्मिक देयताओं हेतु प्रावधान नहीं किया जाता और तुलन-पत्र में उनका प्रकटन होता है तथा विवरण तुलन-पत्र की अनुसूचियों में दिए जाते हैं। आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक आस्तियों के प्रावधानों की प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को समीक्षा की जाती है।

13 अनुदान एवं सब्सिडी

सरकार तथा अन्य एजेंसियों से प्राप्त अनुदान एवं सब्सिडी का लेखांकन करार की शर्तों के अनुसार किया जाता है।

14 परिचालनगत पट्टा:

पट्टा संबंधी किराए को भुगतान के लिए देय होने पर लाभ-हानि लेखे में खर्च / आय के रूप में दर्शाया जाता है।

15 आस्तियों की क्षति:

प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख को आस्तियों की रख-रखाव राशियों की समीक्षा की जाती है, ताकि आंतरिक व बाह्य कारणों के आधार पर किसी क्षति का संकेत हो तो निम्नलिखित का निर्धारण किया जा सकेः

क. क्षति- हानि (यदि कोई हो) हेतु अपेक्षित प्रावधान, अथवा

ख. पूर्ववर्ती अवधि में चिह्नित क्षति (यदि कोई हो) हेतु अपेक्षित प्रत्यावर्तन-निर्धारण

यदि किसी आस्ति की रख-रखाव राशि वसूली योग्य राशि से अधिक होती है तो क्षति-हानि का निर्धारण किया जाता है।

16 नकदी और नकदी समतुल्य:

नकदी प्रवाह विवरण के उद्देश्य से नकदी और नकदी समतुल्यों में हाथ में रोकड़, भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष, अन्य बैंकों में शेष तथा म्युचुअल फंड में ऐसा निवेश शामिल होता है, जिसकी मूल परिपक्वता अवधि तीन माह या कम की हो।

समेकित लेखों की अतिरिक्त टिप्पणियाँ

अनुबंध - I

1 एकल वित्तीय विवरण की अनुसूची XV में उल्लिखित सभी महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में पालन किया गया है।

2 बैंक और इसकी सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों को पंक्ति दर पंक्ति आधार पर मिश्रित किया गया है, जिसके लिए एएस 21 "समेकित वित्तीय विवरण" के अनुसार अंतःसमूह शेष तथा अंतर-समूह संव्यवहारों को पूरी तरह घटाने के बाद एक जैसी विभिन्न मदों जैसे आस्तियों, देयताओं, आय एवं व्यय के बही मूल्यों को परस्पर जोड़ा गया है। सहयोगी संस्थाओं का लेखांकन एएस-23 "सहयोगी संस्थाओं में निवेश का समेकित वित्तीय विवरण में लेखांकन" में विहित ईक्विटी पद्धति का उपयोग करते हुए किया गया है।

3 समेकित वित्तीय विवरण में समाहित अनुषंगी संस्थाओं के ब्यौरे

(राशि ₹ में)

क्रम सं.	सहायक संस्था का नाम	निगमन देश	स्वामित्व का अनुपात*	लाभ / हानि	
				मार्च 31, 2020	मार्च 31, 2019
1	सिडबी वेंचर कैपिटल लिमिटेड (एसवीसीएल)	भारत	100%	3,18,16,213	3,15,61,019
2	सिडबी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एसटीसीएल)	भारत	100%	51,13,156	47,62,125
3	माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी (मुद्रा लि.)	भारत	100%	2,33,98,56,222	28,22,34,783
योग				**2,37,67,85,591**	**31,85,57,927**

मुद्रा लिमिटेड को छोड़ कर अन्य सभी सहायक संस्थाओं की वित्तीय विवरणियाँ अंकेक्षित हैं

*चूंकि अनुषंगी संस्थाओं के सभी शेयर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सिडबी के स्वामित्व में हैं, अल्पसंख्य हित के बारे में कोई अलग प्रकटन दर्शित नहीं किया गया है

4 क समेकित वित्तीय विवरण में समाहित सहायक संस्थाओं के ब्यौरे निम्नवत हैं

(राशि ₹ में)

क्रम सं.	सहयोगी संस्था का नाम	धारिता का (%)		विवरण	निवेश	निवेश		लाभ / (हानि) का हिस्सा		आरक्षितियों में हिस्सा [1]	
		मार्च 31, 2020	मार्च 31, 2019			मार्च 31, 2020	मार्च 31, 2019	मार्च 31, 2020	मार्च 31, 2019	मार्च 31, 2020	मार्च 31, 2019
1	एक्यूट रेटिंग्स प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व स्मेरा) [2]	35.73	34.29	एसएमई के लिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी	5,10,00,000	5,10,00,000	5,10,00,000	2,75,32,675	98,63,924	3,21,02,945	2,68,29,742
2	इण्डिया एसएमई टेक्नालजी सर्विसेज लिमिटेड [2]	22.73	22.72	एसएमई को प्रौद्योगिकी सहयोग	1,00,00,000	1,00,00,000	1,00,00,000	(2,22,338)	18,00,797	89,96,541	68,65,267
3	इंडिया एसएमई आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी लिमिटेड [2]	26.00 [3]	26.00[3]	आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी	2,60,00,000	26,00,00,000	26,00,00,000	(2,22,31,686)	(2,39,44,518)	5,38,73,573	7,78,18,091
4	दिल्ली वित्त निगम [4]	23.71	23.71	राज्य वित्त निगम	3,13,87,500	3,13,87,500	3,13,87,500	(51,43,321)	19,23,661	10,52,48,961	11,33,04,245
5	रिसीवेब्ल एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड [5]	30.00	30.00	व्यापारिक प्राप्य राशियों की फैक्टरिंग / भुनाई के लिए आन लाइन प्लेटफार्म ट्रेड्स	11,25,00,000	11,25,00,000	7,50,00,000	(2,37,70,722)	(1,17,68,479)	(3,72,98,218)	(2,48,55,859)
6	एपिटको लिमिटेड [4]	41.29	41.29	तकनीकी परामर्श संगठन	80,10,000	54,70,975	54,70,975	30,96,682	(1,63,14,522)	3,66,34,212	5,29,48,734
7	किटको लिमिटेड [5]	49.77	49.77	तकनीकी परामर्श संगठन	4,90,00,000	24,95,296	24,95,296	(41,60,282)	3,76,86,469	27,97,11,717	22,25,39,362
योग						**47,28,53,771**	**43,53,53,771**	**(2,48,98,992)**	**(7,52,668)**	**47,92,69,731**	**47,54,49,582**

1. समेकित तुलन पत्र की अनुसूची II ए (i) में, ₹1,50,99,47,28,207/ - (पिछले वर्ष ₹1,10,75,55,22,814) के आरक्षित निधि में शामिल।
2. एक्विट रेटिंग प्रा लि, इंडिया एसएमई टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड और इंडिया एसएमई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के आंकड़े लेखापरीक्षित नहीं है।
3. एसवीसीएल की 11% होल्डिंग (सिडबी की 100% सहायक संस्था) शामिल है।
4. 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए डीएफसी और एपिट्को के आंकड़ों की लेखापरीक्षा की गई है।
5. वर्ष 31 मार्च 2020 के लिए इंड-एएस पर आधारित वित्तीय आंकड़ों पर विचार किया गया।

ख समेकित वित्तीय विवरण में निम्नलिखित सहयोगी संस्थाओं के परिणाम शामिल नहीं हैं। किन्तु निवेश के मूल्य में ह्रास के लिए वित्तीय विवरणों में पूर्ण प्रावधान किया गया है।

(राशि ₹ में)

क्रम सं.	सहयोगी संस्था का नाम	अंशधारिता (%)		विवरण	निवेश	निवेश के मूल्य में ह्रास	
		मार्च 31, 2020	मार्च 31, 2019			मार्च 31, 2020	मार्च 31, 2019
1	बीएसएफसी	48.43	48.43	राज्य वित्त निगम	18,84,88,500	(18,84,88,500)	(18,84,88,500)
2	जीएसएफसी	28.41	28.41	राज्य वित्त निगम	12,66,00,000	(12,66,00,000)	(12,66,00,000)
3	एमएसएफसी	39.99	39.99	राज्य वित्त निगम	12,52,41,750	(12,52,41,750)	(12,52,41,750)
4	पीएफ़सी	25.92	25.92	राज्य वित्त निगम	5,23,51,850	(5,23,51,850)	(5,23,51,850)
5	यूपीएसएफसी	20.27	20.27	राज्य वित्त निगम	21,67,59,000	(21,67,59,000)	(21,67,59,000)
योग					**70,94,41,100**	**(70,94,41,100)**	**(70,94,41,100)**

एमएसएफसी, पीएफसी और यूपीएसएफसी के अलावा अन्य एसएफसी के आंकड़े 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लेखापरीक्षित परिणामों पर आधारित हैं। एमएसएफसी और पीएफसी के बारे में, आंकड़े क्रमशः 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष और 31 मार्च, 2018 के लेखापरीक्षा किए गए परिणामों पर आधारित हैं। यूपीएसएफसी के संबंध में, 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए अनंतिम परिणाम उपलब्ध हैं।

हालांकि राजस्थान एसेट मैनेजमेंट कंपनी प्रा लि में बैंक की हिस्सेदारी है और कर्नाटक एसेट मैनेजमेंट कंपनी प्रा लि में 20% से अधिक हिस्सेदारी है, इन्हें समेकित विवरणों में शामिल नहीं किया गया है क्योंकि निवेश की गई राशि को महत्वपूर्ण निवेश के रूप में नहीं माना जाता है।

ग हालांकि निम्नलिखित निकायों के मामले में,बैंक के पास 20% से अधिक मताधिकार है, किन्तु उन्हें एएस 23 'सहयोगी संस्थाओं में निवेश का समेकित वित्तीय विवरणों में लेखांकन' के अनुसार सहयोगी संस्था में निवेश नहीं माना गया है, क्योंकि उन्हें एनपीआई के रूप में वर्गीकृत किया गया है और तदनुसार निवेश का बुक मूल्य ₹1/- लिया गया है।

(राशि ₹ में)

क्रम सं.	सहयोगी संस्था का नाम	अंशधारिता का (%)		विवरण	निवेश	
		मार्च 31, 2020	मार्च 31, 2019		मार्च 31, 2020	मार्च 31, 2019
1	बिहार औद्योगिकी एवं तकनीकी परामर्श संगठन लिमिटेड	49.25	49.25	तकनीकी परामर्श संगठन	1	1
2	पूर्वोत्तर औद्योगिकी एवं तकनीकी परामर्श संगठन लिमिटेड	43.44	43.44	तकनीकी परामर्श संगठन	1	1
3	ओड़ीशा औद्योगिकी एवं तकनीकी परामर्श संगठन लिमिटेड	49.42	49.42	तकनीकी परामर्श संगठन	1	1
योग					3	3

5 सहयोगी संस्थाओं से महत्वपूर्ण लेनदेन के विवरण निम्नवत हैं

(राशि ₹ में)

क्रम सं.	सहयोगी संस्था का नाम	विवरण	संवितरण		चुकौती (ब्याज सहित)	
			31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
1	डीएफसी	पुनर्वित्त सहायता	-	-	-	5,59,00,000

6 सिडबी की मूल्यह्रास नीति के अंतर्गत एसएलएम / डब्ल्यूडीवी के अनुसार पूर्व-निर्धारित दरों से आस्तियों पर मूल्यह्रास लगाया जाता है। इसके विपरीत सहायक एवं सहयोगी संस्थाएँ कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के अनुसार एसएलएम / डब्ल्यूडीवी आधार पर मूल्यह्रास का परिकलन करती हैं। इस प्रकार समेकित वित्तीय विवरण में समाहित ₹18,36,84,906/- (गत वर्ष ₹18,43,71,236/-) के कुल मूल्यह्रास में ₹9,67,513/- यानी राशि का 0.53% (गत वर्ष ₹16,75,273/- यानी राशि का 0.90%) का निर्धारण कंपनी अधिनियम 2013 में विहित मूल्यह्रास के अनुसार किया गया है।

7 पूर्णकालिक निदेशकों को अदा किया गया सकल पारिश्रमिक सिडबी के लिए ₹1,12,63,195/- है (गत वर्ष ₹93,15,485) एसवीसीएल के लिए ₹52,76,465/- है (गत वर्ष ₹58,74,807) और मुद्रा लि. के लिए ₹69,99,996/- है (गत वर्ष ₹46,47,848)

8 कर्मचारियों के हितलाभ

(i) सिडबी

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा कर्मचारी हितलाभों के बारे में जारी लेखांकन मानकों (एएस 15) (2005 में पुनरीक्षित) के अनुसार कर्मचारियों को प्रदत्त विभिन्न हितलाभों को बैंक ने निम्नानुसार वर्गीकृत किया है:

(क) परिभाषित अंशदान योजना

बैंक ने लाभ और हानि खाते में निम्नलिखित राशियों को अभिनिर्धारित किया है

(राशि ₹ में)

विवरण	मार्च 31, 2020	मार्च 31, 2019
भविष्य निधि में नियोजक का अंशदान	8,01,88,984	8,45,92,109
नव पेंशन योजना में नियोजक का अंशदान	2,47,85,687	2,27,84,810

(ख) बैंक में सुपरिभाषित पेंशन और ग्रेच्युटी हितलाभ योजनाएं हैं जिनका प्रबंध ट्रस्ट द्वारा किया जाता है

(₹ करोड़)

	पेंशन		उपदान	
	वित्त 2020	वित्त 2019	वित्त 2020	वित्त 2019
1. धारणा				
बट्टा दर	7.00%	7.78%	7.00%	7.64%
योजनागत आस्तियों पर प्रतिलाभ की दर	7.00%	7.78%	7.00%	7.64%
वेतन में बढ़ोत्तरी	5.50%	5.50%	5.50%	5.50%
ह्रास दर	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
2. हितलाभ देनदारियों में बदलाव को दिखाती सारणी				
वर्ष के आरंभ में देयताएँ	439.65	452.03	91.36	111.05
ब्याज लागत	34.20	34.94	6.63	8.59
मौजूदा सेवा लागत	13.79	12.05	5.18	4.47
पिछली सेवा लागत (गैर-अंतर्वेशित हितलाभ)	0.00	0.00	0.00	0.00
पिछली सेवा लागत (अंतर्वेशित हितलाभ)	0.00	0.00	0.00	0.00
भीतर अंतरित देयताएँ	0.00	0.00	0.00	0.00
(बाहर अंतरित देयताएँ)	0.00	0.00	0.00	0.00
(अदा किए गए हितलाभ)	(35.02)	(24.25)	(11.07)	(12.40)
देनदारियों पर बीमांकित (लाभ)	77.26	(35.12)	7.54	(20.35)
वर्ष के अंत में देयता	**529.88**	**439.65**	**99.64**	**91.36**
3. योजनागत आस्तियों के उचित मूल्य की सारणी				
वर्ष के आरंभ में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	410.23	405.46	110.98	115.25
योजनागत आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	33.28	31.34	8.06	8.43
अंशदान	35.02	0.00	0.09	0.05
अन्य कंपनी से अंतरित	0.00	0.00	0.00	0.00
(अन्य कंपनी को अंतरित)	0.00	0.00	0.00	0.00
(अदा किए गए हितलाभ)	(35.02)	(24.25)	(11.07)	(12.40)
योजनागत आस्तियों पर बीमांकित लाभ / (हानि)	25.18	(2.32)	0.09	(0.35)
वर्ष के अंत में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	**468.69**	**410.23**	**108.15**	**110.98**
4. बीमांकित लाभ / हानि के अभिनिर्धारण की सारणी				
संबन्धित अवधि के लिए देयताओं पर बीमांकक (लाभ) / हानियाँ	77.26	(35.12)	7.54	(20.35)
संबन्धित अवधि के लिए आस्तियों पर बीमांकक (लाभ) / हानियाँ	(25.18)	2.32	(0.09)	0.35
आय व व्यय विवरणी मे अभिनिर्धारित बीमांकित (लाभ) / हानियाँ	**52.08**	**(32.80)**	**7.45**	**(20.00)**
5. योजनागत आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ				
योजनागत आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	33.28	31.34	8.06	8.43
योजनागत आस्तियों पर बीमांकित लाभ / (हानि)	25.18	(2.32)	(0.09)	(0.35)
योजनागत आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ	**58.46**	**29.02**	**7.97**	**8.08**

(₹ करोड़)

	पेंशन		उपदान	
	वित्त 2020	वित्त 2019	वित्त 2020	वित्त 2019
6. तुलन-पत्र में अभिनिर्धारित राशि				
वर्ष की समाप्ति पर देयताएँ	(529.88)	(439.65)	(99.64)	(91.36)
वर्ष की समाप्ति पर योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	468.69	410.23	108.15	110.98
अंतर	(61.19)	(29.42)	8.51	19.62
वर्ष की समाप्ति पर पिछली सेवा की अनिर्धारित लागत	0.00	0.00	0.00	0.00
वर्ष की समाप्ति पर अनिर्धारित अंतर्वर्ती देयताएँ	0.00	0.00	0.00	0.00
तुलन-पत्र में अभिनिर्धारित निवल राशि	**(61.19)**	**(29.42)**	**8.51**	**19.62**
7. आय विवरणी में अभिनिर्धारित व्यय				
मौजूदा सेवा लागत	13.79	12.05	5.18	4.47
ब्याज लागत	34.20	34.94	6.63	8.59
योजनागत आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	(33.28)	(31.34)	(8.06)	(8.43)
वर्ष के दौरान अभिनिर्धारित पिछली सेवा लागत (गैर-अंतर्वेशित हितलाभ)	0.00	0.00	0.00	0.00
वर्ष के दौरान अभिनिर्धारित पिछली सेवा लागत (अंतर्वेशित हितलाभ)	0.00	0.00	0.00	0.00
वर्ष के दौरान अनिर्धारित अंतर्वर्ती देयताएँ	0.00	0.00	0.00	0.00
बीमांकित (लाभ) / हानि	52.08	(32.80)	7.45	(20.00)
लाभ व हानि खाते में अभिनिर्धारित व्यय	**66.79**	**(17.15)**	**11.20**	**(15.37)**
8. तुलन-पत्र का मिलान				
आरंभिक निवल देयताएँ	29.42	46.57	(19.62)	(4.20)
यथोक्त व्यय	66.79	(17.15)	11.20	(15.37)
नियोजक का अंशदान	(35.02)	-	(0.09)	(0.05)
तुलन-पत्र में अभिनिर्धारित राशि	**61.19**	**29.42**	**(8.51)**	**(19.62)**

9. अन्य ब्यौरे

बैंक की सूचना के अनुसार वेतन में बढ़ोत्तरी को विचार में लिया गया है जो कि पदोन्नति और कर्मचारी आपूर्ति को ध्यान में लेकर उद्योग-क्षेत्र में प्रचलित व्यवहार के अनुसार है

(₹ करोड़)

	पेंशन		उपदान	
	वित्त 2020	वित्त 2019	वित्त 2020	वित्त 2019
10. आस्ति वर्ग				
भारत सरकार की आस्तियां	0.00	0.00	0.00	0.00
निगम बॉण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00
विशेष जमा योजना	0.00	0.00	0.00	0.00
सूचीबद्ध कंपनियों के ईक्विटी शेयर	0.00	0.00	0.00	0.00
संपत्ति	0.00	0.00	0.00	0.00
बीमादाताओं द्वारा प्रबंधित निधियाँ	468.69	410.23	108.15	110.98
अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00
योग	**468.69**	**410.23**	**108.15**	**110.98**

11. अनुभव समायोजन

	पेंशन					उपदान				
	वित्त 2020	वित्त 2019	वित्त 2018	वित्त 2017	वित्त 2016	वित्त 2020	वित्त 2019	वित्त 2018	वित्त 2017	वित्त 2016
योजना देयता पर (लाभ) / हानि	46.87	(22.03)	66.81	(5.53)	22.70	3.28	(19.71)	10.18	(7.91)	(6.20)
योजना आस्ति पर (लाभ) / हानि	25.17	(2.32)	0.32	0.58	(0.17)	(0.09)	(0.35)	(0.10)	0.29	(0.40)

(ग) स्वतंत्र बीमांकक द्वारा प्रदत्त बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर अन्य योजनाबद्ध दीर्घकालिक हितलाभों के बारे में लाभ व हानि खाते को निम्नांकित राशियाँ प्रभारित की गई हैं

(₹ करोड़)

क्रम सं	विवरण	यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च, 2019
1	साधारण अवकाश नकदीकरण	23.43	20.63
2	रुग्णता अवकाश	(4.91)	0.00
3	पुनर्स्थापन व्यय	0.12	0.88
4	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा योजना सुविधाएं	10.50	0.43

(ii) एसवीसीएल

वर्ष के दौरान कंपनी ने ₹6,41,977/- की राशि का अंशदान अपने कर्मचारियों के लिए सिडबी वेंचर कैपिटल लिमिटेड कर्मचारी समूह उपदान योजना (ट्रस्ट) में किया है।

विवरण	नियोजनोंपरांत हितलाभ विव 2020	नियोजनोंपरांत हितलाभ विव 2019
हितलाभ का स्वरूप	उपदान	उपदान
तुलन-पत्र में अभिनिर्धारित आस्तियाँ व देयताएँ		
गैर-निधि-निक्षेपित परिभाषित हितलाभ संबंधी देनदारियों का वर्तमान मूल्य	शून्य	शून्य
निधिदत्त या अंशत: निधिदत्त परिभाषित हितलाभ देनदारियों का मौजूदा मूल्य	₹69,31,504	₹57,95,242
योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	₹70,32,386	₹60,35,156
पिछला सेवा व्यय जिसे तुलन-पत्र में अधिमानित नहीं किया गया है	शून्य	शून्य
ऐसी राशि जिसे बतौर आस्ति अभिनिर्धारित नहीं किया गया है	शून्य	शून्य
ऐसे प्रतिपूर्ति अधिकारों का उचित मूल्य जिन्हें आस्ति के रूप में अभिनिर्धारित किया गया है।	शून्य	शून्य
तुलन-पत्र में अभिनिर्धारित अन्य राशियाँ, यदि कोई हों।	शून्य	शून्य
योजनागत आस्तियों के उचित मूल्य में शामिल राशियाँ:		
स्वयं के वित्तीय लिखत	शून्य	शून्य
संपत्ति या अन्य प्रयुक्त आस्तियां	शून्य	शून्य
बीमादाता द्वारा प्रबंधित निधियाँ	₹70,32,386	₹60,35,156
निवल देयताओं में बदलाव:		
आरंभिक निवल देयताएँ	(₹2,39,914)	₹13,20,072
व्यय	₹7,81,009	₹8,85,505
अंशदान	(₹6,41,977)	(₹24,45,491)
अंतिम निवल देयताएँ	(₹1,00,882)	(₹2,39,914)
लाभ व हानि विवरणी में अभिनिर्धारित व्यय		
मौजूदा सेवा लागत	₹3,75,677	₹3,51,414
ब्याज लागत	₹4,60,142	₹4,01,331
योजनागत आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	(₹4,79,191)	(₹2,94,537)
प्रतिपूर्ति अधिकारों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	लागू नहीं	लागू नहीं
बीमांकीय लाभ / (हानियाँ)	(₹4,24,381)	(₹4,27,297)
लाभ व हानि विवरणी में अभिनिर्धारित कुल व्यय	₹7,81,009	₹8,85,505
पिछली सेवा की लागत	शून्य	शून्य
कटौती / निपटान का प्रभाव	शून्य	शून्य
पैरा 59(बी) की सीमा का प्रभाव	लागू नहीं	लागू नहीं
योजनागत आस्तियों और आस्ति के तौर पर अभिनिर्धारित प्रतिपूर्ति अधिकारों पर वास्तविक प्रतिलाभ	शून्य	शून्य
बीमांकिक धारणाएँ		
बट्टा दरें	7.94%	8.09%
योजनागत आस्तियों पर प्रतिलाभ की प्रत्याशित दर	7.94%	8.09%
प्रतिपूर्ति अधिकारों पर प्रतिलाभ की प्रत्याशित दर	शून्य	शून्य
वेतन में वृद्धि की प्रत्याशित दर	5.00%	5.00%
चिकित्सा लागत की प्रवृत्तियाँ	लागू नहीं	लागू नहीं
मर्त्यशीलता	भारतीय बीमाकृत जीवन मर्त्यता (2006-08)	भारतीय बीमाकृत जीवन मर्त्यता (2006-08)
अपंगता	शून्य	शून्य
ह्रास	2.00%	2.00%
सेवानिवृत्ति की आयु	60 वर्ष	60 वर्ष

(iii) मुद्रा

(क) सभी कर्मचारी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) से प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ हैं, और मुद्रा में प्रतिनियुक्त इन कर्मचारियों की ग्रेच्युटी, छुट्टी नकदीकरण और वेतन बकाया का ध्यान इस कंपनी में स्टाफ को प्रतिनियुक्ति पर भेजने वाले नियोजको द्वारा ही रखा जाता है। तथापि मुद्रा द्वारा चालू वर्ष में लाभ और हानि खाते में ₹20.54 लाख (मार्च 2019 में ₹23.83 लाख) की राशि का प्रावधान किया गया है ताकि उपर्युक्त कंपनियों द्वारा जब भी इन खर्चों की मांग की जाती है तब इसे सिडबी को अदा किया जा सकेगा। संविदा कर्मचारियों के संबंध में कोई भी नियोजन पश्चात कर्मचारी लाभ लागू नहीं है।

ख. अतः कंपनियों के लेखांकन मानक नियम 2006 के अंतर्गत जारी पुनरीक्षित ए एस15- कर्मचारी हितलाभ के अनुसार कोई प्रकटीकरण अपेक्षित नहीं है।

9 सिडबी और उसकी सहयोगी कंपनियों की लेखा नीति में अंतर:

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक और उसके सहयोगी संस्थाओं की महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों में मुख्य अंतर निम्नलिखित हैं: -

(i) तैयारी का आधार

सिडबी

1) ये वित्तीय विवरण भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंड, भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी लेखा मानकों और बैंकिंग उद्योग में प्रचलित व्यवहारों के सभी वस्तुगत पक्षों का अनुपालन करने के लिए तैयार किए गए हैं।

2) जब तक अन्यथा नहीं कहा जाता है, तब तक वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत के अंतर्गत उपचित आधार पर तैयार किए जाते हैं।

आरएक्सआईएल

1) ये वित्तीय विवरण भारतीय वित्तीय मानकों (इंड एएस) के अनुसार कुछ वित्तीय लिखतों को छोड़कर, जो उचित मूल्यों और कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') के प्रावधानों के अनुसार अर्जित किए जाते हैं, ये ऐतिहासिक लागत आधार पर तैयार किए जाते हैं। इंड एएस को कंपनी के नियम 3 (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 में संशोधित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित किया गया है।

2) ये वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत के आधार पर तैयार किए गए हैं, कुछ वित्तीय आस्तियों और देयताओं को छोड़कर, जिनका उचित मूल्य पर मापन किया जाता है, और सुपरिभाषित हितकारी योजनाओं - उचित मूल्य पर मापन की गई योजनागत आस्ति के अनुसार है।

किट्को

1) ये वित्तीय विवरण कंपनी नियम (भारतीय लेखा मानक) 2015 के नियम 3 और उसके बाद जारी प्रासंगिक संशोधन नियमों के साथ पढ़े गए अधिनियम की धारा 133 के तहत भारतीय लेखा मानकों (आईएनडी एएस) के अनुसार तैयार किए गए हैं।

2) ये वित्तीय विवरण, कुछ वित्तीय आस्तियों और देयताओं को छोड़कर जो प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उचित मूल्य पर मापन किए जाते है, उन्हें लेखांकन के उपचित आधार पर ऐतिहासिक लागत पद्धति के तहत तैयार और प्रस्तुत किया गया है।

(ii) राजस्व अभिनिर्धारण - ब्याज आय

सिडबी

अनर्जक आस्तियों को छोड़कर, जहां इसका प्राप्ति के पश्चात अभिनिर्धारण किया जाता है, दंडात्मक ब्याज सहित ब्याज आय का लेखांकन उपचित आधार पर किया जाता है।

आरएक्सआईएल

कर्ज़ लिखत से प्राप्त ब्याज आय को प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करके अभिनिर्धारित किया जाता है। प्रभावी ब्याज दर वह दर है जो वित्तीय आस्तियों के अनुमानित जीवन के माध्यम से वित्तीय आस्ति की सकल राशि के माध्यम से भविष्य में नकद प्राप्ति का अनुमान लगाती है। प्रभावी ब्याज दर की गणना करते समय, कंपनी वित्तीय लिखत के अनुबंध की सभी शर्तों पर विचार करके अपेक्षित नकदी प्रवाह का अनुमान लगाती है, लेकिन अपेक्षित ऋण हानि पर विचार नहीं करती है।

(iii) संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों का मूल्यह्रास

सिडबी

पूंजीकरण की तारीख पर ध्यान दिए बिना पूरे वर्ष के लिए मूल्यह्रास का प्रावधान किया जाता है:

(i) फर्नीचर और जुड़नार: बैंक के स्वामित्व वाली आस्ति के लिए @ 100 प्रतिशत

(ii) कंप्यूटर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, 100 प्रतिशत की दर से

(iii) बिल्डिंग 5 प्रतिशत दर पर अवलिखित मूल्य आधार पर

(iv) विद्युत प्रतिष्ठापन: बैंक के स्वामित्व वाली आस्तियां, 50 प्रतिशत अवलिखित मूल्य आधार पर

(v) मोटर कार - सरल रेखा पद्धति से 50 प्रतिशत दर पर

आरएक्सआईएल

निम्नानुसार मूल्यह्रास की गणना सरल रेखा पद्धति का उपयोग करके उनकी लागत, उनके अवशिष्ट मूल्यों को उनके अनुमानित उपयोगी जीवन से घटा कर की जाती है:

(i) फर्नीचर और जुड़नार के लिए 5 से 10 वर्ष की अवधि

(ii) कार्यालय उपकरण के लिए 4 से 5 वर्ष की अवधि

(iii) बिजली के उपकरणों के लिए 10 वर्ष की अवधि

(iv) कंप्यूटर सिस्टम ऑफिस ऑटोमेशन के लिए 3 वर्ष की अवधि

(v) कम्प्युटर सिस्टम - अन्य और कम्प्युटर सॉफ्टवेर के लिए 4 वर्ष की अवधि

(vi) दूरसंचार प्रणाली के लिए 4 वर्ष की अवधि

किट्को

प्रबंधन द्वारा आस्तियों के अनुमानित उपयोगी जीवन पर अवलिखित मूल्य पद्धति से अचल आस्तियों का मूल्यह्रास किया जाता है। अवधि के दौरान खरीदी या बेची गई आस्तियों के लिए मूल्यह्रास आनुपातिक रूप से लिया जाता है। अधिग्रहण के वर्ष के दौरान कम लागत वाली आस्तियों (₹5000 या उससे कम) और पुस्तकालय की पुस्तकों और अन्य संदर्भ सामग्री की लागत पूरी तरह से मूल्यह्रास के लिए ली जाती है।

प्रबंधन अचल आस्तियों के उपयोगी जीवन का अनुमान निम्नानुसार लगाता है:

(i) फर्नीचर और जुड़नार के लिए 10 वर्ष की अवधि

(ii) कार्यालय उपकरण के लिए 5 वर्ष की अवधि

(iii) बिजली के उपकरणों के लिए 10 वर्ष की अवधि

(iv) वाहनों के लिए 8 वर्ष की अवधि

(v) कंप्यूटर और डेटा प्रोसेसिंग इकाइयाँ- एंड-यूज़र डिवाइस, डेस्कटॉप और लैपटॉप के लिए 3 वर्ष की अवधि

(vi) कंप्यूटर और डाटा प्रोसेसिंग यूनिट- सर्वर और नेटवर्क के लिए 6 वर्ष की अवधि

(vii) ऊर्जा / लेखा परीक्षा उपकरण के लिए 5 वर्ष की अवधि

अमूर्त आस्तियां 3 वर्ष की अवधि में परिशोधित की जाती है, यह अवधि कंपनी के उपयोग के लिए आस्ति की उपलब्धता से होती है

10 प्रति शेयर अर्जन*:

(राशि ₹ में)

	मार्च 31, 2020	मार्च 31, 2019
ईपीएस गणना के लिए हिसाब में लिया गया निवल लाभ	25,44,85,86,153	19,59,28,48,581
प्रति ₹10 के अंकित मूल्य पर ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	53,19,22,031	53,19,22,031
प्रति शेयर अर्जन	47.84	36.83

*चूंकि कोई विलेय संभावित ईक्विटी शेयर नहीं हैं, इसलिए मूल एवं विलयित ईपीएस एक समान हैं।

11 लेखांकन मानक 22, आय पर कर का लेखांकन, के अनुसार बैंक ने आस्थगित कर आस्तियों / देयताओं की समीक्षा की है और 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि खाते में आस्थगित कर आस्ति के रूप में ₹9,68,48,720/- (गत वर्ष आस्थगित कर आस्ति ₹1,55,60,01,189/-) का निर्धारण किया है। इस वर्ष के दौरान, बैंक ने मानक आस्तियों के सम्पूर्ण प्रावधान पर अपने गैर-निर्धारित आस्थगित कर आस्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया है। तदनुसार, चालू वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान ₹96,34,90,214/- के आस्थगित कर आस्तियों का निर्धारण किया गया है:

यथा 31 मार्च, 2020 आस्थगित कर आस्ति / (देयता) की पृथक-पृथक राशियाँ निम्नवत हैः

(राशि ₹ में)

क्रम सं	समय-अंतराल	वित्त 2019-20 आस्थगित कर आस्ति / (देयता)	वित्त 2018-19 आस्थगित कर आस्ति / (देयता)
1	मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	37,17,630	39,60,413
2	आयकर अधिनियम 1961की धारा 36(1) (viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षिति	(3,52,02,16,577)	4,70,90,89,576)
3	अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	1,20,50,72,585	2,30,45,14,771
4	भारत सरकार के बॉण्डों पर प्रीमियम का परिशोधन	(2,12,98,854)	(4,44,56,921)
5	लेखों की पुनर्संरचना हेतु प्रावधान	1,63,22,587	1,22,49,123
6	अग्रानीत दीर्घावधि पूँजी हानि	-	22,05,17,373
7	गैर निष्पादक निवेश के लिए प्रावधान	-	85,10,68,098
8	मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	1,64,85,24,603	58,61,97,116
9	अन्य	1,52,43,68,776	1,53,46,81,634
	निवल आस्थगित कर आस्ति / (देयता)	**85,64,90,750**	**75,96,42,030**

12 पूंजीगत खाते में निष्पादन हेतु लंबित संविदाओं से संबन्धित प्राक्कलित राशि ₹21,02,888/- (गत वर्ष ₹2,92,86,993/-) (अदा किए गए अग्रिम को घटाकर) का प्रावधानीकरण नहीं किया गया है।

13 दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण ढांचा:

बैंक ने 7 जून, 2019 दिनांक के भारतीय रिज़र्व बैंक के दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण ढांचा विषयक परिपत्र के अनुसार रिज़ॉल्यूशन प्लान (आर पी) लागू किया है, उसमें मामलों की संख्या शून्य है। इसके अलावा, भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र दिनांक 17 अप्रैल, 2020 के अनुसार दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण ढांचा के अंतर्गत "कोविड 19 रेगुलेटरी पैकेज - समाधान समय की समीक्षा", के तहत खातों की संख्या 'शून्य' है।

14 कोविड 19 विनियामक पैकेज - 17 अप्रैल, 2020 को भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र के निबंधानानुसार अप्रकटीकरण:

नॉवेल कोरोना वायरस कोविड - 19 वैश्विक महामारी भारत सहित दुनिया भर में तेजी से फैल रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोविड - 19 के प्रकोप को वैश्विक महामारी घोषित किया गया है। देश में कोविड-19 और लॉकडाउन के कारण, देश भर में सामाजिक-आर्थिक मोर्चे पर अभूतपूर्व स्तर पर व्यवधान उत्पन्न हुआ है। जिस परिमाण में कोविड-19 वैश्विक महामारी बैंक के भावी परिचालनों और वित्तीय आंकड़ों को प्रभवित करेगी, वह भाविष्य की गतिविधियों पर निर्भर है, जो कि बहुत अनिश्चित है। वैश्विक स्वास्थ्य महामारी का प्रभाव बैंक के वित्तीय विवरणों के अनुमोदन की तारीख से भिन्न हो सकता है और बैंक भविष्य की आर्थिक परिस्थितियों में किसी भी प्रकार के वस्तुगत बदलाव की निगरानी करता रहेगा जिससे बैंक पर कोई वित्तीय प्रभाव पड़ सकता है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 27 मार्च, 2020 के परिपत्र के अनुसार, कोविड -19 वैश्विक महामारी के कारण उधारकर्ताओं को राहत देने के संबंध में, बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार पात्र उधारकर्ताओं द्वारा देय ऋण किस्तों / ब्याज में अधिस्थगन की पेशकश की है।

तदनुसार, बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 17 अप्रैल, 2020 के परिपत्र के अनुसार, 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान ₹13.99 करोड़ का प्रावधान किया है:

विवरण	राशि (₹ करोड़)
एसएमए / अतिदेय श्रेणियों में जहां ऋण स्थगन / अधिस्थगन प्रदान किया गया	620.66
संबंधित राशियाँ जहाँ आस्ति वर्गीकरण लाभ विस्तारित किया गया है	279.89
वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	13.99
गिरावट और अवशिष्ट प्रावधानों के प्रति संबंधित लेखा अवधि के दौरान समायोजित प्रावधान	लागू नहीं

15 भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी सामान्य स्पष्टीकरण के दृष्टिगत, मूल और सहायक संस्थाओं के अलग-अलग वित्तीय विवरणों में प्रकट अतिरिक्त सांविधिक सूचनाओं का समेकित वित्तीय आंकड़ों के सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण पर कोई असर नहीं पड़ता है और जो वस्तुएं भौतिक नहीं हैं उनसे संबंधित जानकारी का समेकित वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

अतिरिक्त समेकित प्रकटन

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार

1 पूंजी पर्याप्तता

(₹ करोड़)

क्रमांक	विवरण	वि व 2019-20	वि व 2018-19
i)	सामान्य ईक्विटी*	लागू नहीं	लागू नहीं
ii)	अतिरिक्त टियर 1 पूँजी*	लागू नहीं	लागू नहीं
(iii)	कुल टियर 1 पूँजी	19,873.61	17,271.00
(iv)	टियर 2 पूँजी	691.08	597.96
v)	कुल पूँजी (टियर 1 + टियर 2)	20,564.69	17,868.96
vi)	कुल जोखिम-भारित आस्तियाँ (जोभाआ)	72,454.94	54,145.42
vii)	सामान्य ईक्विटी अनुपात (कुल जोभाआ के अनुपात के रूप में सामान्य ईक्विटी)*	लागू नहीं	लागू नहीं
viii)	टियर 1 अनुपात (टियर 1 पूँजी जोभाआ के प्रतिशत में)	27.43%	31.90%
ix)	पूँजी व जोखिम भारिता आस्ति अनुपात (जोभाआअ) (कुल पूँजी जोभाआ के प्रतिशत में)	28.38%	33.00%
x)	भारत सरकार की अंशधारिता का प्रतिशत	15.40	15.40
xi)	जुटाई गई ईक्विटी पूँजी की राशि	-	-
xii)	जुटाई गई अतिरिक्त टियर 1 पूंजी की राशि, जिसमें से	-	-
	क) स्थायी गैर-संचयी अधिमानी शेयर (पीएनसीपीएस)	-	-
	ख) स्थायी ऋण लिखत (पीडीआई)	-	-
xiii)	जुटाई गई टियर 2 पूँजी की राशि, जिसमें से	-	-
	क) ऋण पूँजी लिखतें	-	-
	ख) स्थायी संचयी अधिमानी शेयर (पीसीपीएस)	-	-
	ग) मोचन-योग्य गैर-संचयी अधिमानी शेयर (आरएनसीपीएस)	-	-
	घ) शोध्य संचयी अधिमान शेयर (आरसीपीएस)	-	-

* बेसल-III के लागू न होने के कारण वर्तमान में आँकड़ों की गणना नहीं की जा रही है

2 निर्बंध आरक्षितियाँ एवं प्रावधान

(क) मानक आस्तियों पर प्रावधान

(₹ करोड़)

विवरण	वि व 2019-20	वि व 2018-19
मानक आस्तियों के प्रति प्रावधान (संचयी)	691.08	597.97

(ख) अस्थायी प्रावधान

(₹ करोड़)

विवरण	FY 2019-20	FY 2018-19
अस्थायी प्रावधान खाते में अथशेष	1,348.53	1,742.21
लेखा-वर्ष में किए गए अस्थायी प्रावधानों की मात्रा	0.00	0
लेखा वर्ष में किए गए आहरण की राशि *	248.57	393.68
अस्थायी प्रावधान खाते में इतिशेष	1,099.96	1,348.53

* अस्थायी प्रावधान के संबंध में बैंक के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार, उक्त राशि का उपयोग एनपीए / एनपीआई प्रावधान करने के लिए किया गया

3 आस्ति गुणवत्ता एवं विशिष्ट प्रावधान

(क) अनर्जक ऋण

(₹ करोड़)

विवरण	वि व 2019-20	वि व 2018-19
(i) निवल ऋण की तुलना में निवल एनपीए (%)	**0.42%**	**0.20%**
(ii) एनपीए (सकल) की प्रगति		
(क) अथ शेष	867.91	902.42
(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	942.63	309.60
(ग) वर्ष के दौरान कमी	698.63	344.11
(घ) अंतिम शेष	**1,111.91**	**867.91**
(iii) निवल एनपीए में परिवर्तन		
(क) अथ शेष	292.55	250.63
(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	516.84	108.62
(ग) वर्ष के दौरान कमी	79.68	66.70
(घ) अंतिम शेष	729.71	292.55
(iv) एनपीए हेतु प्रावधानों में परिवर्तन (मानक आस्तियों हेतु प्रावधान को घटाकर)		
(क) अथ शेष	575.35	651.78
(ख) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	500.18	201.51
(ग) बेशी प्रावधानों का बट्टे खाते डालना / प्रतिलेखन	622.27	277.94
(घ) अंतिम शेष	453.26	575.35

(ख) अनर्जक निवेश

(₹ करोड़)

विवरण	वि व 2019-20	वि व 2018-19
(i) निवल निवेश की तुलना में निवल एनपीआई (%)	**3.02%**	**13.01%**
(ii) एनपीआई की प्रगति (सकल)		
(क) अथ शेष	1,577.17	410.03
(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	0.01	1,240.69
(ग) वर्ष के दौरान कमी	948.56	73.55
(घ) अंतिम शेष	**628.62**	**1,577.17**
(iii) निवल एनपीआई की प्रगति		
(क) अथ शेष	993.44	0.00
(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	0.00	993.44
(ग) वर्ष के दौरान कमी	708.44	0.00
(घ) अंतिम शेष	**285.00**	**993.44**
(iv) एनपीआई के प्रावधान की प्रगति (मानक आस्तियों पर प्रावधानों को छोड़कर)		
(क) अथ शेष	868.73	410.03
(ख) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	708.45	532.25
(ग) बेशी प्रावधानों का बट्टे खाते डालना / प्रतिलेखन	948.56	73.55
(घ) अंतिम शेष	**628.62**	**868.73**

(ग) अनर्जक आस्तियाँ (क+ख)

(₹ करोड़)

विवरण	वि व 2019-20	वि व 2018-19
(i) निवल आस्तियों की तुलना में निवल अनर्जक आस्तियाँ (ऋण + निवेश) (%)	**0.55%**	**0.83%**
(ii) अनर्जक आस्तियों की प्रगति (सकल ऋण + सकल निवेश)		
(क) अथ शेष	2,445.08	1,312.45
(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	942.64	1,550.29
(ग) वर्ष के दौरान कमी	1,647.18	417.66
(घ) अंतिम शेष	**1,740.54**	**2,445.08**
(iii) निवल अनर्जक आस्तियों की प्रगति		
(क) अथ शेष	1,285.98	250.63
(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	516.84	1,102.05
(ग) वर्ष के दौरान कमी	788.12	66.70
(घ) अंतिम शेष	**1,014.70**	**1,285.98**
(iv) अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान में प्रगति (मानक आस्तियों पर प्रावधान को छोड़कर)		
(क) अथ शेष	1,444.09	1,061.81
(ख) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	1,208.63	733.77
(ग) अतिरिक्त प्रावधानों का बट्टे खाते डालना / प्रतिलेखन	1,570.83	351.49
(घ) अंतिम शेष	**1,081.89**	**1,444.09**

3 (घ) पुनर्संरचित खाते

पुनर्संरचित खातों का प्रकटन

(₹ करोड़)

क्र सं	पुनर्संरचित प्रकार →		सीडीआर प्रणाली के अंतर्गत					एसएमई ऋण पुनर्संरचित प्रणाली के अंतर्गत					अन्य					कुल				
	आस्ति वर्गीकरण →		मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल
	विवरण ↓																					
1	वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल को पुनर्संरचित खाते (प्रारम्भिक संख्या)*	उधारकर्ताओं की संख्या	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	21	10	34	-	**65**	21	10	34	-	**65**
		बकाया राशि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82.23	19.13	115.08	-	**216.43**	82.23	19.13	115.08	-	**216.43**
		उस पर किए गया प्रावधान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.28	0.16	0.11	-	**0.55**	0.28	0.16	0.11	-	**0.55**
2	वर्ष के दौरान नये पुनर्संरचित	उधारकर्ताओं की संख्या					-					-	2	4	1	-	**7**	2	4	1	-	**7**
		बकाया राशि					-					-	1.06	16.27	1.83	-	**19.15**	1.06	16.27	1.83	-	**19.15**
		उस पर किए गया प्रावधान					-					-	0.05	2.03	-	-	**2.08**	0.05	2.03	-	-	**2.08**
3	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संरचित मानक वर्ग में उन्नयन	उधारकर्ताओं की संख्या					-					-	3	(2)	(1)	-	**-**	3	(2)	(1)	-	**-**
		बकाया राशि					-					-	10.55	(4.47)	(6.08)	-	**-**	10.55	(4.47)	(6.08)	-	**-**
		उस पर किए गया प्रावधान					-					-	0.01	(0.01)	-	-	**-**	0.01	(0.01)	-	-	**-**
4	पुनर्संरचित खाते, जिन पर विव के अंत में उच्चतर प्रावधान और/ इसलिए उन्हें अगले विव के आरम्भ में पुनर्संरचित मानक ऋणों के रूप में नहीं दर्शाना है	उधारकर्ताओं की संख्या					-					-	(6)				**(6)**	(6)				**(6)**
		बकाया राशि					-					-	(26.26)				**(26.26)**	(26.26)				**(26.26)**
		उस पर किए गया प्रावधान					-					-	(0.03)				**(0.03)**	(0.03)				**(0.03)**
5	विव के दौरान पुनर्संरचित खातों का अवनयन	उधारकर्ताओं की संख्या					-					-	(4)	(1)	5	-	-	(4)	(1)	5	-	-
		बकाया राशि					-					-	(21.14)	16.42	4.72	-	-	(21.14)	16.42	4.72	-	-
		उस पर किए गया प्रावधान					-					-	-	(0.13)	0.13	-	-	-	(0.13)	0.13	-	-
6	विव के दौरान पुनर्संरचित खातों का बट्टे खाते में डालना #	उधारकर्ताओं की संख्या					-					-	(1)	(1)	(25)	-	**(27)**	(1)	(1)	(25)	-	**(27)**
		बकाया राशि					-					-	(4.30)	(0.71)	(67.23)	-	**(72.24)**	(4.30)	(0.71)	(67.23)	-	**(72.24)**
		उस पर किए गया प्रावधान					-					-	0.25	(0.02)	(0.01)	-	**0.23**	0.25	(0.02)	(0.01)	-	**0.23**
7	31 मार्च को समाप्त विव को पुनर्संरचित खाते (अंतिम संख्या) *	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	10	14	-	**39**	15	10	14	-	**39**
		बकाया राशि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.15	46.63	48.32	-	**137.09**	42.15	46.63	48.32	-	**137.09**
		उस पर किए गया प्रावधान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.56	2.03	0.23	-	**2.82**	0.56	2.03	0.23	-	**2.82**

* मानक पुनर्संरचित अग्रिमों के आंकड़ों को छोड़कर, जिन पर उच्चतर प्रावधान या जोखिम भारित नहीं होता (यदि लागू हो)

नोट: क्रम सं. 6 के आंकड़ों में ₹15.60 करोड़ (27 उधारकर्ता और ₹0.28 करोड़ के प्रावधान) शामिल हैं, जो मौजूदा पुनर्संरचित खातों से कटौती / वसूली से संबंधित है और जहाँ वसूली के माध्यम से ₹6.79 करोड़ की राशि के 7 उधारकर्ताओं के खाते को बंद किया गया है

पुनर्संरचित खातों की कमी को शामिल कराते हुए

(घ) अनर्जक आस्तियों की प्रगति

(₹ करोड़)

विवरण	वि व 2019-20	वि व 2018-19
लेखांकन अवधि की आरंभिक तिथि को सकल अनर्जक आस्तियां (अथ शेष)	1,152.91	902.42
वर्ष के दौरान परिवर्धन (नई अनर्जक आस्तियां)	942.62	594.60
उप योग (क)	**2,095.53**	**1,497.02**
घटाएँ:-		
(i) उन्नयन	50.90	8.46
(ii) वसूलियाँ (उन्नत खातों से की गयी वसूलियों को छोड़कर)	88.43	113.76
(iii) तकनीकी / विवेकपूर्ण बट्टा खाता	558.18	221.79
(iv) उपर्युक्त (iii) के अलावा बट्टे खाते में डाले गए	1.11	0.10
उप योग (ख)	**698.62**	**344.11**
यथा अगले वर्ष के 31 मार्च को सकल अनर्जक आस्तियां (इति शेष) (ए-बी)	**1,396.91**	**1,152.91**

(च) बट्टे खाते में डालना एवं वसूलियाँ

(₹ करोड़)

विवरण	वि व 2019-20	वि व 2018-19
यथा 1 अप्रैल को तकनीकी / विवेकपूर्ण बट्टे खाते में अथशेष	1,563.29	1,458.52
जोड़िए: वर्ष के दौरान तकनीकी / विवेकपूर्ण बट्टे खाते	558.18	221.79
उप जोड़ (क)	**2,121.47**	**1,680.31**
घटाएँ: वास्तविक बट्टे खाते	12.24	87.51
घटाएँ: वर्ष के दौरान पिछली तकनीकी / विवेकपूर्ण बट्टे खाते से की गई वसूलियाँ	102.22	29.51
उप योग (ख)	**114.46**	**117.02**
31 मार्च को अंतिम शेष (क-ख)	**2,007.01**	**1,563.29**

(छ) विदेशी आस्तियां, अनर्जक आस्तियां एवं राजस्व

विवरण	वि व 2019-20	वि व 2018-19
कुल आस्तियां	शून्य	शून्य
कुल अनर्जक आस्तियाँ	शून्य	शून्य
कुल राजस्व	शून्य	शून्य

(ज) मूल्य ह्रास एवं निवेशों पर प्रावधान

(₹ करोड़)

विवरण	वि व 2019-20	वि व 2018-19
(1) (1) निवेश		
(i) सकल निवेश	10,066.31	10,113.03
(क) भारत में	10,066.31	10,113.03
(ख) भारत के बाहर	-	-
(ii) मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	634.74	874.99
(क) भारत में	634.74	874.99
(ख) भारत के बाहर	-	-
(iii) निवल निवेश	9,431.57	9,238.04
(क) भारत में	9,431.57	9,238.04
(ख) भारत के बाहर	-	-
(2) निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए धारित प्रावधानों में प्रगति		
(i) अथशेष	291.25	50.18
(ii) जोड़िए: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	7.28	291.65
(iii) वर्ष के दौरान निवेश उतार चढ़ाव आरक्षिति खाते में से कोई समायोजन, यदि कोई हो तो	7.08	6.36
(iv) घटाएं: वर्ष के दौरान अधिक प्रावधानों को पुनरांकित / बट्टे खाते में डाले गए	-	-
(v) घटाएं: निवेश उतार चढ़ाव आरक्षिति में अंतरण, यदि कोई हो तो*	7.41	50.58
(vi) अंतिम शेष	291.12	291.25

* निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षिति में अंतरण वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान किए गए ₹0.34 करोड़ के प्रावधान और वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान किए गए ₹44.22 करोड़ के प्रावधान को घटाकर निवल है।

(झ) प्रावधान एवं आकस्मिकताएँ

(₹ करोड़)

लाभ-हानि खाते में व्यय शीर्ष के अंतर्गत दर्शाए गए 'प्रावधान एवं आकस्मिकताएं' का पृथक-पृथक विवरण	वि व 2019-20	वि व 2018-19
निवेश पर मूल्यह्रास / एनपीआई हेतु प्रावधान #	704.09	186.68
एनपीए हेतु प्रावधान #	189.57	(1.32)
आयकर के प्रति किया गया प्रावधान (आस्थगित कर-आस्ति / देयता सहित)	615.81	770.90
अन्य प्रावधान एवं आकस्मिकताएँ (विवरण सहित) $	119.28	102.61

अस्थिर प्रावधान के प्रतिलेखन पश्चात्

$ मानक आस्ति हेतु प्रावधान

(ट) प्रावधानीकरण कवरेज अनुपात (पीसीआर)

	FY 2019-20	FY 2018-19
प्रावधानीकरण कवरेज अनुपात (पीसीआर)*	80%	87%

* पीसीआर की गणना करते समय अस्थिर प्रावधान पर विचार नहीं किया गया

(ठ) वर्तमान ऋणों की लचीली संरचना संबंधी प्रकटन

(₹ करोड़)

अवधि	लचीली पुनर्संरचना हेतु लिए गए उधारकर्ताओं की संख्या	लचीली संरचना हेतु लिए गए ऋणों की राशि		लचीली संरचना हेतु लिए गए ऋणों की एक्सपोजर-भारित औसत अवधि	
		मानक के रूप में वर्गीकृत	अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत	लचीली संरचना लागू करने के पूर्व	लचीली संरचना लागू करने के पश्चात्
पूर्ववर्ती वर्ष वि व 2018-19		शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
चालू वर्ष वि व 2019-20		शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(ड) रणनीतिक ऋण पुनर्संरचना योजना संबंधी प्रकटन (ऐसे खाते जो वर्तमान में स्टैंड-स्टिल अवधि में हैं)

(₹ करोड़)

उन खातों की संख्या जिनमें एसडीआर का अहवान किया गया	रिपोर्टिंग की तारीख को बकाया राशि		उन खातों के संबंध में रिपोर्टिंग तारीख को बकाया राशि, जिनमें ऋण को ईक्विटी में रूपान्तरित किया जाना शेष है		उन खातों के संबंध में रिपोर्टिंग की तारीख को बकाया राशि, जिनमें ऋण को ईक्विटी में रूपान्तरित किया जा चुका है	
	मानक के रूप में वर्गीकृत	अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत	मानक के रूप में वर्गीकृत	अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत	मानक के रूप में वर्गीकृत	अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(ढ) एसडीआर योजना के बाहर स्वामित्व में परिवर्तन पर प्रकटीकरण (खाते जो अभी सुप्तावस्था अवधि में हैं)

उन खातों की सं. जहाँ बैंकों ने स्वामित्व में परिवर्तन को प्रभावी करने के निर्णय किए हैं	रिपोर्टिंग तिथि को बकाया राशि		उन खातों के सन्दर्भ में जहाँ ऋण से ईक्विटी में परिवर्तन / बंधक ईक्विटी शेयरों को वापस लिया गया है, रिपोर्टिंग तिथि को बकाया राशि		उन खातों के सन्दर्भ में जहाँ ऋण से ईक्विटी में परिवर्तन / बंधक ईक्विटी शेयरों को वापस लिया गया है, रिपोर्टिंग की तिथि को बकाया राशि		उन खातों के सन्दर्भ में जहाँ नये शेयर जारी कर / अथवा प्रवर्त्तकों के ईक्विटी की विक्री कर परिवर्तन अभिकल्पित है में रिपोर्टिंग की तिथि को बकाया राशि	
	मानक के रूप में वर्गीकृत	अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत	मानक के रूप में वर्गीकृत	अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत	मानक के रूप में वर्गीकृत	अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत	मानक के रूप में वर्गीकृत	अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(त) परियोजना कार्यान्वयन के अंतर्गत स्वामित्व में परिवर्तन का प्रकटन (खाते जो अभी सुप्तावधि में हैं)

परियोजना ऋण खातों की संख्या जहाँ बैंक ने स्वामित्व में परिवर्तन को प्रभावी करने का निर्णय लिया है	रिपोर्टिंग की तिथि को बकाया राशि		
	मानक के रूप में वर्गीकृत	पुन:संरचित मानक के रूप में वर्गीकृत	अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(थ) यथा 31 मार्च 2020 दबावग्रस्त आस्तियों (एस 4ए) टिकाऊ संरचना योजना का प्रकटन

खातों की संख्या जहाँ एस4ए लागू किया गया है	सकल बकाया राशि	बकाया राशि		धारित प्रावधान
		भाग ए में	भाग बी में	
मानक के रूप में वर्गीकृत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

4 निवेश पोर्टफोलियो: संगठन एवं परिचालन

(क) रेपो संव्यवहार

	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	यथा 31 मार्च 2020 बकाया राशि
रेपो के तहत बेंची गयी प्रतिभूति				
i. सरकारी प्रतिभूतियां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ii. कारपोरेट ऋण प्रतिभूतियां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गयी प्रतिभूतियां				
i. सरकारी प्रतिभूतियां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ii. कारपोरेट ऋण प्रतिभूतियां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(ख) ऋण प्रतिभूतियों में निवेश हेतु जारीकर्ता के संघटन का प्रकटीकरण

(₹ करोड़)

जारीकर्ता	राशि	की राशि			
		निजी प्लेसमेंट के जरिये किया गया निवेश	निवेश श्रेणी प्रतिभूति से निम्न में धारित	बिना रेटिंग के प्रतिभूति में धारित	असूचीबद्ध प्रतिभूति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	724.70	-	-	-	-
वित्तीय संस्थाएं	279.84	96.94	-	78.55	103.00
बैंक	3300.50	15.00	-	103.50	103.50
निजी कार्पोरेट्स	487.15	172.05	-	360.30	351.41
अनुषंगी / संयुक्त उपक्रम	0.00	0.00	-	0.00	-
अन्य	4987.83	1,027.12	-	1,027.12	4,437.12
मूल्यह्रास के लिए धारित प्रावधान	(348.45)	-	-	-	-
योग	**9431.57**	**1,311.11**	**0.00**	**1,569.47**	**4,995.03**

(ग) एच टी एम श्रेणी से प्रतिभूति की बिक्री एवं अंतरण

चालू वित्तवर्ष के दौरान, एचटीएम श्रेणी में / से कोई निवेश रूपांतरित नहीं किया गया

5 खरीदी / बेंची गयी आस्तियों का विवरण

(क) आस्ति पुनर्संरचना के लिए प्रतिभूतिकरण / पुनर्संरचना कंपनियों बेंची गयी आस्तियों के विवरण

(i) बिक्रियों का विवरण

(₹ करोड़)

विवरण		वि व 2019-20	वि व 2018-19
(i)	खातों की संख्या (उधारकर्ता)	1	1
(ii)	एस सी /आर सी को बेंचे गए खातों का (प्रावधान घटाकर) सकल मूल्य	0.56#	0.00
(iii)	सकल प्रतिफल	3.72 (नकद-0.56)	15
(iv)	पिछले वर्षों में अंतरित खातों के संबंद्ध में वसूल किया गया अतिरिक्त प्रतिफल	5.24	28.05
(v)	निवल बही मूल्य के प्रति सकल लाभ / हानि	5.80	3.30

केवल नकदी घटक पर विचार किया गया है

(ii) प्रतिभूति रसीद में निवेश के बही मूल्य का विवरण

(₹ करोड़)

विवरण		प्रतिभूति रसीदों में निवेश का बही मूल्य	
		वि व 2019-20	वि व 2018-19
(i)	अंतर्निहित के रूप में एआईएफआई द्वारा बेचा गया और अनर्जक आस्तियों द्वारा समर्थित	0.27	0.27
(ii)	अंतर्निहित के रूप में बैंकों / अन्य वित्तीय संस्थाओं / गैर बैंकिंग कंपनियों द्वारा बेचा गया और अनर्जक आस्तियों द्वारा समर्थित	0.00	0.00
योग		**0.27**	**0.27**

(ख) खरीदी गयी / बेंची गयी अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण

(i) खरीदी गयी अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण

विवरण		वि व 2019-20	वि व 2018-19
1.	(क) वर्ष के दौरान खरीदे गए खातों की संख्या	शून्य	शून्य
	(ख) सकल बकाया	शून्य	शून्य
2.	(क) वर्ष के दौरान इन पुनर्संरचित खातों की संख्या	शून्य	शून्य
	(ख) सकल बकाया	शून्य	शून्य

(ii) बेंची गयी अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण

(₹ करोड़)

विवरण	वि व 2019-20	वि व 2018-19
बेंचे गए खातों की संख्या	1	1
सकल बकाया	6.77	76.44
सकल प्राप्त प्रतिफल	3.72 (नकद-0.56)	15.00

6 परिचालित परिणाम

विवरण		वि व 2019-20	वि व 2018-19
(i)	औसत कार्यशील निधि का ब्याज आय प्रतिशत (%)	6.47	6.82
(ii)	औसत कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में गैर ब्याज आय (%)	0.58	0.32
(iii)	औसत कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ (प्रावधान पूर्व) (%)	2.23	1.87
(iv)	औसत आस्तियों पर प्रतिफल (कराधान प्रावधान के पूर्व) (%)	1.69	1.68
(v)	प्रति कर्मचारी निवल लाभ (₹ करोड़)	2.43	1.77

7 ऋण संकेन्द्रण जोखिम

(क) पूंजी बाजार एक्सपोजर

(₹ करोड़)

विवरण		वि व 2019-20	वि व 2018-19
(i)	ईक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय ऋण पत्रों में प्रत्यक्ष निवेश और ईक्विटी उन्मुख म्युचुअल निधियों के कार्पस की इकाइयों में प्रत्यक्ष निवेश जो कि विशिष्ट रूप से कारपोरेट ऋण में निवेश न किया गया हो	470.43	499.27
(ii)	शेयरों / बांडों / ऋण पत्रों के एवज में अग्रिम अथवा व्यक्तिगत रूप से शेयरों, परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय ऋण पत्रों और इक्विटी उन्मुख म्युचुअल निधियों की इकाइयों में व्यक्तिगत रूप से किया गया निवेश	-	-
(iii)	किसी अन्य उद्देश्य के लिए अग्रिमों जहां शेयरों, अथवा परिवर्तनीय बोंड्स अथवा परिवर्तनीय ऋण पत्रों अथवा इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल निधियों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है	-	-
(iv)	किसी अन्य उद्देश्य के लिए अग्रिम जो कि संपार्श्विक प्रतिभूति अथवा परिवर्तनीय बांडों एवं परिवर्तनीय ऋण पत्रों या ईक्विटी उन्मुख म्युचुअल निधियों की इकाइयों की प्रतिभूति से सुरक्षित है और जहाँ प्राथमिक प्रतिभूति परिवर्तनीय बांडों एवं परिवर्तनीय ऋण पत्रों या ईक्विटी उन्मुख म्युचुअल निधियों की इकाइयों की प्रतिभूति से अग्रिम आवरित नहीं है	-	-
(v)	स्टाक ब्रोकरों और मार्केट मेकरों की ओर से स्टाक ब्रोकरों को प्रतिभूति सहित और प्रतिभूति रहित अग्रिम / गारंटियाँ जारी करना	-	-

(₹ करोड़)

विवरण	वि व 2019-20	वि व 2018-19
(vi) संसाधन जुटाने की प्रत्याशा में नई कंपनियों की ईक्विटी में प्रवर्त्तकों के अंशदान की प्रतिपूर्ति के लिए सीधा आधार पर अथवा ऋण पत्रों / बांडों शेयरों की प्रतिभूति के एवज में कार्पोरेट्स को मंजूर ऋण	-	-
(vii) अपेक्षित ईक्विटी प्रवाह / जारी करने के लिए कंपनियों को ब्रिज ऋण देना	-	-
(viii) शेयरों अथवा परिवर्तनीय बांडों अथवा परिवर्तनीय ऋण पत्रों अथवा ईक्विटी उन्मुख म्युच्युअल निधियों के प्राथमिक निर्गम के संबंध में बैंकों द्वारा ली गई हामीदारी	-	-
(ix) मार्जिन ट्रेडिंग के लिए स्टाक ब्रोकरों को वित्तपोषण	-	-
(x) वेंचर पूंजी निधियों (पंजीकृत एवं गैर पंजीकृत) को सभी एक्स्पोजर	1,546.36	1,600.50
पूंजी बाजार में कुल एक्सपोजर	**2,016.79**	**2,099.77**

(ख) देश जोखिम को एक्सपोजर

पिछले वर्ष और इस वर्ष के दौरान बैंक का विदेश में कोई एक्सपोजर नहीं था

(ग) विवेकपूर्ण एक्सपोजर सीमायें - एआईएफआई द्वारा एकल उधारकर्ता / सामूहिक उधारकर्ता सीमा को बढ़ाया जाना

(i) वर्ष के दौरान विवेकपूर्ण एक्सपोजर सीमा से अधिक के एक्सपोजर की संख्या और राशि (उधारकर्ता का नाम नहीं)

क्र सं.	पैन संख्या	उधारकर्ता का नाम	उद्योग कूट	उद्योग नाम	क्षेत्र	निधिक राशि	गैर निधिक राशि	पूंजी निधियों के प्रतिशत के रूप में एक्सपोजर
-	-	-	-	-	-	-	-	-

ii) पूंजी निधियों का प्रतिशत के रूप में ऋण एक्सपोजर और कुल आस्तियों के संबंध में उसका प्रतिशत

क्र सं.	विवरण	वि व 2019-20		वि व 2018-19	
		कुल आस्तियों का %	पूँजी निधियों का %	कुल आस्तियों का %	पूँजी निधियों का %
1	एकल बड़े उधारकर्ता	9.89	98.79	8.90	85.44
	बड़े उधारकर्ता समूह	चूँकि बड़े उधारकर्ता प्राथमिक ऋण दात्री संस्थाएं हैं, उधारकर्ता समूह इस पर लागू नहीं			
2	20 बड़े एकल उधारकर्ता	70.28	701.97	70.96	680.91
	20 बड़े उधारकर्ता समूह	चूँकि बड़े उधारकर्ता प्राथमिक ऋण दात्री संस्थाएं हैं, उधारकर्ता समूह इस पर लागू नहीं			

iii) समस्त ऋण आस्तियों के प्रतिशत के रूप में पाँच बड़े औद्योगिक क्षेत्रों को प्रदत्त ऋण

(₹ करोड़)

उद्योग का नाम	वि व 2019-20		वि व 2018-19	
	बकाया राशि	कुल ऋण आस्तियों का प्रतिशत	बकाया राशि	कुल ऋण आस्तियों का प्रतिशत
ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट	2,930.06	1.68	1,492.04	1.01
वाणिज्यिक वाहन	1,646.58	0.94	813.53	0.55
मेटल उत्पाद एन.ई.सी.	865.67	0.50	496.71	0.34
ऑटो अनुषंगी	602.87	0.35	815.70	0.55
मशीनरी छोड़ कर मेटल उत्पाद पार्ट्स	473.29	0.27	432.30	0.29

(iv) यथा 31 मार्च 2020 कुल अग्रिम राशि जिसके लिए अमूर्त प्रतिभूतियां जैसे अनुज्ञप्तियां, प्राधिकार आदि लिया गया है वह ₹15.11 करोड़ है और यथा 31 मार्च 2020 अमूर्त प्रतिभूतियों का अनुमानित मूल्य शून्य है

(v) पिछले वर्ष और चालू वर्ष के दौरान बैंक को फैक्टरिंग का एक्सपोजर नहीं था

(vi) पिछले वर्ष और चालू वर्ष के दौरान बैंक ने विवेकपूर्ण एक्सपोजर सीमाओं का अतिक्रमण नहीं किया

(घ) उधारियों / ऋण व्यवस्थाओं, ऋण जोखिम-राशि एवं अनर्जक आस्तियों का संकेन्द्रण

(i) उधारियों और ऋण व्यवस्थाओं का संकेन्द्रण

(₹ करोड़)

विवरण	वि व 2019-20	वि व 2018-19
बीस बड़े ऋणदाताओं से कुल उधारियां	1,34,526.27	96,518.43
बीस बड़े ऋणदाताओं से कुल उधारियां का उधारियों में प्रतिशत	75.42%	65.83%

(ii) एक्सपोजर का संकेन्द्रण

(₹ करोड़)

विवरण	वि व 2019-20	वि व 2018-19
बीस बड़े उधारकर्ताओं को कुल अग्रिम	1,29,917.94	1,21,147.33
कुल अग्रिमों का बीस बड़े उधारकर्ताओं को दिए गए अग्रिमों का प्रतिशत	74.45%	81.81%
बीस बड़े उधारकर्ताओं / ग्राहकों को कुल एक्सपोजर	1,44,358.89	1,10,673.09
कुल एक्सपोजर का बीस बड़े उधारकर्ताओं / ग्राहकों में एक्सपोजर का प्रतिशत	70.72%	74.82%

(iii) एक्सपोजर एवं अनर्जक आस्तियां का क्षेत्रवार संकेन्द्रण

(₹ करोड़)

क्र सं.	क्षेत्र	वि व 2019-20			वि व 2018-19		
		कुल बकाया अग्रिम	सकल अनर्जक आस्तियां	क्षेत्र में कुल अग्रिमों में अनर्जक आस्तियों का सकल प्रतिशत	कुल बकाया अग्रिम	सकल अनर्जक आस्तियां	क्षेत्र में कुल अग्रिमों में अनर्जक आस्तियों का सकल प्रतिशत
I.	औद्योगिक क्षेत्र	1,59,652.52	340.45	0.21%	1,31,112.35	860.68	0.66%
1	केन्द्र सरकार	-	-	-	-	-	
2	केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	-	-	-	-	-	
3	राज्य सरकारें	-	-	-	-	-	
4	राज्य स्तरीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	112.92	-	-	295.25	111.05	37.61%
5	अनुसूचित वाणिज्य बैंक	1,49,136.32	-	-	1,20,550.43	-	-
6	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	273.78	-	-	314.97	-	-
7	सहकारी बैंक	-	-	-	-	-	-
8	निजी क्षेत्र (बैंकों को छोड़कर)	10,129.50	340.45	3.36%	9,951.70	749.63	7.53%
II.	अल्प वित्त क्षेत्र	2,938.16	4.88	0.17%	1,657.27	7.23	0.00
III.	अन्य*	12,373.66	766.58	6.20%	15,883.04	-	-
	योग (I+II+III)	**1,74,964.34**	**1,111.91**	**0.64%**	**1,48,652.66**	**867.91**	**0.58%**

*गैरबैंकिंग वित्त कंपनियों को दिए गए अग्रिम शामिल हैं

8 व्युत्पन्नियाँ

क. वादा दर करार / ब्याज दर विनिमय

क्र. सं.	विवरण	वि व 2019-20	वि व 2018-19
i)	विनिमय करारों का अनुमानिक मूल्य	यूएसडी 40,310,000	यूएसडी 40,310,000
ii)	इस करार के तहत पक्षकार द्वारा देयता पूरी न कर पाने के कारण होने वाली हानियाँ	यूएसडी 1,709,172.73	यूएसडी 209,019
iii)	इस विनिमय में शामिल होने के लिए बैंक द्वारा वांछित जोखिम	शून्य	शून्य
iv)	इस विनिमय से होने वाले जोखिम ऋणों का संकेन्द्रण	यूएसडी 1,910,722.73	यूएसडी 6,193
v)	विनिमय बही का उचित मूल्य	यूएसडी 1,709,172.73	यूएसडी (19,056)

ख. विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्नियाँ

क्र. सं.	विवरण	वि व 2019-20	वि व 2018-19
i)	वर्ष के दौरान लिए गए एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर व्युत्पन्नों की आनुमानिक मूल राशि (लिखत-वार)	शून्य	शून्य
ii)	यथा 31 मार्च बकाया एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर व्युत्पन्नों की आनुमानिक मूल राशि (लिखत-वार)	शून्य	शून्य
iii)	बकाया और अत्यंत प्रभावी नहीं एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर व्युत्पन्नों की आनुमानिक मूल राशि (लिखत-वार) और अत्यधिक प्रभावी नहीं	शून्य	शून्य
iv)	एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर व्युत्पन्नों का मार्केट मूल्य और लिखत-वार) और अत्यधिक प्रभावी नहीं	शून्य	शून्य

(ग) व्युत्पन्नियों में जोखिम एक्सपोजर पर प्रकटीकरण

(i) गुणात्मक प्रकटीकरण

(1) ब्याज दर तथा आस्ति एवं देयताओं में विसंगति से उत्पन्न विनिमय जोखिम की हेजिंग के लिए बैंक व्युत्पन्नियों का उपयोग करता है। बैंक द्वारा ली गयी सभी व्युत्पन्नियाँ हेजिंग के उद्देश्य से और ऐसी विदेशी मुद्रा के उधार के रूप में हैं जो एम् टी एम न होकर केवल रूपांतरित हैं / बैंक व्युत्पन्नियों का व्यापार नहीं करता।

(2) आंतरिक नियंत्रण संबंधी दिशा निर्देश तथा लेखांकन नीतियां बोर्ड द्वारा तैयार और अनुमोदित की जाती हैं। व्युत्पन्नी संरचना को सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन के पश्चात ही अपनाया गया है। व्युत्पन्नियों के सौदे संबंधी विवरणों की जानकारी आस्ति देयता प्रबंध समिति / बोर्ड को दी जाती है।

(3) बैंक ने व्युत्पन्नी सौदों से उत्पन्न होने वाली जोखिमों को कम करने के लिए सिस्टम स्थापित किया है। बैंक व्युत्पन्नियों के सौदे से उत्पन्न होने वाले लेन-देन का लेखांकन के लिए उपचित विधि का पालन करता है।

(ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण

(₹ करोड़)

क्र. सं.	विवरण	वि व 2019-20		वि व 2018-19	
		मुद्रा व्युत्पन्नी	ब्याज दर व्युत्पन्नी	मुद्रा व्युत्पन्नी	ब्याज दर व्युत्पन्नी
1	व्युत्पन्नियाँ (आनुमानिक मूल राशि)	6,467.78		7,875.32	
	(i) बचाव के लिए	6,467.78	-	7,875.32	-
	(ii) व्यापार के लिए	-	-	-	-
2	मार्केट स्थितियों के लिए चिह्नित [1]	645.81		134.09	
	(i) आस्ति (+)	645.81	-	134.09	-
	(ii) देयता (-)	-	-	-	-
3	ऋण एक्सपोजर [2]	999.34	-	698.06	-
4	ब्याज दर में एक प्रतिशत बदलाव से होने वाला प्रभाव (100* पी वी 01)	131.06		143.04	
	(i) व्युत्पन्नियों पर हेजिंग	131.06	-	143.04	-
	(ii) व्यापारिक व्युत्पन्नियों पर	-	-	-	-
5	वर्ष के दौरान परिलक्षित अधिकतम एवं न्यूनतम 100 * पी वी 01			-	
	(i) हेजिंग पर	186.29/131.05	-	170.56/143.04	-
	(ii) व्यापार पर	-	-	-	-

9 एआईएफ़आई द्वारा जारी लेटर ऑफ कम्फर्ट का प्रकटीकरण

वर्ष के दौरान जारी कम्फर्ट पत्रों का विवरण, आकलित वित्तीय प्रभाव और पहले जारी किये गए कम्फर्ट पत्रों के आकलित संचयी वित्तीय देयताओं का विवरण निम्नवत है:

(₹ करोड़)

31 मार्च 2019 को एलओसी के बकाए		वर्ष के दौरान जारी एलओसी		वर्ष के दौरान भुनाई गयी एलओसी		यथा 31 मार्च 2020 बकाया एलओसी	
एलओसी की संख्या	राशि	एलओसी की संख्या	राशि	एलओसी की संख्या	राशि	एलओसी की संख्या	राशि
1	0.94	-	-	1	0.94	-	-

10 आस्ति देयता प्रबंध

(₹ करोड़)

	1 से 14 दिन /	15 से 28 दिन	29 से 3 महीना	3 महीने से अधिक एवं 6 महीने तक	6 महीने से अधिक एवं 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
जमा	659	3,458	4,711	2,528	21,598	82,587	16	702	1,16,259
अग्रिम	5,719	9,086	20,917	20,535	42,756	68,089	3,826	762	1,71,690
निवेश	10,336	475	806	461	1,010	363	58	3,784	17,293
उधार	2,625	500	10,435	5,622	16,941	26,876	167	340	63,506
विदेशी मुद्रा आस्तियां	15	6	576	141	683	3,565	4,513	104	9,603
विदेशी मुद्रा देयताएँ	7	8	606	174	801	2,954	3,147	2,059	9,756

11 आरक्षितियों से आहरित

इस वर्ष और पिछले वर्ष के दौरान आरक्षितियों में से आहरण द्वारा कोई कमी नहीं हुई है

12 व्यवसाय अनुपात

विवरण	वि व 2019-20	वि व 2018-19
औसत ईक्विटी पर प्रतिफल (कर पूर्व प्रावधान) (%)	17.55	17.11
औसत आस्तियों पर प्रतिफल (कर प्रावधान के पूर्व) (%)	1.69	1.98
प्रति कर्मचारी निवल लाभ (₹ करोड़)	2.43	1.77

13 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगाए गए दंड का प्रकटीकरण

पिछले वर्ष और न ही इस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कोई दंड नहीं लगाया गया

14 ग्राहक शिकायतें

विवरण	वि व 2019-20	वि व 2018-19
वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतें	10	2
वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	216	183
वर्ष के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या	223	175
वर्ष के दौरान लंबित शिकायतों की संख्या	3	10

15 प्रायोजित किये गए तुलन पत्रेतर एस पी वी

पिछले वर्ष और इस वर्ष के दौरान बैंक के एस पी वी प्रायोजित कोई तुलन पत्रेतर आँकड़ा नहीं है

16 विशिष्ट लेखांकन मानकों के अनुसार प्रकटीकरण

क. लेखांकन मानक 5- अवधि का निवल लाभ अथवा हानि, पूर्ववर्ती अवधि की मदें और लेखांकन नीतियों में परिवर्तन

अनुसूची XIII में आय - वि व 2019-20 के दौरान अन्य आय में पूर्व अवधि कि आय ₹372,25,52,439 शामिल है [पिछले वर्ष में ₹3,21,69,155] और अनुसूची XIV में वर्णित अन्य व्यय- वि व 2019-20 के परिचालन व्यय मे पूर्व अवधि के व्यय ₹1,66,97,194 [पिछले वर्ष का व्यय (₹19,33,197)] शामिल है

ख. लेखांकन मानक 17- खंड रिपोर्टिंग

जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर निर्देश लेखांकन मानक 17 खंड रिपोर्टिंग के अंतर्गत अपेक्षित है, बैंक ने व्यवसाय खंड का प्रकटन प्राथमिक खंड के रूप में किया है, चूंकि बैंक भारत में परिचालनरत है, अतः रिपोर्टिंग योग्य भौगोलिक खंड नहीं है, भौगोलिक खंड के अंतर्गत प्रत्यक्ष वित्त, अप्रत्यक्ष वित्त और ट्रेजरी- ये तीन रिपोर्टिंग खंड निर्धारित किये गए है। ये खंड उत्पादों और सेवाओं की प्रकृति जोखिम स्वरूप, संगठनात्मक ढांचे तथा बैंक की आंतरिक रिपोर्टिंग व्यवस्था पर विचार के बाद निर्धारित किये गए हैं। पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू पद्धति के अनुसार बनाने के लिए पुनर्समूहित तथा वर्गीकृत किया गया है।

भाग क. कारोबारी खंड

(₹ करोड़)

कारोबारी खंड		संपूर्ण परिचालन (प्रत्यक्ष ऋण)		संपूर्ण परिचालन (अप्रत्यक्ष ऋण)		राजकोष		योग	
	विवरण	**वि व 2020**	**वि व 2019**	**वि व 2020**	**वि व 2019**	**वि व 2020**	**वि व 2019**	**वि व 2020**	**वि व 2019**
1	**खंड राजस्व**	1,048	1,007	10,235	8,261	1,545	649	12,828	9,917
	असाधारण मदें							371	-
	योग							**13,199**	**9,917**
2	**खंड परिणाम**	165	191	2,975	2,293	(58)	220	3,082	2,704
	असाधारण मदें							371	-
	योग							**3,453**	**2,704**
	अविनिधानीय खर्चे							290	178
	परिचालन लाभ							3,163	2,526
	आयकर (पुनरांकन के बाद)							616	568
	सहयोगी संस्थाओं में लाभ का हिस्सा							(2)	1
	निवल लाभ							2,545	1,959
3	**अन्य सूचना**								
	खंड आस्तियां	10,121	9,526	1,66,227	1,29,971	26,520	14,236	2,02,868	1,53,733
	अविनिधानीय आस्तियां							2,527	17,721
	कुल आस्तियां							2,05,395	1,71,454
	खंड देयताएं	7,281	6,726	1,53,997	1,18,901	22,886	15,287	1,84,164	1,40,914
	अविनिधानीय देयताएं							1,905	13,977
	योग							**1,86,069**	**1,54,891**
	पूंजी आरक्षितियाँ	2,848	2,812	10,373	10,960	6,105	2,791	19,326	16,563
	योग							**19,326**	**16,563**
	कुल देयताएँ							**2,05,395**	**1,71,454**

भाग ख: भौगोलिक खंड - शून्य

ग. लेखांकन मानक 18 - संबंधित पक्ष का प्रकटीकरण /

(₹ करोड़)

मदें संबंधित पक्ष	मूल (स्वामित्व के अनुसार नियंत्रण)	अनुषंगी	सहयोगी / संयुक्त उद्यम	मुख्य प्रबंध कार्मिक@	मुख्य प्रबंधक कार्मिक के संबंधी	योग
उधारियां#	-	-	-	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान अधिकतम	-	-	-	-	-	-
जमा#	-	-	-	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया	-	-	13.92	0.27	-	14.19
वर्ष के दौरान अधिकतम	-	-	13.92	1.00	-	14.92
जमा स्थान #	-	-	-	-	-	-
वर्ष केअंत में बकाया	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान अधिकतम	-	-	-	-	-	-

(₹ करोड़)

मदें संबंधित पक्ष	मूल (स्वामित्व के अनुसार नियंत्रण)	अनुषंगी	सहयोगी / संयुक्त उद्यम	मुख्य प्रबंध कार्मिक@	मुख्य प्रबंधक कार्मिक के संबंधी	योग
अग्रिम#	-	-	-	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान अधिकतम	-	-	-	-	-	-
निवेश#	-	-	-	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया	-	-	32.35		-	32.35
वर्ष के दौरान अधिकतम	-	-	32.35		-	32.35
गैर निधिकरण वचन बद्धताएं#	-	-	-	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान अधिकतम	-	-	-	-	-	-
ली गयी पट्टा व्यवस्था#	-	-	-	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान अधिकतम	-	-	-	-	-	-
उपलब्ध कराई गयी पट्टा व्यवस्था#	-	-	-	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान अधिकतम	-	-	-	-	-	-
स्थिर आस्तियों की खरीद	-	-	-	-	-	-
स्थिर आस्तियों की बिक्री	-	-	-	-	-	-
भुगतान किया गया ब्याज	-	-	0.52	0.08	-	0.60
प्राप्त ब्याज	-	-	-	-	-	-
सेवा देना*	-	-	2.13	-	-	2.13
सेवाओं की प्राप्ति*	-	-	0.03	-	-	0.03
करारों का प्रबंध**	-	-	-	1.13	-	1.13

@ निदेशक मंडल के पूर्णकालिक निदेशक
# वर्ष के अंत में बकाया और वर्ष के दौरान अधिकतम प्रकट किया जाए
* करारगत सेवायें, किन्तु रेमिटेंस सुविधाएँ, लाकर सुविधाएँ इत्यादि जैसी सेवायें नहीं हैं
** मुख्य प्रबंध कार्मिकों के पारिश्रमिक

17 पेंशन एवं उपदान देयताओं का अपरिशोधन

पेंशन एवं उपदान देयताओं को बीमांकिक मूल्यांकन आधार पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रायोजना इकाई जमा आधार पर उपलब्ध कराया जाता है। बीमांकिक लाभ हानि को तुरंत लाभ हानि लेखे में लिया जाता है, उनका परिशोधन नहीं होता है।

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते **छाजेड़ व दोषी**
सनदी लेखाकर
फर्म का पंजीकरण सं. 101794डब्ल्यू

किरण के. दफ्तरी
साझीदार
सदस्य सं. 010279

राजेन्द्र अग्रवाल
महाप्रबंधक
(निगमित लेखा उदभाग)

निदेशक मण्डल के आदेश से

मनोज मित्तल
उप प्रबंध निदेशक

जी गोपालकृष्ण
निदेशक

मोहम्मद मुस्तफा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

आशीष गुप्ता
निदेशक

नई दिल्ली, 15 मई, 2020

समेकित नकदी प्रवाह विवरण

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष का

(राशि ₹ में)

मार्च 31, 2019		विवरण	मार्च 31, 2020	मार्च 31, 2020
	1.	**परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह**		
25,27,39,54,039		लाभ और हानि खाते के अनुसार कर पूर्व निवल लाभ		31,63,16,86,674
		निम्नलिखित के लिए समायोजन:		
18,43,71,236		मूल्यह्रास	18,36,84,906	
(2,67,59,59,652)		निवेश में निवल मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	7,03,89,36,030	
5,92,27,06,235		किया गया प्रावधान (पुनरांकन के बाद)	3,98,96,93,639	
(3,24,91,18,727)		निवेश बिक्री से लाभ (निवल)	(8,98,38,31,402)	
(1,58,59,255)		स्थिर आस्तियों की बिक्री से लाभ	(44,18,585)	
(15,04,21,412)		निवेशों पर प्राप्त लाभांश	(43,63,34,432)	1,78,77,30,156
25,28,96,72,464		**परिचालनों से उपार्जित नकदी**		**33,41,94,16,830**
		(परिचालन आस्तियों व देयताओं में परिवर्तन से पूर्व)		
		निम्नलिखित में निवल परिवर्तन हेतु समायोजन:		
(19,31,46,34,266)		चालू आस्तियां	9,13,18,71,240	
(13,05,52,32,446)		चालू देयताएँ	1,93,54,28,554	
3,92,85,72,063		विनिमय बिल	3,96,15,78,214	
(4,25,40,24,27,769)		ऋण एवं अग्रिम	(2,66,36,38,25,532)	
1,30,90,67,95,800		बॉन्डों व ऋणपत्रों तथा अन्य उधारियों से निवल प्राप्तियाँ	(41,73,53,03,530)	
3,34,22,86,35,472		प्राप्त जमा	3,40,49,16,89,558	
11,29,17,08,854				**47,42,14,38,504**
36,58,13,81,318				80,84,08,55,334
(7,58,07,86,087)		कर अदायगी	(6,54,77,52,940)	(6,54,77,52,940)
29,00,05,95,231		**परिचालन गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह**		**74,29,31,02,394**
	2.	**निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह**		
(61,84,35,555)		स्थिर आस्तियों का निवल (क्रय) / विक्रय	(19,13,56,938)	
(24,87,22,25,578)		निवेशों का निवल (क्रय) / विक्रय / शोधन	(21,88,40,35,324)	
39,74,12,153		निवेशों पर प्राप्त लाभांश	48,48,52,951	
(25,09,32,48,980)		**निवेश गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नकदी**		**(21,59,05,39,311)**
	3.	**वित्त पोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह**		
-		शेयर पूंजी एवं शेयर प्रीमियम के निर्गम से आय	-	
(1,62,57,07,281)		ईक्विटी शेयरों से लाभांश एवं लाभांश पर कर	(1,70,97,37,727)	
(1,62,57,07,281)		**वित्तीय गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नकदी**		**(1,70,97,37,727)**
2,28,16,38,970	4.	**नकदी एवं नकदी समतुल्य में निवल बढ़ोत्तरी / (कमी)**		**50,99,28,25,356**
69,83,29,32,942	5.	**अवधि के प्रारम्भ में नकदी एवं नकदी समतुल्य**		**72,11,45,71,912**
72,11,45,71,912	6.	**अवधि की समाप्ति पर नकदी एवं नकदी समतुल्य**		**1,23,10,73,97,268**

समेकित नकदी प्रवाह विवरण

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष का

(राशि ₹ में)

मार्च 31, 2019	विवरण	मार्च 31, 2020	मार्च 31, 2020
	7. अवधि के अंत में नकदी एवं नकदी तुल्य राशियों में निम्नलिखित शामिल हैं		
6,14,123	हाथ में नकदी		6,30,354
68,39,55,262	बैंक में चालू खाते में अतिशेष		36,70,28,055
9,00,00,00,000	म्यूचुअल फ़ंड		34,10,00,00,001
62,43,00,02,527	जमाराशियाँ		88,63,97,38,858

टिप्पणी: नकदी प्रवाह विवरण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी एएस-3 (संशोधित) 'नकदी प्रवाह विवरण' में विनिर्दिष्ट अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार तैयार किया गया है।

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ	XV
लेखा टिप्पणियाँ	XVI

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते **छाजेड़ व दोषी**
सनदी लेखाकर
फर्म का पंजीकरण सं. 101794डब्ल्यू

किरण के. दफ्तरी
साझीदार
सदस्य सं. 010279

निदेशक मण्डल के आदेश से

राजेन्द्र अग्रवाल
महाप्रबंधक
(निगमित लेखा उदभाग)

मनोज मित्तल
उप प्रबंध निदेशक

मोहम्मद मुस्तफा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

जी गोपालकृष्ण
निदेशक

आशीष गुप्ता
निदेशक

नई दिल्ली, 15 मई, 2020

डिबेंचर ट्रस्टी

रुपया उधार के तहत सिडबी के बकाया अप्रतिभूत बांड निर्गम से संबंधित डिबेंचर ट्रस्टियों के संपर्क विवरण निम्नवत् हैं:-

वित्तवर्ष 2019

माइलस्टोन ट्रस्टीशिप सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
402 ए, हॉलमार्क बिजनेस प्लाजा, संत दँयानेश्वर मार्ग,
गुरु नानक अस्पताल के विपरीत, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051
संपर्क: सुश्री ध्वनि अजूडिया
सीधा: +91 22 67167014
मोबाइल: +91 91724 47719
फैक्स: +91 22 67167077
ईमेल: dhvani@milestonetrustee.in
वेबसाइट: www.milestonetrustee.in

वित्तवर्ष 2020

आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेस लिमिटेड (आईटीएसएल)
एशियन बिल्डिंग, भू-तल, 17, आर. कमानी मार्ग,
बालार्ड एस्टेट, मुंबई - 400 001
संपर्क: श्री रितोब्रत मित्रा
सीधा: +91 22 40807023
मोबाइल: +91 9892258709
फैक्स: +91 022 66311776
ईमेल: itsl@idbitrustee.com;response@idbitrustee.com
वेबसाइट: www.idbitrustee.com

नोट्स

सिडबी

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

www.sidbi.in

@sidbiofficial SidbiOfficial SidbiOfficial

Concept, Content & Design
WYATT Prism Communications (info@wyatt.co.in)